लाल किले

के

रंग मंच पर

लेखिका—

कुमारी पुष्पलता प्रभाकर

प्रकाशक—
सरस्वती प्रिन्टर्स लि०
जयपुर

प्रथम संस्करण
१९४६

मूल्य पांच रुपया

मुद्रक—
कपूरचन्द जैन
सरस्वती प्रिन्टर्स लि०
जयपुर।

लाल किले

"खूब लड़ी मरदानी वह तो,
झाँसी वाली रानी थी !"

"ईश्वर को साक्षी करके मैं भारत और उसके ४० करोड़ अपने देशवासियों को स्वतन्त्र करने की पवित्र सौगन्ध लेती हूँ।"

आज़ाद-हिन्द-फ़ौज

की

रानी-आफ़-झाँसी-रेजीमेन्ट

की

कप्तान डा. लक्ष्मीस्वामी नाथन

को

जिनके वीर कार्यों

ने

मेरे हृदय में पुस्तक लिखने

की

प्रेरणा उत्पन्न की।

'आजादी या मौत'

"लाल किले के रंग मंच पर प्रथम नाटक।" "नाटक का अन्त ट्रेजेडी है या कौमेडी," इसे या तो भारत सरकार ही जानती है या भारत की आजादी की दीवानी जनता। भारत के पिछले ८० वर्षों में अनेकों इन्कलाब आये पर १९४२ का इन्कलाब पिछले सब इन्कलाबों में सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इस इन्कलाब का प्रादुर्भाव भारत के अन्दर तथा बाहर दोनों जगह हुआ। परन्तु दोनों इन्कलाबो में महान अन्तर है। एक अहिंसा के अधार पर तो दूसरा हिंसा के बल पर। परन्तु दोनों प्रकार के निर्माण के लिये आत्मोत्सर्ग, कष्ट सहन, बलिदान, आजादी पर मर मिटने की पूरी लगन तथा सर्वस्व त्याग की भावनाओं का होना अवसम्भावी है। अहिंसक युद्ध के सेनानी राष्ट्र बापू प्रात: स्मरणीय पूज्यपाद महात्मा गाँधी हैं तथा हिंसक युद्ध के सिपहसालार देश गौरव नेताजी श्री सुभाष चन्द्र बोस हैं।

नेताजी श्री सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में छेड़ी गई लड़ाई से एक नवीन इतिहास का श्री गणेश हुआ है। यह इतिहास भारतीय संग्राम का एक उज्जवलतम इतिहास है जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। उसी इतिहास का, यह मुकदमा भी, एक उज्जवलतम अध्याय है। इस अध्याय ने इस इतिहास को चार चाँद लगा दिये हैं। भारत के गौरव पूर्ण इतिहास के इस अध्याय को इस पुस्तक में अंकित करके यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि नेताजी के वफादार सिपाहियों ने किस प्रकार गौरव पूर्ण कारनामों के द्वारा राष्ट्र बापू के अगस्त १९४२ के "आजादी या मौत" को पूर्ण करके ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, आजादी दिवस और २६ जनवरी, दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध है। जो सम्पूर्ण आजादी की पूर्ण प्रतिज्ञा सन् १६२६ के दिन रावी के तट पर की गई थी वह आज भी अधिक से अधिक स्वाभिमान के साथ दोहराई जाती है और आज भी जिस समय मैं वक्तव्य लिख रही हूँ, स्वाधीनता दिवस मानाया जा रहा है। इस दिन भारतवासी राष्ट्रीय झण्डे के नीचे खड़े हो कर सम्पूर्ण आजादी की माँग को दोहराते हुये, पूर्ण आजादी के लिये सर्वस्व त्याग की प्रतिज्ञा करते हैं। २६ जनवरी १६४१ के दिन भी प्रतिज्ञा दोहराई जाने वाली थी, परन्तु देश ने सुना कि सुभाष बाबू अचानक गायब हो गये हैं। सम्पूर्ण देश में कुहराम मच गया। 'आजादी के दिन' बन्दी सुभाष दासता से मुक्त हो कर भारत की पूर्ण आजादी प्राप्त करने की लालसा से स्वतन्त्रता देवी की साधना एवं आराधना में जुट कर देश को भाग्य शाली बना दिया। विद्रोह और क्रान्ति नेताजी के जन्म के संगी और साथी हैं। विद्यार्थियों के नेता राष्ट्र के 'नेताजी' बन कर 'आजादी या मौत' के हामी बनते हुये, आजाद-हिन्द-फौज के प्रधान सेनापति तथा अस्थाई आ० हि० सरकार के प्रथम राष्ट्रपति बन कर भारत के नाम को उज्वल बनाया है। नेताजी आत्मोत्सर्ग की जीती जागती एवं सजीव मूर्ति हैं फिर इनके सिपाही भी ऐसे ही क्यों न बनें? इसका साक्षी आजाद-हिन्द-फौज के तीनों अफसरों पर चलने वाला लाल किले का मुकदमा है। सर्व श्री कप्तान शाहनवाज, कप्तान सहगल तथा लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन इस रंगमंच के नायक हैं।

"ब्रिटिश ताज के प्रति परम्परागत वफादारी के वातावरण में पला होने के कारण मैं अभी तक केवल नौजवान ब्रिटिश अफसरों की नजरों से हिन्दुस्तान को पहचानता था। लेकिन जब मैं नेताजी सुभाष बाबू से मिला और उनके भाषण सुने तब अपने जीवन में पहली बार मैंने

एक भारतीय की आँखों से अपने भारत को देखा" यह शब्द कप्तान शाहनवाज खाँ ने सिंह गरजना करते हुये लाल किले की चार दीवारी को फोड़ कर संसार के सन्मुख अपना हृदय दिखाते हुये भारत के गौरव को सत्य अर्थों में अंकित किया है। अपना बयान जारी रखते हुये कप्तान शाहनवाज ने कहा कि मैं "दुनिया की किसी भी चीज से भारत की प्रतिष्ठा का सौदा न करूँगा।" "जब मैंने सोचा कि अंग्रेज मेरे करोड़ों भूखे देश वासियों का शोषण कर रहे हैं तो उनके प्रति मेरी घृणा हो गई और मेरी यह दृढ़ धारणा हो गई कि भारत में विदेशी शासन अन्याय पर है। इस अन्याय को दूर करने के लिये मैंने अपना घर बार, परिवार तथा जीवन तक बलिदान करने की ठान ली।" कप्तान शाहनवाज ने अपनी प्रतिज्ञा को अदालत में दोहराया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस पर आपने कहा कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूँद भी बाकी है हम देश की आजादी के लिये लड़ते रहेंगे। यह नेताजी के वफादार सिपाही कप्तान शाहनवाज का आत्म-चरित्र है।

"हमने आजाद-हिन्द-फौज के इतिहास को खून से लिखा है। जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूँद भी बाकी है मैं हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ता रहूँगा" नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिवस पर कप्तान सहगल ने अपनी वफादारी के प्रण को दोहराया।

"नेताजी के सामने हमने जो प्रतिज्ञा की थी वह अब भी, उसी प्रकार कायम है।" रिहाई के बाद कप्तान सहगल ने अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा को दोहराया।

"अपने वतन की आजादी के लिये मैं अन्तिम क्षण तक लड़ता रहूँगा" लेफ्टि० ढिल्लन ने अपना आत्म निवेदन प्रस्तुत किया।

आजाद-हिन्द-फौज के प्रथम मुकदमे के नायकों के आत्मचरित्र कितने गौरव पूर्ण हैं। यह पूछें लाल किले की उस बेरक को जिसने इन वीर सिपाहियों को कसौटी पर कसा है। 'आजादी या मौत' इन का ध्येय रहा है। इसका साक्षी बर्मा, रंगून और सिंगापुर की चपा-चपा जमीन है जहाँ पर इन देश भक्तों ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिये युद्ध लड़ा है। लाल किला भी इनकी वफादारी की गवाही देता है जहाँ पर इन वीरों को पूरी तरह से परखा गया है। "कांग्रेस के झण्डे के नीचे हम स्वतन्त्रता का युद्ध जारी रखेंगे।" तीनों अफसरों की यह संयुक्त घोषणा 'आजादी या मौत' की गवाही देने के लिये काफी है।

आजाद-हिन्द-सरकार तथा आजाद-हिन्द-फौज 'आजादी या मौत' के उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही नेताजी के द्वारा संचालित किये गये थे। देश सेवा की भावना से प्रेरित हो कर किये गये यह सम्पूर्ण बलिदान एवं 'आजादी या मौत' की साक्षी के प्रचुर प्रमाण हैं। लाल किले का यह मुकदमा भी सर उठा कर यही उच्चारित करता रहेगा कि गुलाम देश के लिये 'आजादी या मौत' एक मूल मंत्र है।

भारत आजादी के द्वार पर खड़ा है। भारत माँ की दासता की बेड़ियाँ चटख रही हैं। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित हो कर "लाल किले के रंग मंच पर" नामक पुस्तक लिखने का साहस किया है। सम्भवतः भारत के इतिहास में यह पुस्तक गवाही के रूप में समझी जाये। "आजादी या मौत" ही इस पुस्तक की पृष्ठ भूमि है।

राष्ट्र बापू का "भारत छोड़ो" प्रस्ताव तथा नेताजी का "चलो दिल्ली" का नारा एक ही भावना के दो रूप हैं। आज ये दोनों मिलकर भारत के बच्चे बच्चे के मुँह से यही निकल रहे हैं, "अंग्रेजो भारत छोड़ो, "भारतीय चलो दिल्ली।" और आज भी दोनों विद्यमान हैं, अपितु पहले से भी अधिक शक्ति शाली एवं उग्ररूप में। "अंग्रेजो

भारत छोड़ो" का नारा 'चलो दिल्ली" के नारे के साथ मिलकर "अंग्रेजो एशिया छोड़ो" का नारा बन गया है। अनेक दमन किये। अनेक अत्याचार किये जा रहे हैं। आजाद-हिन्द-फौज के अनेक सिपाहियों को यातनाएँ देकर कष्ट पहुँचाया जा रहा है। अगस्त' ४२, के अनेकों वीर आज भी जेल की चार दीवारी के भीतर नजरबन्द हैं। सरकार कितने भी दमन करले। कितने ही नाटक रच ले पर शहीदों का खून तो यही पुकारता रहेगा, "आजादी या मौत" "आजादी हमारा जन्म सिद्धाधिकार है।" बलिया तथा चीमूर की कहानियाँ अपने गौरव की गाथा सिर उठा कर भारत संतान को "आजादी या मौत" का ही पाठ पढ़ाती रहेंगी। इम्फाल, मणिपुर की खून से सराबोर जमीन स्वाभिमान के साथ "आजादी या मौत" का ही सन्देश सुनाती रहेगी। शहीदों के खून से निकली हुई पुकार "मौत" के बाद "आजादी" की जीती जागती मूर्ति लेकर फिर प्रकट हो कर गौरव के साथ आजाद-हिंद जिन्दाबाद का नारा बुलन्द करेगी "मौत" के इतिहास के बाद "आजादी का दूसरा नवीन इतिहास लिखा जायेगा जिस में नेताजी के "विश्वास, एकता तथा बलिदान" के कणों से विश्व-शान्ति का नवीन परिच्छेद लिखा जाकर सिर उठाकर यही गान अलापा जायेगा, "आजाद-हिंद जिंदाबाद।"

"लाल किले के रंग मंच पर" नामक ऐतिहासिक मुकदमा "आजाद-भारत" का प्रतीक है। यह मुकदमा भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में अंकित रहेगा तथा गौरव पूर्ण भावनाओं द्वारा पूजा जायेगा।

जयहिन्द।

साधना सदन,
देवनगर, दिल्ली।
स्वाधीनता दिवस '४६

"पुष्प" प्रभाकर

कृतज्ञता प्रकाशन

इस पुस्तक के प्रकाशन में निम्न व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन करना मैं अपना कर्त्तव्य समझती हूँ:

(१) श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन', जिन्होंने भूमिका लिख कर मेरे हृदय में साहस प्रदान करके आगे बढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न की है।

(२) श्री परमेश्वर दयाल विद्यार्थी बी.ए., एल. एल. बी, जिन्होंने पुस्तक के संशोधन में सहायता प्रदान करके पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद में पूरा पूरा हाथ बटा कर मेरे काम को सहल बनाया है।

(३) श्री दौलतमल जी को जिन्होंने प्रूफ देखने में मेरी पूरी २ मदद की है।

अन्त में मैं श्री चिरंजीलाल जी अग्रवाल की हृदय से आभारी हूँ जिनकी उदारता, महानता तथा प्रोत्साहन से पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग प्राप्त हुआ है। आपके सहयोग ने, मेरी निराश परिस्थितियों में, सक्रिय कृपा एवं उदारता के कारण आशा का संचार करके मुझे विषम एवं कठिन परिस्थितियों से बचा लिया है। मैं आपकी अनुकम्पा का हृदय से कृतज्ञ हूँ। आपकी ही उदारता से यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है।

सरस्वती प्रिन्टर्स लि० को भी धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकती जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में पूरा पूरी दिलचस्पी ली है।

यमुना को भुला देना भी कृतघ्नता होगी जिस ने अपने प्रेम तथा स्नेह से सदा के लिये मुझे अपना बना लिया है।

जयपुर
२० मई, १९४६.

लेखिका

—प्रकाशक का वक्तव्य—

हिंसा की ज्वाला से प्रेरित होकर संसार में महायुद्ध छिड़ा और प्रतिहिंसा की भावना से प्रेरित होकर युद्ध-बन्दियों के ऊपर मुकदमे चले। युद्ध में किसने अत्याचार किया, किसने नहीं किया। किसके कार्य को अत्याचार कहा जाए और किसको नहीं, इसमें भेद करना बड़ा कठिन है। तब किसी राष्ट्र पर यह आरोप लगाना कि उसने युद्ध में निर्दयता से काम लिया, ज्यादती है। लोग कहते हैं, जो ब्रिटेन के भी युद्ध-बन्दी रहे हैं, कि ब्रिटेन ने भी इसमें कमी नहीं की है और भारत की जेलों में रहने वाले कांग्रेसी बन्दियों को इसका अनुभव है। इस प्रतिहिंसा का एक ही परिणाम हो सकता है। प्रतिहिंसा दूसरे देशों में भी भड़क सकती है, उन देशों में जो इस समय इन युद्ध-अभियोगों के भार से तड़प रहे हैं।

मानवता का तकाजा था कि इन युद्ध-बन्दियों पर कोई मुकदमे किसी भी प्रकार के न चलाए जाते। राज-बल के साथ-साथ प्रेम-बल भी एक बल है, उसको आजमाना था। संसार में सुख

और शांति बनाये रखने का एक यह तरीका भी है। भारत में सरकार को यह समझ अब आई मालूम होती है, पर बड़ी देर से। उसने आजाद-हिन्द-सेना के शेष नायकों को मुक्त कर दिया, परन्तु संसार में अभी भी युद्ध-बन्दियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। न्यूरेम्बर्ग में नाजी-नेताओं और जापान में जापानी नेताओं पर। प्रतिहिंसा की यह ज्वाला उन राष्ट्रों को जो विजय-गर्व से प्रफुल्लित होकर संसार के रंग-मंच पर विजय की शान दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं छोड़ेगी। कुछ भी हो मानवता के नाम पर संसार में चलने वाले सभी मुक़दमे बन्द होने चाहिएं।

इसी उद्देश्य से हमने "लाल किले के रंग मंच पर" का प्रकाशन किया है। भविष्य में इस तरह की और पुस्तकें प्रकाशित करने का हमारा इरादा है। आशा है कि पाठक इस प्रयासको पसन्द करेंगे।

जयपुर,
१०-५-१९४६

परमेश्वर दयाल
"विद्यार्थी"

भूमिका

सन् १६४१ में भारत में एक दम सनसनी पैदा होगई थी। श्री सुभाष चन्द्र बोस एक दम अपने निवास स्थान से गायब हो गए। लोगों में हलचल मच गई। सुभाष कहां गया ? पर कुछ वर्षों बाद वह नेताजी, के रूप में बर्मा में प्रगट हुए। जिस समय भारत में अहिंसा की लड़ाई लड़ी जा रही थी, नेताजी ने बर्मा में हिंसात्मक युद्ध की तैयारी की। भारत की आजादी का मोर्चा वहाँ तैयार हुआ। भारतीय वीरता के सामने बृटिश सेनाएँ मोर्चे पर पराजित हुई। यह आजादी की लड़ाई की एक सीढ़ी थी। भारत में हिन्दू-मुस्लिम समस्या का हल नेताओं से न बन पड़ा परन्तु सुभाष ने इस समस्या का हल हम लोगों के सामने रख दिया।

जिस सेना ने एक संघटित शक्ति के रूप में एक राष्ट्र का-शत्रु का-मुकाबला किया, उसे बागी कहना कहाँ तक संगत है? इङ्गलैण्ड और जर्मन राज्य-परिवारों में सम्बन्ध है। तब तो इङ्गलैण्ड के सम्राट को जर्मन-सम्राट जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए बागी कह सकते हैं। पर जिन लोगों ने सारे भारतवर्ष पर अनधिकार पूर्वक-अधिकार कर रखा हो तो उन्हें डाकू कहेंगे या क्या?

नेताजी ने बर्मा के जंगलों में यह बता दिया कि भारत के लोग किस प्रकार संगठित हो सकते हैं। इसी संगठन का आदर्श आज हम भारतीयों को निभाना तथा पालन करना कठिन नहीं है।

भारत-सरकार ने आजाद-हिन्द-फौज के तीन सेनानियों, केप्टेन शाहनवाज, प्रेमकुमार सहगल और लेफ्टि० ढिल्लन के मुकदमों द्वारा नेताजी के कार्य को भली प्रकार जनता के सन्मुख रख दिया है। इसके लिए सरकार के हम आभारी हैं।

विद्रोही नेता ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है । "भारत छोड़ो" का नारा भारत में बुलन्द किया गया, पर उसे क्रियात्मक रूप देने वाला कोई और ही था। सैनिकों ने घास की रोटियां खा-खा कर अपनी लड़ाई को जारी रखा। महाराणा प्रताप और भारत के अन्य वीर सैनिकों का इतिहास हमारे सामने घूम जाता है।

स्वतन्त्रता की लड़ाई के इस क्षेत्र में व्यक्ति कोई चीज नहीं, सुभाष के प्रति हमारा सिर इस लिए आदर से नहीं झुकता कि वे बड़े आदमी हैं, वीर हैं, सैनिक हैं, या पढ़े लिखे हैं, बल्कि इसलिये कि वह आजादी की शमा के दीवाने हैं, परवाने हैं और ऐसे ही परवानों की सेना उन्होंने बनाई थी।

इतिहास में उनकी क्रान्ति और उनका नाम सदा अमर रहेगा। "लाल किले के रंगमंच पर" भी आजाद-हिन्द-सरकार और आजाद-हिन्द-फौज को अमरत्व प्रदान करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है। लेखिका का यह प्रयत्न नवीन दिशा की ओर है। नेताजी तथा उनके वीर सिपाहियों के कारनामों को अमर बनाने में लेखिका का प्रयत्न प्रशंसनीय है।

जयहिन्द।

क्षेमचन्द्र 'सुमन'

विद्या-मन्दिर,
नई दिल्ली,
जलियां वाला दिवस, ४६

विषय-सूची

लाल किले के रंगमंच पर

अभियुक्तों के बयान

सफाई पक्ष की गवाहियां

बहस

लाल किले के रंग मंच पर

कुमारी पुष्पलता प्रभाकर

गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की।
तब तलक लन्दन पै चलेगी तेग हिन्दुस्तान की॥

१८५७ की आजादी की लड़ाई के नेता **मोहम्मद बहादुर शाह** जिनको लालकिले की फौजी अदालत से आजन्म कारावास की सजा देकर रंगून किले में बंद कर दिया गया था जहाँ पर आपकी मृत्यु १८६८ में हुई।

❊ जयहिन्द ❊

"लाल किले के रंगमंच पर"

आजाद हिन्द फौज का पहला मुकदमा भारत की राजधानी देहली के उस लाल किले में जिसमें आज से अट्ठासी वर्ष पूर्व १८५७ की आजादी की लड़ाई के नेता मोहम्मद बहादुरशाह के विरुद्ध मुकदमा चला था, ५ नवम्बर १९४५ को आरम्भ हुआ। लाल किला भारतीय विद्रोह एवं विप्लवों का ऐतिहासिक केन्द्र रहा है। इस लाल किले ने अनेकों घटनाओं को अपनी आँखों से देखा है। जिस बहादुरशाह ने भारत की राजधानी का राज्य किया और शासन की बागडोर अपने हाथ में ली और लाल किले के तख्त पर बैठकर प्रजा के न्याय के फैसले किये उसी बहादुरशाह को भी लाल किले की बैठक के कटघरे में खड़ा करके काले पानी की सजा दी गई थी। उसी ऐतिहासिक लाल किले में भारत की स्वाधीनता के वीर योद्धा एवँ आजाद हिन्द फौज के माननीय अफसरों का मुकदमा भी इसी लाल किले को देखना पड़ा। पर उस दिन की स्थिति और आज की स्थिति में महान अन्तर है। भारत की स्वाधीनता भारत माँ के भाल पर आजादी का टीका चढ़ाने के लिये प्रस्तुत हो रही है। ऐसे समय ही भारतीय संग्राम के कर्णधार व आजादी

के दीवाने श्री 'नेताजी' सुभाष चन्द्र बोस के द्वारा पुनः निर्मित एवं संचालित आजाद सरकार तथा आजाद हिन्द फौज भारत की सीमा से बाहर बनाई गई जिसका उद्देश्य भारत की सम्पूर्ण आजादी प्राप्त करना था। पर दुर्भाग्य वश उसमें सफलता न मिली और आजाद हिन्द फौज के अनेकों अफसरों पर मुकदमा चलाने का निश्चय भारत सरकार ने कर ही लिया। वही पहला मुकदमा आजाद हिन्द फौज के वीर सिपाही सर्व श्री कप्तान शाहनवाज, कप्तान प्रेम कुमार सहगल तथा लेफ्टि० गुरुबख्शसिंह ढिल्लन पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध एवं हत्या करने के अभियोग में चलाया गया और जिस में भारत सरकार को जनता की आवाज के सामने पहली बार मुँह की खानी पड़ी, उसी ऐतिहासिक मुकदमे का पूर्ण विवरण पाठकों के लाभार्थ उपस्थित किया जारहा है जिससे भारतीय आजादी का यह ऐतिहासिक मुकदमा घर घर में पूरे उत्साह से पढ़ा जाए।

इस मुकदमे की पैरवी भारत की आजादी की एक मात्र संस्था कांग्रेस ने की है जिसमें भारत की ऊँची चोटी के नौ वकील थे। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं:—

सर्व श्री पं० जवाहरलाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू, मि० भूलाभाई देसाई, डा० कैलाशनाथ काटजू, रायबहादुर बद्रीदास, मि० आसफअली, कँवर सर दिलीपसिंह, बख्शी टेक चन्द तथा पी. के सेन।

सफाई पक्ष के वकील

सर्व श्री पं० जवाहरलाल नेहरु, भूलाभाई देसाई, डा० कैलाश नाथ काटजू, सर तेजबहादुर सप्रू, आसफ अली, रा०ब० बद्रीदास, कँवर सर दलीपसिंह, बख्शी टेकचन्द तथा पी० के० सैन।

फौजी अदालत

इस अदालत ने सर्व श्री कप्तान शाहनवाज, कप्तान सहगल तथा ले० ढिल्लन का ऐतिहासिक मुकदमा ५ नवम्बर १९४५ से दिसम्बर १९४५ तक सुना।

इसमें सब से बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि श्री पं० जवाहरलाल नेहरू २५ वर्ष के बाद वकील के वेश में अदालत के सामने उपस्थित हुए।

अदालत के न्यायाधीश सात उच्च ब्रिटिश अफसर नियुक्त किये गये थे जिन्होंने प्रारम्भ से अन्त तक मुकदमे की सुनाई की। उनके नाम निम्न लिखित हैं:—

न्यायालय के प्रधान—श्री मेजर-जनरल ए. बी. ब्लाकसलैण्ड (प्रधान सेनापति)।

सदस्य—इनमें तीन भारतीय एवं तीन ब्रिटिश अफसर थे।

१. ब्रीगेडियर ए. जे. एच बुर्की इण्डियन आर्मी।
२. लेफ्टिनेण्ट कर्नल सी. आर. स्टोट इण्डियन रेगूलर रिजर्व अफसर।
३. लेफ्टिनेण्ट कर्नल टी. आई. स्टीवेनसन रोयल गढ़वाल राईफल्ज।
४. लेफ्टिनेण्ट कर्नल नसीर अलीखाँ राजपूत रेजीमैण्ट।
५. मेजर बी. प्रीतमसिंह आई. ए. सी.। तथा
६. मेजर बनवारीलाल १५ वीं पञ्जाब रेजीमैण्ट

इनके अतिरिक्त तीन अफसर और नियुक्त गये थे जिन्हें Waiting Members का नाम दिया गया था, वे निम्न लिखित हैं:—

१. लेफ्टिनैण्ट कर्नल सी. एच ऑक्सन।

२. मेजर एस. एस. पण्डित, प्रथम पञ्जाब रेजीमैण्ट।

३. कैप्टेन गुरुदयालसिंह रंधवा १३ वीं डी. सी. ओ. लान्सर्स।

कर्नल एफ. सी. ए. कैरिन डिप्टी एडजूटेंट जनरल, सैंट्रल कमान्ड को जज ऐडवोकेट मुकर्रर किया गया था जिससे प्रधान एवं सदस्य फौजी कानून के सम्बन्ध में परामर्श कर सकें।

५ नवम्बर सन् १९४५

आजाद हिन्द फौज के अफसरों के ऐतिहासिक मुकदमे का प्रथम दिन।

प्रातः सवा दस बजे लाल किले की एक बारक में, जो पहले सोने के काम में लाई जाती थी, एक फौजी अदालत के सामने आजाद हिन्द फौज के तीनों वीर अफसरों का मुकदमा प्रारम्भ हुआ। मुकदमें की सुनवाई साढ़े पांच घण्टे तक होती रही।

साठ प्रेस प्रतिनिधियों तथा १४० दर्शकों ने एक लकड़ी के जीने से पार होकर फौजी अदालत के कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश करने से पूर्व उनके कार्डों का पूरी तरह से निरीक्षण कर लिया गया था।

लाल किले की बैरक जहाँ पर आजाद-हिन्द-फौज के वफादार अफसर सर्व श्री कप्तान शाहनवाज, कप्तान सहगल तथा लेफ्टि० ढिल्लन पर मुकदमा ५ नवम्बर' ४५ से ३ जनवरी ४६ तक चलाया गया था।

फौजी अदालत के बैठने के बाद ४ मिनट फोटोग्राफरों को दिये गये। फोटोग्राफरों के लिये कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया गया था अतः उनको कुर्सी वा मेजों पर चढ़कर फोटो लेने पड़े। एक बड़ी मनोरजंक घटना घटी कि एक फोटो ग्राफर की मेज फिसल गई और वह बेचारा गिर पड़ा। इस के बाद न्यायालय के प्रधान ने कहा, "अब कोई फोटो नहीं होगा।" ज्योंही फोटोग्राफर हटे प्रधान महोदय ने आज्ञा दी कि अभियुक्तों को पेश किया जाय। कैप्टैन शाहनवाज, कप्तान प्रेमकुमार सहगल, तथा लेफटिनैण्ट गुरूबख्शसिंह ढिल्लन कमरे में प्रविष्ट हुए और फौजी सलाम किया।

आजाद हिन्द फौज के तीनों अफसर फौजी वेश में थे। पर उन पर सम्मानित चिन्ह कोई नहीं था। उन के रहन सहन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके कपड़े बिना इस्तरी किये हुए थे। इसके बाद फोटोग्राफर को आज्ञा दी गई कि वह तीनों अभियुक्तों के अतिरिक्त सारी अदालत का चित्र खींचे। इसके बाद जजएडवोकेट ने उच्च स्वर से भारतीय फौजी कानून को पढ़कर सुनाया जिसके अनुसार आजाद हिन्द फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाया गया था। इसके बाद सदस्यों एवं Waiting मेम्बरों के नाम पढ़कर सुनाये गये। साथ में स्टैनोग्राफरों के नाम भी सुनाये गए। और सब ने "उपस्थित" शब्द के द्वारा अपनी उपस्थिति प्रकट की। सर तेज

बहादुर सप्रू बीमारी के कारण उपस्थित न हो सके और उन्होंने मि० भूलाभाई देसाई को अपना कार्य भार सम्भालने की प्रार्थना की। इस के बाद शेष आठों सफाई के वकीलों के नाम सुनाए गए।

प्रधान महोदय ने वकीलों से पूछा, "आप सब लोग फौजी कानून के अनुसार योग्य हैं।" मि० भूलाभाई देसाई ने 'हां' में उत्तर दिया। इसके बाद प्रधान महोदय ने आजाद हिन्द फौज के तीनों अफसरों से पूछा कि उनको मुझ पर तथा अन्य सदस्यों पर कोई अविश्वास तो नहीं है। तीनों अफसरों ने 'नहीं' में उत्तर दिया। इस के उपरान्त स्टेनोग्राफरों के सम्बन्ध में पूछा गया कि इन पर तो किसी प्रकार का अविश्वास नहीं है। तीनों ने 'ना' में उत्तर दिया।

शपथ ग्रहण

अगले दस मिनट अदालत के सदस्यों एवं स्टेनोग्राफरों की शपथ लेने में व्यय किये गये। सदस्यों ने शपथ में कहा, "मैं परमात्मा को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं, फौजी कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से फैसला दूँगा और किसी प्रकार का शक रहने पर मैं कोई सजा नहीं दूँगा, और नहीं मैं फैसला प्रकाशित करने से पूर्व उसे बाहर प्रकट करूँगा। अतः मुझे ईश्वर इस में पूरी मदद दे।"

ईसाइयों ने बाइबिल, मुसलमानों ने कुरान, सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब और हिन्दुओं ने गीता लेकर शपथ ग्रहण की।

अंग्रेज बीच में तथा दो-दो हिन्दुस्तानी अगल-बगल बैठे हुए थे।

आजाद हिन्द सेना के अफसरों के विरुद्ध दस अभियोग पढ़ कर सुनाए गए। तीनों अफसरों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग इण्डियन पीनल कोड की १२१ ए धारा के अनुसार लगाया गया। लेफ्टि० ढिल्लन पर हरीसिंह, दुलीचन्द, दौराईसिंह, तथा धर्मसिंह की मृत्यु का अभियोग लगाया गया। कप्तान पी. के. सहगल पर उपर्युक्त व्यक्तियों की हत्या में प्रोत्साहन देने का अभियोग लगाया गया। कप्तान शाहनवाज खाँ पर २६ मार्च ४५ को, या इसके आस पास तोपची मोहम्मद हुसैन की हत्या में प्रोत्साहन देने का अभियोग स्थापित किया गया।

तीनों अभियुक्तों ने प्रत्येक अभियोग को मानने से इन्कार कर दिया और प्रत्येक ने अपने आप को निर्दोष बताया। तत्पश्चात अभियुक्तों को अपने पैरोकार के समीप एक के पीछे दूसरी सीट पर बैठने की आज्ञा दी गई। बैठने से पूर्व उन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू तथा पैरवी-समिति के अन्य सदस्यों को सलामी दी।

मुकदमा स्थगित हो

श्री भूलाभाई देसाई ने इस आशय का एक प्रार्थनापत्र उपस्थित किया कि मुकदमा तीन सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया जाए। प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि ५ अक्टूबर से पूर्व अभियुक्त कानूनी सहायता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। इस मुकदमे के सम्बन्ध में कागजात तथा मौखिक रूप से साक्षियों का विशाल समूह मौजूद है। इसीलिये एक माह के अन्दर पैरवी समिति के लिये सब तथ्यों का संकलन करना तथा उनकी छानबीन करना और प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना कठिन होगा। ११२ गवाहों में से ८० से अधिक गवाहों से अभी मुलाकात करना शेष है और हाल ही में २४ अक्टूबर को और अभियोग सूचित किये गये हैं। अतएव इस मुकदमे के "अभिभूतपूर्व" स्वरूप तथा कानूनी उलझनों को देखते हुए कम से कम तीन सप्ताह तक मुकदमे का स्थगित किया जाना आवश्यक है।

श्री देसाई ने आगे कहा, "लेफ्टिनेन्ट जनरल पर्सीवल, लें० कर्नलहट (ब्रिटेन में), श्रीराघवन (मलाया में) तथा जनरल औंगसान बर्मा में तथा कतिपय जापानी अफसर और ११२ में से ८० से अधिक साथियों से अभी भेंट करना बाकी है। इसके अतिरिक्त कितने ही महत्वपूर्ण कागजातों जैसे कि मलाया युद्ध के बारे में फील्डमार्शल वैवल की रिपोर्ट की जाँच करना है और प्रार्थियों के पैरोकारों तथा संयोजकों के प्रयत्नों के अतिरिक्त ऐसा बहुत

सा प्रारम्भिक कार्य पड़ा हुआ है जो कि मुकदमे को ठीक तरह से प्रारम्भ करने से पहले जरूरी है। अभी २४ अक्टूबर को मुकदमे के संयोजकों ने प्रार्थियों को एक नया अभियोग पत्र दिया, जिसमें भारी संशोधन था और सात नये गवाहों की साक्षी का सार दिया गया था जब कि प्रार्थी तथा उनके पैरोकार अपने गवाहों से भेंट करने में व्यस्त थे। अतएव नये अभियोग पर विचार करने का कोई समय नहीं मिला।"

श्रीभूलाभाई देसाई ने कहा, "कुछ और समय मिलने पर अभियुक्त-पक्ष साक्षी तैयार कर लेगा और उसमें आवश्यक तथा अनावश्यक को अलग-अलग कर दिया जायगा। इससे अदालत के समय की भी बचत होगी।

एडवोकेट जनरल का उत्तर—

इस प्रार्थनापत्र के उत्तर में भारत के एडवोकेट जनरल सर नौशेरवाँ इंजीनियर ने कहा, "मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि मुकदमे की कार्यवाही स्थगित की जावे। अभियोक्ता पक्ष का अभियुक्त पक्ष को किसी प्रकार परेशानी में डालने का कोई मंशा नहीं है। यह अच्छा होगा कि यदि प्रारम्भिक कार्रवाई के भाषण तथा अभियोक्ता पक्ष के मुख्य गवाह की जाँच के बाद मुकदमे को स्थगित किया जाए। मुकदमे के सम्बन्ध में यह मुख्य गवाह ही अधिकांश कागज पेश

करेगा। आपने अभियुक्त पक्ष के पैरोकार से पूछा कि क्या एक सप्ताह या दस दिन पर्याप्त नहीं होंगे ?"

तीन सप्ताह ही

श्रीभूलाभाई देसाई ने कहा, "मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि सरकारी वकील मुकदमे की कार्रवाई प्रारम्भ करें और एक गवाह की जाँच करें। आपने इस बात पर बहुत ही जोर दिया कि कम से कम तीन सप्ताह के लिये ही अदालत स्थगित की जानी चाहिये।

जज एडवोकेट।

जज एडवोकेट कर्नल केरिन ने कानूनी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय फौजी कानून के अनुसार निस्सन्देह अदालत को समय समय पर स्थगित होने के अधिकार हैं। पर कानून के अनुसार अदालत को यह भी कर्त्तव्य है कि एक बार जब उसका इजलास प्रारम्भ हो जावे और अभियुक्त उसके सामने पेश हो जावें, तो अदालत की कार्यवाही दिनों दिन होती रहनी चाहिए। इस चीज पर जोर इसलिये दिया गया प्रतीत होता है कि फौजी अदालत कोई दीवानी अदालत नहीं होती। दीवानी अदालत का इजलास साल भर रहता परन्तु फौजी अदालत के अफसरों को फौजी अदालत के बाहर भी काम करना होता है। इस कारण फौजी अदालत स्थगित नहीं हुआ करती। अच्छा

न्याय नहीं समझा जाता है जो अविलम्ब किया जाय। लेकिन सफाई पक्ष का यह कहना है कि उसने अभी तक अपने गवाहों की छान-बीन नहीं की। इस आधार पर सफाई की ओर से जो वकील आये हैं उनके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि गवाहों की छान बीन करने में उन्हें पर्याप्त परिश्रम करना पड़ेगा। अतः ऐसी परिस्थितियों में अदालत स्थगित की जा सकेगी। परन्तु यह अदालत कितने समय के लिये स्थगित की जानी चाहिए इसका निर्णय न्यायाधीश को ही करना है।

एडवोकेट जनरल ने यह योजना उपस्थित की थी कि अदालत की कार्यवाही फौरन स्थगित न की जाए। पहले उनका बयान सुन लिया जाए और फिर कार्यवाही स्थगित की जाए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इससे सफाई पक्ष को भी लाभ होगा।

इसके बाद अदालत की कार्यवाही पाँच मिनट के लिये बन्द हो गई।

अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से मिले

इन पाँच मिनटों में सब अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से मिले। कप्तान सहगल की माँ और बहिनें उनसे मिलीं तथा ढिल्लन की धर्मपत्नी उनसे मिलीं। सहगल के पिता श्री अछरूराम ने अपने पुत्र से हाथ मिलाए।

स्थगित हो सकता है

५ मिनट के बाद अदालत की बैठक जब फिर शुरू हुई तो न्यायाधीश ने घोषित किया, "एडवोकेट जनरल के बयान तथा इस्तगासे के प्रथम गवाह की शहादत के बाद अदालत की कार्यवाही स्थगित की जाएगी। परन्तु यह कार्यवाही कितने समय तक स्थगित रहेगी अभी घोषित नहीं किया जाएगा।"

इसके बाद एडवोकेट जनरल ने आजादहिन्द फौज के तीनों अफसरों के विरुद्ध इस्तगासा पेश किया।

एडवोकेट जनरल द्वारा आजाद हिन्द फौज के अफसरों के विरुद्ध इस्तगासा

भारत के एडवोकेट जनरल सर एन० पी० इंजीनियर ने अपने बयान में आजाद हिंद फौज के इतिहास पर प्रकाश डालने के बाद कहा कि आजाद हिंद फौज का सिंगापुर में जो सदर मुकाम था, वहाँ से कई कागज हमारे हाथ लगे हैं। इनमें बताया गया है कि आजादहिंद फौज ने कौन-कौन सी लड़ाइयाँ लड़ीं, अभियुक्तों ने प्रति दिन कौन-कौन सी आज्ञा दी। इसे साबित करने के लिये कैप्टिन शाहनवाज की आज्ञा पढ़ कर सुनाई गई।

संक्षिप्त परिचय

अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग क्या है? इस पर प्रकाश डालने के बाद सर नौशेरवाँ इंजीनियर ने अभियुक्तों का संक्षिप्त

परिचय दिया।

कैप्टिन शाहनवाज का जन्म २४ जनवरी १६१४ के दिन रावलपिंडी में हुआ था। उन्होंने इंडियन मिलिटरी एकेडेमी देहरादून में शिक्षा प्राप्त की थी १६३६ में वे कमीशन शुदा अफसर हो गये। फरवरी १६३७ में उनको १४ वीं पंजाब रेजिमेंट में ले लिया गया।

कैप्टिन सहगल का जन्म २५ जनवरी १६१७ में होशियार पुर में हुआ था। उन्होंने इंडियन मिलिटरी एकेडेमी देहरादून में शिक्षा प्राप्त की थी। फरवरी १६४० में उन्हें १० बिलोच रेजिमेंट में स्थान दे दिया गया।

कैप्टिन ढिल्लन ने भी देहरादून के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। अप्रैल १६४० में वे कमीशन शुदा अफसर स्थगित कर लिये गये। आपका जन्म लाहौर जिले के अलगांव नामक गाँव में १ अप्रैल १६४५ में हुआ था।

प्रथम आरोप

(सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना)

प्रथम आरोप के सम्बन्ध में सर नौशेरवां ने कहा कि अभियुक्तों ने बादशाह के विरुद्ध किस इच्छा से लड़ाई छेड़ी, यह कानून की रू से गौण है। अभियुक्तों ने बादशाह के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी, कानून के अनुसार यह जुर्म है। फिर चाहे उन्होंने यह

जुर्म देशभक्ति की भावना से किया हो अथवा पैसा पाने के विचार से। अभियुक्तों को हर समय और हर परिस्थिति में बादशाह के प्रति स्वामिभक्त रहना चाहिए था। वे जहाँ भी कहीं हो, उन्हें स्वामिभक्त ही रहना चाहिये। युद्धबन्दी रहते हुये भी उन्हें स्वामिभक्त ही रहना चाहिये था।

अफसरों की पदवी से

अभियुक्तों ने आजाद हिन्द फौज के अफसरों की पदवी से और उस फौज में शामिल होकर लड़ने से बादशाह के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी। आजादहिन्द फौज का निर्माण भारतीय सेना के अफसरों से व सैनिकों से हुआ था।

सदर मुकाम

आजाद हिन्द फौज का सदर मुकाम निम्न फौजों के लिये थे।

नम्बर १,२,३, पदाति बटेलियन, आर० ए० एफ० सी बटेलियन, २ हैवीगन बटेलियन, इंजीनियर कम्पनी नम्बर २, मेडीकल कम्पनी नम्बर १ और, टी०पी० सी० कम्पनी नम्बर १।

शेरदिल गुरिल्ला दल

"आजाद हिन्दफौज के शेरदिल गुरिल्ला दल में गांधी गुरिल्ला रेजिमेंट, आजाद गुरिल्ला रेजिमेंट और नेहरू गुरिल्ला रेजिमेंट शामिल थे। सुभाष बाबू के सिंगापुर में

पहुँचने के दो या तीन मास पूर्व नवम्बर १९४३ में एक और गुरिल्ला रेजीमेंट का निर्माण किया गया। शाहनवाजखाँ को इसका प्रधान सेनापति बनाया गया। गांधी, नेहरू व आजाद रेजीमेंटों को एक डिवीजन में मिला दिया गया। बाद में दो और डिवीजन बनाये गये एक में भारतीय युद्धबन्दी शामिल थे और दूसरे में सिविल लोग। सिविल लोगों की भर्ती मलाया की भारतीय स्वाधीनता लीग ने की थी।

सिंगापुर का पतन

१५ फरवरी १९४२ के दिन सिंगापुर ने जापान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, १७ फरवरी के दिन काफी युद्धबन्दियों से सिंगापुर के फैररपार्क तक प्रयाण कराया गया। ये युद्धबन्दी २।१४ पी०आर०ए० के और ५।१४ पी०आर०ए० के थे। वे सब कैप्टिन एम० जेड० कियानी के अधीन थे। यह अफसर जापानी अफसर कूइवारा को सम्बोधित किया करते थे। जापान सरकार ने कूइवारा को यह काम सौंपा था कि वह हिन्दुस्तानी फौजों को जापान के पक्ष में करे। उनके साथ कई भारतीय अफसर भी थे २।१४पी०आर०ए०के कैप्टिन मोहन सिंह भी उनके साथ थे उन्होंने ने एक बार कहा था 'हमलोग एक आजादहिंद फौज बनाने जा रहे हैं और हम भारत की स्वाधीनता संग्राम के लिये लड़ेंगे। आप सबको हमारे साथ मिल जाना चाहिये।' इस तरह १-९-४२ के दि: आजादहिंद फौज का बाकायदा निर्माण किया गया था।

कैप्टिन शाहनवाज

"कैप्टिन शाहनवाज उन दिनों एक युद्धबन्दी कैम्प के कमा-डर थे। उन्होंने लगभग २००—३०० कमीशन शुदा व गैर कमीशन शुदा अफसरों में भाषण दिया। उन्होंने बताया था कि कैप्टिन मोहनसिंह के सदर मुकाम में एक सम्मेलन हुआ जिसमें प्रस्ताव पास करके यह प्रगट किया गया कि हम सब भारतीय हैं फिर चाहे हमारा धर्म कोई भी क्यों न हो। इसीलिये हमें भारत की आजादी के लिये लड़ना चाहिये। आप लोग इस प्रस्ताव को दूसरों को समझाइये।"

रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सम्मेलन

"बैंकाक में एक सम्मेलन हुआ जिसमें भारतीय सेना के कई प्रतिनिधि सम्मिलित थे,सम्मेलन के सभापति रासबिहारी बोस थे। इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास हुये। एक प्रस्ताव में यह प्रगट किया गया था कि आजादहिन्द फौज का निर्माण किया जाए और भारतीय स्वाधीनता लीग उस फौज के लिये रंगरूट, पैसा, राशन कपड़े देगी और जापान सरकार हथियार भिजवाया करेगी। आजादहिन्द फौज में सिंगापुर, बिदादरी और सेलेथर कैम्प के युद्धबन्दी शामिल होगये। अधिकांश युद्धबन्दी जापान के कष्टों से बचने के लिये आजादहिन्द फौज में भर्ती हुये थे।"

नजर बन्द कैम्पों में

जो लोग आजादहिन्द फौज में भर्ती नहीं हुये उन्हें नजरबन्द कैम्पों में बन्द कर दिया गया। अपितु उन्हें खाना ही नहीं दिया गया और जो दिया गया वह बहुत खराब था। किसी प्रकार की डाक्टरी सहायता नहीं की गई। उन्हें जमीन पर लिटा दिया जाता था। और पाँच फुट लम्बे व २ इंच मोटे डंडे से खूब पीटा जाता था। और उन्हें खूब थका दिया जाता था। उन्हें कपड़े व बिस्तरे के बिना उन स्थानों पर सुलाया जाता था जहाँ चिउँटियों की भरमार होती थी। यह सब अत्याचार भारतीय युद्ध बन्दी करते थे, जो आजादहिन्द फौज में शामिल होगये थे।

क्रान्ति कैम्प

क्रान्ति कैम्प की घटना पर प्रकाश डालते हुये जज एडवोकेट जनरल ने कहा:—

"अगस्त १९४२ में ५।१४ पंजाब रेजीमेंट के फतेहखाँ व सिंघाड़ासिंह अपने १४ सशस्त्र सैनिकों के साथ क्रांति कैम्प में आये। उनमें लगभग ३०० मुस्लिम युद्ध बन्दी बन्द थे। उन्हें आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित होने के लिये कहा गया। उन्होंने इन्कार कर दिया। उन पर गोली चलाई गई और कई व्यक्ति मारे गये। सिंगाड़ा सिंह के साथ आये और एक सिक्ख की भी मृत्यु हो गई। उनके चले जाने के बाद ३ जापानी अफसर और २ आजादहिन्द फौज के अफसर आये। उन्होंने युद्धबंदियों को कहा कि जापान सरकार की आज्ञा है, इसलिये तुम सबको आजादहिन्द फौज में भर्ती हो जाना चाहिये। मुस्लिम सैनिकों ने इन्कार कर दिया। इस पर उन्हें एक नजरबन्द कैम्प में ले जाकर खूब पीटा गया।

सितम्बर १९४२ में बिदादरी कैम्प में भी एक सभा हुई। जिन गुरखा फौजियों ने आज़ाद हिन्द फौज में भर्ती होने से इन्कार कर दिया था, उन पर गोली चलाई गई और कुन्दों से मारा गया।

मोहनसिंह व जापानियों में झगड़ा

दिसम्बर १९४२ में मोहनसिंह व जापानियों में झगड़ा हो गया। मोहनसिंह को जापानियों ने पकड़ लिया। कई युद्धबन्दी भी उनके साथ थे। उनसे कई प्रश्न पूछे गये। एक प्रश्न यह था कि क्या आप-लोग आज़ादहिन्द फौज में शामिल होने को प्रस्तुत हैं या नहीं ? जिन अफसरों ने इन्कार किया उन्हें १३ फरवरी के दिन रासबिहारी बोस के सामने उपस्थित होने की आज्ञा मिली। उनके पहुँचने से पहले उन्हें छपे हुए पर्चे दिये जाते थे। यह पर्चे रासबिहारीबोस की ओर से छपे थे। पत्र में कहा गया था:—

"आपलोग जानते हैं कि ब्रिटेन के विरुद्ध प्रारम्भ की गई लड़ाई की स्थिति कमजोर हो चुकी है। महात्मा गाँधी ने ३ सप्ताह का अनशन किया है। वे अंग्रेजों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं कि वे भारत से बाहर होजाय। उन्हें अब समझौते की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमारा कर्तव्य साफ है। आप में से कुछ लोग जानने को उत्सुक होंगे कि जो लोग आज़ाद हिन्द फौज में शामिल नहीं होंगे, उनका क्या होगा ? दुर्भाग्यवश जो लोग आज़ाद हिन्द फौज को छोड़ कर चले गये हैं उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। मैं जापानियों के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कह सकता कि जिस राष्ट्र के वे युद्धबन्दी होंगे वह राष्ट्र उनसे किस स्थान पर व कैसे काम लेंगे। जो अफसर अपने निर्णय

पर फिर विचार न करेंगे उन्हें 'आज ११॥ बजे मेरे सामने उपस्थित होना होगा। उन्हें व्यक्तियों से अलग करने से पहले मेरे सामने आकर दलील देनी होगी कि वे आज़ाद हिन्द फौज में शामिल क्यों नहीं होते ?''

जनवरी १९४२ के बाद आज़ाद हिन्द फौज की भर्ती फिर दुबारा हुई और बहुत से उसमें शामिल हुये और बहुतों को शामिल होने के लिये बाध्य किया गया।

जनवरी। फरवरी १९४३ में कप्तान शाहनवाज पोर्ट डिक्सन में था और उसने उन अफसरों की सभा में भाषण दिया जो कि वहाँ युद्ध बन्दी थे। उसने कहा कप्तान मोहनसिंह की आज़ाद हिन्द फौज तोड़ दी गई है। और उसके स्थान पर एक नई आज़ाद हिन्द फौज बनाई गई है। उसने कहा कोई भी युद्ध बन्दी इस आज़ाद हिन्द फौज में शामिल हो सकता है। उसने बताया कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, परन्तु यदि वह आज़ाद हिन्द फौज में शामिल हो जायें तो उनको अच्छा व्यवहार और खाना मिलेगा। उसने कहा कि वे दूसरे युद्ध बन्दियों को भी यह बात समझायें और जो स्वयंसेवक शामिल होना चाहें उनकी सूची कैम्प कमाण्डर को दे दें ताकि वह आज़ाद हिन्द फौज के सिंगापुर स्थित सदर मुकाम को भेज दी जायें। कोई स्वयं सेवक तैयार नहीं हुआ।

अप्रैल १९४३ में कप्तान शाहनवाज ने पोर्ट स्वीटनहम की एक और सभा में भाषण दिया। सभा में सारे भारतीय युद्ध बन्दी थे। उसने हिन्दुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिये अपनी सेवायें पेश करने की अपील की। उसने कहा आज़ाद हिन्द फौज में उनको जो पैसा मिलेगा, वह केवल जेब-खर्च सा होगा, परन्तु

जब हिन्दुस्तान आजाद हो जायेगा, उन्हें फिर वही पुराने वेतन मिलने लगेंगे। इस अवसर पर भी कोई स्वयंसेवक आगे नहीं आया।

ढिल्लन की गतिविधि

लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन भी इसी प्रकार के आन्दोलन में व्यस्त था। एक बार उसने मेजर धारा के साथ जितरा की सभा में भाषण दिया; जिसमें उसने कहा कि आजाद हिन्द फौज का निर्माण केवल हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र करने के उद्देश्य से, हिन्दुस्तान में लड़ाई लड़ने के लिये किया गया है। उसने कहा कि एक बार हिन्दुस्तान में पहुँचते ही वे जापानियों से भी लड़ेंगे, यदि उन्होंने कोई बुरी नीयत की। आजाद हिन्द फौज जापानियों के विरुद्ध भी शस्त्र उठाने में संकोच नहीं करेगी।

टैपिंग कैम्प में युद्ध बन्दियों की एक सभा में भाषण देते हुये लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन ने कहा सिंगापुर और जितरा के सारे भारतीय युद्ध बन्दी आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये हैं। उसने कहा कि आजाद हिन्द फौज का निर्माण केवल ब्रिटिशों को हिन्दुस्तान से निकालने के लिये हुआ है। उसने कहा कि यदि आजाद हिन्द फौज सफल नहीं भी होगी, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि सारी जिम्मेवारी बड़े बड़े अफसरों पर ही आयेगी और साधारण सिपाहियों को कोई सजा नहीं मिलेगी।

सर एन० पी० इंजीनियर ने आगे कहा—
अभियुक्तों ने जो कुछ भी किया और कहा उनका प्रभाव तत्कालीन परिस्थितियों के प्रकाश में जाँचना चाहिये। मलाया और सिंगापुर में ब्रिटिश फौजें हार चुकी थीं। युद्धबन्दियों के साथ उपरोक्त ढंग का व्यवहार हो रहा था। भारतीय सिपाही को आँख बंद

किये हुये, अपने अफसर की आज्ञा मानने की शिक्षा मिली थी। अभियुक्त आजाद हिन्द फौज की भर्ती के लिये घूमते फिरे और युद्धबन्दियों को अनेक प्रकार के प्रण कराये और अप्रत्यक्ष रूप में धमकियां भी दी। युद्धबन्दियों के लिये आजाद हिन्द फौज में शामिल होने का मतलब था भूखों मरना और कष्ट सहना। निस्संदेह भारतीय सेना के बहुत से व्यक्ति स्वेच्छा से भी आजाद हिन्द फौज में शामिल हुये और खास तौर से तब जब कि उनसे बड़े बड़े अफसर उस फौज में जा मिले थे। मगर शहादत से यह साफ प्रगट हो जायेगा कि अभियुक्तों ने आजाद हिन्द फौज के लोगों को भर्ती किया या आजाद हिन्द फौज के संगठन में भाग लिया, सम्राट की सेनाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के निर्देश जारी किये और स्वयं सक्रिय रूप से उनके विरुद्ध लड़ाई की। ऐसा करते हुये उन्होंने पहले से तैयार की हुई योजनाओं को अमल में लाया और अन्य लोगों के साथ मिल कर लड़ाई लड़ने की एक सामान्य योजना को अपनाया।

ब्रिटिश शस्त्रों का उपयोग

एडवोकेट जनरल ने आगे कहा कि ब्रिटिश शस्त्रों से ही जो कि जापानियों के हाथों में पड़ गये थे ट्रेनिंग दी गई और लड़ाई लड़ी गई। सैनिकों और अफसरों को दुबारा ट्रेनिंग दी गई और भारतीय सेना की वर्दी का उपयोग किया गया, लेकिन बैज आजाद हिंद फौज के लगाये गये उनमें से कुछ बैज शहादत में पेश किये।

आजाद हिंद फौज ऐक्ट

सन् १९४२ में एक समय लेफ्टनेन्ट नाग से जोकि आजाद हिंद फौज में शामिल हो गया था आजाद हिन्द फौज ऐक्ट बनाने

के लिये कहा और उसने बना दिया। इस ऐक्ट का अधिकांश भाग भारतीय सेना ऐक्ट से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य कोड़ों की सजा देने का जोड़ दिया है। इसके बाद जून १९४३ में सिपाहियों और नान-कमीशण्ड अफसरों की ओर से अनुशासन भंग के अन्दर ऐसे मामलों पर कोड़ों की सजा देने का अधिकार फौजी कमांडर और मिलटरी ब्यूरो के डायरेक्टरों को भी दे दिया गया।

जनवरी १९४३ के मध्य में एक प्रबन्ध समिति बनाई गई जिसका शुरू में केवल युद्धबन्दियों की प्रबन्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं से सम्बन्ध था। यही प्रबन्ध समिति प्रचार सम्बन्धी भाषाओं की व्यवस्था करती थी। मई १९४२ में या इसके लगभग मिलिटरी ब्यूरो का महकमा स्थापित हुआ। सहगल मिलिटरी सेक्रेटरी और शाहनवाज जनरल स्टाफ के प्रधान थे।

एडवोकेट जनरल ने आगे कहा, "२१ अक्तूबर १९४३ को सिंगापुर में आजादहिंद फौज के व्यक्तियों और नागरिकों की एक विराट सभा हुई। सुभाषचन्द्र बोस ने जो वहां आये, उस सभा में भाषण दिया। उन्होंने हिन्दुस्तान की आस्थायी सरकार की घोषणा की, जो कि आजाद 'हिन्द फौज' द्वारा अधिकृत इलाके का शासन प्रबन्ध करेगी। उन्होंने आजादहिंद सरकार के मन्त्रियों के नाम भी घोषित किये जिनमें से एक कप्तान शाहनवाज का नाम भी था। ३० अक्टूबर १९४४ को आजादहिंद सरकार की एक युद्ध समिति भी बनी बताई जाती है। इस आशय की एक विज्ञप्ति कप्तान सहगल के द्वारा लेफ्टिनेण्ट नाग के पास प्रकाशनार्थ भेजी गई।

मार्च १९४५ तक आजादहिंद फौज के बहुत से अफसर और अन्य व्यक्ति सम्राट की सेनाओं में जाकर मिलने लगे। इस

सिलसिले के रोकने के लिये सुभाषचन्द्र बोस ने इस आशय की एक आज्ञा जारी की, कि आजाद हिन्द फौज के प्रत्येक सदस्य-अफसर तथा कमीशन-अफसर को ही भविष्य में आजाद हिन्द फौज के किसी भी अन्य ऐसे सदस्य को गिरफ्तार करने का हक होगा, जो कायरता दिखायेगा चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो गोली से उड़ा दिया जायेगा, यदि उसने किसी प्रकार का विश्वासघात किया।

जबानी और कागजी गवाह

एडवोकेट जनरल ने आगे कहा कि इस मामले में जो गवाह पेश किये जायेंगे, वह जबानी और कागजी दोनों होंगे। समय समय पर बर्मा में विविध कागजात ब्रिटिश सेना के हाथ लगे हैं। ये कागज उचित अधिकारियों को भेजे गये, जिन्हें अन्त में देहली भेज दिया गया और इस्तगासे की ओर से उन्हें अदालत के सामने पेश किया जायेगा। इन कागजों पर अभियुक्तों के हस्ताक्षर होने चाहियें।

उन कागजातों में जिन पर कप्तान शाहनवाज के हस्ताक्षर हैं, एक पत्र भी है जो कि उसने अगस्त में बर्मा के भारतीय सिपाहियों के सम्बन्ध में आजाद हिन्द फौज के सदर मुकाम को लिखा था। जिस साल में यह पत्र लिखा गया वह अगस्त ८.०३ बताया जाता है। .०३ का जापानी संवत २६०३ के स्थान पर उपयोग किया गया है।

उस योजना में यह बताया गया कि जब बर्मा और हिन्दुस्तान के सीमांत पर लड़ाई छिड़ेगी, तब आशा है कुछ भारतीय सैनिक उनकी ओर आ मिलेंगे और कुछ को लड़ाई में आत्मसमर्पण

करने के लिये विवश किया जा सकेगा। लेकिन भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण अगले नाकों पर की गई जापानी फौजों के लिये उन लोगों के भेदभाव समझना और उनके साथ उचित मार्गों से पेश आना बहुत कठिन है। योजना में यह बताया गया है कि अपने प्रचार का अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये उन लोगों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिये।

५ सितम्बर १९४४ को आजाद हिन्द फौज का एक संदेश जारी हुआ जिसमें कप्तान सहगल की गवाहियों पर प्रकाश डाला गया। इसमें आजाद हिन्द सरकार की ओर से आजाद हिन्द फौज के कुछ लोगों को उनकी बहादुरी के लिये दिये जाने वाले पदकों का उल्लेख था।

शाहनवाज की डायरी

ऐडवोकेट जनरल ने आगे चल कर बताया कि कप्तान शाहनवाज खाँ की १९४४ और १९४५ की डायरियां भी इस्तगासे के कब्जे में हैं। ये डायरियाँ कप्तान शाहनवाज के हाथ की लिखी हुई हैं। १९४४ की डायरी के उल्लेखों से यह प्रगट होता है कि कप्तान शाहनवाज खाँ २७ जनवरी १९४४ को नियत फौजों के सर्वोच्च सेनापति से मिले, जिन्होंने उनको हिन्दुस्तान की ओर अन्तिम कूच करने के आदेश दिये। २ फरवरी १९४४ को वे उत्तरी बर्मा के कमांडर जनरल मोतो कुची से मिले, जो बहुत विनम्रता के साथ पेश आये और आजाद हिन्द फौज को पूरी सहायता पहुँचाने का वचन दिया।

इसके बाद आजाद हिन्द फौज के अफसरों ने उन लोगों से निर्दयता का व्यवहार शुरू किया जिन्होंने विश्वासघात किया।

४ सैनिक आजाद हिन्द फौज को छोड़ने पर गोली से उड़ा दिये गये।

उनका नारा यह था—दिल्ली की ओर बढ़ो। उन्होंने घोषणा की थी कि "लाल किले पर तिरंगा झंडा फहरा देंगे और पुराने किले में विजय प्रयाण करेंगे।"

अन्त में सर नौशेरवाँ इंजीनियर ने कहा जो कमाण्ड स्वयं विश्वासघाती हो उसकी अधीनता में कार्य करना भी विश्वासघात ही है। भारत की किसी भी अदालत द्वारा आजाद हिन्द फौज के आदेश पर किये गए कार्यों को मान्य नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद दो बजे तक के लिये अदालत स्थगित कर दी गई।

पिता पुत्र की भेंट

इसी समय अध्यक्ष तथा अन्य वकील आपस में बातचीत करने लग गये। जस्टिस अछरूराम ने आगे बढ़ कर अपने पुत्र कप्तान सहगल को गले लगा लिया। फिर तीनों अफसर मुस्कराते हुए कोर्ट से चले गये। दो बजे जब पुनः अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तब कर्नल पी० वाल्श ने उन प्रमाण पत्रों को उपस्थित किया जो अभियुक्त अफसरों की भारतीय सेना के नौकरों के सम्बन्ध में थे। ये प्रमाणपत्र सफाई के वकील को दे दिये गये थे। कप्तान सहगल, शाहनवाज तथा ढिल्लन ने भी उन्हें देखा। १९४१ से १९४५ तक के गजट आफ इण्डिया की फाइलें पेश की गईं जिनमें इनके नाम थे।

भारत के एडवोकेट के भाषण के बाद दो बजे फौजी अदालत की कार्यवाही फिर प्रारम्भ हुई तो कर्नल पी० वाल्श ने तीनों अफसरों के भारतीय सेना की नौकरी के कागज पेश किये। ये कागज देखने के लिये सफाई पक्ष को दे दिये गये। ये कप्तान शाहन-

वाज खाँ, कप्तान सहगल और लेफ्टिनेण्ट ढिल्लन ने भी पढ़े थे।

डी. सी. नाग की गवाही

एडवोकेट जनरल ने इसके बाद लेफ्टि. डी. सी. नाग की गवाही ली। ये पहिले आजाद हिन्द फौज में अफसर थे। इससे पूर्व वे बङ्गाल में मजिस्ट्रेट थे। फरवरी १९४० में वे कमीशन प्राप्त अफसर थे। सिंगापुर के पतन से पूर्व ये एक हवाई आक्रमण में घायल हो गये थे और पीछे युद्धबन्दी बना लिये गये।

अस्पताल से निकलने पर उन्हें आजाद हिन्द फौज के निर्माण का पता चला। उन्होंने बताया कि यह भारत को अंग्रेजों से स्वतन्त्र करने के लिये बनाई गई थी। आजाद हिन्द फौज के कुछ अफसरों ने शिविर में आकर भाषण भी दिये। और युद्धबन्दियों से उक्त फौज में सम्मिलित होने के लिये कहा। चूँकि इस आन्दोलन में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं एक ही व्याख्यान में सम्मिलित हुआ था।

गवाह ने आगे कहा कि अगस्त १९४२ में मुझे कप्तान शाहनवाज खाँ मिले। अगस्त १९४३ में मुझे एक दिन कप्तान मोहनसिंह आजाद हिन्द फौज के कुछ अफसरों के साथ मिले। इनमें कप्तान शाहनवाज खाँ भी थे। मुझे आजाद हिन्द फौज के कानून विभाग में ले लिया गया। मैंने सबसे पहिले आजाद हिन्द सेना का कानून बनाया। इसमें कप्तान माथुर ने भी मेरी सहायता की।

आजाद हिन्द फौज के जनरल अफसर कमांडिंग कप्तान मोहनसिंह की कुछ विशेष आज्ञायें, जो उक्त तीन अफसरों की नियुक्ति और उन्नति के सम्बन्ध में दी गई थीं प्रस्तुत की गईं।

सफाई पक्ष के प्रमुख वकील श्री भूलाभाई देसाई ने पूछा—

क्या यह मैं मान लूँ कि यदि आवश्यकता होगी तो आजाद हिन्द फौज का कानून उपस्थित किया जा सकेगा ?

एडवोकेट जनरल ने कहा—हमारे पास उसकी एक प्रति है।

श्री देसाई—किन्तु वह पेश करनी चाहिये।

सैनिकों की संख्या

आजाद हिन्द फौज के संगठन अफसरों के शिक्षण और लोगों की संख्या के सम्बन्ध में एक कागज पेश किया गया। और सर एन० पी० इञ्जीनियर द्वारा पढ़ा गया। इसमें आजाद हिन्द फौज के निर्माण का पूरा विवरण था। गवाह ने इस विवरण पर किये गए हस्ताक्षर पहिचाने।

एडवोकेट जनरल—आप जानते हैं कि दिसम्बर १९४२ में इस फौज में कितने लोग थे ?

गवाह—हाँ लगभग १०,००० थे।

देसाई—यह मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें व्यक्तिगत जानकारी है ?

जज एडवोकेट—इसके सम्बन्ध में आपकी निजी जानकारी है ?

गवाह—यह न्यूनाधिक सामान्य जानकारी की बात है। दिसम्बर १९४२ में इस फौज में १६,००० आदमी थे।

जज एडवोकेट—यह आपकी निजी जानकारी है या आपको लोगों ने जो कुछ बताया उससे आपने यह जाना है ?

गवाह—यह मेरी जानकारी है ?

श्री देसाई—मैं यह चाहता हूँ कि जो कुछ उन्होंने सुना है उसे यह उससे न मिलायें जो इनको मालूम है। गवाह ने आगे कहा कि आजाद हिन्द फौज के आधे व्यक्तियों के पास शस्त्र थे।

जज एडवोकेट—यह आप अपनी जानकारी से कहते हैं या किसी ने आपको कहा ?

गवाह—यह मैंने सुना ।

जज एडवोकेट—आप जो कुछ जानते हैं उसी को बताएं। वह बात न बताएं जो लोगों ने आपको कही । आपने सम्भवतः यह अनधिकृत रूप से मालूम किया किन्तु फिर भी यह आपकी जानकारी से अवश्य जाना हुआ होना चाहिए ।

गवाह—यह सामान्य जानकारी की बात है ।

एडवोकेट जनरल—आजाद हिन्द फौज के लिये हथियार कहाँ से लाये गए ?

श्री देसाई—मुझे आपत्ति है । मैं पहले तो यह जानना चाहता हूँ कि गवाह की स्वंय कोई जानकारी है या नहीं ?

जज एडवोकेट—क्या यह आपकी निजी जानकारी है ?

गवाह—हथियार मैंने स्वंय देखे थे । वे अंग्रेजी हथियार थे।

श्री देसाई—मेरा उद्देश्य कार्यवाही में देर करना नहीं, अपितु उन बातों को पूछना है जिन्हें वे स्वंय जानते हैं ।

अनुशासन समिति

एडवोकेट जनरल ने गवाह से पूछा—"क्या तुम्हें याद है कि अगस्त १६४२ में रंगून में आजाद हिन्द फौज का एक सम्मेलन किया गया था ?"

गवाह—"हाँ"

एडवोकेट जनरल—"क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि जब आजाद हिन्द फौज के सेनापति कप्तान मोहनसिंह गिरफ्तार किये गये, तब एक अनुशासन समिति उपस्थित की थी ?"

गवाह—"हाँ ! वह अनुशासन समिति भारतीय स्वतन्त्रता-

संघ द्वारा बनाई गई थी। और उसमें रासबिहारी बोस (अध्यक्ष) श्री मेमन, श्री राघवन, श्री मोहा, कप्तान मोहनसिंह, लेफ्टिनेन्ट-कर्नल जिलानी व लेफ्टिनेन्ट भोंसले सम्मिलित थे। कप्तान मोहनसिंह दिसम्बर १६४४ में गिरफ्तार कर लिये गए।"

जज एडवोकेट: "क्या ये सब बातें तुम्हें अपने व्यक्तिगत ज्ञान से मालूम हैं ?"

गवाह—"हाँ, इसके बाद आजाद हिन्द फौज भंग हो गई। कप्तान मोहनसिंह की आज्ञा के अनुसार फौज के सब कागजात व बिल्ले नष्ट कर दिये गए। एक शासन प्रबन्ध समिति भी थी, जो कप्तान मोहनसिंह की गिरफ्तारी के एक सप्ताह के भीतर ही बन गई थी। इस समिति ने प्रथम आदेश यह जारी किया कि आजाद हिन्द फौज के आदमी अनुशासन जारी रखें। इस आदेश के तुरंत पश्चात भाषणों का आन्दोलन शुरू किया गया और बड़े अफसरों ने विभिन्न शिविरों के आदमियों में भाषण दिये।"

जज एडवोकेट—"क्या यह तुम्हारी अपनी राय है" ?

गवाह—"यह सब मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है। प्रथम आदेश का उद्देश्य फौजों में अनुशासन व प्रबन्ध कायम रखना था। फिर भाषणों का क्रम शुरू हुआ जिसका उद्देश्य आजाद हिन्द फौज के बाहर के व्यक्तियों के विचारों को मालूम करना था कि वे फौज में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। मैंने स्वयं भी दो तीन भाषण सुने। इन में एक भाषण श्री रासबिहारी बोस का था। ये भाषण जनवरी १६४३ में हुये थे। भाषणों का सारांश लोगों को आजाद हिन्द फौज में टिके रहने का उपदेश देना था। उसमें कहा गया कि फौज का लक्ष्य भारत की आजादी प्राप्त करना है

तथा कप्तान मोहन सिंह की गिरफ्तारी से इस कार्य में कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। साथ ही उसमें यह भी कहा गया था कि यदि हम अपने स्थानों पर दृढ़ नहीं रहेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि जापानी लोग युद्ध में हमें कोई सहायता नहीं दे रहे हैं।"

"इसके बाद अफसरों से पूछा गया कि वे क्या करना चाहते हैं? अधिकांश अफसरों ने राय प्रकट की कि वे आज़ाद हिन्द फौज में रहना नहीं चाहते और कइयों ने तो भाषणों की आलोचना भी की। इस सम्बन्ध में रासबिहारी बोस को कुछ साफ साफ कह दिया गया। उन दोनों भाषणों में जो मैंने सुने थे फौज के शत्रुतापूर्ण प्रदर्शन का जिक्र था। मुझे भी एक फार्म भरने के लिये दिया गया। १९४३ के शुरू में अफसरों के सामने एक प्रश्नावली रखी गई जिसमें पूछा गया था कि वे आज़ाद हिन्द फौज में रहना चाहते हैं या नहीं। मैंने कहा कि मैं फौज में नहीं रहना चाहता। इसके पीछे श्री रासबिहारी बोस द्वारा कई अफसर व्यक्तिगत रूप से बुलाये गये। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना उत्तर श्री रासबिहारी बोस के सामने रखा हुआ पाया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपने निश्चय पर आरूढ़ हूँ? मैंने कहा कि मैं अपना निश्चय बदलने के लिये तैयार नहीं हूँ और मैं आज़ाद हिन्द फौज में नहीं रहना चाहता।", गवाह ने आगे चल कर कहा: मैंने रास बिहारी बोस से मिलने के पूर्व फौज के अफसर व आदमियों में एक गश्ती चिट्ठी बांटी गई जिस पर १३ फरवरी १९४३ की तारीख थी और जो भारतीय संघ के अध्यक्ष रासबिहारी बोस द्वारा बांटी गई थी।"

यह पत्र जज एडवोकेट ने अदालत में पढ़ कर सुनाया। पुस्तिका में श्रीरासबिहारी बोस ने लिखा था: "मैंने आज़ाद हिन्द

फौज के अफसरों द्वारा दिये उत्तर, को जो उन्होंने मेरे प्रश्नावली के उत्तर में भेजे हैं, पढ़ लिया है और उन पर अच्छी तरह मनन किया है। मैं देखता हूं कि प्रायः सब अफसर अपनी मातृभूमि को स्वतन्त्र करने के उद्देश्य से लड़ने के लिये तैयार हैं; परन्तु मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि वे सब आजाद हिन्द फौज में रहने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार नहीं हैं; कुछ ऐसे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण विश्वास नहीं रखते; कुछ ऐसे हैं, जो भारत के लिये केवल औपनिवेशिक स्वराज्य में ही विश्वास करते हैं; और कुछ ऐसे हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों में आजाद हिन्द फौज के सदस्य नहीं रहना चाहते, यदि ये उत्तर युद्ध बन्दियों से प्राप्त होते तो कोई बात नहीं होती; किन्तु अफसरों से ऐसे उत्तर मिलने की मुझे आशा नहीं थी। इन उत्तरों से मुझे उन उद्देश्यों का, जिन्हें लेकर यह अफसर इस आन्दोलन में शामिल हुये थे, पूरा ज्ञान हो गया है। हमारा आन्दोलन भारत को पूर्ण स्वतन्त्र करने के लिये है, न कि उसे औपनिवेशिक दर्जा दिलाने के लिये एक उपनिवेश का दर्जा क्या है? कुछ नहीं, वह एक उपनिवेश ही रहता है और वह भी ब्रिटेन की पराधीनी में। जो हो, ब्रिटेन एक अकल्पनीय स्थिति में पहुँच गया है और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश लोगों पर 'भारत छोड़ो' करने के लिये दबाव डालने के निमित्त एक तीन सप्ताह का अनशन शुरू कर दिया है। यह हमारा अन्तिम प्रहार है और अब सन्धि का कोई अवसर नहीं है? शायद इस समय कुछ लोग यह सोचते हैं कि आजाद हिंद फौज द्वारा अस्वीकृत लोगों का क्या होगा। दुर्भाग्यवश मैं उन लोगों पर, जिन्होंने नाजुक समय में आजाद हिंद फौज को छोड़ना ठीक समझा है, मेरा कोई

नियन्त्रण नहीं है। जिन अफसरों ने अपना निश्चय वापिस नहीं लिये हैं, उन्हें मेरे सामने पेश होना पड़ेगा और और ऐसा न करने के कारण बताने होंगे।

गवाह ने अपने बयान जारी रखते हुये आगे कहा: जब मैं रासबिहारी बोस के सामने गया, तो मुझे उक्त गश्ती पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई। लेकिन, मैंने अपने पूर्व-निश्चय बदलने से इनकार कर दिया, इस पर मुझे दूसरे कमरे में जाने का निर्देश किया गया। जब हम सब वहाँ एकत्र हो गये, तो हमें एक जापानी अफसर द्वारा सिंगापुर के एक पृथक शिविर में ले जाया गया। वहाँ से तीन-चार दिन बाद हमें एक अन्य शिविर में पहुँचाया गया। वहाँ मैं बीमार हो गया तो मुझे एक अस्पताल में भेज दिया गया, क्योंकि उस शिविर में कोई इलाज का प्रबन्ध नहीं था। वहाँ मुझे बताया गया कि जो आदमी आजाद हिन्द फौज में रहने के लिये तैयार नहीं हैं, उन्हें एक और शिविर में भेज दिया जायेगा। मैं अभी तक बीमार था, अतएव मैंने कह दिया कि मैं आजाद हिन्द फौज में शामिल हो जाऊँगा। अस्पताल से छुट्टी पाने पर मई १९४३ में मैंने पुनः आजाद हिन्द फौज के एडवोकेट जनरल का कार्य भार सँभाल लिया। जब मैं दुबारा फौज में शामिल हुआ तो हमारी संस्था पहले से भिन्न थी। इसका संचालन एक सैनिक कार्यालय द्वारा होता था। जिसमें एक डाइरेक्टर, एक प्रधान शासन-प्रबंधक, एक सेना अध्यक्ष कप्तान शाहनवाज एक सेनापति और अन्य अफसर शामिल थे। आजाद हिन्द फौज की सैनिक टुकड़ियाँ वे ही थीं, केवल उनके नामों में थोड़ी बदल की हुई थी।" गवाह ने एक दस्तावेज पर कप्तान पी० के० सहगल के हस्ताक्षर पहचाने।

उसके पीछे एडवोकेट जनरल ने नियुक्तियों व बदलियों के संबंधित अनेक कागजात पेश किये जिनमें लेफ्टिनेन्ट-कर्नल शाहनवाज का नाम सेना के अध्यक्ष के रूप में अंकित था। इन कागजात के अनुसार मेजर सहगल २६ फरवरी १९४२ को सैनिक कार्यालय में बदल दिये गये थे।

श्री सुभाष सर्वोच्च सेनापति

अन्त में गवाह ने कहा; कि जुलाई १९४३ में श्रीयुत सुभाष सिंगापुर आये, उन्होंने आजाद हिन्द फौज व भारतीय स्वतन्त्रता संघ का पूरा नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया। वह भारतीय आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति और भारतीय स्वतन्त्रता संघ के अध्यक्ष बन गये।

गवाह ने दस्तावेज पर श्रीयुत सुभाष के हस्ताक्षर पहिचाने।

श्रीयुत सुभाष बोस ने आजाद हिन्द फौज के नाम जो आदेश जारी किया, वह इस प्रकार था:—

"भारत की आजादी के लिये आज से मैंने इस फौज का सर्वोच्च नेतृत्व ग्रहण कर लिया है। और यह मेरे लिये अनन्त प्रसन्नता व गर्व का विषय है, क्योंकि किसी भी भारतीय के लिये इस से बढ़ कर उसका और कोई सम्मान नहीं हो सकता कि वह भारत को स्वतन्त्र करने वाली फौज का सेनापति हो। किन्तु मैं काम की महत्ता व उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह हर हालत में मुझे इस जिम्मेदारी को सहन करने की पूरी शक्ति दे। मैं अपने को ३८ करोड़ भारतवासियों का एक तुच्छ सेवक समझता हूँ। मैं भारतीयों के हितों को अपने हाथ में सुरक्षित रखते हुये अपने कर्तव्य

को पूरा करूँगा। देश में पूर्ण स्वतन्त्रता स्थापित करने के लिये एक स्थायी सेना का निर्माण करना है, जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की जिम्मेवारी लेगी और यह कार्य आजाद हिन्द फौज को ही करना है। अतः हम सब को आजाद हिन्द फौज का सदस्य बन जाना चाहिये। हमारा एक ही नारा है और एक ही लक्ष्य है--वह है भारत की आजादी और उसके लिये 'करो या मरो' की भावना। मुझे अपने ध्येय में पूर्ण विश्वास है। ३८ करोड़ जनता को, जो संसार की आबादी का पाँचवां भाग है, अधिकार है कि वह आजाद हो और आज वह आजादी का मूल्य चुकाने के लिये तैयार है, अब इस पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो हमारी आजादी के जन्मसिद्ध अधिकार को रोक सके।

'साथियों, अफसरों, व नागरिकों। आपकी निरन्तर अटूट भक्ति ही भारत को स्वतन्त्र कराने में आजाद हिन्द फौज को अपना साधन बना सकेगी। हमारी विजय निश्चय है।'
इस आदेश की पंक्ति इस प्रकार है:—

"दिल्ली चलो, और इस दृढ़ भावना के साथ चलो कि हम वाइसराय--भवन पर तिरंगा झण्डा फहरा कर लाल किले में विजय परेड करें।"

अदालत में कुछ बैज भी पेश किये गये जो आजादहिन्द फौज में लगाये जाते थे। वे बचाव पक्ष के वकील को भी दिखाये गये। जब आजाद हिन्द फौज के एक अफसर ने यह बैज अदालत को वापिस दिये तो जज एडवोकेट ने कहा कि अभियुक्त अपने स्थान पर ही रहें। बैजों को अदालत को देना उनका काम नहीं है।

लेफ्टिनेन्ट नाग की आगे की गवाही से मालूम हुआ कि वे

आजाद हिन्द फौज से भाग गये थे। वे फिर फौज में लाये गये और आजाद हिन्द फौज के जज एडवोकेट जनरल बना दिये गये। एक कागज में बताया गया था कि श्री सुभाष बोस ने सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का सेनापतित्व अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद अदालत ४॥ बजे कल के लिये स्थगित हो गई।

---

६ नवम्बर, १९४५

आजाद हिन्द फौज के मुकदमें की कार्यवाही का दूसरा दिन।

श्री सुभाष चन्द्र बोस ने फौज का पुनर्संगठन कैसे किया।

सफाई की सुविधा के लिये मुकदमा २१ नवम्बर तक स्थगित।

इस्तगासे के गवाह की महत्वपूर्ण शहादत।
कैप्टेन सहगल की बहिन ने भाई के टीका लगाया।।
शाहनवाज व ढिल्लन के टीका नहीं लगाने दिया गया।

इस दिन सबसे पहले पं० जवाहरलाल नेहरू अदालत में पहुँचे और उनके पश्चात श्री भूलाभाई देसाई और फिर श्री आसफअली। तीनों महानुभावों ने मुकदमे के विषय में विचार विनिमय किया। चूँकि सर तेज बहादुर सप्रू स्वास्थ्य की खराबी के कारण इलाहाबाद लौट गये। इसलिये रायबहादुर बद्रीदास जी ने मुख्य बचाव —मेज पर ८ वां स्थान ग्रहण किया।

तीनों अभियुक्तों को अदालत में बुलाये जाने के बाद अदालत ने लेफ्टिनैन्ट नाग की गवाही को आगे सुनना आरम्भ किया।

एडवोकेट जनरल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुये लेफ्टिनेन्ट नाग ने कहा "आजाद हिन्द फौज का विधान मैंने ही बनाया था।"

गवाह ने विधान की एक टाइप शुदा कापी को पहिचाना। फौजी अदालत के सदस्यों तथा बचाव पक्ष के वकीलों ने विधान की प्रति का परायण किया।

सर एन० पी० इंजीनियर: "विधान की धारा को देखिये। क्या यह धारा किसी के निर्देशों पर जोड़ी गई थी?"

श्री भूलाभाई देसाई: "मैं इस प्रश्न पर आपत्ति करता हूँ। यदि निर्देश देने वाले व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता है। यदि गवाह यह कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे ऐसा करने के लिये कहा था, तो इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि हमारे पास उसकी सत्यता प्रगट करने के लिये साधन नहीं है।"

सर एन० पी० इंजिनियर:—गवाह कह रहा है कि उसे क्या करने का आदेश दिया गया था और किन परिस्थितियों में यह धारा जोड़ी गई थी।"

श्री देसाई:—यदि गवाह से केवल यह पूछा जाता है कि किसके आदेश पर ऐसा किया जाता था तो यह एक अलग बात है। लेकिन जब तक इस व्यक्ति के कथन की किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुष्टि न की जाय तो इससे कोई लाभ न होगा।"

सर इंजीनियर: "मैं गवाह से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि किसके निर्देश पर यह धारा जोड़ी गई थी और इससे अधिक कुछ नहीं पूछूँगा।"

गवाह ने उत्तर दिया: "यह कप्तान हबीबुर्रहमान व कप्तान ओंकारनाथन के निर्देश से किया गया था।" सर इंजीनियर: "क्या बाद में इस धारा के अन्दर कोई संशोधन किया गया था, यदि हाँ तो किसके निर्देश पर।"

गवाह ने उत्तर में कहा कि हाँ, इसमें एक संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार कोड़े की सजा देने की व्यवस्था की गई थी और २५ कोड़े लगाने के लिये कहा गया था। लेकिन मेरे पास संशोधन की कोई प्रति नहीं थी।"

श्री देसाई—"आप को यह साबित करना होगा कि ऐसा कोई कागज था और अब वह खो गया है।

जज एडवोकेट ने कहा—"कि इस दस्तावेज की जगह कोई दूसरी गवाही दी जा सकती है, यदि वह खो गया है।"

सर इंजीनियर—यह दस्तावेज कमान सदृश था किसी अन्य आदमी के पास थी और मुझे कापी नहीं मिली।"

जज एडवोकेट—"क्या गवाह यह साबित कर सकता है कि उक्त संशोधन की प्रति खो गई है।"

श्री देसाई—"क्या कोई ऐसी दस्तावेज थी?"

नाग—"हाँ।"

जज एडवोकेट—"क्या आप जानते हैं कि उस दस्तावेज का क्या हुआ?"

गवाह—"मैं नहीं जानता।"

जज एडवोकेट—"क्या तुमने स्वयं दस्तावेज को देखा था?"

गवाह—"हां, मैंने स्वयं देखा था।"

सर इंजीनियर ने जज एडवोकेट से कहा कि मैं इस बात की गवाही दूँगा कि बहुत से कागज खो गये हैं। इसके बाद गवाह ने बताया कि श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज का पुनर्संगठन कैसे किया। गवाह ने बताया कि डिवीजन नम्बर २ में युद्ध बन्दी, व सिविल रंगरूट शामिल थे। सिविल

रंगरूट मलाया में भर्ती किये गये थे। डिवीजन नम्बर ३ में मलाया के सिविल रंगरूट शामिल थे। श्री सुभाष बोस के आने के बाद २१ अक्तूबर १९४३ को सिंगापुर में एक सभा हुई जिसमें प्रधान तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के भारतीय, आजाद हिन्द फौज के अफसर व सैनिक तथा जापान के भारतीय प्रजाजन उपस्थित थे। मैं भी इस सभा में उपस्थित था।

इस सभा में श्रीसुभाष बोस ने आजाद हिन्दुस्तान की स्थायी सरकार की सामग्री पेश की और सरकार के सदस्यों के नामों की घोषणा की। उन्होंने सिविल लोगों से भी सहायता करने की अपील की और कहा कि आजाद हिन्द फौज निकट भविष्य में बर्मा की सीमा पर लड़ेगी।

सर इंजीनियर ने कहा—क्या उस सूची में किसी अभियुक्त का नाम भी था ?

गवाह—हां। लेफ्टिनेन्ट शाहनवाज खाँ उन सदस्यों में से एक थे। फरवरी १९४४ में आजाद हिन्द फौज का सदर मुकाम रंगून और पिछला सदर मुकाम सिंगापुर में था। मैं ३१ मार्च १९४४ के दिन रंगून में था।

फौजी हलचल

इसके बाद गवाह ने बताया कि मणिपुर के निकट भारत बर्मा सीमा पर १, २, ३, व ४ यूनिटों की हलचल कैसी रही। आजाद हिन्द फौज द्वारा अधिकृत प्रदेश के मनोनीत गवर्नर लेफ्टिनेन्ट कर्नल चटर्जी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने अपने अधिकृत प्रदेश के शासन प्रबंध के लिये कुछ कानून बनाये थे, मैं उन्हें देख लूँ। जब मैं म्यायमों में था, तब श्रीसुभाषचन्द्र बोस भी वहीं थे। मई १९४४ तक दोनों रंगून आ गये। अगस्त

१९४४ में कैप्टिन सहगल ने मुझ से कहा कि मुझे डी० ए० जी० का काम सम्हाल लेना चाहिये। मुझे सारी सेना की संख्या का रजिस्टर रखना होता था, साधारण शासन प्रबन्ध व अनुशासन की देख रेख करनी होती थी, सारे आम हुक्म मेरे हाथों से जारी होते थे, अफसरों की नियुक्तियां व परिवर्तन भी मेरे पते पर होते थे।

सर एन० पी० इंजीनियर ! क्या आप जानते हैं कि जुलाई १९४४ तक ३ गुरिल्ला रेजिमेंट का क्या हुआ ?

गवाह ! परास्त होने पर वह मांडले लौटने लगे।

शाहनवाज की आज्ञायें

इसके बाद गवाह कप्तान शाहनवाज द्वारा दी गयी आज्ञा और श्रीसुभाषचन्द्र बोस व जापान के परराष्ट्र सचिव के बीच हुये पत्रव्यवहार की नकलें पेश की। कप्तान सहगल ने फौजी सेक्रेटरी के नाते २० अक्तूबर १९४४ के दिन जो आज्ञा दी उसमें आजादहिन्द फौज को कहा गया था कि वह आक्रमण के लिये तैयार रहे।

अप्रैल १९४५ में फौज की स्थिति

सर एन० पी० इन्जीनियर:—अप्रैल १९४५ में सामरिक दृष्टि से आजादहिन्द सेना की कैसी स्थिति थी ? इसका उत्तर देते हुये गवाह ने कहा कि अप्रैल १९४५ में रंगून में सामरिक स्थिति यह थी कि ब्रिटिश सेनायें रंगून की ओर बढ़ रही थी और जापानी लोग रंगून खाली कर रहे थे। मार्च १९४५ के मध्य से ही वे रंगून के अपने दो डिवीजनों से अलग पड़ चुके थे सबसे अन्तिम खबर हमें यह

मिली कि पोपा पहाड़ी पर डिवीजन नम्बर १ पिनमाना क्षेत्र में था और मणिपुर रोड के जीवार की ओर बढ़ रहा था। उस समय आजाद हिन्द फौज के ६००० आदमी रंगून में थे। सुभाषचन्द्र बोस २४ अप्रेल १६४५ के दिन रंगून चले गये। ब्रिटिश सेनायें २ मई १६४५ के दिन रंगून में प्रविष्ट हुईं।

१७ मार्च १६४५ को श्री सुभाष चन्द्र बोस के हस्ताक्षरों सहित एक आज्ञा जारी हुई। उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि आजाद हिन्द फौज का प्रत्येक सदस्य अपने को उस फौज के सम्मान तथा उसकी प्रतिष्ठा का पहरी समझे। ये चेतावनी दे दी गई थी कि फौज की शुद्धि तथा अनिच्छुक लोगों को उससे अलग होजाने का एक मौका देने के बाद यदि किसी ने कायरता प्रगट की तो उसे मौत का दण्ड दिया जायेगा। कायरता तथा दगाबाजी को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाना था और इनके विरुद्ध तीव्र घृणा का वातावरण तैयार करना था। उपर्युक्त आज्ञा में कहा गया था कि 'शुद्धि' के बाद आजाद हिन्द फौज के प्रत्येक सदस्य को मातृभूमि को स्वतन्त्र कराने की शपथ लेनी होगी। उन लोगों को विशेष पुरस्कार दिये जायेंगे जो कि दगाबाजों के बारे में सूचना देंगे और जो कायरों को गिरफ्तार करेंगे या उन्हें गोली से मार देंगे।

२० मार्च १६४५ को सुभाष बोस के हस्ताक्षरों वाला एक विशेष आज्ञा पत्र आजाद हिन्द फौज के समस्त अफसरों तथा सैनिकों के नाम जारी किया गया। उसमें यह आज्ञा दी गई थी कि एक विशेष उत्सव हो जिसमें कविताओं तथा लेखों का पाठ हो जिसमें कायरता तथा दगाबाजों के प्रति घृणा प्रदर्शित की जाय। उत्सव के अन्त में भारतीय राष्ट्रीय गीत गाया जाये।

मर नौशेरवाँ इंजीनियर:—क्या आपने उसी कार्यालय में काम किया जिसमें कप्तान शाहनवाज खाँ करते थे ?

गवाह- हाँ १९४३ में मई से अकटूबर तक सिंगापुर में फौजी ब्यूरो के डायरेक्टर [संचालन विभाग] में किया। इस काल के अधिकांश भाग में कप्तान शाहनवाज खाँ चीफ आफ जनरल स्टाफ थे और उसके बाद वे नम्बर १ डिवीजन के कमांडर बन गये। शासन उस नीति में किसी प्रकार हेर फेर करने का हामी होगा। ऐसी दशा में हमें आशा है कि हिन्दू सभा के इस प्रकार के बे सिर पैर के प्रचार का जनता पर कोई विरुद्ध असर न पड़ेगा।

हम यह सब इसलिये लिख रहे हैं कि हमारे मत से ग्वालियर में एक मात्र सार्वजनिक सभा ही ऐसी संस्था है, जो अपने त्याग और तपस्या बल के कारण जनता के विश्वास की अक्षुण अधि-कारिणी है। राज्य में एक मात्र वही संस्था है जिसका अपना ठोस संगठन है, जिसका अपना अनुशासन है और जो अपने न्याय अधिकारों की प्राप्ति के लिये विघ्न-बाधाओं की परवाह न करते हुये जूझने के लिये हरदम तैयार रहती है आज का युग संगठन और अनुशासन का युग है। संगठित और अनुशासित सेना का एक सिपाही जो काम कर सकता है संगठन और अनुशासनहीन सेना के अनेक सैनिक उसे पूरा नहीं कर सकते, चाहे दिखावटी साज सज्जा से वे कितने ही सज्जित क्यों न हों। ग्वालियर राज्य की जनता इस बात से अपरिचित न होगी और इसीलिये आशा है कि वह जोधपुर, जयपुर और इन्दौर आदि की तरह अपने यहाँ भी अपनी सच्ची सेविका सार्वजनिक सभा के ही उम्मीदवारों को भारी बहुमत से निर्वाचित करके जागृत होने का परिचय देगी।

इस युग में हमने प्रजाहितकारी मण्डल और राजपूत सेवा संघ आदि की सार्वजनिक सभा विरोध प्रवृत्ति की जानबूझ कर उपेक्षा की है; क्योंकि हम जानते हैं कि जनता उनके उद्देश्य और कारनामों से भली भाँति परिचित हो चुकी है। और सार्वजनिक सभा को पं० जवाहरलाल नेहरु और श्रीमती सरोजनी नायडू आदि से जोरदार समर्थन मिल चुके हैं, उनसे विरोधियों के अस्त्र और भी निकम्मे हो गये हैं। लेकिन राज्य की पुलिस, रेवेन्यू तथा अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप के जो जो समाचार इधर कुछ दिनों से बराबर मिल रहे हैं उनकी चर्चा किये बिना ही इस प्रसंग को समाप्त नहीं किया जा सकता।

जो कर्मचारी जिस दल या पक्ष का समर्थक होता है, वह अपने क्षेत्र में अधिकार का प्रयोग करके उस पक्ष का समर्थन और इतर पक्ष का विरोध करता है और आश्चर्य की बात है कि अधिक-तर विरोध का लक्ष्य सार्वजनिक सभा ही होती है। इसमें क्या रहस्य है, कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। राज्य का इसमें कुछ हाथ हो या न हो, जबतक वह अपने कर्मचारियों को चुनाव से सर्वथा अलिप्त रहने की स्पष्ट गवाही जारी नहीं कर देता तब तक न तो इसकी जिम्मेदारी से वह बच सकता है, न चुनाव ही निर्बाध हो सकते हैं। अतः आशा है कि वह आवलम्ब-ऐसी गवाही जारी करके एक ओर दूसरी चुनाव के निर्बाध होने का मौका देगा। लंच के लिये अदालत के स्थगित होने से पहले सर नौशेरवाँ इंजीनियर ने इन डायरियों से वे उद्धरण पढ़े जो कि आक्रमणात्मक कार्यवाही के बारे में थे। अदालत लंच के लिये स्थगित हो गयी।

कप्तान सहगल को टीका

भैया-दूज के शुभ अवसर पर अदालत में हृदयस्पर्शी दृश्य उपस्थित हुआ। आज भैया-दूज का महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व था। इस शुभ अवसर पर बहिनें अपने भाइयों को टीका करती हैं। और उनकी कुशल समृद्धि की कामना करती हैं। अतएव जब अदालत की कार्यवाही स्थगित हो गई तो एक हृदय स्पर्शी दृश्य उपस्थित हो गया। कप्तान श्री सहगल की दोनों बहिनों ने आपको टीका किया कप्तान सहगल के दो साथियों को भी टीका करना चाहा, लेकिन संबंधी न होने के कारण उन्हें टीके की इजाजत नहीं दी गई।

लंच के बाद

लंच के बाद भी अपनी गवाही जारी रखते हुये लेफ्टिनेन्ट नाग ने कहा कि मई १९४३ से फरवरी १९४५ तक कप्तान सहगल आजाद हिन्द फौज के फौजी मन्त्री थे। जब आजाद हिन्द फौज अपने रंगून के सदर मुकाम पहुँची तो वे फौजी मन्त्री के अतिरिक्त डी०ए०जी० का काम भी करते थे। मेरा परिचय उनसे तब हुआ जब कि अफसरों के खिलाफ अनुशासन भंग की कार्यवाही करने का मामला पेश था। फरवरी १९४५ में कप्तान सहगल को एक यूनिट का कमाण्डर बनाया गया। १९४४ के शुरू में वे रंगून आये फरवरी के अन्त में अथवा मार्च के शुरू में वे रंगून से चले गये।

कप्तान शाहनवाज को आज्ञा

इसके बाद गवाह ने कुछ दस्तावेज पेश किये जिन पर कप्तान सहगल के हस्ताक्षर थे। एक दस्तावेज के साथ सुभाष चन्द्र बोस की एक खास आज्ञा नत्थी थी। वह आज्ञा हिन्दुस्तानी आदि

अनेक भाषाओं में अनूदित होने के बाद परेड के समय फौजों को सुनाये जाने वाली थी। इस आज्ञा में कहा गया था :—

"सम्पूर्ण विश्व की आंखें आजाद हिन्द फौज पर लगी हुई थीं। आजाद हिन्द फौज जापानी फौजों की सहायता से प्रत्याक्रमण करेंगी। वे आजाद हिन्द फौज का झण्डा आराकान की पहाड़ियों पर फहरायेंगी। बाद में विजय प्राप्त करने के बाद वे अपना झण्डा वाइसराय-भवन और दिल्ली के लालकिले पर फहरायेंगी। सुभाष चन्द्र बोस की आज्ञा के अन्त में कहा गया था: "जीत निसंदेह हमारी होगी। इन्कलाब जिन्दाबाद" आजाद हिन्द जिन्दाबाद।"

कप्तान सहगल के पत्र

इसके बाद गवाह ने कुछ पत्र पेश किये जिन पर कप्तान सहगल के हस्ताक्षर थे। इन पत्रों में बर्मा में आजाद हिन्द फौज के नाम श्री सुभाष चन्द्र बोस द्वारा दे दी गयी कई आज्ञायें दर्ज थीं। इस्तगासे के वकील सर एन. पी. इंजीनियर ने उसमें कुछ पढ़ कर सुनाया 'जुर्मों की रिपोर्ट' शीर्षक के दस्तावेज पर ६ मार्च १९४५ की तारीख पड़ी हुई थी। उसे भी पेश किया गया। 'दी गई सजायें' शीर्षक कालम में वे आज्ञायें दर्ज थीं जो लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन ने अपने हाथों से लिख कर दी थीं। 'सजायें किसने दीं' शीर्षक दस्तावेज पर कप्तान सहगल के हस्ताक्षर थे। 'मौत की सजा दी गई' शब्द उन्होंने अपने हाथ से लिखे थे। आजाद हिन्द फौज से अलग होने वाले और शत्रु के साथ मेल—जोल करने वाले सिपाहियों को दी जाने वाली सजाओं का इसमें वर्णन था। सारे दस्तावेज पर कप्तान पी० के सहगल के हस्ताक्षर थे।

फौज का पुनर्संगठन

२२ मार्च १६४५ की डिप्टी एडजूटेन्ट जनरल आजाद हिन्द फौज से गांव के कार्यालय से एक खरीता आजाद हिन्द फौज के सदर मुकाम को भेजा गया। इस खरीते पर कप्तान शाहनवाज खाँ के दस्तखत थे। यह आजाद हिन्द फौज के पुनः संगठन की नीति के सम्बन्ध में था।

इसमें इवा कोह किकेन का भी उल्लेख था जो कि जापानी सेना तथा अजाद हिन्द फौज के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाला जापानी संगठन था।

२० मार्च को कप्तान शाहनवाज खाँ के हस्ताक्षरों वाले एक खरीते का उल्लेख करते हुए गवाह ने कहा आजाद हिन्द फौज के बहादुर दल के प्रधान कार्य तोड़ फोड़ तथा अपने शत्रु के के मोर्चे पर इधर उधर से घुसना था।

बर्मा में आजाद हिन्द फौज की हलचलों के सम्बन्ध में कप्तान शाहनवाज खाँ के हस्ताक्षरों वाले अन्य कागजातों के उदाहरण पढ़े गये। बर्मा स्थित इस आजाद हिन्द फौज को सीधे सर्वोच्च कमांड के नीचे काम करता था। गवाह ने आगे चलकर कहा कि उसे सब सरकारी कागजात उसके डी० ए० सी० होने की हैसियत से मिलते थे। एक खरीते में कप्तान शाहनवाज खाँ को यूनिट अस्थायी कमान सँभालने के लिये कहा गया। १६ मार्च १६४५ को कप्तान शाहनवाज खाँ के हस्ताक्षरों वाली एक विशेष आज्ञा मिली। इसमें चार सिपाहियों के भाग लिये जाने का उल्लेख था। एक और आज्ञा में टेलीफोन लाईन के काटे जाने का उल्लेख था। ७ अप्रैल १६४५ को एक और आज्ञा मिली। इसमें सेना की आक्रमणात्मक कार्यवाही

की तैयारी के बारे में व्यवहारिक निर्देश दिये गये थे । १९४४ तथा १९४५ के बीच कप्तान शाहनवाज खाँ की डायरियां गवाह द्वारा फाईल की जाती थी। कप्तान शाहनवाज खाँ ने अपने हाथों से दिनचर्या लिखी थी। साढ़े बारह बजे ६ अप्रैल को स्थिति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट निकली। इस पर श्री० पी० के सहगल के हस्ताक्षर थे। उसमें यह कहा गया था कि लेफ्टिनेन्ट यासिन खाँ की कर्तव्य च्युति के कारण आजाद हिन्द फौज के अफसरों व सैनिक के बड़े भाग में गड़बड़ी पड़ गई है और लेफ्टिनेन्ट खाजिम शाह बहुत चिन्तित हैं। 'ए' कम्पनी कमाण्डर की हलचलें बड़ी शंकाप्रद थी अतएव उनके ऊपर निगरानी रखने के लिये उसे भेजा गया। "शत्रु से मिल जाने वाले" अफसरों तथा यूनिटों की नामावली का उल्लेख करने के बाद रिपोर्ट में आगे चल कर कहा गया है कि शत्रु सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है, सब अफसर तथा सैनिक बिल्कुल थक गये हैं और वे शत्रु का और अधिक आक्रमण सहन नहीं कर सकते। एक और खरीते में बताया गया है कि शत्रु सैनिक आजाद हिन्द फौज की छापामार टुकड़ियों के मोर्चे में घुस गये हैं और उन टुकड़ियों से सम्पर्क स्थापित करना कठिन है। कप्तान सहगल के एक सन्देश में श्री सुभाषचन्द्र बोस की एक विशेष आज्ञा का उल्लेख किया गया था। उनमें सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज के वीरों के नाम पर अफसरों तथा सैनिकों पर इस बात के लिये जोर दिया गया था कि "भारत के शत्रुओं का नाश कर दो और मातृभूमि को स्वाधीन करो। जनवरी, फरवरी तथा मार्च १९४५ की विभिन्न तारीखों में कप्तान सहगल ने कितने ही पत्रों पर हस्ताक्षर किये थे। उन पत्रों में यह बताया गया था कि कुछ स्थानों में स्थिति बिगड़ रही है, आजाद हिन्द फौज की कुछ

टुकड़ियों का साहस गिर चुका है, और शत्रु के विरुद्ध छापामार कार्यवाही शुरू करने के लिये आज्ञा देनी पड़ सकती है। मोर्चों पर जाने से इनकार करने के लिये एक अफसर को मौत की सजा देनी पड़ी है। और जो कोई लड़ने से इनकार करेगा उसे शीघ्र गोली से उड़ा देना होगा। ६ मार्च १९४५ को सुनवाल डिवल वर्णित किया गया है। जिन अफसरों तथा सैनिकों की हलचलों के बारे में सन्देह था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट में दिनप्रतिदिन की परिवर्तित स्थिति बताई गई है।

कप्तान सहगल की डायरी को देखने के बाद श्री देसाई ने पूछा कि इसके जो पृष्ठ गायब हैं, उनका क्या हुआ?

सब इंजीनियर ने उत्तर दिया कि जैसे डायरी प्राप्त हुई है उसी रूप में मौजूद है और गायब हुये पृष्ठों के बारे में जांच की जा रही है। इसके बाद श्री देसाई ने पूछा कि क्या डायरी के विशेष पृष्ठ "विशेष रूप से चुन लिये गये हैं"? सब इंजीनियर ने इस पर एतराज किया और कहा कि "यह सुझाव अनुचित है"। जज एडवोकेट ने हस्तक्षेप करते हुये श्री देसाई से कहा कि यह बहस का मामला है कि गायब हुये पृष्ठों का क्या हुआ और अभी इस बारे में केवल पूछताछ की जा सकती है।

ढिल्लन से सिंगापुर में प्रथम भेंट

गवाह ने कहा, मैं सबसे पहिले फरवरी १९४२ में सिंगापुर में लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन से मिला। बाद में जब वे सप्लाई व यातायात अफसर बने तो मेरी उनसे दूसरी भेंट थी। अगस्त १९४४ में बर्मा आने के बाद लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन गुरिल्ला रेजीमेन्ट नम्बर ४ के कमाण्डर हो कर माण्डले तक गये। २२ दिसम्बर १९४४ के पत्रों में दो ब्रिटिश अफसरों के पकड़े जाने का हवाला देते हुये

सम्बन्ध विभाग से कहा गया था कि उस मौके पर जो जो रिवाल्वर हाथ लगे थे, उन्हें वापिस कर दिया जाय। नक्शे व दूसरी सामग्री जापानी अफसरों के पास रहने दी जाय और वे उनका जैसा चाहें प्रयोग कर सकते हैं। २ मार्च १९४५ के दिन एक पत्र पर लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन के हस्ताक्षर थे। यह पत्र गुप्तचरों के पासपोर्ट के संबन्ध में था। "खुफिया पुलिस की दैनिक रिपोर्ट" पर लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन के हस्ताक्षर थे और ३ मार्च १९४५ की तारीख पड़ी हुई थी। इसमें सारे मोर्चों की उस दिन की परि-स्थिति पर प्रकाश डाला गया था।

६ मार्च को ढिल्लन के हस्ताक्षरों से एक आज्ञा निकाली गयी। इसके द्वारा आज़ाद हिन्द फौज की कुछ टुकड़ियों को हिदायत की गई थी कि उन्हें दुश्मन फौज के विरुद्ध कैसी हरकतें करनी चाहिये। ६ मार्च १९४५ की जुर्म रिपोर्ट में ढिल्लन के हस्ताक्षरों से दी गई सजायें, शीर्षक और सहगल के हस्ताक्षर से "[illegible] की सजा दे दी गई" शीर्षक विवरण दिया गया था।

नेहरूजी चले गये

इस समय शाम को ३-३० बज चुके थे। पं० जवाहर लाल नेहरू अदालत से चले गये और जाने से पहले आपने आज़ाद हिन्द फौज के अफसरों से हाथ मिलाये।

श्री भूलाभाई देसाई

जब श्री भूलाभाई देसाई ने फौजी अदालत का ध्यान जुर्म-रिपोर्ट की कुछ खामियों की ओर आकृष्ट किया, तो जज एडवोकेट ने श्री देसाई से कहा कि गवाह से जिरह के समय आप इन खामियों को पेश कर सकेंगे।

श्री सुभाष बोस का पत्र

१२ मार्च १९४५ के दिन श्री सुभाष चन्द्र बोस ने कप्तान ढिल्लन के नाम एक पत्र भेजा था, जिसमें उनके प्रति विश्वास प्रगट करते हुये यह कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में कोई शक्ति रोड़ा नहीं अटका सकती। सर एन पी० इंजीनियर ने 'एक युद्ध की रिपोर्ट' के उद्धहरण पेश करते हुये बताया कि इस पर २५ मार्च १९४५ की तारीख पड़ी हुई है और ढिल्लन के हस्ताक्षरों, कई हुक्मों, सांकेतिक संदेशों के उद्धहरण पढ़ कर सुनाये।

गवाह ने कुछ और विवरण भी पेश किये और उसके बाद अदालत की कार्यवाही २१ नवम्बर तक के लिये स्थगित हो गई।

२१ नवम्बर सन् १९४५

इस्तगासे के गवाह से श्री भूलाभाई देसाई की जिरह।

आजाद हिंद सरकार व फौज के निर्माण व कार्यों पर प्रश्नोत्तर

फौज का संगठन सभ्य कानून के आधारपर

१५ दिन के बाद २१ नवम्बर ४५ को फिर मुकदमे की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। श्री देसाई ने सरकारी गवाह लेफ्टि० नाग से विस्तृत जिरह की और अस्थायी आजादहिन्द सरकार के निर्माण तथा सभ्य संसार द्वारा व्यवहृत नियमों के आधार पर स्थापित उस सरकार की नियमित सेना—आजाद हिन्द फौज के कार्यों के सारे इतिहास पर गवाह से प्रश्न पूछे।

सफाई के वकील श्री भूलाभाई देसाई की जिरह पर लेफ्टि० नाग ने कहा—"सितम्बर १९४२ से दिसम्बर १९४२ तक मैं आजाद हिंद फौज का एक सदस्य था और फिर इस के बाद मई १९४३ से उसके अंत तक रहा। इस बीच आजाद हिंद फौज में एक संकट रहा और कुछ समय तक हर किसी का आजाद हिंद फौज से सम्बन्ध विच्छेद रहा। इस बीच फरवरी १९४३ में मुझे एक अलग शिविर में ले जाया गया। सच पूछिये तो तत्काल आजाद हिंद फौज भंग कर दी गई और १९४३ में फरवरी के अंत या मार्च में उस के स्थान पर दूसरी बनी। जब कि मैं शिविर में था मैंने इसके बारे में सुना।

लेफ्टि० नाग ने आगे कहा, "मैंने दो पद संभाले—एक जज एडवोकेट जनरल का और दूसरा डिप्टी एडजुटेन्ट जनरल का। जज एडवोकेट जनरल की हैसियत से मैं आजादहिंद फौज के कानूनी विभाग का प्रधान था। सर्व प्रथम मैंने आजाद हिंद फौज कानून का मस्विदा तैयार किया। इस काम को पूरा करने के बाद मेरा काम आजाद हिंद फौज के कानूनी शासन-प्रबन्ध की देख भाल थी।"

आजाद-हिन्द-सरकार की स्थापना

लेफ्टि० नाग ने आगे कहा, "२१ फरवरी १९४३ को आजाद हिन्द सरकार की घोषणा की गई लेकिन मैं उसका कानूनी सलाहकार नहीं था। मैं आजादहिन्द फौज का कानूनी सलाहकार था। आजाद हिन्द सरकार का अपना कानूनी सलाहकार श्रीसरकार था, जो की बंगाल-सिविल सर्विस के थे और कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करने योग्य थे।"

लेफ्टि० नाग ने अपना कथन जारी रखा, "जापान-युद्ध के शुरू होने पर मैं पेनांग में था। जापान—युद्ध ८ दिसम्बर १९४१ के दिन शुरू हुआ था। हमलोग १५ दिसम्बर को पेनांग से हटने शुरू हुए। २५ जनवरी १९४२ के दिन हमलोग सिंगापुर पहुँच गए। १६ फरवरी १९४२ के दिन सिंगापुर पर जो हवाई हमला हुआ। उस में मैं जख्मी हो गया। मुझे मालूम हुआ कि कैम्प के कमान्डर कप्तान शाहनवाज हैं।"

प्रश्न—जब आप बीमार थे, तब क्या आपने उन्हें काम करते देखा?

उत्तर—नहीं।

गवाह ने कहा," मैंने स्वेच्छा से-जज-एडवोकेट का पद स्वीकार किया था। मेरा पहला काम आजाद हिंद फौज कानून तैयार करना था।"

प्रश्न—मैं-यह मान लेता हूं कि जबसे आपने काम करना शुरू किया तबसे आप का इरादा यह रहा कि सभ्य कानून के अनुसार सेना का संगठन किया जाय। और फौज इसी ही कानून के मातहत काम करे ?

उत्तर—जी हां, हमारा इरादा यह था कि सभ्य कानून के अनुसार इस सेना का संगठन किया जावे।

प्रश्न—कानून बनाने का भी यही इरादा था न ?

उत्तर—जी हां।

गवाह ने कहा, "मेरे अलग हो जाने के बाद भी आजाद हिंद-फौज के कानून पर अमल होता रहा।"

गवाह ने आगे अपने बयान में कहा, "२१ अक्टूबर १९४३ को जो सभा हुई उसमें मैं भी उपस्थित था। उस सभा में आजाद हिंद-सरकार कायम होने की घोषणा की गई थी। मैं दर्शक के तौर पर उपस्थित था। इस सभा में आजाद हिन्द फौज के सैनिक, भारतीय नागरिक कुछ जापानी अफसर तथा पूर्वी एशिया के देशों मलाया, थाईलैंड, सुमात्रा, हिन्दचीन और हांगकांग के भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित थे।"

स्वाधीनता लीग

लेफ्टि० नाग ने आगे कहा, "मुझे स्वाधीनता लीग के अस्तित्व का भी ज्ञान था। मुझे इस सम्बन्ध में तब पता चला जब कि मैं सितम्बर १९४२ में आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ था। इन देशों में २५ लाख भारतीय थे।

जज एडवोकेट—आपको यह कैसे पता चला ?

श्री देसाई—क्यों कि वह ऐसा कहता है। मेरे मित्र उनसे बाद में फिर जिरह कर सकेंगे।

जज एडवोकेट—हम उन चीजों को टालना चाहते हैं, जिनका आधार केवल अफवाह है। जब उन्होंने यह कहा कि आजाद हिन्द फौज में १०,००० व्यक्ति थे, तो मैंने इस पर आपत्ति की थी। इस का कारण यह था कि यह अफवाह थी।

श्री देसाई—जब आपने अपना काम प्रारम्भ किया था तो क्या यह जानना आपका फर्ज न था कि पूर्वी एशिया में कितने भारतीय आबाद है ?

गवाह—नहीं। श्री सुभाष चन्द्र बोस ने जो भाषण दिए, उनसे मुझे यह ज्ञात हुआ कि पूर्वी एशिया में कितने भारतीय हैं। मैंने सुभाष बोस को यह कहते सुना कि पूर्वी एशिया के देशों में २५ लाख भारतीय बसे हुए हैं।

सर एन. पी. इंजीनियर—जब तक गवाह यह नहीं कहते कि उन्हें जाती तौर से इसका ज्ञान था, तब तक मैं गवाह के उत्तर पर आपत्ति करता हूँ।

आजाद हिन्द सरकार व उसकी फौज का उद्देश्य केवल भारत की स्वाधीनता था।

लेफ्टिनेन्ट नाग ने कहा कि अस्थायी आजाद हिन्द सरकार तथा आजाद हिन्द फौज का बराबर यही उद्देश्य रहा कि भारत की स्वाधीनता प्राप्त की जाये तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीयों के सम्मान तथा जानोमाल की रक्षा की जाये। आजादहिन्द फौज को भारतीयों ने शिक्षित किया और भारतीय ही उसके अफसर

थे। जापानी अफसरों ने उसे शिक्षित नहीं किया। उद्देश्य बराबर यही रहा कि भारतीयों के लिये भारत को स्वतंत्र किया जाय।

श्री सुभाष बोस की घोषणा

२१ अक्तूबर १९४३ को आजाद हिन्द सरकार की घोषणा के लिए आयोजित एक विराट सभा के बारे में लेफ्ट० नाग से जो जिरह हुई उसके सिलसिले में इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुएः

श्री देसाई—वे किन के प्रतिनिधि थे ?

जज एडवोकेट—इस बात को वे कैसे जान सकते हैं ?

श्री देसाई—मैंने सैंकड़ों सभाओं में भाग लिया है और मैं यह निश्चित रूप से जानता था कि सभा कैसी है ?

प्रश्न—आपको जहां तक मालूम है, क्या वे प्रतिनिधि उन देशों से चुने गये थे ?

उत्तर—वे उन देशों के प्रतिनिधि थे। मैं वहां उत्सव के प्रारम्भ से ही था।

प्रश्न—नेता सुभाषचन्द्र बोस थे ?

उत्तर—हां।

प्रश्नः—'नेताजी' का अर्थ आदरणीय नेता है ?

उत्तरः—हां।

प्रश्नः—आपने कहा है कि आप एक दर्शक थे। क्या आपको याद है कि सभा में जो लोग शामिल थे उन्होंने अस्थायी सरकार के प्रति वफादारी की शपथ ली ?

उत्तरः—केवल उन्हीं मंत्रियों ने शपथ ली जिनकी नियुक्ति सुभाषचन्द्र बोस द्वारा घोषित की गई थी।

प्रश्न:—जहां तक आपको विदित है। प्रतिनिधियों ने क्या किया ?

उत्तर:—उन्होंने कोई भाग न लिया। अस्थायी सरकार की घोषणा का उन्होंने हर्ष से स्वागत किया। करीब ५००० व्यक्ति शामिल हुए थे जिनमें तमाशागीर तथा दर्शक भी थे। मैंने सुभाषचन्द्र बोस को घोषणा करते सुना।

श्री देसाई ने सुभाषचन्द्र बोस की घोषणा को पढ़ा। उसमें यह बताया गया था कि दीर्घकाल से भारतीयों ने स्वतन्त्रता की प्राप्ती के लिए क्या क्या प्रयत्न किये।

गवाह ने कहा मुझे ज्ञात है कि घोषणा पढ़ी गई। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं कि यह २१ अक्तूबर १९४३ को पढ़ी गई। उस रोज अस्थायी सरकार के समक्ष सुभाषचन्द्र बोस के भाषण को मैंने सुना। मुझे विश्वास है कि मैंने इस घोषणा पत्र को अन्य रिपोर्टों में देखा जो कि सावधानी से रखी गई थीं। श्री देसाई ने जिस घोषणा की प्रति को पढ़ा है वह उसकी सही प्रति है। सभा में मन्त्रियों के नाम घोषित किये गये थे।

श्री देसाई ने आजाद हिन्द सरकार के, जिसके कि सुभाष बोस प्रधान मंत्री तथा युद्ध मंत्री थे, विभिन्न मंत्रियों के नाम पढ़े।

सुभाष बाबू के साथ सम्बन्ध

गवाह ने आगे चल कर कहा "जब मैं बर्मा आया तो मुझे आजादहिन्द बैंक के बारे में मालूम होगया था। मैं सुभाषबोस के साथ बर्मा नहीं गया। सुभाष बोस १९४४ के आरम्भ में बर्मा गये थे। मैं अप्रैल १९४४ में उनसे मिला।"

प्रश्न—क्या आप पर सुभाष बोस को विश्वास था ?

उत्तर—मेरा सुभाष बोस के साथ सीधा सम्पर्क नहीं था। अपने कार्यालय में मैंने उनसे केवल दो बार बातें कीं। ये अनुशासनात्मक मामलों के सम्बन्ध में थी। अप्रैल १९४४ में, मैं कैम्पों में एक ही घर में सुभाष बोस के साथ रहा।

प्रश्न—मैं समझता हूँ कि उन दो अवसरों पर आपने सुभाष बोस के साथ केवल अनुशासनात्मक मामलों पर बातें कीं?

उत्तर—हां, ये बातचीतें अप्रैल १९४४ के बाद हुई। एक मई १९४४ में हुई।

प्रश्न—क्या आपने सुभाषचन्द्र बोस के साथ भोजन किया?

उत्तर—हां।

प्रश्न—तब क्या भोजन के अवसर पर बिलकुल मौन था? (हंसी)

उत्तर—ऐसी बात न थी। सुभाष बोस बहुत कार्य-व्यस्त थे और उनके साथ सीधी बातचीत करने का मुझे अवसर न मिला।

आजाद हिन्द बैंक

आजाद हिन्द बैंक सम्बन्ध में गवाह ने कहा, "उसके बारे में मुझे तब ज्ञात हुआ जब कि मैं अप्रैल १९४४ को रंगून पहुँचा। मुझे यह ज्ञात था कि पूर्वी एशिया के भारतीयों ने अस्थायी सरकार के लिए बड़ी—बड़ी रकमें दी हैं और वे आजाद हिन्द बैंक में जमा की गई हैं। रुपये के अतिरिक्त इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत-सा अनाज भी दिया गया। बैंक में करीब कितना रुपया था, मैं नहीं कह सकता लेकिन वह करोड़ों में पहुँचने वाली बड़ी रकम थी। जमा किये हुए अनाजकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी।

जज एडवोकेट—आप कैसे जानते हैं ?

गवाह मुझे मालूम है कि सुभाष बोस द्वारा समय-समय पर दिये गये भाषणों में कितना चन्दा दिया गया।

जज-एडवोकेट—क्या आप केवल वही दुहरा रहे हैं जोकि आपने सुना ?

गवाह—एक या दो अवसरों पर मैंने खुद चन्दा इकट्ठा होते देखा बोस की घोषणाओं से मुझे मालूम हुआ कि कितनी रकम जमा हुई।

जज-एडवोकेट—गवाह भी वही दुहराता है जो कि उसे बताया गया है तथ्यों पर न जाकर कही सुनी बातों पर पहुँचने का बड़ा खतरा है।

श्री देसाई—उन मामलों के बारे में गवाह को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान है। बर्मा पर पुनः अधिकार हो जाने के बाद, न्याय के अनुकूल या उसके विपरीत सरकार ने आजादहिन्द बैंक तथा आजादहिन्द फौज के कागजातों तथा उसके बहुत से कर्मचारियों को पकड़ लिया और उसके परिणामस्वरूप वह सूचना प्राप्त हुई जो कि छपे हुए दस्तावेजों में मौजूद है। अतएव मुझे गवाह से अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

जज एडवोकेट—आप गवाह से वह प्राप्त नहीं कर सकते जो कि केवल कही सुनी बात है।

गवाह ने आगे चल कर कहा कि अन्य कार्यों के अतिरिक्त अस्थायी सरकार का काम सेना रखना भी था और इसके लिये बहुत आवश्यकता थी। उसने यह भी बताया कि रंगून में जहाँ बैंक था, वहां से वह केवल तीस गज की दूरी पर रहता था।

प्रश्न—क्या सेना तथा आजाद सरकार के लिये बैंक से रुपया लिया जाता था ?

उत्तर—मुझे ज्ञान नहीं। मुझे मालूम है कि भारतीयों ने बड़ी बड़ी रकमें चन्दे में दी थी।

प्रश्नः—क्या रकमें बैंक में जमा की गई थीं ?

उत्तरः—हां ! लेकिन मैंने केवल सेना की शक्ति (संख्या) की देखभाल की न कि उसके खर्चे की।

प्रश्न:—क्या नियमित रूप से सेना की रक्षा की जाती थी ?

उत्तर—यह राजस्व विभाग का काम था। मुझे यह ज्ञात नहीं कि सेना को बहुत नियमित रूप से वेतन दिया जाता था।

आजाद हिन्द दल

गवाह ने आगे चलकर कहा, "हिसाब-किताब रखने वाला अफसर मेजर मूर्ति था। मैं भी उसी कार्यालय में काम करता था। मेजरमूर्ति आजादहिन्द सरकार के राजस्व मन्त्री के आदेशानुसार कार्य करता था। मुझे उसका नाम मालूम नहीं। लेफ्टिनेन्ट कर्नल चटर्जी शुरू में राजस्व मन्त्री थे। उसके बाद शायद राघवन बने। मैं लेफ्टि० कर्नल अहसान कादिर से मिला जो कि आजादहिन्द दल के साथ थे। इस संगठन का काम आजाद-हिन्द-फौज द्वारा अधिकृत प्रदेश का शासन प्रबन्ध था। इसमें वे गैर फौजी लोग थे। जिन्हें सिंगापुर में, और उसके बाद रंगून में गैर फौजी शासन प्रबन्ध की शिक्षा दी गई थी। आजाद-हिन्द-फौज द्वारा अधिकृत प्रदेश के गवर्नर ले० चटर्जी नियुक्त किये गए थे। ले० कर्नल चटर्जी ने अधिकृत प्रदेश के शासन प्रबन्ध के लिये मुझे जो योजना दी थी उस पर मैंने पाँच सप्ताह तक विचार किया।"

प्रश्नः—तब आपने केवल फौजी कानून का मसविदा बनाने तथा जज एडवोकेट के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने के अतिरिक्त और बहुत कुछ किया ?

उत्तरः—हां मेरी इस बारे में सलाह ली गई कि योजना में संशोधन हो सकता है या नहीं, मेरी दृष्टि में यह एक अच्छी योजना थी।

प्रश्नः—क्या आपको मालूम है कि किसी अधिकृत प्रदेश पर आजादहिन्द सरकार ने शासन किया ?

उत्तर—मुझे मालूम नहीं।

गवाह ने इस बात को स्वीकार किया कि उसे यह बात मालूम है कि १९४३ के अंत से पूर्व अंडेमान तथा निकोबार अस्थायी सरकार को सौंपे गये और उनके शासनप्रबंध के लिए एक शासक नियुक्त किया गया। वे लेफ्ट० कर्नल लोकनाथन थे। वे वहां ८ महीनों तक रहे। यह पता नहीं कि उनका उत्तराधिकारी कौन बना। वे अपना कार्यभार अपने मन्त्री मेजर आलवी को सौंप आये। यह पता नहीं कि दोनों प्रदेशों पर ले० कर्नल चटर्जी की योजनानुसार शासन हुआ या नहीं। गवाह ने कहा "आजाद हिन्द दलके एक उत्सव के समय मैं सिंगापुर में था। मैं समझता हूँ कि उस दल के लगभग दो सौ व्यक्तियों को शिक्षा दी गई। अस्थायी सरकार ने एक गजट प्रकाशित किया जिसमें सेना में नियुक्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत बातें दी गई थीं। फौज में की गई नियुक्ति फौजी गजट में प्रकाशित होती थी।

आजाद हिन्द फौज को जापानियों के अधीन न रखने का निश्चय आरम्भ से था।

गवाह के कथनानुसार आजाद हिन्द फौज और जापानी

अफसरों में दो मित्रों का सा व्यवहार था । पर गवाह को यह पता नहीं था कि भिन्न-भिन्न स्थानों की फौजी कार्यवाही में एक सी नीति बरती जाती थी या नहीं । जापानियों ने एक अलग विभाग खोल रखा था जो आजाद हिन्द फौज से सम्पर्क रखता था । गवाह ने आगे चल कर कहा कि आजाद हिन्द सरकार की स्थापना होने के बाद ही ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया गया । जापानी सरकार ने आजाद हिन्द सरकार के पास अपना एक राजदूत भी भेजा था, जिसका नाम हचिया था । गवाह को यह मालूम था कि अस्थायी आजादहिन्द सरकार धुरी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत थी । थाइलैंड, फिलिपाइन, कोरिया और मन्चूकुओ उसके मित्रराष्ट्रों में से थे । गवाह ने आगे कहा कि बर्मी सरकार की अपनी अलग बर्मी रक्षा सेना थी, पर मुझे यह मालूम नहीं कि वह वर्तमान बर्मा में मिलाई जा चुकी है या नहीं । बर्मी रक्षा सेना के सेनापति औगसेन से गवाह ने एक बार भेंट की थी ।

प्रश्न—आजाद हिन्द फौज के उद्देश्य क्या थे ?

उत्तर—मुख्य उद्देश्य तो भारत को स्वतन्त्र करने के लिये अंग्रेजों से लड़ना था । दूसरा उद्देश्य मलाया, बर्मा और सुदूर पूर्व के भारतीयों की रक्षा करना था । इन कामों में सरकार की सहायता करने के लिये आजाद-हिंद-फौज के पास समय नहीं था, पर बाद में अप्रैल १९४४ में जाकर यह करना अत्यावश्यक होगया । अप्रैल १९४५ में आजाद हिन्द फौज ने बर्मा के भारतीयों को एकत्र करने में सहायता दी । यह सहायता वह ३ मई १९४५ तक देती रही, जब कि रंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया ।

प्रश्न—इन स्थानों पर जापानी अधिकार होजाने के बाद क्या वहाँ काफी व्यवस्था होगई थी ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—जहाँ तक भारतीयों का सम्बन्ध था, व्यवस्था जारी करने में किसका हाथ था ?

उत्तर—अस्थायी-आजाद-हिंद सरकार ने भारतीयों की रक्षा का प्रयत्न किया था, पर मैं नहीं कह सकता कि आजाद-हिंद-फौज ने इस दिशा में क्या काम किया, गवाह ने कहा १५ फरवरी १९४२ को सिंगापुर की ब्रिटिश फौज के आत्मसमर्पण के बाद ३ या ४ युद्धबंदी शिविर खोल गये थे। बन्दियों के अस्पताल भी थे, जिनमें प्रत्येक में उनकी संख्या ५०० से ७०० तक थी। इन बन्दियों से यह भी कहा गया था कि यदि वे आजाद हिन्द सेना के सैनिक नहीं बने रहेंगे तो उन्हें बिलादरी के अस्पताल में नहीं भेजा जायेगा। उनमें से कुछ ऐसे भी थे, जिन्हें विक्टोरिया पदक भी मिल चुका था। उनके नाम मैं भूल रहा हूँ। अस्पताल छोड़ने के बाद गवाह ने स्वेच्छा से आजाद हिन्द फौज में कार्य नहीं किया।

जज एडवोकेट के पूछने पर गवाह ने कहा कि बिलादरी अस्पताल छोड़ने के बाद मैं स्वेच्छा से आजादहिन्द फौज में भर्ती नहीं हुआ था। भर्ती होने के बाद मैं स्वेच्छा से ही उसमें बना रहा।

श्री देसाई—क्या उस समय तक वे सब लोग भाग चुके थे जिन्हें उपर्युक्त अस्पताल में नहीं भेजा जा रहा था ?

उत्तरः—जब हम से यह कहा गया कि रोगी होने पर भी हमें चिकित्सा के लिए अस्पताल नहीं भेजा जायगा तो, मैंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में मैं आजाद-हिन्द-फौज में रहने को तैयार नहीं हूँ।

आगे चलकर गवाह ने कहा कि पहली आजाद-हिन्द फौज

दिसम्बर १९४२ में भंगकर दी गई थी। उसके सेना नायक कप्तान मोहनसिंह थे। उन्हें दिसम्बर १९४२ में जापानियों ने गिरफ्तार कर लिया था। हमारा जापानियों से कुछ मतभेद था पर आजादहिन्द फौज कप्तान मोहनसिंह की गिरफ्तारी के बाद भंग की गई थी। गिरफ्तारी के पहले मोहनसिंह ने सिंगापुर की सभा में कहा था कि जो कोई मेरे मार्ग में बाधक होगा, उससे मैं लोहा लेने को तैयार हूँ। उन्होंने जापानियों का तो नाम भी नहीं लिया पर उनका संकेत उन्हीं की ओर प्रतीत होता था। इसके बाद गवाह का वक्तव्य उसे पढ़ कर सुना दिया गया। और उसने अपने स्वीकृति सूचक हस्ताक्षर कर दिये।

प्रश्नः—आपने प्रश्नोत्तर की दर्ज की हुई भाषा पर कोई आपत्ति नहीं उठाई ?

उत्तरः—शायद इसका मुझे खयाल ही नहीं आया। मेरा इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि भाषा गलत दर्ज की गई थी। मैंने जो कुछ कहा था वह मुझे स्मरण है।

प्रश्नः—क्या उस समय यह भावना प्रचलित थी कि जापानियों द्वारा किसी तरह दबाये जाने की हालत में आजादहिन्द फौज का अस्तित्व नहीं रहना चाहिये ?

उत्तरः—उस समय ऐसी कोई भावना नहीं थी। कप्तान मोहनसिंह की गिरफ्तारी के बाद ही ऐसी स्थिति आई थी। कप्तान मोहनसिंह ने हमें लिखित आदेश दे रखा था कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आजादहिन्द फौज भंग कर दी जाये। ये आदेश एक सीलबन्द लिफाफे में रख दिये गए थे, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही खोला जा सकता था। आजादहिन्द फौज को जापानियों के आधीन न करने का निश्चय तो शुरू से ही था। जब दूसरी आजाद

हिन्द सेना का निर्माण हुआ तब भी यही निश्चय किये हुए थे। १९४३ में सुभाष बोस के आगमन होने पर सभी यह सोचने लगे कि अब हमें एक ऐसा नेता प्राप्त होगया, जो जापानियों के सामने बिना झुके हमारा नेतृत्व कर सकता। गवाह ने आगे चलकर बताया कि इसके बाद दोनों सेनायें संयुक्त होगईं। आज़ाद हिन्द सेना की शिक्षा दीक्षा जापानियों द्वारा नहीं थी, बल्कि भारतीय अफसरों द्वारा होती थी। आज़ादहिन्द फौज का झंडा कांग्रेस का तिरंगा झण्डा था और उनके बिल्ले जापानियों के बिल्लों से भिन्न थे। दूसरी आज़ादहिन्द सेना ने उस बिल्ले का भी व्यवहार छोड़ दिया था, जिसमें सुर्ख रंग का एक तारा था और जिसका अग्र भाग लाल रंग का था। गवाह के पहिचान के लिये जो चित्र दिखाये गये थे, उन्हें श्री देसाई ने पेश किया। आज़ाद हिन्द सेना के कवायद के चित्र को, जिसमें सुभाष बोस उपस्थित थे, गवाह नहीं पहिचान सका, पर एक दूसरे चित्र को उसने पहिचान लिया, जिसमें सुभाषचन्द्र बोस और आज़ाद हिन्द सरकार के सदस्य उपस्थित थे। इसी सिलसिले में श्री देसाई ने सामूहिक कवायद के एक चित्र को उपस्थित किया जिसमें सुभाषचन्द्र बोस, कप्तान सहगल के साथ उपस्थित थे जिसे गवाह ने पहिचान लिया था।

गवाह ने आगे कहा कि मैंने सिंगापुर में आज़ाद हिन्द सरकार द्वारा प्रकाशित 'जय हिन्द' साप्ताहिक अखबार भी देखा था पर मुझे यह पता नहीं कि आज़ाद हिन्द सरकार 'पूर्ण स्वराज्य' नामक एक दैनिक पत्र भी प्रकाशित करती थी या नहीं। आज़ाद हिन्द सेना में लेफ्टिनेन्ट को ८० रुपये, कप्तान को १७५ रुपये, मेजर को मलाया में १८० रुपये और बर्मा में २३० रुपये और लेफ्टिनेन्ट को ३०० रुपये और कर्नल को ४०० रुपये,

मासिक वेतन मिला करता था। जब गवाह ने यह कहा कि जापानियों की प्रगति होने पर कई लोग बर्मा छोड़ कर जाने लगे तब एडवोकेट जनरल ने पूछा—

प्रश्न—यह आप कैसे जानते हैं ?

उत्तर—बर्मा और भारत में यह साधारणतया ज्ञात था।
श्री देसाई—बर्मा छोड़कर जाने वालों की सम्पत्ति की रक्षा क्या 'हिन्दुस्तान आजाद लीग' किया करती थी ?

उत्तर—मुझे यह नहीं मालूम। गवाह ने आगे कहा कि जापानी अधिकार हो जाने के बाद ऐसे कोई पत्र व्यवहार का मुझे पता नहीं जिसमें हिन्दुस्तान आजाद लीग की व्यवस्था को जारी रखने के लिये सहायता देने को कहा गया हो। मैं इस अवसर पर उपस्थित था जब आजाद हिन्द सरकार को एक बड़ी रकम देने के उपलक्ष में हबीब को एक 'सेवकी पदक' समर्पित किया था। मुझे यह मालूम नहीं कि वह रकम एक करोड़ की थी ?

तत्पश्चात् सरकारी वकील सर एन० पी० इञ्जीनियर ने गवाह से जिरह की। गवाह ने आगे कहा कि मार्च १९४३ में मैं सिलिवरी में अस्पताल में था। उस समय हमारे नायक—अफसर ने कहा कि उन रोगियोंको, जो आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने को तैयार नहीं, ऐसे शिविरों में भेज दिया जायेगा, जहाँ अस्पताल की सुविधायें नहीं हैं। इस पर गवाह आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने को राजी हो गया। गवाह ने आगे कहा कि अण्डमान और निकोबार द्वीप जापानी सरकार द्वारा आजाद हिन्द सरकार के हवाले कर दिये गये थे। जब कर्नल लोकनाथन वहाँ गये तो वे अपने साथ केवल एक दो अफसरों और चार पाँच क्लर्कों को साथ ले गये थे। इन द्वीपों पर आजाद हिन्द फौज की कोई टुकड़ी नहीं थी।

प्रश्न—आपने कहा था कि आजादहिन्द और जापानी सेना दो मित्रों की भांति कार्य करती थीं। इससे आपका क्या आशय है ?

उत्तर—मेरा आशय था कि वे समान साझेदारों की तरह व्यवहार करते थे।

कोर्ट प्रेसिडेंट के पूछने पर गवाह ने बताया कि जापानियों द्वारा रंगून छोड़ने के बाद और ब्रिटिश अधिकार हो जाने से पहिले हिन्दुस्तानियों की बर्मी लोगों से रक्षा आजादहिन्द फौज ने ही की थी। जज एडवोकेट के पूछने पर गवाह ने कहा कि कप्तान शाहनवाज कर्नल का बिल्ला, कप्तान सहगल लेफ्टिनेन्ट कर्नल का बिल्ला और कप्तान ढिल्लन मेजर का बिल्ला पहिने हुये थे। इनके तथा अन्य अफसरों के हस्ताक्षर भी गवाह ने देखे थे। गांधी रेजीमेंट की संख्या जहां घट गई थी, वहां नेहरू रेजिमेंट की संख्या पूरी थी। कप्तान सहगल दिसम्बर १६४३ या जनवरी १६४४ में रंगून आये थे जब कि आजाद फौज का केन्द्रीय दफ्तर रंगून चला गया था। गवाह ने कहा कि तीनों अभियुक्त २१ अक्तूबर १६४३ की सभा में उपस्थित थे, पर उन्होंने सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग नहीं लिया। इसके बाद लेफ्टिनेन्ट नाग हट गये और सरकारी वकील ने कप्तान दरगर की यह गवाही दिलानी चाही कि युद्धबन्दियों को आजादहिन्द फौज में भर्ती करने के लिये कष्ट दिये गये।

श्री देसाई ने इस पर आपत्ति की और कहा कि यह गवाही यहाँ असंगत है।

तब जज एडवोकेट ने कहा कि चूंकि अभियुक्त पर सम्राट के विरुद्ध लड़ाई करने का जो अभियोग है, उसका भाग यह है कि

अभियुक्तों ने आजादहिन्द फौज के लिये भर्ती की, इसीलिये इस्तगासे को यह गवाही दिलाने का अधिकार है कि यह भर्ती किन अवस्थाओं में की गई और भर्ती के समय किस अवसर पर अभियुक्त मौजूद थे या नहीं ? अभियुक्तों ने अपने भाषण में युद्धबन्दियों के कष्टों की चर्चा करते हुये उन्हें आजाद फौज में भर्ती होने के लिये कहा ।

श्री देसाई ने आपत्ति की कि दूसरों के द्वारा युद्धबन्दियों को दिये जाने वाले कष्टों से अभियुक्त परिचित थे, यह अभियुक्तों का कोई अपराध नहीं है । इस अपराध का कोई आरोप भी नहीं है । इस्तगासा इन अत्याचारों का दोष उन पर नहीं लगा सकता जिनके बारे में उन्होंने सुना था । ऐसे मामलों और भाषणों में, जो स्वीकार भी नहीं किये गये हैं । अत्याचारों की कोई बात नहीं कही गई है, केवल कठिनाइयों की बात कही है । यह गवाही केवल अभियुक्तों के खिलाफ द्वेष पैदा करने के लिये की जा रही है ।

अदालत इस मुद्दे पर विचार करने के लिये कुछ देर के लिये उठ गई और उसके बाद घोषित किया गया कि मलाया और बर्मा में हिन्दुस्तानी युद्धबन्दियों ने जो कठिनाइयां उठाई है उनके बारे में गवाही ली जानी चाहिये ।

इसके बाद अदालत दूसरे दिन के लिए स्थगित हो गई ।

आजाद हिन्द सरकार की घोषणा

आजाद हिन्द फौज के अफसरों के मुकदमे में सफाई के वकील श्री भूलाभाई देसाई ने लेफ्टिनेंट नाग से जिरह करते हुये आजाद हिन्द सरकार की निम्न घोषणा पढ़ कर सुनाई:—

सन् १७५७ में अंग्रेजों द्वारा बंगाल में पहली बार हराये

जाने के बाद भारतीय जनता लगातार एक शताब्दी तक कठोर और भयंकर लड़ाइयाँ लड़ती रही। उन दिनों इतिहास अपूर्व शौर्य और आत्मत्याग के उदाहरणों से भरा पड़ा है। और उस इतिहास के पृष्ठों में बंगाल के सिराजुद्दौला और मोहनलाल, दक्षिण भारत के हैदरअली, टीपूसुलतान, और वेलू ताम्बे, महाराष्ट्र के अप्पा साहब भोंसले और पेशवा बाजीराव, अवध की बेगमों, पंजाब के सरदार श्यामसिंह अटारी वाले और इनके अतिरिक्त, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांतियां टोपी उमराव के महाराज कुंवरसिंह और नाना साहब आदि योद्धाओं के नाम अमिट स्वर्णाक्षरों में लिखे हैं। हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूर्वजों को यह अनुभूति पहले नहीं हुई कि अंग्रेजों से समस्त भारतवर्ष को महान् संकट है और इस लिये इन्होंने उस शत्रु का संगठित रूप से सामना किया। अन्त में जब भारतीय जनता को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह मिल कर आगे बढ़ी, और सन् १८५७ के बहादुरशाह के नेतृत्व में भारतवासियों ने स्वतन्त्र जनता के रूप में अपनी अन्तिम लड़ाई लड़ी। इस युद्ध के शुरू के हिस्से में भारतीयों को कई बड़ी भव्य सफलताएँ प्राप्त हुईं किन्तु दुर्भाग्य और दोषपूर्ण नेतृत्व के कारण उन्हें अन्त में पूर्ण पराजय और दासता स्वीकार करनी पड़ी। फिर भी झाँसी की रानी, तांतिया टोपी, कुँवरसिंह और नाना साहब जैसे योद्धा आज भी राष्ट्रीय क्षितिज में अमर तारकों की भांति दैदीप्यमान हैं और हमें त्याग तथा वीरत्व के महानतर कार्यों के लिये प्रेरणा भर रहे हैं।

सन् १८५७ के बाद अंग्रेजों द्वारा बलात् निःशस्त्र किए जाने और आतंक और क्रूरता से दबाने पर कुछ दिनों तक भारतीय जनता दबी पड़ी रही किन्तु सन् १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय

कांग्रेस के जन्म के साथ ही एक नई जाग्रति फैल गई। सन् १८८५ से लेकर पिछले विश्वव्यापी युद्ध के अन्त तक भारतीय जनता ने अपनी खोई स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा में सभी युक्तियों का प्रयोग किया, आन्दोलन चलाये, प्रचार किये ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया, भय दिखलाये, तोड़ फोड़ की और अन्त में सशस्त्र क्रान्तियां भी की। किन्तु उस समय ये सभी क्रियायें निष्फल रहीं। अन्त में सन् १९२० में जब भारतीय जनता विफलता की भावना से आक्रान्त होकर एक नई युक्ति ढूंढने का प्रयास कर रही थी, महात्मा गांधी असहयोग और सविनय अवज्ञा के नये शस्त्र लेकर आगे आए।

उसके पश्चात बीस वर्ष तक भारतवासी प्रबल देश भक्ति के साथ कार्य करते रहे। स्वतन्त्रता का सन्देश भारतवर्ष के घर २ तक पहुँचाया गया। खुद तकलीफें उठाकर जनता को स्वतन्त्रता के लिये कष्ट उठाना सिखाया गया और त्याग करना और मर मिटना भी सिखाया। केन्द्र से लेकर दूर-दूर तक के गाँवों तक जनता राजनीतिक संगठन के एक सूत्र में बांध दी गई। इस प्रकार भारतवासियों ने न केवल अपनी राजनैतिक चेतना को पुनः प्राप्त कर लिया, बल्कि उनकी राजनैतिक-सत्ता भी एक बार फिर से स्थापित हो गई। अब वे एक स्वर होकर बोल सकते थे और संगठित आत्मबल के साथ अपने समान-ध्येय को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते थे। सन् १९३७ से १९३९ तक, आठ प्रांतों के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित किया कि वे अपने कार्यों की स्वयं व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं और इसके लिये उनमें योग्यता भी है।

इस प्रकार वर्तमान महासमर के शुरु होने से पहले भारत की आजादी की आखरी लड़ाई की रूपरेखा तैयार होगई

इस युद्ध में जर्मनी ने अपने साथियों की सहायता से यूरोप में अपने शत्रु पर विनाशकारी प्रहार किये हैं। इधर पूर्वी एशिया में जापान ने अपने मित्रों के साथ हमारे शत्रु पर आघात किये हैं। स्थिति के इस सुखद योग के कारण आज भारतवासियों के सामने अपने राष्ट्र को मुक्त कराने का बड़ा ही अच्छा अवसर है।

आज के इतिहास ने पहली बार प्रवासी भारतीयों में भी राजनीतिक —चेतना जाग्रत हुई है और वे एक सूत्रबद्ध हैं। न केवल वे अपने भारतनिवासी बंधुओं के साथ हृदय से हृदय मिलाकर सोच और अनुभव कर रहे हैं बल्कि उनके पैर से पैर मिलाकर स्वतन्त्रता के पथ पर भी बढ़ रहे हैं। विशेषतः पूर्वी एशिया में आज २० लाख से भी अधिक भारतीय पूर्ण सैनिक करण के नारे से प्रेरित होकर एक शक्ति शाली व्यूह में संगठित हैं और उसके सामने भारत को आज़ाद करने वाली सेनाओं के व्यूह खड़े हैं जिनकी ज़बान पर है। "आगे दिल्ली की ओर बढ़ो।"

ब्रिटिशराज्य ने अपने पाखंड से भारतीयों को साहसिक बना दिया है उसने उन्हें लूट खसोट कर उपवास और मृत्यु की गोद में डाल दिया है और इस प्रकार उसने भारतवासियों की सद्भावना बिल्कुल खोदी है। वह अब संकटापन्न स्थिति में है। दुखदराज्य के भग्ना-वशेष को नष्ट करने के लिये केवल एक चिनगारी की जरूरत है। उस चिनगारी को सुलगाने का काम आजाद हिन्द फौज का है। इस सेना को भारतीय जनता और ब्रिटिश अधिकार में कार्य करने वाली भारतीय सेनाओं के बहुत से सैनिकों से भी उत्साहपूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है। साथ ही साथ उसे अपने अजेय विदेशी मित्रों का जो सहारा है तथा, इन सब से अधिक, उसे जिस निजी बल का आश्रय है, उनसे उसे पूर्ण विश्वास है कि वह इतिहास में अपना कार्य पूरा कर लेगी।

आज जब कि स्वतन्त्रता का उषाकाल निकट है, भारतवासियों का कर्तव्य है कि वे अपनी निजी अस्थायी सरकार बनावें और उसी सरकार के झंडे के नीचे आखिरी धावा बोलें। किन्तु सभी भारतीय नेताओं के जेल में बन्द होने की वजह से, जनता के निशस्त्र बना दिये जाने की वजह से, अस्थायी सरकार बनाना और उसके निर्देशानुसार शस्त्र युद्ध शुरू करना संभव नहीं है। इसीलिये यह पूर्वी एशिया के भारत-स्वतंत्र संघ का कर्तव्य है कि वह आजाद भारत की अस्थायी सरकार के निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले और आजाद हिन्द फौज की सहायता से, जो संघ द्वारा स्थापित की गई है, स्वतन्त्रता की अंतिम लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाये।

पूर्वी एशिया के भारत-स्वतन्त्र-संघ द्वारा आजाद हिन्द फौज की अस्थायी सरकार के स्थापित होने पर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने के लिये आगे बढ़ते हैं। मातृ भूमि की मुक्ति के इस युद्ध में हम परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद की याचना करते हैं। और हम मातृभूमि की आजादी, समृद्धि और संसार के राष्ट्रों में उसका मान बढ़ाने के लिये अपने और अपने साथी सैनिकों का जीवन समर्पण करने का व्रत लेते हैं।

भारत से अंग्रेजों तथा उनके मित्रों को निकाल ने के लिये अस्थायी सरकार उनके विरुद्ध संग्राम छेड़ेगी। इसके उपरान्त इसका काम होगा कि स्वतन्त्र भारत में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे। जिसमें जनता का विश्वास हो और जो उसकी इच्छानुसार बनाई गई हो।

अंग्रेज और उनके मित्रों की पराजय हो जाने के बाद भारत

में स्थायी आजाद हिन्द राष्ट्रीय सरकार के बनने तक, अस्थायी सरकार भारत की जनता के हितार्थ शासन प्रबन्ध करती रहेगी।

अस्थायी सरकार विश्वास करती है और यह दावा करती है कि सभी भारतीय उसके प्रति वफादार हैं। यह सरकार सभी को धार्मिक स्वतन्त्रता तथा समस्त जनता को समान अधिकार देगी। यह अपने इस निश्चय की घोषणा करती है कि वह राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को पूर्ण सुखी रखेगी, देश के सभी शिशुओं व बच्चों को समान संरक्षण देगी और उन समस्त भेद-भावों को जो अब तक विदेशी शासन द्वारा कूटनीति से फैलाये गये थे, समूल मिटा देगी।

हम भगवान का नाम लेकर, अपनी उन बीती हुई पीढ़ियों के नाम पर जिन्होंने भारतीय जनता को एक राष्ट्र बनाया है, और उन शहीदों के नाम पर जिन्होंने वीरत्व और बलिदान की परम्परा को स्थापित किया है, देश वासियों को आमंत्रण देते हैं कि वे आज अपने देश की स्वतन्त्रता पाने के हेतु इस झंडे के नीचे संगठित हों। और अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई करें. हम उनका आह्वान करते हैं कि वे अंग्रेज सत्ता और उनके सभी मित्रों के विरुद्ध अपने इस अंतिम संग्राम के लिये वीरता और धीरता के साथ विजय में पूर्ण विश्वास रख कर पूरी शक्ति लगादें। हमारा यह संग्राम तब तक जारी रहे जब तक हम अपने शत्रु को देश से बाहर न निकाल दें और इस प्रकार भारत को फिरसे आजाद देश न बनादें।

आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार की ओर से हस्ताक्षरित।

(१) श्री सुभाषचन्द्र बोस (राष्ट्र के प्रधान, प्रधान मन्त्री, युद्ध और विदेश विभागों के मन्त्री) (२) कप्तान कुमारी लक्ष्मी

बाई (महिला दल) (३) एम० ए० एय्यर (जन-सूचना विभाग) (४) लेफ्टिनेन्ट कर्नल ए० सी० चटर्जी (अर्थ-विभाग) (५) लेफ्टिनेन्ट कर्नल अजीज अहमद, (६) लेफ्टिनेन्ट एन० एस० भगत, (७) लेफ्ट० कर्नल जे० के भोंसले, (८) लेफ्ट० क० गुलजारासिंह (९) लेफ्ट० क० एम० जेड० कियाना, (१०) लेफ्ट० क० ए० डी० लोकनाथन (११) लेफ्ट० क० अहसान कादिर (१२) लेफ्ट० क० शाहनवाज (सेना के प्रतिनिधि) (१३) ए० एम० सोह, (सेक्रेटरी) (१४) श्री रासबिहारी बोस (प्रधान सलाहकार) (१५) करीम ज्ञानी (१६) देवनाथदास (१७) डी० एम० खान, (१८) ए० गल्लाया (१९) जे० थीवी (२०) सरदार ईश्वरसिंह (सलाहकार) (२१) ए० एन सरकार (न्याय सम्बन्धी सलाहकार)

एयोवन, २१ अक्तूबर १९४३.

२२ नवम्बर १९४५

युद्ध बन्दी शिविरों में सैनिकों के उत्पीड़न की कहानी

सरकारी और सफाई के वकीलों में बार बार झड़प।

२२ नवम्बर को १०॥ बजे फिर मुकदमे की सुनवाई हुई। आज की कार्यवाही प्रारम्भ से अन्त तक मनोरंजक रही क्योंकि सरकारी व सफाई के वकीलों में बार-बार झड़पें हुईं।

अदालत ने कल सफाई के वकील श्री भूलाभाई देसाई की आपत्ति को रद्द करके यह फैसला किया था कि, "मलाया व बर्मा में भारतीय युद्ध बन्दियों ने जो कष्ट उठाये हैं उनके बारे में गवाही लेनी चाहिये" इसलिये इस्तगासे के दूसरे गवाह कप्तान धारगलकर को गवाही देने के लिये बुलाया गया।

दूसरे गवाह के० पी० धारगलकर की गवाही

कप्तान धारगलकर ने, जो तृतीय रिसाले से सम्बन्ध रखता था, कहा, "मैं १९३१ में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और मैंने मलाया की लड़ाई में भाग लिया था। १६ फरवरी १९४२ को, जब अंग्रेजों ने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण किया, मैं सिंगापुर में था। मैंने आजाद हिन्द फौज से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रखा।

सर एन० पी० इञ्जीनियर (सरकारी वकील), "क्या तुमने

इसके बनाने या विरोध करने में भाग लिया था ?"

गवाह—मैंने अपनी रेजीमेंट तथा अन्य व्यक्तियों को आजाद हिन्द फौज में शामिल होने से रोका था।" गवाह ने अपने बयान को जारी रखते हुये कहा कि मुझे १००० अन्य आदमियों के साथ भारी 'मेहनत' के लिये थाईलैंड भेजागया। हम अप्रैल १९४२ में थाईलैंड पहुँच गये थे। थाईलैंड में युद्ध बन्दी शिविर के आठ भारतीय अफसरों में से ६ अफसर २१ अप्रैल को उस स्थान में ले जाये गये जिसको कि जापान खुफिया (गेस्टापो) का सदर मुकाम कहना चाहिये।

सरकारी वकील-नजर बन्दी शिविर को क्या कहा जाता था ?

गवाह—उसे केनविडाई कहा जाता था। श्री देसाई ने हस्तक्षेप करते हुये कहा यदि मेरे मित्र हमारा मनोरंजन करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह बिल्कुल वृथा गवाही है। जज एडवोकेट ने सरकारी वकील से कहा भूमिका को संक्षिप्त ही रखिये।

सरकारी वकील—वहाँ किस भांति का व्यवहार किया गया ?

श्री देसाई—क्या इनका अभियुक्त से कुछ सम्बन्ध है ? यदि कोई शिकायत है तो वह जापानियों के विरुद्ध है। इस पर सरकारी वकील और प्रश्न न पूछने पर रजामन्द हो गये। गवाह ने आगे चल कर बताया कि वह १४ जुलाई १९४२ को रिहा हुआ था और उसे सिंगापुर ले जाया गया। वहाँ उसे युद्धबन्दियों तथा स्वयं सेवकों के मिश्रित शिविर में रखा गया।

सरकारी वकील—क्या तुमको आजाद हिन्द फौज में शामिल करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया ?

श्री देसाई—मैं ज्यादा चुप नहीं बैठ सकता। इससे अभियुक्तों का संबन्ध है।

जजएडवोकेट ने सर एन० पी० इंजीनियर से कहा, "यह अच्छा होगा कि आप अपनी भूमिका वाले भाग को छोटा करें। नजरबन्दी शिविरों की स्थिति के बारे में सरकारी वकील ने कितने ही प्रश्न पूछे। गवाह ने सिंघाड़ा सिंह तथा फतेह खां के विरुद्ध, जिनके नियन्त्रण में शिविर था, अभियोग लगाये। श्री आसफअली ने जो कि दूसरे मुकदमें में सिंघाड़ासिंह तथा फतेह खाँ के वकील हैं, विरोध प्रगट करते हुये कहा कि इस अदालत में उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगा कर उनके मुकदमे को पहिले से ही उनके विपक्ष में करना बहुत ही अनुचित है।

अदालत दस मिनट के लिये स्थगित हो गई और फिर कार्यवाही शुरू होने पर यह घोषित किया कि उक्त दो अफसरों के नाम लिये जायँ। सरकारी वकील ने फिर गवाही शुरु करते हुये पूछा-क्या कोई अभियुक्त वहां आया?

गवाह—मुझे याद है शाहनवाज तथा सहगल वहां आये। मैं इन दो अफसरों को पहचानता हूँ। इस पर जजएडवोकेट ने कड़ाई के साथ गवाह से उनको "अभियुक्तों" कहने को कहा न कि "अफसर"। सरकारी वकील द्वारा और प्रश्न किये जाने पर गवाह ने कहा कि आजादहिन्द फौज के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक शिविर में उसने युद्धबन्दियों के साथ बुरा व्यवहार होते तथा उनको पीटते देखा।

यह पूछे जाने पर कि क्या गवाह ने अभियुक्तों को देखा था। कप्तान धारगलकर ने कहा "मुझे याद है कि कप्तान शाहनवाज व कप्तान सहगल हमारे शिविर में आते थे और वे लोग आजाद हिन्द फौज में शामिल होने के लिये कहा करते थे।" श्री देसाई

की जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया कि जिस शिविर में वे रहते थे, उसमें फासिस्टवाद व प्रजातन्त्र के विषय पर साधारणतया बहस हुआ करती थी। बहस का विषय केवल आज़ाद-हिन्द-फौज ही नहीं होता था और वह उनमें भाग नहीं लेता था, नहीं उसे उनमें भाग लेने के लिये बुलाया जाता था। गवाह को यह याद नहीं कि उस बहस में किसी विशेष व्यक्ति ने क्या कहा था, वह छिप कर ही उनकी बातें सुना करता था और उसे यह याद नहीं कि कप्तान शाहनवाज ने क्या कुछ कहा था।

श्री देसाई—"तुमने कप्तान सहगल से कितनी बार बातें की थी?"

गवाह—"दो बार।"

श्री देसाई—"कब और कहां?"

गवाह—"एक बार कर्नल भोंसले के निवास स्थान पर बातें हुई थीं। इस से अधिक मुझे याद नहीं।"

श्री देसाई—"वे स्वयं सेवक थे, जैसा कि शब्द से प्रगट होता है।"

गवाह—"हाँ।"

गवाहने आगे कहा-"जब मुझे थाईलैंड से वापिस लाया गया तो जापानी अफसरों ने मुझ से कहा कि भारतीय युद्ध बन्दी आज़ाद हिन्द फौज के कप्तान मोहनसिंह को सौंप दिये गये हैं जिस शिविर में मुझे अलग रखा गया था, उसमें किसी क़ैदी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया।" श्री देसाई की जिरह पर गवाह ने आगे कहा कि लेफिटनेन्ट कर्नल हण्ट द्वारा सिंगापुर में मेजर फ़ूजीवारा के सामने आत्म समर्पण के बाद जापानियों ने ब्रिटिश व भारतीय सैनिकों को अलग २ कर दिया था। जिन लोगों ने स्वेच्छा से आज़ाद

हिन्द फौज में भर्ती होना चाहा, उन्हें अन्य सैनिकों से अलग-अलग कर दिया गया। आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती न होने वाले भारतीयों को जापानियों की देख रेख में रखा गया। जज एडवोकेट के हस्तक्षेप करने पर गवाह ने अपने उत्तर में संशोधन करते हुये कहा कि, "मुझे यह नहीं मालूम कि लोग आजाद-हिन्द-फौज में स्वेच्छा से भर्ती हुये थे, लेकिन वह स्वेच्छा से भर्ती होने वाली सेना कहलाती थी। सफाई के वकील के अन्य प्रश्नों के उत्तर में गवाह ने यह स्वीकार किया कि मैं युद्ध बन्दियों के बडे शिविर में स्वयं नहीं गया था, क्यों कि वह १५० गज की दूरी पर था। मुझे यह निश्चित रूप से नहीं मालूम कि कप्तान शाहनवाज ने अफसरों को आजाद-हिन्द-फौज में शामिल होने के लिये कहा था या नहीं।

सिंगापुर के पतन से लेकर बैंकाक सम्मेलन तक की कहानी

आजाद-हिन्द-फौज में जबरन भर्ती नहीं हुई। लोग स्वेच्छा से उसमें शामिल हुए।

तीसरे सरकारी गवाह सूबेदार मेजर बाबूराम की गवाही

कप्तान धारगलकर की गवाही के बाद तीसरे गवाह की गवाही हुई। चूँकि यह गवाह अँग्रेजी काफी नहीं जानता था, इसलिये एक दुभाषिये को बुलाया गया। अदालत ने तीनों अभियुक्त अफसरों से पूछा कि उन्हें सूबेदार मेजर करतारसिंह को एक दुभाषिया बनाने पर कोई आपत्ति तो नहीं है। उत्तर में कप्तान शाहनवाज और कप्तान सहगल ने कहा, "हमें कोई आपत्ति नहीं है।" लेकिन लेफिटनेन्ट ढिल्लन ने कहा, "इस समय तो मुझे आपत्ति नहीं है किन्तु यदि दुभाषिया योग्य साबित नहीं हुआ तो आगे मुझे आपत्ति हो सकती है।"

जजएडवोकेट ने कहा—"योग्यता का फैसला अदालत करेगी।" गवाह सूबेदार मेजर बाबूराम ने कहा—"युद्ध शुरू होने के समय मैं सूबेदार मेजर था। मलाया में ब्रिटिश फौजों के पीछे हटने के समय मुझे वापिस सिंगापुर लाये जाने की आज्ञा दी गई। १६ फरवरी को हमारा डेरा बिदादरी में था। इसी दिन सिंगापुर ने आत्मसमर्पण किया था"। मेजर बाबूराम ने अपनी गवाही देते हुये कहा:—जब मेरी बटेलियन सिंगापुर पहुँची तो अनेक सैनिकों के हताहत होने के कारण बटेलियन के काफी सैनिक कम हो गये थे। जब यह बटेलियन सिंगापुर के अड्डे पर पहुँची तो इसे ५ (१४) पंजाब रेजिमेंट से मिला दिया गया। ५ फरवरी को मेरी बटेलियन अलटाफ बाग में थी। और उस समय हमें आज्ञा मिली कि सिंगापुर ने शत्रुओं के सामने आत्म समर्पण कर दिया है और बटेलियन के तमाम हथियार एक स्थान पर जमा कर दिये गये और जापानी लोग उन्हें ले गये। १६ फरवरी को आज्ञा मिली कि तमाम भारतीय फौज बिदादरी शिविर में भेज दी जाय। इन तमाम सेनाओं को वहाँ भेज दिया गया।

भारतीयों को जापान के हवाले किया जाये

कप्तान ए० जेडाकियानी के सेनापतित्व में मेरी बटेलियन कैम्प से फैरेज पार्क पहुँची। वहाँ कई युद्धबन्दी मौजूद थे। दोपहर बाद २ या ३ बजे लगभग १६,००० युद्धबन्दी वहाँ जमा हो गये। उस पार्क में एक इमारत थी। उस इमारत की पहिली मञ्जिल के छज्जे पर कुछ अफसर बैठे थे। उनमें ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेन्ट कर्नल हण्ट, कुछ जापानी व भारतीय अफसर भी थे भारतीय अफसरों ने हिन्दुस्तानी फौज की वर्दियां पहिन रखी थी। उनके कुर्त्तों पर सफेद बिल्ले थे, जिन पर अंग्रेजी का 'एक' अक्षर था।

कर्नल हंट ने माईक्रोफोन पर बोलते हुये तमाम युद्धबन्दियों को खड़े हो जाने की आज्ञा दी। बाद में उन्होंने सबको सावधान हो कर खड़े हो जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आपलोगों को युद्धबन्दियों की शक्ल में जापानी सरकार के हवाले करता हूँ। आप लोगों को उसी तरह जापान सरकार की आज्ञा का पालन करना चाहिये, जिस तरह की ब्रिटिश सरकार की आज्ञा माना करते थे। यदि आपलोगों ने ऐसा न किया तो सजा मिलेगी। इस पर लेफ्टिनेन्ट कर्नल हंट ने कुछ कागज मेजर फूजीवाड़ा के हवाले कर दिये।

युद्धबन्दी नहीं आजाद व्यक्ति

इसके बाद मेजर फूजीवाड़ा माईक्रोफोन पर आये। उन्होंने जापानी भाषा में एक भाषण दिया। उसका अनुवाद अंग्रेजी व हिन्दुस्तानी में कर दिया गया। अपने भाषण में उन्होंने कहा था

"जापान सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आप लोगों को ले जाऊँगा। मेरी सरकार आप लोगों को आजाद समझ कर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, युद्धबन्दी समझ कर नहीं। जापान के पास अन्न की कमी है, इसलिये युद्धबन्दियों को मशक्कत करनी होगी। मैं आप लोगों को कप्तान मोहनसिंह के सुपुर्द करूँगा और वे आपके सुप्रीम कमाण्डर होंगे।"

कप्तान मोहनसिंह

गवाह ने बताया—कप्तान मोहनसिंह ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें जापानियों के हवाले कर दिया है। जापानी लोग हमें युद्धबन्दी मानने को तैयार नहीं है। जापानियों के पास राशन भी

कम है। वे आज़ाद-हिन्द-फौज का निर्माण करेंगे, जिसका उद्देश्य भारत को आज़ाद करना होगा। मैं युद्धबन्दियों से पूछता हूँ कि क्या वे आज़ाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने को तैयार हैं?

पगड़ियाँ उछलने लगीं

इस पर सबने हाथ उठा लिये और पगड़ियां हवा में उछलने लगीं। इस भांति उन्होंने काफी प्रसन्नता प्रगट की। उन्होंने नारे लगाने शुरू किये लेकिन कप्तान मोहनसिंह ने उन्हें शांत रहने के लिये कहा। आप लोगों को खुशी मनाते देख कर मुझे भी खुशी होती है; मगर शोर मचाने से आज़ादी न मिलेगी। कप्तान मोहनसिंह ने कहा कि अंग्रेज दोष लगाते हैं कि भारतीय फौजों ने मलाया में ज़ोरदार युद्ध नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि हमें किस भांति के हथियार दिये गये थे, हमारे पास कितने टैंक व वायुयान थे? हाँ, मलाया में हमारे पास जोश काफी था। इसके बाद मोहनसिंह ने कुछ जापानियों के साथ हंसी मजाक किया और अपना भाषण समाप्त कर दिया।

गवाह ने आगे कहा कि मैं अपने बटेलियन के साथ फैरेंज पार्क में ही रहा।

लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन का भाषण

गवाह ने आगे बताया कि मार्च के शुरू में लेफ्टिनेंट ढिल्लन मेरी बटेलियन के सामने भाषण देने आये। गवाह ने अदालत में श्री ढिल्लन को पहचान लिया। लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन ने मेरे फौजियों को बताया कि आज़ादहिन्द फौज एक बहुत अच्छा आन्दोलन है और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें शामिल हो जाना चाहिये। लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन मेरी रेजीमेंट में [illegible] थे।

कप्तान शाहनवाज

गवाह ने शाहनवाज को भी पहिचान लिया। गवाह ने कहा मार्च की सभा में कप्तान शाहनवाज ने चार प्रस्ताव पढ़ कर सुनाये जो बिदादरी कैम्प में अफसरों ने पास किये थे। मुझे उनमें से सिर्फ दो ही प्रस्तावों की याद है। एक प्रस्ताव में कहा गया था कि हम सब भारतीय हैं। दूसरे में कहा गया था कि हमें अपने देश को आजाद करने के लिये लड़ना चाहिये। कप्तान शाहनवाज ने हमसे निवेदन किया कि हम इन प्रस्तावों को सभा में दोहरा दें।

अप्रैल में कप्तान शाहनवाज का एक और भाषण हुआ। उसमें आपने कहा था कि वे स्वेच्छा से आजादहिन्द फौज में दाखिल हुये थे। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को आजाद हिन्द फौज में शामिल होने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन जो लोग आजाद-हिन्द फौज में शामिल होना चाहें, उनकी सूची कल शाम तक कैम्प में पहुँच जानी चाहिये। कप्तान शाहनवाज ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी युद्धबन्दी पर आजाद हिन्द फौज में शामिल होने अथवा न होने के लिये दबाव न डाला जाये। अगले दिन शाम को सूची कैम्प में पहुँच गई।

बैंकाक सम्मेलन

इस्तगासे के वकील द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुये गवाह ने बताया कि कप्तान एम० जैड० कियानी के कहने पर मैं बैंकाक सम्मेलन में भी शामिल हुआ, सम्मेलन से पहले और सम्मेलन के प्रथम दिन प्रतिनिधियों को कोई हिदायत नहीं दी गई थी। प्रथम दिन के अधिवेशन विश्राम के समय कप्तान मोहनसिंह ने हमसे कहा कि फौजी प्रतिनिधियों को इस तरह

अनुशासन में रहना चाहिये कि सम्मेलन में ऐतराज करने की अपेक्षा हमें उन्हें पहिले से ही सूचना दे देनी चाहिये और उनके साथ विचार-विमर्ष कर लेना चाहिये।

इस्तगासे के वकील—सम्मेलन में कौन कौन से प्रस्ताव स्वीकृत हुये ?

गवाह—कुछ प्रस्ताव स्वीकृत हुये लेकिन उन सब की मुझे याद नहीं। आगे चलकर गवाह ने आपकी स्मृतिशक्ति के कुछ चमत्कार दिखाये, जब उसने कुछ प्रस्तावों के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि आजादहिन्द फौज खड़ी की जाये, भारतीय स्वाधीनता लीग स्थापित की जाय और उसकी शाखायें सिंगापुर, मलाया, बर्मा, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, फिलिपाइन्स व जापान में खोली जायें।

तीसरे प्रस्ताव में कहा गया था कि स्वाधीनता लीग की शाखाओं को धन संग्रह भी करना चाहिये। आजाद-हिन्द-फौज के लिये लोगों को भर्ती करना भी उनका कार्य होगा। अगले प्रस्ताव में कहा गया था कि आजाद हिन्द फौज कप्तान मोहनसिंह के सेनापतित्व में खड़ी की जायेगी। आजाद-हिन्द-फौज व जापान सरकार के मध्य में एक युद्ध-समिति बनायी जायेगी। श्री रासबिहारी बोस को युद्ध समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके दो फौजी सदस्य थे, कप्तान मोहनसिंह और कर्नल जिलानी। एक और प्रस्ताव में कहा गया था कि जापान ही आजाद-हिन्द-फौज को हथियार मुहैया करेगा। फौज के व्यक्तियों को वेतन भावी भारत सरकार देगी। गवाह ने आगे बताया कि बैंकाक से वापिस लौटने पर वह वहाँ एक वालंटियर की हैसियत से आजाद-हिन्द-फौज में शामिल हो गया। लगभग २५० व्यक्ति

जो आजाद हिन्द फौज में शामिल होने को तैयार नहीं हुये नजरबन्द कैम्प में भेज दिये गये। पहली दिसम्बर १९४२ को आजाद हिन्द फौज का निर्माण हुआ और उसे फौज की प्रथम पैदल पल्टन में तैनात किया गया। दो तीन दिन के बाद ही उन्होंने कवायद करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों बाद ही उन्हें मशीनगनें, पिस्तौल और बन्दूक मिल गई जो सिंगापुर में आत्मसमर्पण करने वाली भारतीय सेना से प्राप्त हुई थीं। उसकी फौज भारतीय फौज की खाकी वर्दी में रहती थी परन्तु उनकी भुजाओं पर आजाद-हिन्द-फौज के चिन्ह लगे रहते थे जो कि कांग्रेसी तिरंगा झण्डा और आई० एन० ए० के अक्षर होते थे। जब आजाद-हिन्द-फौज का निर्माण हुआ तब उसने कप्तान सहगल को एडजुटेंट पद का काम करते हुये देखा था और आगे जिरह करने पर गवाह ने बताया कि आजाद-हिन्द-फौज को कप्तान मोहन की आज्ञा से भंग किया गया क्योंकि यह अनुभव हुआ कि जिस उद्देश्य के लिये फौज संगठित की गई थी, वह उन परिस्थितियों में पूरा नहीं कर सकता था। तब आजाद-हिन्द-फौज का बन्द करने के बाद उनके राशन और अनुशासन सम्बन्धी मामलों को देख रेख रखने के लिये एक प्रबन्ध-समिति बनाई गई। आगे चल कर आजाद-हिन्द-फौज के पुनर्निर्माण का काम पुनः शुरू हुआ। उसने श्री रासबिहारी बोस और उक्त समिति के अन्य अफसरों के दो भाषण सुने। इन भाषणों का उद्देश्य यह था कि उन्हें आजाद-हिन्द-फौज में बराबर बने रहना चाहिये। लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन गैर-स्वयं सेवकों से आजाद हिन्द फौज में दुबारा शामिल होने की अपील करने के लिये आये, परन्तु जब उन्होंने सुनने से इन्कार कर दिया तो वे वहाँ से चले गये। बाद में ३० या ४० गैर-वालंटियरों

ने आजाद-हिन्द-फौज में दुबारा शामिल होने का फैसला किया। गवाह सेलाटर कैम्प में था, जहाँ आजाद हिन्द फौज छोड़ने वाले सब लोग जमा किये हुये थे। ५ मई १९४३ को उसे जहाज द्वारा न्यूगिनी भेज दिया गया, जहाँ एक जापानी कैम्प से वह भाग निकला।

श्री भूलाभाई देसाई के जिरह करने पर सूबेदार मेजर बाबूराम ने कहा कि सिंगापुर के पतन से पहले वह कप्तान शाहनवाज की बटेलियन में था। उसने यह स्वीकार किया कि जब वे पलटनें जिनका संचालन ब्रिटिश अफसरों के हाथों में था, मैदान छोड़चुकी थीं, उसकी कम्पनी ने तब भी लड़ाई जारी रखी थी।

श्री देसाई—कप्तान शाहनवाज को आत्मसमर्पण के बारे में बताया गया, तब उनकी भावनायें क्या थीं। अदालत ने इस प्रश्न पर आपत्ति की। सूबेदार मेजर बाबूराम ने अपनी गवाही में आगे कहा: "कप्तान शाहनवाज खाँ नेसूनशिविर के कमाण्डर थे। उस शिविर में वालंटियर और गैर-वालंटियर साथ २ रहते थे और उन्हें एक ही प्रकार का खाना दिया जाता था। शिविर में लगभग २००० आदमियों की गुंजायश थी; किन्तु उसमें ७००० या ८००० आदमी थे।

श्री देसाई—जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या वहाँ पानी, सफाई या बिजली आदि की व्यवस्था थी।

गवाह—वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी।

प्रश्न—क्या पानी, बिजली और सफाई आदि की व्यवस्था कप्तान शाहनवाज ने की थी और पीछे शिविर में बिजली भी लगाई थी?

गैर-वालंटियरों से समान बर्ताव

गवाह—हाँ। जब कप्तान शाहनवाज ने शिविर का प्रबन्ध हाथ में लिया, उससे पहिले अस्पताल की दशा खराब थी, किन्तु उनके काम संभालने पर वह बहुत अच्छी हो गई थी। वालंटियरों और गैर-वालंटियरों में अस्पताल में भर्ती के बारे में कोई भेदभाव नहीं बर्ता जाता था।

प्रश्न—क्या कप्तान शाहनवाज ने अस्पताल में कुछ रुपया चन्दे में दिया था?

उत्तर—कप्तान शाहनवाज और दूसरे अफसरों ने कुछ रुपया अस्पताल के लिये दिया था और नेसून शिविर में लगभग २,५०० डालर इकट्ठे किये गये थे। मैंने भी ५ डालर चन्दा दिया था। वह रुपया अस्पताल में वालंटियर का भेदभाव किये बिना काम में लाया जाने वाला था।

प्रश्न—क्या आपने कप्तान शाहनवाज को वालंटियर और गैर-वालंटियरों से बात-चीत करते हुये सुना था?

उत्तर—नहीं, मैंने नहीं सुना था।

प्रश्न—आप न्यूगिनी किसकी आज्ञा से भेजे गये थे?

उत्तर—जापानियों की आज्ञा से। जज एडवोकेट ने इसके बाद गवाह से जिरह नहीं की। जज एडवोकेट कर्नल कैरिन ने गवाह से कुछ प्रश्न पूछे।

प्रश्न—क्या आप लेफ्टिनेंट कर्नल हंट को जानते हैं?

उत्तर—मैं उस हंट को जानता हूँ जो जनरल पर्सीविल के स्टाफ अफसर थे। मैंने उन्हें फरार पार्क की सभा में देखा था। वे कोई बिल्ला नहीं लगाये हुये थे।

प्रश्न—सभा में लेफ्टिनेंट हंट ने क्या कहा था ?

उत्तर—मैं जो कुछ कह चुका हूँ उससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं कहा।

प्रश्न—जब आप बैंकाक परिषद में गये तो क्या आपने अभियुक्तों में से किसी को वहाँ देखा था ?

उत्तर—मैंने नहीं देखा।

प्रश्न—क्या आपको निश्चित ज्ञात है कि वे वहाँ नहीं थे ?

उत्तर—मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने अभियुक्तों में से किसी को वहाँ नहीं देखा।

प्रश्न—आप जून १९४२ में आजादहिन्द फौज में क्यों सम्मिलित हुए ?

मैं इच्छा से भर्ती हुआ

उत्तर—मैंने तत्कालीन हालतों को देखा, और सम्मिलित हो गया। मैंने अपने आपको अपनी इच्छा से भारत की स्वतन्त्रता के लिये, और देश को स्वतन्त्र करने के लिये वालंटियर बनाया।

सर एन० पी० इंजिनियर—जब सन् १९४२ में आप वालंटियर बने तो पीछे उसमें शामिल क्यों नहीं हुये ?

उत्तर—जब जापानी आजाद हिन्द फौज को पाँचवें दस्ते के रूप में काम में लाना चाहते थे और उससे हिन्दुस्तान पर हमला करने में सहायता लेना चाहते थे तो कप्तान मोहनसिंह और

जापानियों के बीच मतभेद हो गया था और उसके फलस्वरूप आजाद हिन्द फौज तोड़ दी गई थी। मैंने दूसरी आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने से इन्कार इसलिये किया था कि जापानियों ने आजाद हिन्द फौज को पहिले जैसे पाँचवें दस्तेके रूप में काम लेने का प्रयत्न किया था, मेरा विचार था कि वे उसका प्रयोग अपने गन्दे उद्देश्य से फिर करने का प्रयत्न करेंगे।

इसके बाद अदालत दूसरे दिन के लिये स्थगित हो गई।

—※※—

२३ नवम्बर १९४५

आजाद-हिन्द-फौज ने भारतको ब्रिटिश दासता से मुक्त करने का प्रयत्न कैसे किया।

इस्तगासे के दो अन्य गवाहों के बयान

"हम जापानी कैद के बजाय भारतीय मुक्ति के कार्य में मरना श्रेयस्कर समझते थे।"

(जमादार इल्ताफरज्जाक)

चौथे गवाह जमादार इल्ताफरज्जाक की गवाही

गवाह ने कहा, "मैं १९२२ में भारतीय फौज में भर्ती हुआ था। १ जनवरी १९४१ को, जब कि मैं जमादार बना दिया गया, १९४२ में मैं बंगाल सफरमैना की ४३ वीं फील्ड पार्क कम्पनी में था। और जापानियों से लड़ा। सिंगापुर में मुझे युद्धबन्दी बना दिया गया और एक वर्ष तक मलाया के विभिन्न शिविरों में भेजा गया।

गवाह ने आगे चल कर कहा! मैं कप्तान शाहनवाज खाँ को पहचानता हूँ। वे पोर्ट डिक्सन के शिविर में आये थे। उन्होंने सब भारतीय अफसरों को इकट्ठा कर उनके समक्ष भाषण दिया। तब वे आजाद हिन्द फौज का लेफ्टिनेन्ट कर्नल का बिल्ला लगाये हुये थे।

यह पूछे जाने पर कि कप्तान शाहनवाज ने क्या कहा था, गवाह ने कहा; कप्तान शाहनवाज ने हम लोगों से कहा था कि कप्तान मोहनसिंह की अधीनता में जो आजाद हिन्द फौज थी, वह तोड़ दी गई है और दूसरी सेना बनाई जायेगी। जो कोई भारत की स्वतन्त्रता लेने के लिये स्वेच्छा-सैनिक बनना चाहता है, उसे अपने कैम्प-कमांडर की मार्फत सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के सदर मुकाम को अपना नाम भेजना चाहिये। युद्ध बन्दी शिविर में क्या हालत थी, इस पर प्रकाश डालते हुये गवाह ने कहा कप्तान शाहनवाज खाँ ने कहा कि शिविर के बहुत से बन्दी मलेरिया से पीड़ित हैं। वे घास फूस से छाई हुई छतों के नीचे फर्श पर सोते हैं और उनकी चिकित्सा का कोई ठीक प्रबंध नहीं। उन्होंने हम से कहा कि यदि हम आजाद हिन्द फौज में शामिल हो जायेंगे तो मैं ये सब तकलीफें दूर हो जायेंगी।

प्रश्नः—"क्या उस अवसर पर कोई आदमी भर्ती हुआ था?"

उत्तरः—"उस अवसर पर कोई आदमी स्वेच्छा से आजाद हिन्द फौज में भर्ती नहीं हुआ।" गवाह १७ नवम्बर १९४२ में स्वेच्छा से आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुआ था। ऐसा करने का मुख्य कारण यह था कि उन के रहने की दशा दिन प्रति दिन अधिक खराब होती जा रही थी। दूसरा कारण यह था कि उन्हें एक ऐसे शिविर में हटाया जाने वाला था, जहाँ डाक्टरी इलाज की कोई सुविधा न थी। ३६० युद्धबन्दियों में से अधिकांश आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गये और गवाह उनमें से एक था। बाद में उन्हें सिंगापुर में ले जाया गया। गवाह ने आगे कहा! "बाद में हमें सिंगापुर भेज दिया गया। हमारी रेजिमेन्ट को मलाया में पलोह नामक स्थान पर भेजा गया। और अगस्त १९४४ तक वह वहीं रही। इसके उपरान्त हमें चम्पो ले जाया

गया और अन्त में जनवरी १६४५ में रंगून के समीप मिंगलालम नाम के स्थान पर पहुँचा दिया गया। हमारी रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल पी० के० सहगल वहाँ कर्नल थे। वह आजाद हिन्द फौज के लेफ्टिनेन्ट कर्नल के चिन्ह धारण करते थे। मैं लेफ्टिनेन्ट था"

यह पूछे जाने पर कि लेफ्टिनेन्ट कर्नल पी० के० सहगल ने वहाँ क्या कियाथा, गवाह ने कहा-"उन्होंने सब अफसरों का एक सम्मेलन बुलाया था। मैं भी उस सम्मेलन में उपस्थित था। हम से कहा गया कि हमारी ब्रिगेड कूच करने वाली है और रेजिमेंट को पोपा पहाड़ी जाना है। ब्रिगेड में उस समय ३ फौजें थीं, जिनमें लगभग ६५० आदमी थे। प्रत्येक फौज में ५ टुकड़ियां थीं और अधिकांश व्यक्तियों के पास 'ई' चिन्ह की बन्दूकें थीं। इस रेजिमेंट का पहला नाम ५वीं गुरिल्ला था और बाद में इसका २ री पैदल रेजिमेंट रख दिया गया।

इसके बाद गवाह ने कहा—एक बार श्री सुभाष चन्द्र बोस रेजिमेंट के समक्ष लाये गये और उनने बोस को सलामी दी। उस समय कप्तान सहगल श्री बोस के साथ थे। श्री सुभाष चन्द्र बोस ने रेजिमेंट के समक्ष भाषण दिया और इस बात पर जोर दिया कि आजाद हिन्द फौज के पहले वर्ष के समान अच्छा कार्य करें। श्री बोस ने कहा कि आजाद हिन्द फौज में से बहुत व्यक्ति छोड़ कर चले गये हैं और यह बात फिर नहीं होनी चाहिये और जो मोर्चे पर जाने के योग्य नहीं समझते, वे पीछे रह सकते हैं।

मैं मिंगलाडन से न० १ बटालियन की न० १ कम्पनी के चार व्यक्तियों को ब्रिगेडियर सदर मुकाम से बोस को ऐडवांस गार्ड के रूपमें ले गया ढिल्लन वहाँ एक दिन पहले पहुँच गये थे। वे

उस समय एक झोपड़ी में रह रहे थे और वहाँ कोई नहीं था।

नेहरु रेजीमेंट

नेहरू रेजिमेंट के, जिसकी कि नं० ४ छापामार (गुरिल्ला) रेजिमेंट भी कहा जाता था, २०० आदमी स्वेच्छा से पोपा क्षेत्र में पहुँचे। वे छोटे छोटे दलों में गये। मेजर ढिल्लन कमाण्डर थे

प्रश्न—इन व्यक्तियों की कैसी हालत थी ?

उत्तर—उनकी दशा बुरी थी। कुछ के पास बिस्तरे नहीं थे और दूसरों के पास बन्दूकें तथा हथियार नहीं थे।

२५ फरवरी १६४५ को कप्तान पी० के० सहगल ने दूसरी पैदल सेना के अफसरों तथा रेजमेंटल सदर मुकाम के स्टाफ अफसरों का एक सम्मेलन बुलाया था, उन्होंने कहा कि नं० ४ छापामार फौज को इस दशा में देख कर शर्म आती है और जिस किसी पर सेना से भागने का संदेह होगा उसे रेजिमेंटल सदर मुकाम में भेज दिया जायेगा।

भगोड़ों को गोली मार दी जाये

१ मार्च १६४५ को ले० कर्नल सहगल ने एक दूसरा सम्मेलन बुलाया। उसमें अन्य अफसरों के अतिरिक्त मेजर ढिल्लन भी थे। कप्तान सहगल ने बताया २ नं० डिवीजन हेडक्वार्टर के पांच अफसर जो कि नं० १ बटेलियन में रात्रि-निरीक्षण के लिये थे, अपने अरदलियों के साथ भाग गये और उन्होंने उन भगोड़ों को पकड़ने के लिये गश्ती टुकड़ी को भेजा। उस अवसर पर कप्तान सहगल ने सब अफसरों को यह अधिकार दिया कि यदि भविष्य में कोई फौज से भागता हुआ दिखाई दे तो उसे गोली मार दी जा सकती है, चाहे वह कोई हो।

आक्रमण की योजना

गवाह ने आगे चलकर कहा १० मार्च १९४५ को लगभग ७० या ७२ जापानी टैंक-विरोधी सुरंगें मिलीं। मैंने इनके प्रयोग के बारे में कप्तान सहगल से आदेश मांगे। उन्होंने कहा कि इनके प्रयोग के बारे में जापानियों से पूछा जाय। उनसे पूछने के बाद मैंने नं० १ बटालियन को बता दिया।

२० मार्च को कप्तान सहगल ने एक और सम्मेलन बुलाया। जिसमें उन्होंने कहा था, "या तो हम आक्रमण करेंगे या 'मित्र' फौजें हम पर हमला करेंगी। यदि शत्रु ने हमारे ऊपर हमला किया और यदि एक बटालियन के मोर्चे पर वह अन्दर घुस गया तो दूसरी दो बटालियनें डटी रहेंगी।" गवाह ने आगे चल कर कहा: इसके बाद मैं अन्य चार आदमियों के साथ भाग गया और न्यानगो क्षेत्र में ब्रिटिश फौजों से जा मिला।

इसके बाद गवाह ने बताया कि कप्तान शाहनवाज उस समय डिवीजनल कमांडर थे। और यह बताया कि डिवीजन में कौन कौन यूनिटें थीं। साक्षी जारी रखते हुये गवाह ने कहा कि वह कब कब ढिल्लन से मिला।

श्री देसाई द्वारा जिरह

देसाई द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने इस बात को मंजूर किया कि युद्धबन्दी शिविरों में जो बुरी हालत होती थी वह जापानियों के कारण थी। कप्तान शाहनवाज खाँ स्वयंसेवक एकत्र करने आये और यह स्पष्ट था कि कप्तान शाहनवाज खाँ ने प्रत्येक व्यक्ति को आजाद फौज में स्वेच्छा से भर्ती होने की स्वतन्त्रता दी थी। उन्होंने कहा था कि इस कार्य के लिये दृढ़

तथा सच्चे आदमी चाहिये। गवाह ने आगे कहा कि उस भाषण के बाद उसने शाहनवाज खाँ को नहीं देखा।

प्रश्नः—इस भाषण के आठ महीने बाद तुमने आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने का निश्चय किया?

उत्तरः—हाँ। शिविर में अधिकांश ने यही निश्चय किया कि वे इन स्थितियों में रहने की अपेक्षा भारत की स्वतन्त्रता के लिये मर-मिटना पसन्द करेंगे। भाषण में कप्तान शाहनवाज खाँ ने हम से कहा कि प्रथम आजाद फौज कर्नल मोहनसिंह द्वारा भंग कर दी गई है। मुझे याद नहीं कि उस अवसर पर उन्होंने और क्या कहा। गवाह ने आगे चल कर बताया! मैंने पोर्टडिक्सन में कप्तान कर्मचन्द व्यास को जाना। कप्तान रघुराज ने आजाद हिन्द फौज के लिये स्वेच्छा-सैनिकों में अपना नाम दिया था, कप्तान सहगल द्वारा आयोजित दूसरे सम्मेलन के बाद दो सप्ताहों में बहुत से आदमी गिरफ्तार कर लिये गए। जाँच के बाद कप्तान बेदी के सिवा और सब छोड़ दिये गए।

गवाह ने कहा! मुझे याद है कि कप्तान बेदी १ या २ मार्च १९४५ को कप्तान सहगल द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। मुझे यह पता नहीं कि कप्तान सहगल ने कब से डिवीजनल कमांडर के रूप में कार्य करना शुरू किया।

श्रीदेसाई के एक और प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा! मुझे निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं कि सहगल ने डिवीजनल को कमान सँभाली। हां मुझे पूरा विश्वास है कि जब कप्तान शाहनवाज खाँ लौट आये तो उन्होंने एक सप्ताह से अधिक तक डिवीजन की कमान नहीं सँभाली। सरकारी वकील सर एन० पी० इंजीनियर ने गवाह से फिर दुबारा जिरह न की।

फौजी अदालत के सिख सदस्य ने गवाह से यह जानकारी प्राप्त की कि जब श्रीसुभाषचन्द्र बोस ने रेजिमेंट का निरीक्षण किया और कहा कि जो पीछे रहना चाहते हैं रहें, तो कोई न रहा।

पांचवें गवाह नायक सन्तोषसिंह की गवाही

सर एन. पी. इंजीनियर के प्रश्न पूछने पर गवाह ने कहा, "मैं फौज में मई १९३६ भर्ती में हुआ था युद्ध आरम्भ होने के समय मैं मलाया में नायक था। ३१ जनवरी १९४२ को मैं जापानियों द्वारा युद्धबन्दी बना लिया गया। युद्धबन्दी बनाये जाने के बाद मुझे अनेक स्थानों पर ले-जाया गया, जिनमें कोला लम्बपुर तथा सिंगापुर भी शामिल हैं। मैं यहाँ जून १९४२ में पहुँचा। मैं आजादहिन्द फौज में सितम्बर १९४२ प्रविष्ट हुआ और मुझे मुख्य युद्धशिविर सिगनल कम्पनी की पोस्ट पर भेज दिया। कैप्टेन सहगल जो उस समय मेजर थे, नम्बर १ युद्धशिविर के सहायक कमाण्डर थे। ले० कर्नल सहगल ने एक बार नं० १ सिगनल कम्पनी के सैनिकों में भाषण दिया था। उन्होंने हमसे कहा था जो आजादहिन्द फौज बनने जा रही है, वह नई आजादहिन्द फौज होगी। अन्त में उन्होंने कहा था कि आजाद हिन्द फौज में स्वयं सेवकों से नाम लिखायें। उन्होंने कहा था कि हम सबको आजादहिन्द फौज में भर्ती हो जाना चाहिये। उन्होंने किसी को भी जबर्दस्ती भरती होने को नहीं कहा था।"

गवाह ने कहा, "मैं उस समय आजादहिन्द फौज में भर्ती नहीं हुआ था। इसके बाद मुझे सिलेतार कैम्प में भेज दिया गया और उसके बाद जापानियों द्वारा दूसरे कैम्प में। मैं कैप्टेन शाहनवाज खाँ को सिलेतार कैम्प में अप्रैल १९४३ में मिला था। उस कैम्प में वे आदमी थे जो स्वयं सेवक नहीं थे इन्होंने पहले

आज़ाद फौज में भर्ती होने से इन्कार कर दिया था।

कप्तान शाहनवाज की अपील

गवाह ने आगे बताया कि शाहनवाज ने अपने भाषण में कहा कि भारत की स्वतन्त्रता के लिये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वे नव निर्मित आज़ादहिन्द फौज में भर्ती होवें। उन्होंने कहा कि गुरु गोविन्दसिंह ने किस प्रकार अपने धर्म का प्रचार किया था। पाँच आदमियों ने उस समय अपना नाम लिखाया। उन्होंने दूसरी आज़ाद हिन्द फौज में वीरों को भर्ती होने को कहा तथा यह भी कहा कि वे तिरंगे झंडे के नीचे आजावें। इस समय कोई भी भर्ती नहीं हुआ।

श्री भूलाभाई देसाई के जिरह करने पर गवाह ने कहा सिलेतार पी. ओ. कैम्प में उस समय दो विभाग थे। १—अस्पताल सहित तथा दूसरा अस्पताल रहित। अस्पताल के लिये एक कैम्प से दूसरे कैम्प में ले जाया जाता था वह नहीं जानता कि दोनों कैम्पों में खाने पीने की वस्तु में कोई भेदभाव था, उसके कैम्प में हालत अच्छी थी और भोजन भी अच्छा मिलता था। इसके बाद गवाह से कोई जिरह न की गई। और कार्यवाही लंच के लिये स्थगित हो गई।

लंच के बाद

छटे गवाह लैंस नायक गंगाराम नेयार की गवाही

गवाह ने सरकारी वकील से कहा, "मैं १९३३ में भारतीय सेना में शामिल हुआ और मलाया में पेनांग में फरवरी १९४२ युद्ध-बन्दी बनाया गया। इसके बाद मैं विभिन्न स्थानों में रखा गया। एक बार कप्तान शाहनवाज खाँ जब एक शिविर में भाषण

देने आये थे तो मैंने उन्हें देखा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम सब भारतीय हैं। हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का है और हमें भारतीय स्वतन्त्रता के लिये लड़ना चाहिए, अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करना चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवक बनने के लिए निमंत्रण दिया लेकिन किसी ने उनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया।"

श्री देसाई द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने कहा, "मैं एक गुर्खा रेजीमेंट में था जो कि कप्तान चोपड़ा की कमान में थी। मुझे यह पता नहीं कि वे आजाद हिन्द फौज में शामिल हुए या नहीं।

सातवें गवाह सूबेदार हसन नूर खाँ की गवाही

गवाह ने कहा, "मैं १९४२ में युद्धबन्दी था। मैं १९१३ में फौज में शामिल हुआ था। मैं अपने टुकड़ी के साथ मलाया गया था, सिंगापुर के पतन के समय मैं वहीं था। मैं लै० ढिल्लन को जानता हूँ। मैंने उन्हें अदालत में भी पहिचान लिया है। मैंने उन्हें फरवरी या मार्च १९४२ में देखा था। उन्होंने जापानियों में भाषण देते हुए कहा था उनके धर्म-बौद्धधर्म के आदि प्रवर्तक भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए थे। जापानियों का धर्म संसार में सबसे पुराना है। इस लिए भारतीयों को जापान का समर्थन करना चाहिए। उसके बाद मेरी ढिल्लन से मुलाकात नहीं हुई।"

कप्तान सहगल से मुलाकात

गवाह ने आगे कहा, "मैं अप्रैल १९४२ में आजादहिन्द फौज में शामिल हुआ था। मैं कप्तान सहगल को पहिचानता हूँ। अगस्त १९४२ में कप्तान सहगल बिदादारी की एक टुकड़ी के सेनापति थे। मुझे उस टुकड़ी के दो आदमियों को उनके सामने

हाज़िर करने का हुक्म हुआ था। मैंने उन के बारे में उनके साथ चर्चा की थी। कप्तान सहगल ने हुक्म दिया कि ये दोनों आदमी उनके हवाले कर दिए जाँय। उन लोगों की एक सूची तैयार की गई, जिन्हें सिगनेलिंग के लिए पेनांग भेज जाना था। मैं कप्तान सहगल को बाद में भी मिला। पेनांग में गुप्त-पार्टी विफल हुई और उसे सिंगापुर वापिस लौट जाने का हुक्म दे दिया गया। मैं भी उस पार्टी के साथ था। वापिस आने के बाद उन्हें एक कैम्प में रख दिया गया। बाद में सहगल ने मुझे बुला भेजा। उस समय सहगल साहब आजाद हिन्द फौज में मेजर थे। और मैं फौजी सेक्रेटरी का काम करता था। मैं सहगल से ही तीन बार मिला, पहली मुलाकात में सहगल ने मुझसे आजाद हिन्द फौज के बारे में पूछा और जो कुछ मुझे मालूम था, वह मैंने उन्हें बता दिया।

जब श्री सुभाष चन्द्र बोस टोकियो से वापिस आये तो कप्तान सहगल के द्वारा मुझे उनसे मुलाकात करने को बुलाया गया। ले० कर्नल जिलानी के खुफिया विभाग पर बात-चीतें हुईं जिसमें निश्चित किया कि किन-किन को अधिकार सौंपे जायें और किन्हें हटाया जाय। श्री सुभाष बोस ने मुझ से यह कहा कि इस सम्बन्ध में कप्तान सहगल से विमर्श करके सब तय कर लिया जाय।

सर. एन. पी इन्जीनियर—तुम ने क्या निश्चय किया ?

गवाह—कर्नल जिलानी की पार्टी के २० और आदमीयों के साथ में सिंगापुर से पेनांग के रवाना हो गया जहाँ हमें जापानियों द्वारा जासूसी तथा बेतार के समाचार भेजने की शिक्षा मिली। २७ फरवरी को उन्होंने (जापानियों ने) हमें एक पनडुब्बी

में भारत भेजा। उस समय हम १२ आदमी थे। पनडुब्बी में ही हमारे १७ दिन बीत जाने के बाद जापानियों ने चाहा कि हम किनारे लगने में असफल रहे। अतः हमें बाध्य होकर एक सप्ताह और पनडुब्बी में ही काटना पड़ा।

जज एडवोकेट—पनडुब्बी की चर्चा छोड़िये। आप भारत कब आये?

गवाह—हम भारत में मार्च के अन्त में ही पहुँच सके। किनारे से चार मील के लगभग कालत रियासत के अफसरों का ठिकाना था, जिन्हें हमने अपनी पहुँचने की सूचना दी। मैंने अपनी सूचना ब्रिटिश अधिकारियों को दी थी।

श्री भूलाभाई देसाई-क्या ले० ढिल्लन ने यह कहा था कि क्यों कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था अतः तुम्हें भी जापानियों के साथ सहयोग करना चाहिये?

गवाह—हां।

फिर श्री भूलाभाई देसाई द्वारा यह प्रश्न किये जाने पर कि क्या ऐसा करने का मन्तव्य भारत की आजादी पाना ही था, गवाह ने कहा कि हमें ले० ढिल्लन ने यह बताया था कि क्योंकि बुद्ध भारत में पैदा हुए थे, अतः हमें चाहिये कि हम जापानियों के साथ मिलकर भारत को आजाद करायें। अदालत के पूछे जाने पर इसने बताया कि आजाद हिन्द फौज में मैं लेफ्टिनेन्ट था।

आठवें गवाह हवलदार सुचासिंह की गवाही

गवाह ने अपने बयान में कहा," मैं आजाद हिन्द फौज में १५ जनवरी १६४३ को शामिल हुआ था। हम जापान के विरुद्ध लड़ने के लिये मलाया गये थे और सिंगापुर के पतन के

समय में उपस्थित था। जब मैं ईलोह में युद्धबन्दी था तो लेफिट० डिल्लन उस कैम्प में एक बार आये थे। वे खाकी वर्दी पहने थे जिनपर "मेजर" पद के सूचक चिन्ह थे। उनके साथ में मेजर धारा भी थे। मुझे यह पता नहीं था कि मेजर धारा पद के अधिकारी हैं परन्तु उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्हों ने कहा था कि बहुत से लोग आजाद हिन्द फौज में मिल गये हैं जिसका उद्देश्य अपने भारत की आजादी पाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा उन्हों ने यह भी कहा था कि यदि जापानी उनके विरुद्ध (भारतीयों के) विरुद्ध हो जायेंगे तो हम उनसे भी लड़ेंगे। अतः हमारे लिये भारत की आजादी पाने के हेतु एक स्वर्णावसर है, जिसका फिर हाथ आना दुर्लभ है। इस के बाद मेजर डिल्लन ने अपने भाषण में कहा कि जो कुछ मेजर धारा ने कहा इसमें किसी को कुछ संशय नहीं होना चाहिए। आजाद हिन्द फौज केवल भारत की आजादी के ही लिये लड़ेगी, जिसके लिये जापानी हमें सहायता देंगे।

गवाह ने बताया कि इसके एक महीने बाद वह आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गया।

गवाह से यह पूछे जाने पर कि वह आजाद हिन्द फौज में क्यों शामिल हुआ, उसने बताया कि प्रथम तो युद्धबन्दी की हैसियत से न तो उसे अच्छा खाना ही मिलता था और न उसे रहन सहन के लिये अच्छी जगह। द्वितीय क्योंकि और अन्य भी इस में शामिल हो गये थे अतः मैंने भी वही किया। मुझे एक रेजीमेन्ट में लेफ्टिनेन्ट बना दिया गया। फिर मैं एक नम्बर बटालियन की "सी" कम्पनी में नियुक्त किया गया।

गवाह ने आगे बताया कि फरवरी १९४४ के अन्त के लगभग

आजाद फौज बर्मा की ओर बढ़ी। पहले पहल उसकी यूनिट रंगून पहुंची। इसके बाद वह मांडले पहुंची और फिर मीन्यांग में जहां के कमाण्डर मेजर महबूब थे। नवम्बर १९४४ में मेजर ढिल्लन ने वहां का चार्ज लिया। इसके एक सप्ताह बाद मैं मेजर ढिल्लन तथा अन्य अफसरों से मिला था। मैं उस समय 'बी' कम्पनी की चार टुकड़ियों को कमान्ड कर रहा था। इस के बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में मैं अपनी यूनिट के साथ क्यान्डो में आगया था, जहां हमें ईरावदी नदी के क्षेत्रकी ओर रक्षा के लिए तैनात कर दिया गया था। वहां हमारा कोई संग्राम नहीं हुआ। १४ फरवरी को मित्र राष्ट्रों ने दक्षिणी सेनाओं पर गोला बारी की जिस के फलस्वरूप ले० हरीराम ने सफेद झन्डा फहरा दिया, जिससे मेरे सहित ८४ और सैनिकों ने आत्म समर्पण कर दिया,

गवाह से जिरह

श्री भूलाभाई देसाई ने गवाह से जिरह करते हुए पूछा—आप आजाद हिन्द फौज में हिन्दुस्तान की आजादी के लिए शामिल हुए थे। यह ठीक है न?

उत्तर— मैं बड़ी मुसीबत में था और उस मुसीबत से बचने के लिये मैं आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित हुआ।

श्री देसाई—मैं तकलीफ की बात नहीं पूछता। मैं पूछता हूँ कि आप किस के लिए लड़ने जा रहे थे?

गवाह ने कहा —मैं कभी नहीं लड़ा।

प्रश्न—मैं पूछता हूँ कि आप किस बात के लिए लड़ने वाले थे।

उत्तर—मैं कह चुका हूँ कि आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित होने का मेरा इरादा क्या था। मेरा इरादा था जिन तकलीफों में मैं फँसा था, उनसे बचना।

प्रश्नः—क्या आपने मेजर धारा और ले० ढिल्लन का वह उद्देश्य मान लिया था जिसके लिए आपको आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने के लिए कहा गया था ?

उत्तर:—मैं भाषण के आधार पर आजाद हिन्द फौज में भर्ती नहीं हुआ। मैं उनके भाषण के एक मास बाद आजाद हिन्द फौज में आया।

प्रश्नः—मैंने आपको यह पूछा कि मेजर धारा और ले० ढिल्लन ने अपने भाषण में जो कुछ कहा उसे क्या आपने मान लिया था। मैंने यह नहीं पूछा कि आपने आजाद हिन्द फौज में शामिल होने का वह उद्देश्य मान लिया था ?

उत्तर:—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई ने गवाह को मुकदमे से पहिले की गवाही का संक्षेप सुनाया और पूछा कि क्या गवाह को ४७ वें प्रश्न का उत्तर याद है ? इसमें पूछा गया था कि क्या गवाह को लेफ्टिनेंट ढिल्लन के यह कहने का स्मरण है कि, "जो लोग आजाद हिन्द फौज में शामिल हुये हैं उनमें जापानियों से या किसी भी दूसरी जाति से, जो देश की आजादी के मार्ग में रुकावट डाले, लड़ने की शक्ति होनी चाहिये।"

उत्तर:—मुझे याद है कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया था। एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुये गवाह ने कहा कि यदि वे आजाद हिन्द फौज में भर्ती न होते तो उन्हें भय था कि जापानी इन्हें कठोर श्रम और बुरा खाना देंगे। चूंकि बहुत से लोग आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुये थे, इसलिये मैं भी उसमें शामिल हो गया।"

प्रश्नः—क्या आप आजाद हिन्द फौज में यह भली भांति जानते हुये भर्ती हुये थे कि आजाद हिन्द फौज हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिये ऐसी किसी भी जाति से लड़ने के लिये तैयार है जो उसके आजादी के मार्ग में रुकावट डाले और इसमें जापानी भी शामिल थे।

उत्तरः—हाँ, मैं यह समझ कर भर्ती हुआ था। इससे पहिले जिरह में गवाह ने कहा कि कप्तान जयसिंह और जापानियों के लेस के नायक जितर शिविर के व्यवस्थापक थे। जब मैं वहाँ था, तब शाहनवाज उसके प्रधान अफसर थे। किन्तु मैंने उन्हें देखा नहीं था। उसके आगे जिरह रोक दी गई।

नौवें गवाह काकसिंह की गवाही

इसके बाद पंजाब रेजीमेंट के सिपाही काकसिंह की गवाही हुई। गवाह ने आगे कहा कि वह सिंगापुर में नेसून शिविर में रक्खा गया था। उसे विभिन्न बन्दी शिविरों में रक्खा गया। जब मार्च १९४३ में वह एपिंग शिविर में था, तो लेफ्टि० ढिल्लन आये थे और उन्होंने युद्धबन्दियों के सामने भाषण दिया था। उस समय यह लोग आजादहिन्द फौज में शामिल नहीं हुए थे। ढिल्लन ने कहा कि वे वहाँ इसलिए आए थे कि आजादहिन्दफौज का निर्माण आरम्भ होगया है और वे सिंगापुर और जितरा में भाषण भी दे चुके हैं उन शिविरों के लोग आजाद हिन्द फौज में भर्ती होगये हैं, इसलिये टेंग शिविर के लोगों को भी उसमें शामिल होजाना चाहिये। यदि वे आजादहिन्द फौज में शामिल होंगे तो वे मुसीबत में न फसेंगे। अँग्रेज भारत से निकाल दिये जायँगे। हमें किसी बात से नहीं डरना चाहिये और जो कुछ भी होगा अफसरों के साथ होगा। यदि आजादहिन्द फौज

असफल रही तो भी वे कठिनाई में न फसेंगे। इस व्याख्यान के २५ दिन बाद तक हम टेपिंग में विभिन्न कार्य करते रहे। उसके बाद सिंगापुर लेजाये गये। वहाँ भी वह आजादहिन्द फौज में भर्ती हुये। इसके बाद दुबारा जिरह नहीं हुई।

दसवें गवाह जमादार मोहम्मद नवाज की गवाही

इसके बाद पंजाब रेजीमेंट ५१२ के गवाह जमादार मोहम्मद नवाज को शपथ दिलाई गई। इस समय बचाव पक्ष के वकील श्रीभूलाभाई देसाई ने यह प्रार्थना की—"अदालत ने यह निर्णय दिया है कि लोगों को परेशान करने या कष्ट देने के सम्बन्ध में गवाहियाँ ली जायेंगी। किन्तु जिस समय से घटनाएँ हुईं, वह इस निर्णय में नहीं बताया गया।"

इस गवाह की संक्षिप्त गवाही पढ़ने बाद मुझे यह मालूम हुआ कि लोगों को कष्ट देने की कहानी पहिले आजादहिन्द फौज के समय की है, जो कप्तान मोहनसिंह की गिरफ्तारी के समय भंग कर दी गई थी। इसमें अभियुक्तों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई उल्लेख नहीं है।

एडवोकेट जनरल—"यह ठीक है कि यह गवाह जो गवाही देने आ रहा है, वह १९४२ दिसम्बर से पहिले की घटनाओं से संबन्धित है। किन्तु मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह सम्बद्ध है।" विचार के समय छुट्टी करने के पूर्व अदालत ने घोषित किया कि उसने जापानियों के अत्याचारों और ब्यक्तियों के बारे में गवाही लेने का निर्णय किया है और ये गवाहियाँ ११ नवम्बर १९४२ तक से अब तक की घटनाओं की ली जायेगी।

अदालत इसके बाद शनिवार तक के लिये स्थगित होगई।

१४ नवम्बर ४५

भारतीय युद्धबन्दियों को सताने का आरोप

इस्तगासे के गवाह द्वारा नहीं के स्थान पर 'नो' कहने से दर्शक हँस पड़े ।

आज़ाद हिन्द फ़ौज के अफसरों के मुकदमे में इस्तगासे के दो गवाह पेश हुये। पहिले गवाह जमादार मोहम्मद नवाज़ ने अपने बयान में करीब १२ आदमियों के नाम लिये और कहा कि वे कैम्प में बन्द थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप और किसी को नहीं जानते, तो उसने एक दम 'नो' कह दिया। इस पर दर्शक लोग हँस पड़े। वह अपना बयान तो हिन्दुस्तानी में ही दे रहा था, लेकिन सहसा उसके मुख से 'नो' शब्द निकलने पर सब को हँसी आ जाना स्वाभाविक था। दूसरी बार दर्शकों को हँसी तब आई है, जब कि गवाह ने कहा कि लोगों ने कैम्प में सड़क के पास गौ का गोबर जमा कर रखा था। सड़क के दोनों ओर बगीची थी। प्रथम दिन हमें सिर्फ तीन घंटे के लिये गोबर उठाना पड़ा। शेष समय हम लोग जमीनें खोदते और हमवार करते थे। इस तरह क्यारियाँ तैयार करते थे। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि बीज किसने बोये। इस पर दर्शकों को हंसी आ गई। नई देहली में आज केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव का दिन होने के कारण लाल किले के भीतर आज़ाद हिन्द फौज के मुकदमें में बहुत कम उपस्थिति थी। पैसी आमति

के केवल ५ सदस्य थे और पत्र-संवाददाताओं व दर्शकों की संख्या क्रमशः एक दर्जन व दो दर्जन थी।

दसवें सरकारी गवाह जमादार मोहम्मद नवाज की शेष गवाही

गवाह ने आगे कहा, "मैं १९३० में फौज में भर्ती हुआ था। मलाया में बन्दी बनाया गया था। जब हम बन्दी अवस्था में थे, हमसे रोजाना स्वयं सेवकों व अन्य लोगों की सूचियां बनाने के लिये कहा जाता था। मैंने आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने से इनकार किया। जब मैं नजर बन्द शिविर में था, तब एक रात को मुझे बुलाया गया और एक अफसर द्वारा मुझे कहा गया कि यदि मैं आजाद हिन्द फौज में भर्ती नहीं होऊँगा, तो मुझ पर बड़ी कठिनाई आ जायेगी। लेकिन, मैं फिर भी आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने के लिये सहमत नहीं हुआ। अगले दिन मुझे और ४ अन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने आजाद हिन्द फौज में शामिल होने से इनकार कर दिया था, डबल-मार्च करने के लिये कहा गया और जब हम परेड कर रहे थे, तब आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों ने हमें लाठियों से पीटा। हमसे बोरियों में गोबर भरने और उन्हें ३०० गज दूर तक ले जाने के लिये भी कहा गया। हमसे यह भी कहा गया कि यदि किसी ने बीमारी की झूठी रिपोर्ट की, तो उसे १२ कोड़ों की सजा दी जायेगी। मैंने एक युद्धबन्दी को इस प्रकार पिटते व कोड़ों की मार के बाद बेहोश होते देखा था। मैंने एक अफसर को उस पीड़ित की ओर जाते और इसके मुँह में कपड़ा ठूंस कर लाठी से मारते हुये देखा था। वह सन्तरी, जो हमसे श्रम का काम कराता था, काम में जरा ढिलाई होने पर हमें पिटाता था। हाजरी लेने के समय हमसे प्रति दिन यह कहा जाता था कि जापानियों ने आदा

किया है कि भारत को अंग्रेजों से छीन कर हमारे सुपुर्द कर दिया जायेगा।

"जो भोजन हमें दिया जाता था वह अपर्याप्त व घटिया होता था। बाद में मुझे एक प्रथक शिविर में ले जाया गया। और वहाँ भी मैं आजाद हिन्द फौज में भर्ती नहीं हुआ।" श्री देसाई की जिरह पर गवाह ने कहा कि केवल वे आदमी युद्धबन्दी थे जिन्होंने आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने से इनकार कर दिया था। यह पूछे जाने पर, कि प्रथम कैम्प में कितने बन्दी थे, गवाह ने १३ आदमियों के नाम लिये। श्री देसाई ने पूछा:—"क्या यह सत्य नहीं कि जिन लोगों के तुमने नाम लिये हैं, उन सब को अनुशासन भंग करने या चोरी के मामले में सजायें दी गई थीं।

गवाह—"मुझे यह नहीं मालूम।" गवाह ने आगे चल कर कहा कि शिविर में सब्जी का बाग था और गायों का गोबर जो मैं व चार व्यक्ति ले जाते थे, बाग से १० गज के फासले पर रखा जाता था।

प्रश्न—"क्या गाय का गोबर खाद के काम में लाया जाता था ?"

उत्तर—"मैं नहीं जानता।"

प्रश्न—"अन्य दिनों में तुम क्या किया करते ?"

उत्तर—"मैं ५ दिन बाग की क्यारियां बनाता था। कार्यवाही के दौरान में दो बार दर्शकों को गवाह की बातों पर हँसी आ गई। इस पर अदालत ने कहा कि यह मुकदमा एक गंभीर मामला है और यदि दर्शकों ने फिर कभी चपलता दिखाई या हंसे, तो मैं सख्त कार्यवाही करूंगा।

ग्यारहवें गवाह हवालदार मोहम्मद सरवार की गवाही

हवालदार मुहम्मद सरवार ने कहा कि मैं अगस्त १६३१ में भर्ती किया गया था। लड़ाई शुरू होने के समय मैं वहीं था। फरवरी १६४२ में सिंगापुर में था। मुझे सेलेटार कैम्प में ले जाया गया, वहाँ कई पंजाबी मुसलमान बैठे हुये थे। एक जमादार ने उन सब को बुला कर कहा कि वे सब आजादहिन्द फौज में शामिल हो जायें। सबने इनकार कर दिया। जमादार ने कहा कि जो लोग आजाद हिन्द फौज में शामिल होना चाहते हैं, वे एक ओर हो जायें। एक भी व्यक्ति तैयार न हुआ। सूबेदार व जमादार ने उन पर गोली चला दी। उन्होंने रक्षक को गोली चलाने की आज्ञा दे दी। उन लोगों ने भी गोली चला दी, उन में से दो लैंस-नायक मुहम्मद आजम और जमादार अल्लादित्ता मारे गये। नायक मुहम्मद हनीफ ने नारा-ए-तकबीर कहा, इस पर सबने 'अल्ला हो अकबर' का नारा लगा दिया। तब उन्होंने रक्षक पर वार किया। रक्षक फिर भी गोली चलाता रहा। उनमें से कई घायल हो गये। उनमें से एक ने रक्षक पर फिर हमला किया, रक्षक उनके सिर पर बेलचा मार रहा था, वह गिर पड़ा उसका सिर फट गया। १५ मिनट तक दूसरे रक्षकों ने गोली चलाना जारी रखा। वे घायलों को अपनी लारी में उठा कर ले गये। इसके बाद एक जापानी अफसर उनके पास आया। आजाद हिन्द फौज का एक अफसर और कर्नल भी जापानी अफसर के साथ आया था। कर्नल दुभाषिये का कार्य कर रहे थे। जापानी अफसरों ने यह भी उनसे कहा कि यदि उनका व्यवहार ऐसा ही रहा, तो उन्हें यमलोक पहुंचा दिया जायेगा। जापानी अफसरों ने उनसे यह भी कहा कि यदि उन्होंने आजाद हिन्द फौज के

एक भी अफसर को मारा, तो बदले में उनके १०० आदमी मार दिये जायेंगे।

इनमें से हवलदारों को तो लारी पर बैठा कर वहीं ले जाया गया और बाकी लोगों को बिरादरी कैम्प में ले जाया गया। लारी के रवाना होने से पहिले हवलदार ने उनसे कहा कि वे आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो जायें, फिर चाहे नतीजा कोई भी क्यों न हो। इसके बाद उन्हें नजर बन्द कैम्प में ले जाया गया, हव-लदार और क्लर्क भी वहां मौजूद थे। उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। उन्हें कैम्प में बेंतों से मारा गया। कुछ हवलदारों को इस बुरी तरह से पीटा गया कि वे हिल डुल भी न सके। मैं भी बुरी तरह अचेत और घायल हो गया। मुझे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से मुक्त हो जाने के बाद मैं क्रजी कैम्प में लाया गया। मेरे दिल में यह था कि मौका मिलते ही अंग्रेजों से जा मिलूंगा।

श्री देसाई की जिरह

श्री भूलाभाई के द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने यह स्वीकार किया कि अस्पताल में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। मैं भाषण सुनने के बाद आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गया था। आजाद हिन्द फौज में शामिल होने के बाद मुझे पता चला कि आजादहिन्द फौज वाले भारत को आजाद कराना चाहते हैं, किन्तु मुझे इस बात में कोई भ्रान्ति न थी। आजाद हिन्द फौज में शामिल होते समय भी मैं जानता था कि मुझे लड़ना पड़ेगा। मैं यह भी जानता था कि यह मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। मैंने तो यही सोचा कि कष्ट उठाने से यही अच्छा है।

प्रश्न—"क्या आपको ३२३ सदस्यों की पार्टी बनाने को कहा गया ?"

उत्तर—"नहीं, हमें न तो ३२३ सदस्यों की पार्टी बनाने को कहा गया और ना ही हमने इनकार किया।"

प्रश्न—"क्या रक्षकों को आप लोगों की यूनिट के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिये भेजा गया ?"

उत्तर—"मैं नहीं जानता"। यह पूछे जाने पर कि क्या लेफ्टिनेंट पुरुषोत्तम दास ने आप लोगों को सामना करने की सलाह दी। गवाह ने उत्तर दिया यह ठीक नहीं।

प्रश्न—क्या लोगों की टुकड़ी व रक्षकों में मुठभेड़ हुई थी ? गवाह ने यह भी बताया कि इस मुठभेड़ में सरदार सिंह नामक रक्षक मारा गया। मेरी यूनिट के दो और आदमी मारे गये व ३ घायल हो गये। रक्षक ने हम पर गोली इसलिये चलाई क्योंकि हमने आजाद हिन्द फौज में शामिल होने से इनकार किया था। इस्तगासे के वकील द्वारा फिर जिरह किये जाने के बाद गवाह ने कहा कि जब रक्षकों ने गोली चलाई तो मेरी यूनिट के पास हथियार न थे। एक रक्षक मारा गया था, उसको छोड़ कर मेरी यूनिट और किसी व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकी। हम लोगों ने रक्षकों, सूबेदार व जमादार के पास पहुँचने की कोशिश की। लेकिन वे लगातार गोलियां चला रहे थे, और हमारे हथियार खत्म हो रहे थे, इसलिये हम लारी पर चढ़ कर चले गये। उसके बाद अदालत सोमवार तक के लिये स्थगित हो गई।

०

२६ नवम्बर ४५

आजाद हिन्द फौज के नजरबन्द शिविर में बन्दियों को पीटने का आरोप

शिविर में कंकड़ मिला खाना और कम पानी देने के दोष

कप्तान शाहनवाज के समय नजरबन्द कैम्प में भेदभाव

बारहवें गवाह जमादार मोहम्मद हयात की गवाही

गवाह जमादार हयात ने कहा कि 'आजाद हिन्द फौज' के नजरबन्द शिविर में सिंगापुर में पीटे जाने, थका देने वाली अनिवार्य परेड, सोने न देने और कुछ चावल और पानी पर रखने के विरुद्ध उन्होंने शिविर के कमांडर से अपील की।

उन्होंने कहा; "मैंने शिविर के कमांडर से कहा, चूँकि मैं इन कष्टों को नहीं सह सकता इसलिये मुझे गोली मार दी जाय। शिविर के कमांडर ने मुझ से कहा "तुमको गोली से नहीं मारा जायेगा; किन्तु यदि आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो जाओ तो तुम शिविर से निकाल लिये जाओगे। यदि तुम भर्ती न होगे तो तुमको पीटते पीटते मार दिया जायेगा।" गवाह ने आगे कहा—नजरबन्द शिविर में भर्ती के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर एक दर्जन के लगभग आदमी भेजे गये थे। उन्हें जमीन पर जबरदस्ती लिटा दिया जाता था और साढ़े पांच फीट लम्बे डंडों से ७ भंगियों से पिटवाया जाता था। मैं २० या

२४ घंटे खड़ा कर बेहोश हो गया और जब होश आया तो मैं उसी स्थान पर पड़ा था, जहाँ मुझे पीटा गया।"

इसके बाद गवाह ने कहा, "मुझे और मेरे साथियों से थकाने वाली परेड कराई गई। आगे और पीछे चलाया गया और मिट्टी से भरे बोरे उठवाये गये। जब हम पूरे समय तक उनको मार्च न कर सके या जमीन पर गिर जाते, तो लाठीधारी आदमी हमें पीटते थे। यह सजा सारे दिन दी जाती थी। केवल दोपहर को खाने की छुट्टी मिलती थी। उस समय शिविर में ६० या ७० आदमी थे। मैंने अपने सिवाय दूसरे आदमी भी पीटते देखे। रात को अपने पिंजड़ों में कैदियों को संतरी की ड्यूटी पर जागना पड़ता था और बाहर के पहरेदारों को हर पाँच मिनट के बाद उत्तर देना पड़ता था, यदि वे उत्तर न दे सकते या बहुत जोर से या बहुत धीरे से बोलते तो वह भीतर के संतरी पीटे जाते थे। इस तरह हमें हर रात ड्यूटी कराई जाती थी।

इसके अतिरिक्त कैदियों को अपने नजर बन्द करने वालों को सलाम करनी पड़ती थी। यदि वे इसमें लापरवाही करते तो पीटे जाते थे। एक दिन मैं एक संतरी के पास से निकला उसने मुझे वापिस बुलाया और बन्दूक के कुन्दे से पीटा।" उसने यह भी कहा कि जो थोड़ा सा चावल उन्हें दिया जाता था, उनमें कंकड़ियां होती थी और पानी भी पूरा नहीं मिलता था। बीमारों की पंक्ति में डाक्टर उनकी चिटों पर 'अ' और 'ब' लिख देता था और १० या न्यूगिनी भेज दिये गये। हमारी [illegible]४०० थी। अप्रैल १९४५ में मुझे अमरीकी मिल गये। मैं फिर आजादहिन्द फौज में कभी भर्ती नहीं हुआ।

जिरह

जिरह में गवाह ने कहा कि जब जापान से लड़ाई छिड़ी तब मैं मलाया में लूर्पकिया में था। मेरी आधी फौज मैदान में थी। उसके दो टुकड़े हो गये थे। एक क्वालालम्पुर में और दूसरी सालेक्शांग में चली गई थी। १५ फरवरी १९४२ को हमने आत्मसमर्पण किया। हम से किसी ने कर्नल टाइरेल को यह कहते नहीं सुना कि आप भी हमारी ही भांति निशस्त्र हैं। आत्मसमर्पण के बाद हम नेसून शिविर में गये। कप्तान श्री एन० जेड० झानी थे, जिनके पीछे कर्नल शाहनवाज आये थे, मैंने सुना कि कर्नल शाहनवाज ने शिविर में व्याख्यान दिया है, उन्होंने मस्जिद में जो व्याख्यान दिया उसमें मैं उपस्थित था, उन्होंने कहा कि सिख और हिन्दू आजाद हिन्द फौज में स्वयं सेवक हो गये हैं, मुसलमानों को भी इसमें भरती हो जाना चाहिये। उन्होंने कहा था कि उन्हें इसलिये भर्ती होना चाहिये, क्योंकि जब हिन्दू और सिख हिन्दुस्तान में जायेंगे तो वे हिन्दुस्तान में तुम्हारे घरों में कष्ट देंगे। उन्होंने हमें जबर्दस्ती करने की धमकी नहीं दी, लेकिन यह कहा कि आजाद हिन्द फौज में भर्ती होना उनका कर्तव्य है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें सब आदमी ही चाहिये। उन्होंने कहा मैं आप लोगों को दबाना नहीं चाहता; लेकिन मुझे सच्चे स्वयंसेवक चाहिये। हमने फिर भी आजाद हिन्द फौज में भर्ती न होने का निश्चय किया। उसने कहा—मेरे दस्ते पर कोई आरोप नहीं लगाया गया कि हमने ७ गायें चुराई और उन्हें काट कर खा लिया। मैं इससे इनकार करता हूँ, १२ बेंत प्रत्येक आदमी को लगा था। यह कहा जाता था कि इस प्रकार डाक्टर बीमारी का बहाना करने वाले लोगों को दण्ड देता था। गवाह

ने आगे कहा-शिविर में १७ दिन रहने के बाद मैं और मेरे साथी सेलेदार शिविर में बदल दिये गये जहाँ हमारे सामने आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने के लिये व्याख्यान दिये गये और भर्ती होने की सलाह दी गई, किन्तु सबने इनकार कर दिया। और मैंने अपना प्रचार जारी रखा। इस पर ११ या १२ दिन बाद मैं फिर उसी शिविर में लौटा दिया गया। गवाह ने आगे कहा-इस बार मेरे साथ १२ आदमी थे। हमारे साथ अब भी पहिले की भांति व्यवहार किया गया। मैंने लोगों को पिटते देखा। एक रात ६ बजे जब मैं ड्यूटी पर था, मैंने दो सिख पास ही पिटे जाते देखे थे। एक सूबेदार और ६ आदमियों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया था और वे उन्हें १ बजे तक पीटते रहे। उसके बाद उन्होंने उनको अस्पताल में भेज दिया और भंगी को कह दिया कि यदि ये मर जायें तो वह उन्हें खबर कर दे। उनकी हालत उस समय बहुत खराब थी। जो कुछ उन्होंने कहा वह मैंने सुन लिया था, क्योंकि अस्पताल तम्बू से १० गज की दूरी पर था। दूसरे दिन जब मैंने उन्हें देखा तो वे जमीन की ओर मुँह किये पड़े थे, उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी थीं। इस बार हम २४ दिन शिविर में रहे। फिर सेलेटर शिविर में ले जाये गये। यहाँ हमसे हवाई अड्डे को बनाने और खोदने के लिये कहा गया। हम दिसम्बर १६४२ तक वहां रहे। उसके बाद शिविर के सब आदमी आदमरोड शिविर में भेजे गये। वहां से सोम्बोंग हवाई अड्डे पर काम करने के लिये रख दिये गये। अन्त में १६४३ मई में हम सिंगापुर ले जाये गये।

इसके बाद श्री भूलाभाई देसाई ने गवाह को उसके बयान की संक्षिप्त नकल दिखायी, जिसमें उसने कहा था- "श्री अजीज अहमद ने मुझ से कहा कि क्योंकि आपने गोवध किया है, इस

लिये आपको नजर बन्द कैम्प में ले जाया जा रहा है।"

प्रश्न—क्या आपके कहने का मतलब यह है कि मेजर अजीज अहमद के ख्याल में क्योंकि आपने गोवध किया था इसलिये आपको नजर बन्द कैम्प में भेजा गया था।

उत्तर—हां, यह ठीक है।

प्रश्न—आपकी कोई तफशीश की गई? और उस पशु की खाल और हड्डियां भी कहीं मिली?

उत्तर—नहीं, कोई तफशीश नहीं की गई।

प्रश्न—क्या यह ठीक है कि आप स्वेच्छा से स्वयंसेवक बनने को तैयार थे, लेकिन आपको विश्वासनीय न मानते हुये आपकी सेवाओं को ठुकरा दिया।

उत्तर—मैंने कभी भी आजाद हिन्द फौज के लिये सेवायें स्वेच्छा से अर्पित नहीं की। एक और प्रश्न का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा कि बिदादरी और नेसून दोनों कैम्प संयुक्त थे।

प्रश्न—आप नेसून कैम्प में कितने देर तक रहे?

उत्तर—मैं लगभग वहाँ २ या ३ महीने रहा।

प्रश्न—क्या आप उस समय में वहाँ थे, जब कि शाहनवाज कमांडर थे।

उत्तर—जी हां।

कोई भेद भाव नहीं था

प्रश्न—दो गवाहों ने अपनी गवाही में कहा कि कप्तान शाहनवाज के कमांडर काल में स्वेच्छा से आने वाले व्यक्तियों के साथ एक सा व्यवहार होता था। क्या वह ठीक है या नहीं?

उत्तर—मैं नेसून कैम्प में अप्रैल के बाद आया उस समय स्वेच्छा से आने वालों और न आने वालों के राशन कार्ड में कोई फर्क न था।

बिदादरी में भी भेद भाव न था

नेसून कैम्प से मुझे सिलेटर कैम्प में भेजा। वहाँ से मेरी यूनिट को बिदादरी कैम्प ले जाया गया।

प्रश्न—क्या वहां स्वयंसेवकों व अस्वयं सेवकों के साथ किये जाने वाले व्यवहार में कोई भेद भाव न था?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—क्या यह ठीक है कि प्रथम एक दो या तीन दिनों में आपकी यूनिट के अन्य सभी आदमियों को भेज दिया गया?

उत्तर—जी, हां।

प्रश्न—आपने कहा कि आप तथा ११ और व्यक्ति नजरबन्द कैम्प में बच गये। उक्त व्यक्तियों को भेज देने के बाद कैम्प में कितने व्यक्ति बच गये?

उत्तर—लगभग ६० या ५०। मैं बिदादरी कैम्प में २१ दिन तक रहा। उसके बाद मैं बीमार होगया। इसलिये मुझे पहले डी ११ बिदादरी कैम्प, और वहां से अस्पताल भेज दिया गया। डी १० व डी ११ दोनों के आदमी अस्पताल जा सकते थे। अस्पताल में मुझे आजाद हिन्द फौज में शामिल होने को कहा गया।

स्वेच्छा से भर्ती हुये

यह पूछे जाने पर कि क्या आजाद हिन्द के अधिकांश स्वयंसेवक आजाद हिन्द फौज में शामिल होगये, गवाह ने आगे कहा कि

मैं कैम्प के सभी मुसलमानों को नहीं जानता था, लेकिन यूनिट के कुछ आदमी स्वेच्छा से भर्ती हुये ।

अफसर भी शामिल हुये

इसके बाद श्रीभूलाभाई देसाई ने कुछ मुस्लिम अफसरों की सूची पढ़ कर सुना दी और पूछा कि क्या आप इन्हें जानते हैं ? गवाह ने उत्तर दिया कि मैं इन सबको जानता हूँ । जब इन्हें नजरबन्द कैम्प में ले जाया गया, तो वे स्वेच्छा से आजाद हिन्द फौज में भर्ती होगये ।

प्रश्न—क्या यह सब अफसर नजरबन्द कैम्प में थे ?

उत्तर—जी हां । कप्तान मिर्जा मेरे साथ नजरबन्द कैम्प में थे ? वे स्वयं भी शामिल नहीं होरहे थे और दूसरों को भी शामिल न होने के लिये कह रहे थे । इसलिये उन्हें नजरबन्द कैम्प में लाया गया, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता ।

गौ की चोरी के अभियोग में सजा नहीं ।

श्री भूलाभाई देसाई द्वारा पूछे जाने पर गवाह ने बताया कि मुझे और मेरे साथ १२ अन्य व्यक्तियों को एक गौ की चोरी व भक्षण करने के अभियोग में ३ महीने की जेल की सजा नहीं दी गई। कैम्प में नजर बन्द लोग अस्वयंसेवक थे । मैं नहीं कह सकता कि कप्तान मलिक देर से हस्तक्षेप करने पर मुझे रिहा कर दिया गया ।

मेरा बयान नहीं ।

गवाह को उसके बयान की संक्षिप्त रिपोर्ट दिखाई गई, जिसमें उसने कहा था कि कप्तान मल्लिक की दस्तन्दाजी में उसे रिहा

किया गया क्या यह ठीक है ? गवाह ने कहा कि मैंने ऐसे कोई बयान नहीं दिये। इसकी गलत व्याख्या कर ली गई है। मैं जानता था कि कप्तान मल्लिक देर से आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो चुके हैं।

श्री देसाई

श्री देसाई—मेरा विचार है कि आप आजाद हिन्द फौज विरोधियों के बड़े भारी नेता थे, फिर भी कप्तान मल्लिक ने आप से बिना पूछे ही आपकी तरफ से दस्तन्दाजी की। उत्तर—उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा या नहीं, यह मैं नहीं जानता। यदि उन्होंने कुछ कहा होगा, तो कैम्प कमांडर के सामने कहा होगा। दिसम्बर १९४२ से मई १९४३ तक मैं सामाबान हवाई अड्डे पर मशक्कत करता रहा, उक्त कैम्प का कमांडर एक जापानी था।

एडवोकेट जनरल की जिरह

सरकारी वकील सर एन० पी इंजीनियर द्वारा दोबारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि गोओं की चोरी व हत्या के अभियोग में मेरे अथवा किसी और के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया गया। इस सम्बन्ध में मुझ से कोई कैफियत भी नहीं मांगी गई। कई बार मुझसे आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने को जरूर कहा गया। अदालत के पूछने पर गवाह ने कहा कि नजर बन्द कैम्प में मुझे सन्तरी की ड्यूटी देनी पड़ी थी। मुझे दिन में ६ या ७ घन्टे तक यह ड्यूटी देनी पड़ती थी। मेरी ड्यूटी समाप्त होने के बाद नजर बन्द कैम्प के दूसरे आदमी मेरा काम करने आते थे।

सन्तरी का काम

सन्तरी का काम होता था, कि जब युद्धबन्दियों की ड्यूटी

बदलती, तो वह फाटक पर उन्हें आज्ञा देता था। रात के समय कुछ युद्धबन्दियों को दो बार ड्यूटी देनी पड़ती थी। जो युद्ध-बन्दी ड्यूटी पर तैनात न होते थे, रात को सो सकते थे। पहिली बार मुझे १७ दिन के लिये नजर बन्द कैम्प में रखा गया। इस सारे समय में मुझे रात की ड्यूटी देनी पड़ी। दूसरी बार मुझे २१ दिन के लिये नजरबन्द रखा गया इस काल में भी मुझे रात को सन्तरी का काम करना पड़ता था। अस्पताल में सब को एक जैसा खाना मिलता था, किन्तु स्वंय सेवकों को केला व दूसरे फल दिये जाते थे। अस्पताल में बीमार रहने के कारण मैंने खाना नहीं खाया।

अदालत—कतई आपने खाना नहीं खाया ?

उत्तर—मुझे जब इच्छा होती थी, मैं थोड़े से चावल ले लिया करता था।

प्रश्न—अस्वंयसेवकों को क्या मिलता था ?

उत्तर—सिर्फ चावल।

प्रश्न—आपने कहा कि मशक्कत करते समय और मिट्टी ढोने के समय हर दो गज के फासले पर सन्तरी तैनात रहते थे ?

उत्तर—कई सन्तरी तैनात थे। हो सकता है कि वे दो-तीन गज के फासले पर तैनात हों। मैं नहीं जानता।

प्रश्न—क्या आपको प्रतिदिन मशक्कत और रात को ड्यूटी देनी पड़ती थी ?

उत्तर—जी हां।

प्रश्न—जब तक आप नजर बन्द कैम्प में रहे तब तक आपको यही कार्य करने पड़े ?

उत्तर—जी हाँ। जज एडवोकेट द्वारा पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि कप्तान शाहनवाज ने एक बार मस्जिद में भाषण दिया और हमने मार्च १९४२ में लेफ्टिनेंट ढिल्लन का भाषण सुना। कप्तान शाहनवाज ने कहा कि हिन्दू और सिख पहिले से ही आजाद हिन्द फौज में शामिल हो चुके हैं, इसलिये मुसलमानों को भी शामिल हो जाना चाहिये। लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन ने कहा कि सबको जापान के साथ मिलकर भारत को आजाद कराना चाहिये।

तेरहवें गवाह हवलदार चलित बहादुर की गवाही

सरकारी गवाह हवलदार चलित बहादुर ने कहा कि मैं नवम्बर सन १९३८ में भारतीय सेना में शामिल हुआ। सिंगापुर के पतन होने के बाद एक मास तक हमारा यूनिट बिदादरी शिविर में था और उसके बाद २॥ मास तक बुलर शिविर में रहा। जब हम बुलर शिविर में थे तब हमको एक नाटक देखने के लिए बुलाया गया और व्याख्यान के द्वारा पहिले से ही सूचना दी जा रही है और बाद में ब्रिटिश सेना होगा। बुलर शिविर से हम लोग नागरिक हवाई अड्डे पर ले जाये गये और वहां से बिदादरी शिविर नम्बर २ में भेजे गये। वहां हमारे यूनिट के लगभग १४ अफसर नजरबन्द शिविर में ले जाये गये। और हम लोगों को जो वहां रह गये, बताया गया कि यदि हम आजाद हिंद फौज में सम्मिलित नहीं होंगे तो उस का परिणाम बुरा होगा।

आजाद हिन्द फौज के अफसर की आज्ञा

१४ दिसम्बर १९४२ में जब मैं तथा हमारे तथा यूनिट के अन्य सदस्य बिदादरी शिविर नं० ४ में थे तब हम लोगों को उसके निकट के खुले मैदान में इकट्ठा होने के लिये कहा गया

वहां पहले आजाद हिन्द फौज के अफसर ने भाषण देते हुए कहा कि हम लोगों ने आप लोगों को आजाद हिन्द फौज के बारे में पहले ही बता दिया है। जो बात हम लोगों ने बताई थी, उसे आप लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया है। मैं आप लोगों को इसका परिणाम बताना चाहता हूं। हम लोगों ने कहा कि चाहे कुछ हो हम लोग आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं हो सकते। इतने पर आजाद हिन्द फौज के अफसर ने हम लोगों को लाठी मारने की आज्ञा दी। इतने में हम में से एक एक सदस्य ने इसका विरोध किया। हम लोग सब खड़े थे। आपस में बातचीत कर रहे थे, जिससे अधिक आवाज होने लगी। इतने में अफसर ने हम लोगों पर गोली चलाने की आज्ञा दी। आकाश की ओर १० या १५ गोलियां चलाई गई और हमारी तरफ कोई गोली नहीं आई। इस समय हमारी यूनिट आगे बढ़ने लगी और अन्त में झगड़ा हो गया जिसमें ६ व्यक्ति घायल हो गये, ४ बन्दूक की गोलियों से और १ लाठी प्रहार से। मैं भी इन घायलों में एक था अतः मैं भी अस्पताल पहुंचाया गया।

पुनः ब्रिटिश सेना से कैसे मिला

आजाद हिन्द फौज के कई अफसर कई बार अस्पताल आये और मुझ से कहा गया कि मैं आजाद हिन्द फौज के गाने गाऊं, जिससे मुझे उपाधियां दी जायेंगी, और मेरे पैरों से गोलियां निकाल ली जायंगी, तो भी मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मैं लगभग ५ मास तक अस्पताल में ही रहा। जब मैं अच्छा हो गया तब मैं बुकीनिया की सड़क के शिविर में भेज दिया गया, जहां मेरे यूनिट के अन्य सैनिक थे। मैं उसी शिविर में रहा।

और जब ब्रिटिश सैनिक वहां पहुंचे, तब मैं उनके साथ हो गया।

जिरह

सफाई पक्ष के वकील श्री भूलाभाई देसाई के जिरह किये जाने पर गवाह हवलदार ललित बहादुर ने बताया कि मैं आत्म-समर्पण के अवसर पर उस सभा में उपस्थित था। मुझे यह स्मरण है, जब जापानी अफसर ने हम लोगों को कप्तान मोहन-सिंह के हाथ सौंपा। हम लोगों को बताया गया कि अब से हम लोग कप्तान मोहनसिंह की आज्ञानुसार रहेंगे। इसके बाद में लोग बिदादरी शिविर और बुलर शिविर में भेज दिये गये। प्रश्न किये जाने पर कि क्या शिविर में व्याख्यान होते थे, गवाह ने कहा मैंने एक या दो व्याख्यान सुने। भारतीय अफसर ही व्याख्यान करते थे। श्री देसाई—क्या तुम जमादार पूर्णसिंह खावस को जानते ?

गवाह—हाँ।

श्री देसाई—क्या तुमने उनका व्याख्यान सुना था ?

गवाह—हाँ।

श्री देसाई—उन्होंने क्या कहा।

गवाह—उन्होंने हम लोगों को बताया कि अँग्रेज भाग गये हैं और हम लोगों को यहां छोड़ गये। इसके बाद हम लोग जापानियों के कब्जे में आ गये हैं और अब हम लोगों को जापानियों की आज्ञा माननी चाहिये, और कुछ असैनिक का काम करना पड़ेगा। भारत हमारा देश है और हमारे भाई भारत में हैं। अतः देश के लिये लड़ने को हमें आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो जाना चाहिये। भारत को स्वतन्त्र करने के

लिए आजाद हिन्द फौज बनायी जा रही है। और उन्होंने दुबारा यह कहा कि इसीलिये हमें आजाद हिन्द फौज में भर्ती होना चाहिये। गवाह ने यह बताया कि एक या दो सदस्यों ने कहा कि हमें आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ नहीं मालूम है अतः हम उसमें भर्ती नहीं होंगे। उस समय हमें यह नहीं मालूम था कि आजाद हिन्द फौज क्या है। मैं इसी लिये आजाद हिन्द फौज में भर्ती नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसके बारे में पहिले कुछ भी नहीं सुना।

श्री देसाई—क्या तुम्हें यह मालूम था कि कप्तान मोहनसिंह फौज संगठित करने वाले हैं।

गवाह—मैंने यह सुना था कि बाद में कप्तान मोहनसिंह आजाद हिन्द फौज संगठित करने वाले हैं। बुलर शिविर के अन्तिम दिनों में मैंने यह सुना था कि कप्तान मोहनसिंह आजाद-हिन्द फौज संगठित कर रहे हैं। गवाह ने कहा मैं जमादार तीस बहादुर अधिकारी को जानता हूं। हमारे यूनिट में वे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार व्याख्यान दिया था। मैं भी उस व्याख्यान में उपस्थित था। जमादार तीस बहादुर ने भी लोगों को यही बात बताई, जो जमादार पूर्णसिंह ने बताई थी। उस व्याख्यान में लगभग ६०० सदस्य उपस्थित थे। मैं राइफल-मैन रामसिंह को जानता हूं। वे भी व्याख्यान दिया करते थे। उन्होंने भी हम लोगों को आजाद हिंद फौज के बारे में पूरी २ बातें बताई। यही तीसरा अन्तिम व्याख्यान था। जमादार पूर्ण-सिंह और जमादार तीस बहादुर अधिक अपने शिविर में रहते थे।

श्री देसाई ने पूछा कि क्या सूबेदार पारसराम, जमादार सेथू कानका, जमादार तेजबहादुर, जमादार तीस बहादुर अधि-

कारी, और हवलदार मोहन बहादुर को जानते हो।

गवाह ने उत्तर दिया कि मैं इन सब लोगों को जानता हूं। यह पूछे जाने पर कि वे सब लोग व्याख्यान दिया करते थे, गवाह ने बताया कि मुझे केवल जमादार तीस बहादुर का व्याख्यान याद है, जो उन्होंने बिदादरी के शिविर नं० २ में दिया था।

गवाह से पूछे जाने पर कि क्या तुम यह जानते हो कि आजाद हिन्द फौज के १५००० सैनिक ट्रेनिंग ले रहे थे और २५ सदस्य प्रतिज्ञा करने वालों की सूची में थे। गवाह ने बताया कि मुझे ठीक २ संख्या का पता नहीं। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि आजाद हिन्द फौज में बहुत अधिक सैनिक थे।

मुकदमा दूसरे दिन के लिये स्थगित हो गया।

१७ नवम्बर १९४५

आजाद हिन्द फौज में शामिल न होने पर बहुत कड़ा परिश्रम कराया जाता था।

श्री भूलाभाई देसाई ने हवलदार बलित बहादुर से जिरह जारी रक्खी।

गवाह ने कहा "जो लोग आजाद हिन्द फौज में शामिल नहीं होते थे उनसे कड़ा परिश्रम कराया जाता था। संतरियों की आज्ञा न मानने पर वे गोली चला देते थे। मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई तो अदालत ने कल के दुभाषिये को 'अयोग्य' बताया और मेजर भीमसिंह नये दुभाषिये बनाये गये। अतिसार से पीड़ित होने के कारण आज श्रीआसफअली सबसे पीछे बैठे, लेकिन फिर बाद में १ ली पंक्ति में बैठ गये। भूलाभाई देसाईने जिरह जारी रखते हुये हवलदार बलित बहादुर से पूछा कि जापानियों के लिये उनकी यूनिट को जो श्रम करना पड़ा, क्या उसके बारे में कोई झगड़ा। उत्तर में गवाह ने कहा कि जो आजाद हिन्द फौज में शामिल नहीं होते थे उनसे कड़ा परिश्रम कराया जाता था, लेकिन जो उसमें शामिल होते थे उनसे श्रम लिये नहीं जाता था। उनको यूनिट के नेताओं ने यह सलाह दी कि कड़ा परिश्रम करने में कोई आपत्ति न उठाई जाय। जब वे श्रम करने से इनकार करते तो जबर्दस्ती से काम लेने के लिये सन्तरी भेजे जाते थे। कुछ ने संतरियों का अपमान किया। संतरियों ने ऐसा न करने की

चेतावनी दी गई और हवा में गोली चलाई । जब हुक्म का पालन नहीं किया गया तो उन्होंने गोलियां चलाई । केवल दो घायल हुये। इस्तगासे के वकील सर एन ० पी ० इन्जीनियर ने गवाह से फिर जिरह करते हुये पूछाः जब संतरी आये तो वास्तव क्या हुआ ?

श्री देसाई–मैं इस प्रश्न पर आपत्ति उठाता हूँ। क्या यह गवाह से दुबारा प्रश्न करना नहीं है । यदि सरकारी वकील गवाह से अपनी मन चाही बात नहीं कहलवा सकते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ।

प्रेजाइडिंग अफसर–गवाह ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । सरकारी वकील को हमारे सामने पूरा चित्र रखना चाहिये ।

श्री देसाईः—यह ऐसी बात है जिसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। अतएव इस बात पर फिर सवाल किया जाना चाहिये । प्रेजाइडिंग अफसर ने जल्दी ही अदालत के दूसरे सदस्यों की राय ली और प्रश्न करने की आज्ञा दी । लेकिन गवाह ने कोई निश्चित उत्तर न दिया । अतएव निम्न संशोधित रूप में प्रश्न किया गया:—

संतरी के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ ?

गवाह—झगड़े का कारण यह था कि हमने सन्तरियों द्वारा अपने ऊपर गोली चलाने का विरोध किया । अदालत ने प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया ।

अदालत—आपने अदालत के सामने यह कहा है कि जब आप अस्पताल में थे, तो आप से कहा गया था कि यदि आप आजाद हिन्द फौज में शामिल हो जायं तो आप की टांग में से गोली निकालदी जायगी । तो क्या गोली निकालदी गई ?

गवाह—लगभग डेढ़ माह बाद मेरी टांग से गोली निकाली गई

अदालत—जब गोली निकाली गई, तब आप कहां थे ?

गवाह—उस समय मैं बिदादरी अस्पताल में था।

चौदहवें गवाह रविलाल की गवाही

उसके बाद रविलाल ने गवाही देते हुये कहा, मैं १३ अक्तूबर १६३८ के दिन भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। मैं अपनी यूनिट के साथ मलाया चला गया था। २० अगस्त १६४१ के दिन सिंगापुर में मुझे युद्ध बन्दी बना लिया गया। पहिली बार जहां मुझे ले जाया गया था उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं। बाद में मुझे सीरम्बान सड़क और वहां से बुल्लर कैम्प में ले जाया गया था मैं वहां लगभग ढाई महीने तक रहा। वहां मुझे एक सिविल हवाई अड्डे पर ले जाया गया। वहां मैं लगभग डेढ महीने तक रहा। अन्त में मुझे बिदादरी की २ कैम्प में ले जाया गया। वहां मैं लगभग एक महीने तक रहा। बुल्लर कैम्प में मुझे आजाद हिन्द फौज के बारे में बताया गया। हमसे कहा गया कि जापानियों की सहायता से हमें भारत को आजाद करना चाहिये।

कैम्प में भाषण

जब मैं बिदादरी कैम्प में गया तो वहां कई भाषण सुनने को मिले। उनमें कहा जाता था कि जो लोग आजाद हिन्द फौज में भर्ती न होंगे उन्हें भारत को आजाद कराने का मौका फिर न मिलेगा। उन्हें बाद में खतरे का सामना करना होगा। आजाद हिन्द फौज के अफसरों ने स्वयं मुझ से कहा, "भर्ती हो जाओ।" मुझसे कहा गया, यदि मैं शामिल न हुआ तो मुझे नजरबन्द कैम्प में भेज दिया जायेगा। लेकिन मैं आजाद हिन्द फौज में शामिल होने को तैयार न हुआ। बुल्लर कैम्प में मेरे पहुंचने

के बाद मेरी यूनिट के कुछ कास रखने वाले और कास न रखने वालों को हम से अलग कर दिया गया। बाद में मैं जब नजर बन्द कैम्प में पहुँचा तो मैंने उन सब को वहाँ पाया। उनके चले जाने के बाद बिदादरी कैम्प में मेरे और मेरी यूनिट के सामने आजाद हिन्द फौज के बारे में भाषण दिये गये। हमें कहा गया कि यदि हम लोग आजाद हिन्द फौज में शामिल न हुये तो हमें भी नजर-बन्द कैम्प में ले जाया जायेगा।

२४ दिसम्बर की घटना

२४ दिसम्बर १९४३ की एक घटना मुझे याद है। बिदादरी कैम्प में आजाद हिन्द फौज का एक अफसर भाषण दे रहा था। सारी बेलटियन जमा थी एक दो आदमी अपना खाना ले जा रहे थे। इसलिये वे शामिल न हो सके। आजाद हिन्द फौज के अफसर ने उन दोनों से कहा कि यह खाना खाने का समय नहीं। उन्हें पीटने की आज्ञा दी गई। इसलिये वहाँ लाया गया। मेरे एक ओर पार्टी लाठियां लिये खड़ी थी और दूसरी ओर हथियार। १५—२० आदमियों ने हथियार ले रखे थे और ६—७ ने लाठियां ले रखी थी। आजाद हिन्द फौज के एक अफसर ने मेरी यूनिट के आदमियों व महतरों से आजाद हिन्द फौज में शामिल हो जाने को कहा। इसके बाद मेरी यूनिट के कुछ आद-मियों को अलग कर दिया गया। वे आजाद हिन्द फौज के अफसर के पास गये। उन्होंने उन से कहा यदि समूची गुर्खा रेजीमेन्ट तैयार हो जाय तो हम भी आजाद हिन्द फौज में शामिल हो जायेंगे। अफसर ने रक्षकों को उन पर गोली चला देने की आज्ञा दी। उसके बाद उस अफसर ने भाषण देता हुआ कहा कि, जो लोग अँग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे, वे हमारे शत्रु समझे जायँगे

इसके बाद अफसर ने कुछ नाम पढ़ कर सुनाये। उनसे पंक्ति में खड़े होने को कहा गया। अफसर ने उन सबको पीटना शुरू किया। बाद में ३-४ आदमियों को पीटा गया। ५ वें आदमी को बुरी तरह पीटा गया। यूनिट ने इस पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि आजाद हिन्द फौज वाले चाहें तो सारी यूनिट को यमलोक पहुँचा सकते हैं किन्तु हम आजाद हिन्द फौज में शामिल न होंगे। इस पर अफसरों ने रक्षकों को उन पर गोली चला देने की आज्ञा दी।

लकड़ी की खड़ाऊँ मारी

रक्षक ने अपितु तो हवा में गोली चलाई। लोगों ने और कोई वस्तु न मिलने पर अपनी खड़ाऊँ ही रक्षक के मुँह पर मारी। एक घण्टे तक गोली चलती रही। इसमें ४ गुर्वे शामिल थे। गोलीकांड के बाद उन सब को नजरबन्द कैम्प में ले जाया गया। गोली रात को चली, इसलिये मैं नहीं कह सकता कि कौन कौन घायल हुये थे। हमें रात भर एक ऐसे स्थान पर रक्खा गया, जिसके चारों ओर कटीले तारों की बाढ़ लगी हुई थी और ऊपर छत न थी। हमें रात भर वर्षा में रहना पड़ा। दूसरे दिन हमें कैम्प में जाने की आज्ञा हुई।

अफसर ने १४ आदमियों को आजाद हिन्द फौज के विरुद्ध प्रचार करने के अभियोग में अलग कर दिया। शेष को बिदादरी कैम्प में भेज दिया गया। वहाँ भी उन्हें मशक्कत करनी पड़ी। बाद में उन्हें नजरबन्द कैम्प में भेज दिया गया और मैं भी उनके साथ था। हमारे पहुँचने के दूसरे दिन ही पिटाई व मशक्कत जारी हो गई। पहिले दो दिन तक खाने का प्रबन्ध न था। तीसरे दिन हमें खाना दिया गया। हमने अफसर से कहा कि हमारी कैम्प से

बार बार अदला बदली क्यों की जाती है, जब तक कोई फैसला नहीं किया जाता तब तक हम खाना नहीं खायेंगे। इसलिये हमने पांच दिन तक खाना नहीं खाया। ५ दिन बाद हमलोग बिदादरी कैम्प में वापिस चले गये। बिदादरी में पहुँचने के अगले दिन सेलेटार के अस्पताल में संख्या ७ में दाखिल हो गया। वहाँ मैं १॥ महीने तक रहा। वहाँ मुझे दवाई दी गई और मैं स्वस्थ होगया बाद में मैं बिदादरी बटेलियन में शामिल हो गया। वहाँ मैं ५-६ दिन तक रहा। बाद में मैं श्री बिचैली कैम्प में गया। ३-४ दिनों बाद हमें जापानी लोग खाइयाँ खोदने के लिये लेगये। वहाँ ३-४ दिन रहने के बाद अँग्रेजी फौजें पहुँच गईं और उन्होंने हमारी जान बचाई। इसके बाद अदालत लंच के लिये स्थगित हो गई।

लंच के बाद

लंच के बाद श्रीआसफअली द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने कहा कि अगस्त १९४१ से लेकर सिंगापुर पतन तक मेरी यूनिट को मलाया में शिक्षा दी जाती रही।

श्रीआसफअली—किस चीज की शिक्षा दी गई ? जंगल युद्ध की अथवा दोनों की (हँसी)।

गवाह—हमें लड़ाई की शिक्षा दी गई।

इसे श्री आसफअली ने बाद की कार्यवाहियों और बटेलियन के फ्लोर स्टार वापिस लौट जाने के तथा वापिस लौटने के समय दिये जाने वाले राशन के बारे में कई प्रश्न पूछे।

इस्तगासे के वकील से झड़प

इस्तगासे के वकील सर एन० पी० इंजीनियर—यह प्रश्न संगत नहीं।

श्री आसफअली—आपने जो सवाल पूछे हैं, उन्हें भी मैं संगत नहीं समझता हूं।

सर एन० पी०—यह आपका दुर्भाग्य है।

श्री आसफअली—दुर्भाग्य मेरा हो या आपका, मैं तो समूची घटना की छानबीन कर रहा हूं। बादशाह के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और ज्यादतियों के बारे में काफी चर्चा की गई है। लेकिन मैं तो यह चाहता हूं कि उन दिनों वस्तुतः क्या हो रहा था। सर एन० पी० के दुर्भाग्य की बातें एक दम अनुत्तेजनापूर्ण हैं, फिर भी मैं इन्हें सहन न कर सकूंगा।

जज एडवोकेट—अदालत आपसे जो चीजें सहन करने को कहेगी, उन्हें सहन करना ही होगा। हमें सारी कार्यवाही शांति-पूर्ण वातावरण में करनी चाहिये।

श्री आसफअली—मैंने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं कही कि मुझे दुर्भाग्य शब्द सुनना पड़े। मेरा ही दुर्भाग्य क्यों होना चाहिये, इनका क्यों नहीं।

जज एडवोकेट—यदि अदालत श्री आसफअली को प्रश्न करने की आज्ञा देती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

राशन के प्रबन्ध के बारे में उत्तर

श्री आसफअली ने राशन के सम्बन्ध में गवाह से प्रश्न किया, जिसका उत्तर देते हुए उसने कहा एलोर स्टार वापिस लौटते हुये राशन का प्रबन्ध कहीं पूर्ण और कहीं अपूर्ण था। वापिस लौटते हुये कुआलालम्पुर में गोरा पल्टनें हमारे साथ आ मिलीं। वापिस लौटते समय तथा दूसरी सुविधाओं के सम्बन्ध में गोरा पल्टनों के साथ पक्षपात न किया जाता था।

रिवर वेली कैम्प में बटेलियन के कुछ आदमियों ने कमांडिंग अफसर और सूबेदार मेजर के सामने बयान दिया। मैंने भी दो बयान दिये और उन्हें दर्ज कर लिया गया।

भोजन के बारे में भेदभाव न था

"वापिस लौटते हुए हमारी हैं को से सहायता नहीं की गई। हमारी सहायता के लिये वायुयान भी न भेजे गये थे। हाँ, पांचीफिचल में करीब ४० वायुयान ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिये।

आसफअली—आपके कथन का अभिप्राय है कि आप लोगों को भी ठीक वही राशन दिया जाता था, जो गोरा पल्टनों को।

गवाह—जब हम लोग पीछे हट रहे थे, तब हमारा राशन वही था जो गोरों का था, फिर चाहे हम उसे खाते या न खाते।

इस्तगासे को खुश करने की कोशिश

अदालत द्वारा पूछे जाने पर श्री आसफअली ने कहा कि मैं यह दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं कि गवाह इस्तगासे को खुश करने के लिए यह सब बयान दे रहा हूं। गवाह का कहना है कि हिन्दुस्तानी व गोरा पल्टनों को एक जैसा राशन दिया गया, जब कि इस भेद भाव के बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं।

श्री आसफअली—क्या अन्य सुविधायें भी एक जैसी थी।

गवाह—जी हां। गवाह ने आगे कहा कि मैं सिंगापुर में मेरी बटालियन को रक्षा कार्य के लिए तैनात किया गया।

आस्ट्रेलियन को खाना पहुंचाया।

श्री आसफअली—क्या आप लोगों को यह आज्ञा हुई थी कि आस्ट्रेलिया की फौजों के लिये खाना ले जाओ।

गवाह—जी हां। मैं तो एक बार खाना ले गया था।

प्रश्न—क्या आस्ट्रेलिया व ब्रिटेन की फौजें हिन्दुस्तानी फौजों के लिये खाना ले जाती थी।

उत्तर—मैं नहीं जानता। गवाह ने कहा कि बिदादरी कैम्प में युद्धबन्दी स्वतः विचार कर रहे थे कि वे आजाद हिन्द फौज में शामिल हों या नहीं।

प्रश्न—जो लोग स्वामिभक्त थे, क्या उनको उस प्रस्ताव पर क्रोध आता था कि उन्हें आजाद हिन्द फौज में शामिल हो जाना चाहिये?

उत्तर—हां यह ठीक है कि जो लोग स्वामिभक्त थे, वे आजाद हिन्द फौज में शामिल होने के प्रस्ताव से नाराज थे, जो लोग पहिले से ही फौज में शामिल होचुके थे, उन्होंने दूसरों को समझाया कि वे शामिल हो जायें। लेकिन दूसरे लोग इससे नाराज होगये। जब जब अफसर लोग आजाद हिन्द फौज में शामिल होने के लिये समझाने आते थे, हमने उनसे कभी भी बाहिर निकल जाने को नहीं कहा, लेकिन दिल में हम नाराज थे।

६०० आदमी थे

आगे चलकर राईफलमैन रविलाल ने कहा—कि बिदादरी कैम्प के मेरे विभाग में करीब ६०० आदमी थे। हमें मशक्कत करनी पड़ती थी। मैं तो मशक्कत करना पसन्द भी नहीं करता था।

मैंने किसी और को भी यह कहते नहीं सुना कि हमें मशक्कत नहीं चाहिये।

श्रीआसफअली—क्या ललित बहादुर भी आपके साथी थे?

गवाह—घायल होने तक वह हमारे साथ ही थे।

प्रश्न—ललित बहादुर ने अदालत को बताया है कि मुशक्कत के बारे में लड़ाई हो गई।

उत्तर—मुझे इस संबन्ध में कुछ नहीं पता। मुझे मशक्कत के बारे में भी कुछ याद नहीं, मैंने ललित बहादुर को मशक्कत के बारे में कुछ नहीं कहा। गड़बड़ के समय लगभग १५-२० रक्षक मौजूद थे। इनमें से कुछ लाठियों व राइफलों से लैस थे।

प्रश्न—क्या यह ठीक है कि कुछ रक्षक भाग गये थे?

उत्तर—जो रक्षक लाठियों से लैस थे, वे भाग गये थे। लेकिन हमलोग डटे रहे।

प्रश्न—रक्षकों ने आपमें से कितनों पर हमले किये थे?

उत्तर—हमलोगों की संख्या करीब ५००-६०० थी। हम में से ३००-३५० के पास खड़ाऊँ थे।

पंद्रहवें गवाह सूबेदार रामस्वरूप की गवाही

भर्ती न होने वालों पर अत्याचार

मुझे अक्टूबर १६३६ में आर० आई० ए० एस० सी० में भर्ती किया गया। फिर मुझे ३१ जी० पी० टी० बंगलौर में नियुक्त कर दिया गया। मैं यूनिट के साथ अक्टूबर १६४१ में मलाया चला गया। मेरा विभाग इपोह चला गया। इसके पराजित होने पर मैं सिंगापुर में था। सिंगापुर के हारने के एक

दिन पहले मैं अपनी यूनिट से भाग गया। मैंने नागरिकों के से कपड़े पहन लिये और नागरिकों में मिल गया। मैं १३ अप्रैल १९४२ तक सिंगापुर में था, जबकि मेरी यूनिट के एक क्लर्क ने मेरे कमरे में अकस्मात् प्रवेश किया जहां कि मैं बैठा था। चूंकि मैं बीमार था, उसने मुझे कैम्प में जाने को कहा। मेरी यूनिट उस समय सेलेतर यूनिट में थी। जब मैं वहां था तो मुझे क्लर्की करने को कहा गया।

मैं आज़ाद हिन्द फौज में भर्ती नहीं हुआ और न इच्छा ही थी। मुझे डी १ के कैम्प में नियुक्त किया गया। तीन माह के बाद मुझे नजरबन्दी कैम्प में भेज दिया गया। मेरा ख्याल है कि यह जुलाई १९४२ की बात है। जब हम हमारे नजरबन्दी कैम्प में पहुंचे तो हम लारी से बाहर आगये तथा सामान एक तरफ रख दिया। एक सिक्ख ने हमारी तलाशी की। मुझे बताया गया कि मैं आज़ाद हिन्द फौज के विरुद्ध प्रचार कर रहा था। उसके बाद उसने एक आदमी को बुलाया जिसके हाथ में एक डंडा था और उसे पंजाबी में कहा कि महमान आए हैं इनकी खातिर तवाज़ो करो। मुझे डंडों से पीटा गया तथा एक ठोकर मारी। मैं नीचे गिर गया और मुझे फिर डन्डे से पीटा गया। मैं मूर्छित हो गया। मेरे होश में आने पर मुझे एक जेल में ले जाया गया और वहां छोड़ दिया। मैं सारी रात जेल में रहा। दूसरे दिन मुझे एक सन्तरी बाहर ले गया और दलेल के काम के लिए कहा। वहां १५ व २० आदमी और भी दलेल कर रहे थे। मैं सवेरे से शाम तक दलेल करता रहा। बारह बजे खाने का विराम मिला था। कुछ चावल खाने को दिये गये थे पर मैंने नहीं खाये। हमें जमीन खोदनी पड़ती थी, बोरों में भर कर दूसरी जगह खाली करना होता था। हरेक आदमी पर सन्तरी

छोड़े गये थे जो कि हम पर सख्ती डाल कर दलील लेते थे। शाम के छः बजे मैं अपनी जेल में वापिस आया। इस समय मैं बहुत ही थका हुआ था और अस्वस्थ हो गया। आध घंटे के बाद एक कैम्प अफसर आया और पूछा कि कैसी तबियत है मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मुझ से पूछा कि वह स्वयंसेवक बनना चाहता है या नहीं। मैं कुछ शर्तों पर स्वयंसेवक बनना नहीं चाहता। मैं दुःख उठाने को तैयार हूँ। इस पर अफसर ने मुझे अपशब्द कहे और दूसरे लोगों से पूछा कि जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया था उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। फिर उसने मेरे हाथ बांध दिये और मेरे मुँह पर घूंसा मारा, ठोकरें मारीं तथा डंडे से पीटा। मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मुझ से फिर स्वयंसेवक बनने के लिए कहा गया। इस समय मैंने अपनी स्वीकृति देदी क्योंकि मरने के बजाय स्वयंसेवक बनना स्वीकार करना अच्छा समझा। जिन सन्तरियों ने हमें पीटा था, उनका काम आजाद हिन्द फौज में स्वयंसेवक भर्ती करना था। उस समय कोई बैज न थे।

गवाह से जिरह

श्री भूलाभाई के पूछने पर गवाह ने कहा—

"मैं कप्तान एम० ए० मलिक को जानता हूं। आजाद हिन्द फौज में इनके आधीन था। मैं भारत आया तो मैंने अपने डिपो को इत्तला दी। जिस समय मैं भारत आया तो रेल में सवार होकर अपने घर चला गया। मैं अपने घर २० तथा २५ दिन रहा। किसी के बिना दबाव के ही मैंने अपने फीरोजपुर के डिपो को इत्तला दी। जिस समय मैं रावलपिंडी पहुँचा तो मेरी धर्मपत्नी वहां थी। वह बीमार थी। डाक्टर ने

मुझे सलाह दी कि मैं इसे किसी शीतल प्रदेश में ले जाऊं। वहां से मैं काश्मीर चला गया।

श्री भूलाभाई देसाई के पूछने पर गवाह ने आगे कहा—मैं अपने निवास स्थान पर चला गया, वापिस आया और मैंने यह अच्छा समझा कि मैं अपने डिपो को इत्तला देदूं।

गवाह ने आगे बताया—मुझे भारत मिलिट्री जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया। मैं आजाद हिंद फौज में एक विश्वस्त व्यक्ति था। मैं आजाद हिन्द फौज के साथ हमदर्दी नहीं रखता था। मैं पहले भर्ती होने वाले लोगों में से था। मैंने इस स्थान को स्वीकार किया था। उस समय भर्ती जरूर हो गया था पर आजाद हिन्द फौज में विश्वास नहीं रखता था। जब मैं भर्ती हो गया तो मैं इसके आन्दोलन में विश्वास रखता था। जिस समय फौज ने आत्मसमर्पण किया तब मैंने भागने की इच्छा से नागरिक कपड़े पहन लिये थे। ऐसा मैंने मेरे ओ० सी० मेजर वेनमैन के कहने पर किया था। उसने मुझे भागने की आज्ञा दी थी। उसने बताया था कि हमें आत्मसमर्पण करना है।

गवाह ने फिर कहा—मुझे इस पद के लिये नियुक्त नहीं किया गया। मैंने भागने के लिए प्रार्थना की।

जहां तक मैं जानता हूं कि आत्मसमर्पण की आज्ञा पहले ही दे दी गई थी। मेरी कम्पनी शक्ति २०० थी। मैं पहले ही आ जाना चाहता था क्योंकि मैं युद्धबन्दी नहीं होना चाहता था। मेरे पास कुछ रुपये थे। १८ अप्रैल को मैं फिर यूनिट में आ गया। मेजर वेनमैन ब्रिटिशर नहीं था, अपितु सीलोन निवासी था।

अप्रैल में आजाद हिन्द फौज का कार्य बढ़ने लगा। लोग स्वेच्छा से भर्ती हो रहे थे। उस समय मैं इस कार्य में विश्वास नहीं करता था। जिस समय भर्ती हो गया तो मैं विश्वास करने लग गया था। मैंने सोचा कि यह सब काम ठीक है। मेरा भारत आने का मतलब सूचना प्राप्त करना था न कि आ० हि० फौज को छोड़ना था।

अदालत द्वारा प्रश्न पूछने पर गवाह ने कहा—जिस हवालात में मैं बन्द किया गया वह ३×५ गज थी। उस हवालात में मैं अकेला था पर दो व तीन आदमी आ सकते थे। मैं वहां केवल एक दिन रहा।

सोलहवें गवाह लांस नायक फिटर मोहिन्द्रसिंह की गवाही

मैं सितम्बर १९३९ में इंडियन आर्मी ऑर्डिनस कोपर्स में भर्ती हुआ था। मेरा सम्बन्ध लखनऊ ऑर्डिनस से था। मैं मलाया गया था। मैं ८ जनवरी १९४२ को मलाया युद्ध बन्दी बना कर भेजा गया। वहां से कोला लम्पर भेजा गया। फिर यहां से सिंगापुर के बिदादरी कैम्प में भेज दिया गया। फिर सेलीतार कैम्प में। मैं सेलीतार कैम्प मई १९४२ में पहुंच गया था।

बिदादरी कैम्प में आजाद-हिन्द-फौज के एक अफसर ने एक भाषण दिया जिसमें बैंकाक कान्फ्रेंस का वर्णन किया जहां पर भारत स्वतन्त्रता संघ की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। कान्फ्रेंस ने मोहनसिंह की कमाण्ड में एक भारतीय फौज के संगठन का निर्णय किया था। मैं सितम्बर १९४२ में आजाद-हिन्द-फौज में स्वेच्छा से भर्ती हुआ था। मैं एस. एस. ग्रूप में भेज दिया गया जो कि नैसून में थी। इस ग्रूप

को शस्त्र शिक्षा दी गई थी जिससे भारत चल कर लड़ाई करके भारत आजाद किया जावे।

मैं जानता हूं कि मोहनसिंह दिसम्बर १९४२ में गिरफ्तार कर लिया गया था। आजाद हिन्द फौज भंग कर दी गई और हमारे कमाण्डिङ्ग आफीसर ने भाषण दिया कि हमारे मौजूदा नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं और आजाद हिन्द फौज भंग करदी गई है। आप लोगों को अधिकार है कि वह आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने में स्वतन्त्र है। इसी प्रकार और भी अनेक भाषण हुये और हम भी आजाद-हिन्द-फौज के बारे में सोचते थे। इस समय मैं नीसून कैम्प में था। चूंकि हमारे नेता मोहनसिंह गिरफ्तार कर लिये गए हैं, अतः मैं स्वयं सेवक रहना नहीं चाहता नीसून कैम्प में मुझे तथा मेरे साथी को आजाद-हिन्द फौज का स्वयं सेवक बने रहने के लिये कहा गया, पर हमने अस्वीकार कर दिया।

जब स्वयं सेवक तथा गैर स्वयं सेवक पृथक किये गए तो मैं गैर स्वयं सेवकों में चला गया। मेरे कमाण्डिङ्ग अफसर ने हुक्म दिया कि मैं गैर स्वयं सेवकों के साथ न रहूँ। दो व तीन दिन के बाद एक जमादार आया और हम में से तीन को नजरबन्द कैम्प में ले गया। वहां मैं पीटा गया। पीटने से पहिले मुझे बताया गया कि मुझे आजाद-हिन्द-फौज के विरुद्ध प्रचार करने के कारण पीटा जा रहा है। मुझे छः डंडे लगाये गए। इससे मेरी पीठ से खून चमकने लगा। इसके बाद मुझे हवालात में बन्द कर दिया। मैं इसमें अकेला था। वह हवालात ६×३ फीट थी। मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था क्यों कि मुझे पीड़ा थी। मैं इस हवालात में १५ दिन रहा।

१८ नवम्बर १९४५

नेता जी द्वारा सैनिकों को देश की मुक्ती के लिए लड़ने की सलाह

" आजाद हिन्द सरकार एक समानान्तर सरकार है "

" जापानी एक तमाचा मारें तो उन्हें तीन मारो "

(शाहनवाज)

१७ वें गवाह दिलासा खां की गवाही

" भारत स्वतंत्र होने पर यदि जापानियों ने दबाया तो उनसे लड़ा जायगा। "

सिपाही दिलासाखाँ ने आजाद हिन्द फौज की गश्ती कार्रवाई में भाग लिया था। सितम्बर १९४२ में गवाह आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ था और आजाद ब्रिगेड में नियुक्त किया गया। बाद में उसे बोस ब्रिगेड में रख दिया गया जिसके कि कप्तान शाहनवाजखां कमांडेंट थे।

गवाह ने अपने बयान में कहा, "कप्तान शाहनवाजखां ने ब्रिगेड के समक्ष एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि बोस ब्रिगेड जिसमें कि चुने हुए आदमी हैं, सर्वप्रथम मोर्चे पर जायगी उन्होंने चेतावनी दी थी कि रण-क्षेत्र में बहुत तकलीफें होंगी। यदि कोई मौत और मुसीबत से डरता हो तो उसे पहले ही अलग हो जाना चाहिए। कप्तान शाहनवाजखां ने कहा था, "हमें

आजादी की लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई के लिए साहसी व्यक्तियों की आवश्यकता है न कि बुजदिलों की"।

आगे चल कर उन्होंने कहा "जब हम अपने मित्र जापानियों के साथ मिलकर लड़ें तो यह न होना चाहिए कि हमको युद्ध में दूसरे दर्जे के सैनिक समझा जाय और इस तरह हमारा राष्ट्र अपमानित हो। जब हम भारत पहुँचेंगे तो हम अपने सयानों से मिलेंगे। हम सयानी औरतों को मातायें तथा अपनी उम्र से कम उम्र की लड़कियों को बहिनें तथा पुत्रियां मानेंगे। यदि कोई इन आदेशों का पालन नहीं करेगा तो वह गोली से उड़ा दिया जायगा। जब भारत स्वतन्त्र हो जायगा, उस समय यदि जापानी, जो कि इस समय हमें सहायता दे रहे हैं, हमें दबाने का प्रयत्न करेंगे तो हम उनसे लड़ेंगे। अब भी अगर जापानी आपको एक तमाचा मारें तो आप तीन मारदें, क्यों कि हमारी सरकार जापानी सरकार के समान ही है। हम किसी भी रूप में जापानियों के आधीन नहीं हैं।"

"भारत पहुंचने पर यदि हमें ज्ञात हो कि कोई जापानी हमारी महिलाओं से बुरा बर्ताव कर रहा है तो पहिले उसे मौखिक चेतावनी दे दी जायगी। वह तब भी न मानेगा तो हम उसे गोली मार देंगे"।

लड़ाई भारत की स्वतन्त्रता के लिये, न कि जापानी लाभ के लिए।

गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए बताया, "कप्तान शाह-नवाज खाँ ने कहा था कि भारत की स्वतन्त्रता तथा उसकी खुश हाली के लिये लड़ाई लड़ी जा रही है, न कि जापानियों के लाभ के लिए।"

२४ जनवरी १६४४ को सारी ब्रिगेड रंगून में एकत्रित की गई। ७ फरवरी को यह सलाम ढ़ाका चली गई। जिस बटालियन में मैं था, वह सड़क से मोर्चे तक राशन ले जाती थी। बाद में बटालियन ने गश्ती कार्य किया। एक बार १०० सैनिक शसस्त्र होकर गश्त के लिये गए थे। हमें यह आज्ञा दी गई कि हम पास में ब्रिटिश भारतीय सेना के सम्पर्क स्थापित करें और उसके सैनिकों को प्रचार द्वारा आजाद हिन्द फौज में शामिल करवादें। यदि ब्रिटिश भारतीय सेना हम पर गोली चलावे तो हम भी गोली चलादें। रात भर चलकर हमारी गश्ती टुकड़ी एक पहाड़ी के समीप पहुँची। वहाँ एक गाँव था और वहाँ हमने एक चिन-लेवीज का एक दल देखा। गाँव में पूछ ताछ करने पर विदित हुआ कि ये चिन लोग ब्रिटिश फौज के साथी हैं। हमने तुरन्त मोर्चे सम्भाले और उनमें से २४ को पकड़ लिया तथा उनके शस्त्र इकट्ठा किये। आजाद हिन्द फौज की गश्ती टुकड़ी का भारतीय फौज से सम्पर्क नहीं हुआ।

गवाह ने आगे चल कर बतलाया कि वह ३१ मार्च को बच कर निकल गया और ब्रिटिश सेना में शामिल हो गया।

श्री देसाई द्वारा जिरह

बचाव पक्ष के वकील श्री भूलाभाई देसाई के जिरह करने पर सिपाही दिलासा खां ने कहा कि वह पहिली आजाद हिन्द फौज में जब सितम्बर १६४२ में बनी थी तब शामिल हुआ था।

प्रश्न—क्या यह कहना सही होगा कि आजाद हिन्द फौज में १५००० सैनिक फौजी शिक्षण पाते थे और २०००० सैनिक इसके अतिरिक्त थे।

उत्तर—२४ दस्ते शिक्षण पाते थे; किंतु उनमें कितने आदमी थे, यह मैं ठीक ठीक नहीं जानता। मैंने सुना था कि इसके अतिरिक्त भी स्वयं सेवक थे, लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है।

गवाह ने कहा कि जब पहली आजाद हिन्द सेना दिसम्बर १६४२ में भंग कर दी गई तो मैं दूसरी आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गया, जब कि सेना का दस्ता इकट्ठा किया गया और उसके सामने श्री सुभाषचन्द्र बोस ने, जिन्हें आमतौर पर सभी 'नेताजी' कहते थे, रंगून से जाने से पहले दिन भाषण दिया तो मैं तब वहां मौजूद था। उन्होंने कहा था—

"आप लोग हिन्दुस्तान को स्वतंत्र करने के लिये आजादी के सिपाही हैं। आपको मोर्चे पर कठिनाइयां सहनी होंगी। यदि आप चाहें तो पीछे भी रह सकते हैं।"

श्री सुभाषचन्द्र बोस ने यह भी कहा था—हम हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के लिये लड़ रहे हैं; हमारे पास काफी रुपया और दूसरे साधन नहीं हैं। हम जो कुछ हो सकता है, आपको दे रहे हैं। चूंकि हम गरीब हैं इसलिए हम आपको इससे अच्छा खाना भी नहीं दे सकते जो आपको इस समय मिल रहा है। आप को खाना कम रह जाने पर भी काम चलाना होगा।

बन्दियों के कपड़े नहीं उतारे

गवाह ने आगे कहा,—"जब हमारी टुकड़ी सलामहाका से रवाना हुई और जिन बन्दियों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने बन्दियों की बन्दूकों में से बोल्ट निकाल लिए और बेकार राइफलें वापिस देकर उन्हें सड़क के सहारे बिठा दिया। हमारे

दस्ते ने चिनों के कपड़े या जूते नहीं उतारे और न कोई दूसरी चीज ली। चिन बन्दियों से आमतौर पर अच्छा व्यवहार किया।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा, "दस्ते के कपड़े और दूसरा सामान काम देने लायक हालत में थे। चिन बन्दियों को पकड़ने की जगह दस्ता लगभग १५ मिनट तक रह गया।

१८ वें गवाह हवलदार नवाबखां की गवाही

"आजाद हिन्द फौज जापान के लिए नहीं लड़ रही"

गवाह ने कहा "मैं दिसम्बर १९३७ में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। अप्रैल १९४१ में मैं अपनी बटेलियन के साथ मलाया गया था। सिंगापुर के पतन के समय मैं वहीं था।

अक्टूबर १९४३ में मैं आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ था। मुझे छापामार फौज नं० १ का सुभाष ब्रिगेड में स्थान दिया गया। मुझे खुफया पुलिस का हवलदार बनाकर टायपिंग भेजा गया। मेरा ब्रिगेड के कमांडर कप्तान शाहनवाज थे। ३ जनवरी १९४४ के दिन मैं टायपिंग से रंगून चला गया। १२ फरवरी को मुझे रंगून से मोर्चे पर भेज दिया गया। मेरी ब्रिगेड इम्फाल जाने वाली थी। उसी की वजह से २०० आदमियों को करीब ६ महीने के लिए राशन मिलता रहा। १५ मई को अंग्रेजी फौजों पर हमला होने वाला था। हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक राशन छीन लेने का था।

शाहनवाज का फोन

१५ मई को मुझे कप्तान शाहनवाज का फोन से सन्देश मिला। उसमें कहा गया था कि एक स्थान पर कब्जा हो चुका

है। अफसरों व सैनिकों का हौंसला पहिले के समान ही ऊंचा है। हमारी फौज का कोई आदमी हताहत नहीं हुआ। शत्रु के ३-४ आदमी हताहत हो गये हैं। कुछ कम्बल दियासलाइयां और सिग्रेट हमारे हाथ लगे हैं। सारी चीजें बाद में साफ करूंगा। ७-८ दिन तक यहां रहने के बाद मैं भाग कर अंग्रेजों में मिल गया।

श्री देसाई की जिरह

श्री भूलाभाई देसाई द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने कहा कि जब मैं अक्टूबर १९४३ में आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ तो मुझे मालूम था कि आजाद हिन्द सरकार स्थापित होने की घोषणा की जा चुकी है। १५ फरवरी १९४२ के दिन जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया उनमें से मैं भी एक था। १७ फरवरी को फारान में जो सभा हुई उसमें भी शामिल था। उस सभा में मेजर फूजीवारा ने युद्धबन्दियों को कप्तान मोहनसिंह के हवाले किया था। मेजर फूजीवारा ने भारतीय युद्ध बंदियों से कहा था कि यदि वह भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिन्द फौज में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि श्री सुभाष बोस आजाद हिन्द फौज के प्रधान सेनापति थे। मुझे यह भी पता चला है कि आजाद हिंद फौज आवश्यकता पड़ने पर संसार की किसी भी और यहां तक कि जापान की भी सेना के साथ लड़ने को तैयार रहेगी। अपनी ब्रिगेड में भी मुझे सारी हिदायतें मिलती थीं। मेरे भारतीय अफसर होते थे, जापानी अफसर नहीं। मेरे क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में भी आजाद हिन्द फौज में एक भी अफसर जापानी न था।

राशन विभाग के सहायक

ले० अब्दुल रहमान को राशन विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था और मैं उनका सहकारी था। हमारे राशन में चावल, नमक और थोड़ा सा तेल हुआ करता था। आजाद हिन्द फौज को मोर्चे पर बड़ी दिक्कतों के साथ लड़ना पड़ा। फौज में शामिल होने के बाद मैंने अपना फर्ज निहायत वफादारी के साथ अदा किया। कप्तान शाहनवाज खां के अधीन लड़ने वाले आदमी इम्फाल की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने सुभाषचन्द्र बोस को सिंगापुर में देखा था। उन्होंने मोर्चे पर जाने वाले आदमियों में भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था—

"आजाद हिन्द फौज भारत को आजाद कराने के लिए लड़ रही है। यही उसका धर्म उद्देश्य है यह फौज जापान के फायदे के लिये नहीं लड़ रही वह भारत को आजाद कराने के लिए साथी के तौर पर जापान से सहायता ले रही है। हमारे साधन कम हैं। इस लिए आजाद हिन्द फौज में शामिल होते हुए यह किसी को धोखा न होना चाहिये कि उसे और अधिक अच्छा माल मिलेगा। जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता उसे हमारे पीछे नहीं आना चाहिए।"

गवाह ने कहा कि मेरी छापामार रेजिमेंट में से एक भी व्यक्ति पीछे नहीं हटा। बाद में यह पूछा गया कि कौन कौन मोर्चे पर नहीं जाना चाहता। मैं नहीं कह सकता कि उस समय कितने लोगों ने अपने नाम वापिस लिए। अंग्रेजों के साथ मिल जाने के बाद मैं अपने घर चला गया।

न्यायाधीश—आपने अपने बयान में बताया है कि आपका राशन कम होगया। राशन कितना मिलता था।

गवाह—राशन की कोई मात्रा निश्चित न थी। हां हमें राशन में चावल काफी मिल जाता था। करीब १०-११ औंस चावल मिला करता था। राशन की पूर्ति किसी और चीज से न की जाती थी।

क्या केले जमा करते थे ?

श्री देसाई—जब आपको राशन नहीं मिलता था तो आप जंगल में जाकर फूल, केले व दूसरे फल जमा करने लग जाते थे?

गवाह—वस्तुतः जब हम लोगों को राशन नहीं मिलता था तो हम जंगल में ही जाया करते थे और जो कुछ मिलता था बटोर लेते थे।

१६ वें गवाह सिपाही हनुमान प्रसाद

सरकारी गवाह हनुमान प्रसाद ने कहा, "मैं १६ अप्रैल १६४१ को फौज में शामिल हुआ था। मैं अपनी टुकड़ी के साथ मलाया गया। सिंगापुर के पतन के समय मैं वहीं पर था। १३ अप्रैल सन् १६४२ के दिन मैं आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ था। मुझे नेहरू बटेलियन में तैनात किया गया। मैं अर्दली था। अक्टूबर या नवम्बर १६४४ में मेरी ब्रिगेड बर्मा गई और उसके कमांडर मेजर ढिल्लन थे। मुझसे कहा गया कि लड़ाई में कई आदमी हताहत हो जायेंगे इसलिये एक अस्पताल तैयार किया जाए। परन्तु कोई रोगी नहीं आया। १४ फरवरी को हमें हुक्म मिला कि क्यांगू से पोपा हट जाएँ। हम वहाँ २-३ दिन रहे और बाद में चनपाडौंग चले गए। वहाँ हमने एक अस्पताल खोल दिया। अस्पताल के टूटने के बाद मुझे नेहरू रेजीमेंट के सदर मुकामों में भेज दिया गया। पोपा में ४० गुर्खों ने हम पर हमला कर दिया। इसके बाद हमारा कमांडर मारा गया और हमने आत्मसमर्पण कर दिया। हम कुल ६० आदमी

थे। उनमें से ५० को गुर्खों ने पकड़ लिया। शेष का क्या हुआ मैं नहीं जानता।

श्रीदेसाई की जिरह

श्रीदेसाई द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि जब मैं आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ तो उस समय मैं नीसून के ए १ कैम्प में था। कैम्प के तीन भाग थे एक हिस्से में अस्पताल भी था। मैं उसी में रहता था। वहाँ कुछ अस्वयंसेवक भी थे। अस्पताल में नीसून कैम्प के स्वयंसेवकों की सुश्रुषा होती थी और भी जो उसमें आता था उनकी सेवा की जाती थी। ये भी ब्रिगेड बर्मा में चली गई। श्रीसुभाष बोस जब वहाँ पहुँचे मैं वहाँ नहीं था। मैंने श्रीढिल्लन अथवा किसी और को अपनी रेजीमेंट के सामने भाषण देते नहीं सुना। परन्तु लेफ्टि० ढिल्लन मेरे कैम्प में प्रायः आया जाया करते थे।

मैं नहीं जानता

श्रीदेसाई के यह पूछने पर कि आजाद हिन्द फौज में शामिल होने के बाद क्या वहाँ के व्यक्ति उसमें रहते अथवा उसे छोड़ देने में स्वाधीन थे। गवाह ने कहा, "मैं नहीं जानता।"

सरकारी वकील की जिरह

सरकारी वकील सर एन. पी. इंजिनियर ने जिरह करते हुए पूछा कि आप से पूछा गया है कि आप लोग आजाद हिन्द फौज में रहने अथवा उसे छोड़ने में स्वाधीन थे। आपने कुछ कहा है क्या आप उसे दोहरायेंगे ?

श्रीदेसाई—वे पहिले से कह चुके हैं कि वे नहीं जानते। यह पुनः जिरह करने का समय नहीं।

अदालत ने यह प्रश्न पूछने की छूट दे दी।

सर एन. पी. इन्जिनियर—क्या आप आजाद हिन्द फौज में रहने अथवा उसे छोड़ देने में स्वतन्त्र थे ?

गवाह—मैं नहीं जानता।

इसके बाद अदालत लंच के लिये स्थगित हो गई।

लंच के बाद बीसवें गवाह बहालसिंह तोपची की गवाही

गवाह बहालसिंह ने कहा, "मैं ११ फरवरी १६७४ को आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुआ था। और मुझे नं० ५ के तोपखाने में रखा गया था। जनवरी ४४ में मुझे छापामार रेजीमेंट में भेज दिया गया था। यह रेजीमेंट २४ फरवरी १६४५ को पोपा पहाड़ी (बर्मा) पहुँची। ३ मार्च को हम देख भाल करने के उद्देश्य से एक गाँव म गये। वहाँ हमने एक ब्रिटिश सैनिक को मरा हुआ देखा और एक अन्य ब्रिटिश सैनिक उसके पास घायल अवस्था में पड़ा था। मैंने अपनी टुकड़ी के नेता अब्दुल्ला खां को इशारे से पास बुलाया। उस समय घायल अंग्रेज सैनिक 'मुझे गोली मार दो" चिल्ला रहा था। कुछ और गश्ती कार्रवाई के बाद मुझे एक मद्रासी के साथ टुकड़ी के सदर मुकाम पोपा रिपोर्ट देने के लिये भेजा गया। मैं रात को १० बजे पोपा लौटा। दो छोटी छोटी मोटर गाड़ियां पकड़ कर सदर मुकाम में लाई गईं।

आजाद हिन्द फौज का लक्ष्य

श्री भूलाभाई देसाई की जिरह में गवाह ने कहा कि "मैं फरवरी १६४४ में आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ था। आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने से पहले मैं नीसून शिविर में था।"

प्रश्न—क्या तुम्हें यह पता था कि आजाद हिन्द फौज भारत की मुक्ति के लिये लड़ने के उद्देश्य से बनाई गई थी ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—तुम आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुए थे।या नहीं ?

उत्तर—हां, हुआ था।

प्रश्न—उसमें कौन कौन शामिल थे ?

उत्तर—भारतीय व मलायावासी।

प्रश्न—उनका उद्देश्य लड़ाई करना था ?

उत्तर—हां।

प्रश्न—लड़ाई किस लिए करनी थी ?

उत्तर में गवाह ने कहा, मेरी बुद्धि सीमित है और मैं प्रश्न को समझने की शक्ति नहीं रखता इस पर श्री देसाई ने उस से जिरह करना बन्द कर दिया।

इक्कीसवें गवाह मोहम्मद शईद खाँ की गवाही

गवाह की सनसनीपूर्ण स्वीकृति—'मुझे मेरी गवाही व तारीखें पहले ही पढ़ा दी गई थीं।"

गवाह ने कहा, "मैं १२ दिसम्बर १९४० को भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और २ जनवरी १९४२ को मलाया पहुंचा था। सिंगापुर के पतन के समय मैं वहीं था। १९४२ के सितम्बर या अक्टूबर मास में मैं आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गया। मुझे नेहरू ब्रिगेड में रखा गया, जिसकी कमान जगदीशसिंह के हाथ में थी। मैं अप्रैल १९४४ में रंगून पहुंचा और ९-१० महीने वहां अस्पताल में रहा। मेरी टुकड़ी ३ के अन्य आदमी तथा मैं

गश्ती कार्रवाई किया करते थे। हमारी इस कार्रवाई का उद्देश्य अमरीकी व ब्रिटिश ठिकानों का पता लगाना था। इसके उपरांत हमारी टुकड़ी को एक जापानी पल्टन के साथ जाने की आज्ञा दी गई। सेनापति ने हमसे कहा कि यदि कोई आदमी भागने का प्रयत्न करेगा, तो उसे मौत की सजा दी जावेगी। जापानियों ने हम से खाईयां खुदवाई। हमने संगीनों की मदद से खाईयां खोदीं। शाम को चार बजे लगभग उस गांव पर जिसमें हम थे गोलाबारी की गई। हम एक खाई में छिप गये। जब गोलाबारी बन्द हो गई तो वहां न तो जापानी फौजें थी और नाहीं भारतीय। अतः हमने भारतीय सेना की एक गुरखा टुकड़ी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।"

अस्थायी सरकार की सेना

श्री देसाई की जिरह में गवाह ने कहा, "मुझे यह मालूम था कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के अर्थ आजाद हिन्द फौज हैं।

प्रश्न—अर्थात यह स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार की फौज थी।

उत्तर—अफसरों ने मुझसे ऐसा ही कहा था।

प्रश्न—और इस विश्वास को लेकर फौज में शामिल हो गये।

उत्तर—मैं आजाद हिन्द फौज में इसलिए भर्ती हुआ था, क्योंकि मैं बीमार रहता था और मुझे जापानियों के लिये थका देने वाली परेड करनी पड़ती थी। मेरे साथ ५० आदमी और आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुए थे।

प्रश्न—मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने अन्य व्यक्तियों के साथ आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने का निश्चय

किया था।

उत्तर—हां।

प्रश्न—क्या तुम कोई डायरी रखते हो।

गवाह—मैं एक अपढ़ आदमी हूँ और मैं कोई डायरी नहीं रखता।

प्रश्न—फिर तुम्हें यह तारीखें कैसे याद हैं, जो तुमने बतलाई हैं।

गवाह ने कोई उत्तर नहीं दिया, । श्री देसाई ने अपने प्रश्न को दोहराया। "तुम कोई डायरी नहीं रखते थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुमने एक के बाद दूसरी तारीखें कैसे ठीक-ठीक बतलादीं।"

जैसे ही गवाह हिचकिचाया, श्री देसाई ने कहा, "मैं सीधा तुम से पूछता हूँ। क्या तुम्हें यह गवाही अदालत आने से पहले ही सिखा दी गई थी। केवल हां या ना में उत्तर दो।"

गवाह मुझसे यह कह दिया गया था कि क्या गवाही देनी है।
प्रश्न—और इसी वजह से तुम्हें तारीखें याद हैं।

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—तुम्हें यह सब तारीखें याद करादी गई हैं।

उत्तर—हां।

सहगल की आज्ञा

गवाह ने कहा, "मैं आजाद हिन्द फौज में १९४२ सेकिण्ड लें० की हैसियत से शामिल हुआ और मुझे पांचवां गुरिल्ला रेजीमेन्ट दे दिया गया"। फिर नम्बर १ पैदल रेजीमेन्ट में भेजा गया। १९४४ में हम रंगून आए। जहां लें० क० सहगल ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से यूनिट को

कमाण्ड करना चाहता था। अतः मैंने नेता जी से इसके लिए प्रार्थना की। मुझे गर्व है कि मैं आज गुरिल्ला रेजीमेन्ट को कमाण्ड कर रहा हूँ। यदि किसी को मेरी रेजीमेन्ट में कोई तकलीफ हो तो शीघ्र मुझ से कहो मैं दूर करने का प्रयत्न करूँगा"।

पोपा पहाड़ी

गवाह ने कहा, "गुरिल्ला रेजीमेन्ट में तीन बटैलियन थे। हमें नेताजी ने भाषण दिया और कहा कि पहिले अनुभव से ज्ञात होता है कि हम भली प्रकार लड़ सकते हैं। उन्होने कहा कि जो आगे नहीं बढ़ सकते उन्हें बाध्य नहीं किया जायगा। फिर ले० क० सहगल ने मिगोलेडोन में कमाण्डरों की एक सभा की। जहाँ मैं भी था।

इस सभा में हथियार आदि समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इसलिए हम पोपा पहाड़ी पर इकट्ठे हुए। मुझे ले० क० सहगल ने बेतार की मशीन दी थी जो वहां के पहाड़ियों ने मुझसे छीन ली थी। ले० क० सहगल ने दुबारा २८ मार्च को पोपा की पहाड़ी पर सभा की जहां उन्होंने आवश्यक आज्ञाएँ सुनाईं। वहां उन्हें बताया गया कि हमें पिमाविन पर हमला करना है। जब हम वहां से आये तो मुझे एक मील जाने के बाद एक गाँव के पास गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। मैं उसी गाँव में दो दिन रहा। फिर वहाँ से बचकर भाग निकला और ब्रिटिश फौज के दूसरे डिवीजन में मैंने आत्मसमर्पण कर दिया।

श्री भूलाभाई देसाई द्वारा जिरह करने पर गवाह ने बताया "ले० क० सहगल ने अपने पोपा पहाड़ी के भाषण में यह कहा था कि जो युद्ध में आगे बढ़ने के लिए अशक्त हैं, वे अपना नाम

दे दें उन्हें पीछे ही रक्खा जाएगा। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कोई अफसर या सिपाही विपक्षियों की ओर जाना चाहता है"। पर ऐसा किसी ने नहीं कहा। गवाह ने कहा कि उसे यह याद नहीं है कि ले० क० सहगल ने उन लोगों को जो शत्रु की ओर जाना चाहते थे कोई आश्वासन दिया हो। भाषण के बाद दो आदमियों ने आगे बढ़ने में असमर्थता प्रकट की। उन्हें पीछे ही भेज दिया गया। और प्रश्नों के उत्तर में गवाह ने कहा कि नेता जी ने हमें एक बड़ा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम गरीब भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं अत: जो कुछ थोड़ा वेतन या खुराक उन्हें मिलती है वे उसी पर सन्तोष रक्खें।

श्री देसाई—क्या उन्होंने यह भी कहा कि हम शीघ्र ही युद्ध छेड़ देंगे, और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्त्तव्य करने का अवसर मिलेगा ?

गवाह—हां

प्रश्न—और तुमने अपना कर्त्तव्य जान कर ही उक्त बात स्वीकार की।

उत्तर—हां

इसके बाद अदालत कल के लिए स्थगित हो गई।

---

२१ नवम्बर ४५

शत्रु बुजदिल है, भारत का नाम न डूबने दो।

(कप्तान शाहनवाज़)

बर्मा मोर्चे पर अन्तिम दिनों की कहानी

बाईस गवाहवें हवलदार गुलाम मोहम्मद की गवाही

आज आजाद हिन्द फौज के अफसरों के मुकदमे की कार्य-वाही का शुरू इस्तगासे के गवाह हवालदार गुलाम मुहम्मद की गवाही से हुआ। उसने बताया कि इस साल मार्च मास में आजाद हिन्द फौज के एक अफसर की कमान में बर्मा के मोर्चे पर कार्यवाही की गई। उस कमान में आपानी फौजी टुकड़ी भी थी, लेकिन वह शत्रु की गोलाबारी सुनते ही भाग गई। गवाह ने कहा कि जनवरी १६४५ में नेता जी श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपने भाषण में कहा था, "हमारी सेना एक क्रांतिकारी सेना है.........यह वर्ष युद्ध का निर्णायक वर्ष होगा। भारत की स्वाधीनता का फैसला इम्फाल की पहाड़ियों के पास तथा चट-गांव के मैदान में होगा।.........'दिल्ली चलो' के अतिरिक्त हमारा एक नारा और होगा। उस नारे का अर्थ है—खून, खून और खून। दूसरे शब्दों में हम भारत के चालीस करोड़ नर-नारियों के लिये अपना रक्त बहायेंगे। इसी उद्देश्य के लिये हम शत्रु का भी खून बहायेंगे।

१।१३ फ्रंटियर फोर्स राईफल (सीमा प्रान्तीय फौज) के हवालदार गुलाम मोहम्मद ने घटनाओं का जिक्र करते हुये अपनी गवाही में कहा कि मैं अक्तूबर १६४२ में आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ। जनवरी १६४४ में मैं पांचवीं छापामार फौज की बटालियन नं० २ एडजुटेन्ट बना दिया गया, इस काल में नं० २ बटालियन के सहकारी कमांडर मेजर ढिल्लन थे। जुलाई १६४४ में हमारी रेजिमेन्ट बर्मा के मोर्चे पर गई। दिसम्बर में लें० कर्नल सहगल ने रेजिमेंट की कमान अपने हाथ में ली। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे उसको उसी भांति सहयोग दें, जैसे कि उनके पूर्व अधिकारियों को दिया था। लें० कर्नल सहगल ने रेजिमेंट की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये जोर दिया। उन्होंने यह आशा भी प्रगट की कि फौज में अनुशासन में वृद्धि होगी। गवाह ने आगे कहा—पांचवीं छापामार फौज का नाम बदल कर द्वितीय इनफेन्ट्री रेजिमेंट (पैदल सेना) रख दिया गया और छापामार कार्यवाही के बदले, उसमें कवायद युद्ध को अपनाया।

कर्नल सहगल ने एक रेजिमेन्ट-सम्मेलन का आयोजन किया था, इसमें रेजिमेन्टों के कई कमांडर व अफसर शामिल थे। उन्होंने सम्मेलन में कहा था कि उनकी रेजिमेन्ट को निकट भविष्य में मोर्चे पर जाना पड़ेगा। २० जनवरी को एक रेजिमेंट रंगून रवाना हो गई। बाद में क्योपापोगे जाने की आज्ञा रद्द कर दी गई और उन्हें पोपा जाने की आज्ञा दी गई। मैं लें० कर्नल सहगल के साथ था और वे हमारी रेजिमेंट के कमांडर थे। विभिन्न रेजिमेंटें पोपा में जमा हुई और विभिन्न यूनिटों को विभिन्न स्थानों पर भेज दिया गया। सहकारी होने से मुझे अपने डिवीजन की उन्नतियों तथा अनुशासन के बारे में ज्ञान

है। पतरोल तथा यूनिटों की रिपोर्ट से मेरा खास सरोकार नहीं था। लेकिन कभी कभी मुझे इनमें कुछ रिपोर्टें देखने को मिल जाती थी। ४ मार्च १९४५ को प्रथम बटेलियन के बारे में यह रिपोर्ट मिली कि उनके एक पतरोल की एक ब्रिटिश पतरोल से मुठभेड़ हो गई। १३ मार्च को ले० कर्नल सहगल ने बटेलियनों के कमांडर व अफसरों का एक सम्मेलन बुलाया। उसमें भाषण करते हुए उन्होंने कहा "मुझे आज्ञा हुई है कि मैं दो कम्पनियों को पोनचिन पर हमला करने के लिये भेज दूं।" उन्होंने बटेलियन संख्या २ को आज्ञा दी कि वह दो कम्पनियों को छांट दें। कम्पनियों को भेजने की तारीख १४ मार्च मुकर्रर की गई। उनके रवाना होने से पहिले कप्तान शाह नवाज उन्हें अलविदा करने गये। उन्होंने कहा "हमारी आंखें सेना संख्या २ के आदमियों पर लगी हुई हैं। यह पहला मौका है, जबकि द्वितीय बटेलियन की दो कम्पनियों को मोर्चे पर भेजा जा रहा है। पिछले वर्ष की लड़ाई में मुझे जो अनुभव हुआ उसकी बिना पर मैं कह सकता हूँ कि शत्रु बुजदिल है, मुझे आशा है कि आप लोग किसी भी दशा में भारत का नाम न डूबने देंगे। मैं आप लोगों के लिये शुभ कामना करता हूँ।

इसके बाद हमने प्रयाण कर दिया। हमने रात स्टेसियो में बिताई। यैने पहुंचने के बाद कम्पनी की एक टुकड़ी टोंगू के पश्चिम में भेजी गई। इस टुकड़ी में एक जापानी अफसर और २ जापानी सैकशन थे। यह सारी फौज आजाद हिन्द फौज के एक अफसर के अधीन थी। इस पलटन को अगले दिन प्रातः काल ४ बजे तक एक निश्चित स्थान तक पहुंच जाना था। दायीं टुकड़ी वापिस लौट आई और उसने बताया कि शत्रु से टक्कर नहीं ली। बायीं टुकड़ी ने खबर दी कि जब वह टोंगू के पूर्व में पहुंची, तो जापानियों ने भागना

शुरू कर दिया। आजाद हिन्द फौज के कमान्डरों ने उनकी भर्त्सना की और उन्हें आज्ञा दी, वे भागें नहीं। इस पर जापानियों ने पिस्तौलें उठालीं और शत्रु पर गोली चला दी। इस पर शत्रु भाग खड़ा हुआ। मैं इस प्लेटून के साथ भाग गया था। मैंने भी वही खबर दी जो मेरे प्लेटून कमान्डर ने दी थी। पोपा पर्वत पर वापिस आने के बाद ले० क० सहगल को सरकारी रिपोर्ट दे दी गई। करीब २६ व २७ मार्च को जब मैं रेजीमैन्ट के सदर मुकाम में था, तो ले० क० सहगल व दूसरे अफसर अपने काम पर चले गए थे। मैं कुछ बीमार था। आधी रात को किसी ने जगाया और बटेलियन संख्या २ के ३ आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। मैं सिर्फ सिपाही मोहम्मद हुसैन के और किसी सिपाही का नाम नहीं जानता। यह तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिये उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब ले० क० सहगल शाम से वापिस आये तो बटेलियन संख्या २ के कमान्डर ने इन तीनों आदमियों को उनके सामने पेश किया। बटेलियन के कमान्डर ने मेरी हाजिरी में यह कहा कि मोहम्मद हुसैन ने भागने की कोशिश की थी और शेष दो भागने की सलाह के अभियोग में गिरफ्तार कर लिए गए। कर्नल सहगल ने उनसे पूछा कि क्या वे दोषी हैं या नहीं। मोहम्मद हुसैन ने अपना दोष मान लिया, दूसरों ने नहीं। कर्नल सहगल ने मुझ से कहा कि वे अफसर से इस मामले की छानबीन करने को कह दें। ३१ मार्च को सुबह इन तीन मामलों की सुनवाई शुरू हुई। बटेलियन के कमान्डर ने उन पर वही पुराने अभियोग लगाये और उनसे पूछा कि क्या वे दोषी हैं? मुहम्मद हुसैन ने अपना दोष मान लिया, किन्तु दूसरों ने नहीं। बाद में इन तीनों को डिवीजनल सदर मुकाम में भेज दिया गया।

श्री देसाई की आपत्ति

सफाई पक्ष के वकील श्री भूलाभाई देसाई ने आपत्ति की कि इस्तगासे के गवाह उन लोगों के बयानों का हवाला दे रहे हैं, जिन्हें अदालत के सामने अपनी गवाही देने को नहीं बुलाया गया। कुछ दलीलों के बाद इस्तगासे के वकील सर एन० पी० इंजीनियर मान गये कि ऐसे प्रश्न न पूछे जायँ। गवाह ने आगे कहा कि मैं ३० मार्च को लड़ाई की चौथी छापामार रेजिमेन्ट की बटेलियन संख्या १ में शामिल हो गया। तीन घंटे के बाद मैंने कप्तान सहगल भी वहां पहुँच गये। उन्होंने मुझसे कहा कि सैक्शन की ओर जाती हुई कारों पर २५—३०गज से ३००-४०० गज के मोर्चे में गोलियां चलाई गई। सहगल का यह था कि था कि उधर अंग्रेजी फौज न गई होगी। गोली चलने पर उनकी कार रुक गई और उसमें सवार तमाम व्यक्ति नीचे उतर आये। सहगल बोले "हम लोग आजाद हिन्द फौज के आदमी हैं। गोली चलाना बन्द करो।" जापानी अफसर ने भी जापानी भाषा में कहा कि हम लोग हिकारी किकान के हैं। इसके बाद गोलियां और भी अधिक चलने लगीं। लेकिन उसने उस क्षेत्र में किसी को न देखा। सहगल ने कहा—"यदि आज एक भी भीषण विस्फोट हो जाता तो हममें से एक भी आदमी जीवित न बचता। हमें अपनी कार छोड़ जानी पड़ती और अपनी जान बचाने को पीछे भाग जाना पड़ता।" बाद में बटेलियन संख्या की कम्पनी वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि शत्रु के कुछ आदमी कारों व लारियों में बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। आजाद हिन्द फौज के आदमियों को देख कर शत्रु ने कहा—"आजाद हिन्द फौज वाले आ गये। आओ भाग चलें।"

फौज ने शत्रु पर आक्रमण किया। शत्रु लारियों में बैठकर भाग गये और अपने पीछे कारें छोड़ गये। इन कारों में सब चीजें तो सही सलामत थीं, किन्तु कप्तान सहगल का एक नक्शा और थैला गायब था। कप्तान सहगल की आज्ञा पर रेजिमेन्ट का सदर मुकाम लेडोई को बना दिया गया। ३१ मार्च को लेडोई पर १२ ब्रिटिश वायुयानों ने बम वर्षा की। २ अप्रैल को मुझे पता चला कि ब्रिटिश ब्रिगेड लेडोई को घेरने की कोशिश कर रहा है ३ अप्रैल को ब्रिटिश बटेलियन ने आजाद हिन्द फौज के एक स्थान पर कब्जा कर लिया। कर्नल सहगल ने बटेलियन संख्या १ को आज्ञा दी कि वह एक कम्पनी को तैयार रखे। बटेलियन के कमांडर ने खबर दी कि २ पलटन शत्रु के साथ गये हैं। सोचने के बाद श्री सहगल ने आज्ञा दी कि इन दोनों फौजों की पूर्ति और फौज को कम करके की जाये। कुछ आदमी भी भाग गये।

शत्रु भाग गये

सहगल ने निश्चय किया कि प्रथम बटेलियन को इवेलन मोर्चे पर फिर कब्जा करने के लिये प्रत्याक्रमण करना चाहिये। ३० मिनट बाद कम्पनी के कमान्डर ने कप्तान सहगल को सूचना दी कि मेरी फौजों ने 'जय हिन्द' और 'दिल्ली चलो' के नारों के साथ शत्रु पर इतना बड़ा आक्रमण किया कि शत्रु भाग गया है। बाद में खबर मिली कि ले० खजीनशाह दो और अफसरों के साथ भाग गये हैं। श्री सहगल ने फोन के द्वारा डिवीजनल सदर मुकामों से पूछ ताछ करने की कोशिश की; लेकिन वे सफल न हुये। बाद में उन्होंने अपनी सेना को पोपा पर्वत के पीछे हटा दिया। ब्रिटिश वायुयानों ने उन पर बम वर्षा की लेकिन वे अपने स्थानों पर बने रहे।

वे वहां एक दिन तक ठहरे । १ अप्रैल को सम्मेलन बुलाया गया । जिसमें रेजीमेन्ट तथा बटेलियन के अफसर भी उपस्थित थे । मैं भी वहाँ उपस्थित था । कप्तान सहगल ने सम्मेलन में बताया कि १२ अप्रैल को यह रेजीमेन्ट पोपा से तौंगविंगी के लिये रवाना हो जायेगा । इसके अनुसार २१ अप्रैल को रेजीमेन्ट रवाना हुआ । रास्ते में यह मालूम हुआ कि तौंगविंगी पर शत्रु का अधिकार हो गया है । कप्तान सहगल ने रेजीमेन्ट को मोच जाने की आज्ञा दी । २६ या २७ अप्रैल को वे लोग अलेन्मयो के उत्तर के गांव में पहुंचे और मुझे अलेन्मयो जाकर पीछे हटने के समाचार लाने को कहा गया । जब मैं दो मील भी नहीं पहुंचा था, तब मैंने दोनों पक्षों से गोलाबारी की आवाज सुनी । अतः मैंने आगे बढ़ना बेकार समझा, अतः वापिस लौट कर सहगल को सूचना दी कि अलेन्मयो पर शत्रु का अधिकार हो गया है । मागविनयान नामक गाँव में, जहां रक्षा पंक्ति बनाई गई थी, कप्तान सहगल ने एक सम्मेलन बुलाया और समझाया कि शत्रु ने अलेन्मयों पर अधिकार कर लिया है और मोच जाने की मुख्य सड़कें भी शत्रु ने रोक ली हैं । अब हमारे लिये तीन रास्ते हैं (१) जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था, उसके अनुसार शत्रु की पंक्ति तोड़ कर हम आगे बढ़ें, (२) हम लोग नागरिकों का रूप धारण करलें और (३) युद्ध बन्दी बन जायें । एक घंटा बहस करने के बाद सर्वसम्मति से अफसरों ने स्वीकार किया कि हम लोग युद्ध बन्दी हो जायें । इसके बाद कप्तान सहगल ने मित्रराष्ट्रों की सेना के किसी अफसर को दे देने के लिये पत्र लिखा । एक घंटा बाद समाचार मिला कि उत्तर में गुर्खा सैनिक बढ़ रहे हैं कप्तान सहगल आगे बढ़े और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे उत्तेजित न हों और गोली न चलावें । ५ या ६ मिनट

बाद उत्तर से गोली चलाई गई और साथ ही कुछ गुर्खे और आजाद-हिन्द-फौज का एक अफसर हमारी ओर आते दिखाई दिए। कप्तान सहगल ने अपने सैनिकों को एकत्र होने की आज्ञा दी। बाद में सभी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अदालत लंच के लिये स्थगित हो गई।

लञ्च के बाद

"चालीस करोड़ भारतीयों की स्वतन्त्रता के लिये हम अपने शत्रु का खून बहायेंगे"

'हमारी आजादी का फैसला इम्फाल के पास होगा'

"आजाद हिन्द फौज का कार्य अत्यन्त गौरव पूर्ण"

(नेताजी)

"नेताजी का भाषण"

फरवरी १९४५ में नेताजी श्रीसुभाषचन्द्र बोस ने दस्तों का निरीक्षण किया और इस प्रकार उसके सामने भाषण दिया:—

गत वर्ष आजाद-हिन्द-फौज ने पहिली बार दुश्मन का सामना किया। आजाद-हिन्द-फौज के कार्य ऐसे गौरव पूर्ण थे कि मुझे आशा भी नहीं थी और उसको मित्र और शत्रु सभी ने प्रशंसा की। हमने हर स्थान पर शत्रु को बुरी तरह हराया। हम हारे बिना अपनी फौज को इम्फाल के मोर्चे से हटा लाये। इसका कारण मौसम की खराबी और दूसरी रुकावटें भी थीं। अब हमने इन कठिनाइयों के दूर करने का प्रयत्न किया है, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को याद रखना चाहिये कि हमारी फौज क्रान्तिकारी फौज है। हमारे पास इतने भी आदमी नहीं हैं, जितने शत्रु के पास हैं। हमारे शत्रुओं

ने निश्चय किया है कि वे हिन्दुस्तान को बचाने के लिये पहली लड़ाई आसाम में लड़ेंगे और उन्होंने उस क्षेत्र को हिन्दुस्तान का स्टेलिनग्राड बना लिया है। यह साल लड़ाई का निर्णायक होगा। इम्फाल की पहाड़ियां और चटगांव के मैदान के पास हिन्दुस्तान की आजादी का फैसला होगा। पिछले साल हमारे कुछ आदमी शत्रु से जा मिले। मैं नहीं चाहता कि इसको मोर्चे पर जाने के बाद एक भी आदमी शत्रु से जा मिले। इसलिये यदि कोई यह विचार करता है कि यदि वह कमजोरी या कायरता के कारण या किसी और कारण से मोर्चे पर नहीं जा सकता तो उसे इसकी खबर अपने दस्ते के कमांडर को दे देनी चाहिये। उसे पीछे की केन्द्र में रखने की व्यवस्था करदी जायेगी। मैं आपके सामने कोई लुभावना चित्र प्रस्तुत नहीं करना चाहता। आपको भूखा-प्यासा रहना पड़ेगा और दूसरी कठिनाइयां सहनी पड़ेगी, और मोर्चे पर जाने की दशा में मौत का सामना करना पड़ेगा। चूँकि शत्रु ने बहुत बड़ी तैयारियाँ कर ली हैं, इसलिये हमें भी अपने सब साधनों को तैयार रखना पड़ेगा। अब तक आजाद हिन्द का नारा 'दिल्ली चलो' रहा है। आज से एक नारा और बढ़ जायेगा—वह होगा खून—खून और खून। इसका अर्थ है कि हम देश के ४० करोड़ लोगों की खातिर अपना खून बहायेंगे। इसी तरह हम उसी की खातिर अपने दुश्मन का भी खून बहायेंगे। दक्षिण में रहने वाले भारतीयों का नारा होगा—'निछावर सब करो हो जाओ फकीर।' श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपना भाषण इन नारों से समाप्त किया—

'इन्कलाब जिन्दाबाद।'

'चलो दिल्ली।'

'खून, खून और खून।' दूसरी पैदल सेना के २३०० सैनिकों

ने और दर्शकों ने इन नारों को बड़े जोर से लगाया था ।

प्रश्न—क्या तुम यह जानते हो उस पत्र में क्या लिखा था ?

उत्तर—मैंने उस पत्र को देखा नहीं था किन्तु कर्नल सहगल ने बताया था कि उसने मित्रराष्ट्रों के कमांडर को लिखा है हम लोग युद्धबन्दी होना चाहते हैं। सहगल ने अफसरों को बताया था कि यदि मित्रराष्ट्रों के कमांडर ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार न किया तो हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। कप्तान बन्नासिंह और सेकण्ड लै० उमरावसिंह गुर्खा अफसर के साथ लौटे। गवाह ने बताया मार्च १६४५ में जबकि रेजिमेन्ट पोपा पहुंचा, कप्तान सहगल ने रेजिमेन्ट से कहा जो सदस्य आजाद हिन्द फौज में भर्ती होना नहीं चाहते और शत्रु से मिलना चाहते हैं, वह मुझे बतादें और उन्हें एक दल में शत्रु के पास भेजने की व्यवस्था कर दी जायेगी। वे लोग अपने साथ हथियार और कागजात नहीं ले जा सकेंगे। गवाह ने बताया कि जहां तक मैं समझता हूँ कि कप्तान सहगल का ऐसा करने का यह अर्थ था कि जो सदस्य आजाद-हिन्द-फौज में रहें सच्चे दिल से रहें और इस तरह सैनिकों का नैतिक पतन न होने पावे।

प्रश्न—क्या मार्च १६४५ में बटालियन नं० ३ के कमांडर ने रिपोर्ट कि दो अफसर नरेन्द्रसिंह और मुहम्मद इस्माइल शत्रु से जा मिलने के लिए षड्यन्त्र रच रहे थे।

उत्तर—'हां।'

प्रश्न—क्या कप्तान सहगल ने इन लोगों को बुलाया ?

उत्तर—मेरे सामने उन लोगों से प्रश्न किये गये। सहगल ने इन लोगों को बताया, यदि वह क्षमा मांगते हों और शत्रु से जा न मिलने का वचन देते हों तो वे क्षमा कर देंगे और दूसरे बटेलियन में भेज देंगे।

प्रश्न—क्या उसी समय बटालियन नं० २ के ५ सदस्य भी कप्तान सहगल के सामने लाये गये ?

उत्तर—हां ।

प्रश्न—क्या उन पर भी अभियोग लगाया गया था ?

उत्तर—इन पर शत्रु से मिलने का था ।

प्रश्न—क्या उन लोगों ने अपना अभियोग स्वीकार किया था ।

उत्तर—हाँ उन लोगों को क्षमा भी कर दिया गया । गवाह ने बताया कि बटेलियन के कमांडर ने रिपोर्ट की कि गंगाशरण आज्ञा नहीं मान रहे हैं । उन पर मुकदमा भी चलाया गया । और फांसी की सजा दी गई किन्तु सजा रद्द कर दी गई और रिहा कर दिये गये ।

शाहनवाज का भाषण

अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने बताया कि अगस्त १९४३ में शाहनवाज ने नेसून शिविर में भाषण किया, जहां मैं भी उपस्थित था । शाहनवाज ने बताया—"आजाद हिन्द फौज भारत को स्वतंत्र करने के लिए बनाई गई है और यह न केवल ब्रिटिश राज्य से ही लड़ेगी, किन्तु जो भारत की स्वतन्त्रता में बाधक होगा तथा जो राष्ट्र भारत पर कब्जा करने का प्रयत्न करेगा, उनसे वह लड़ेगा । उन्होंने बताया कि मैं उस परिवार का हूँ जिसने ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ी सेवा की है । जिस तरह हजरत इमाम ने सच्चाई और न्याय का पक्ष लेकर लड़ने का निश्चय किया, उसी तरह (शाहनवाज) ने भी भारत की आजादी के लिए अपनी जान तक देने का निश्चय कर

लिया है। यह प्रत्येक भारतीय का अधिकार है कि वह आजादी प्राप्त करने की इच्छा रखे और उसके लिये लड़े।

नेता जी दुःखित

फरवरी १६४५ में कर्नल शाहनवाज ने पोपा की सभा में भाषण देते हुए कहा कि चौथे गुरिल्ला रेजिमेन्ट के कुछ सदस्य शत्रु से मिल गये। नेताजी को बहुत दुःख हुआ। नेताजी स्वयं पोपा आना चाहते थे, किन्तु उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं स्वतः इसकी जांच करूंगा। शाहनवाज ने कहा कि जब संसार आजाद-हिन्द-फौज की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि हम अभी आजाद न हो सके, तो १०० वर्ष तक न हो सकेंगे। अतः आप लोग शत प्रतिशत बतादें कि आप लोगों में से कौन-कौन नेताजी को अपना बलिदान देगा। इस्तगासे के पुनः जिरह करने पर गवाह ने बताया:—

लेफ्टि० सहगल ने हवलदार गंगाशरण को फांसी की सजा दी थी। इसके बाद उसे माफ कर दिया गया और छोड़ दिया। बटालियन नं० १ से परामर्श करने के बाद तथा यह वायदा करने पर कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा उसे माफ करके छोड़ दिया गया।

तेईसवें गवाह सिपाही अल्लादित्ता की गवाही

मैं भारतीय फौज में ४ दिसम्बर १६३२ में भर्ती हुआ था। मैं जेहलम में भर्ती हुआ था और फतहगढ़ के ट्रेनिंग बटालियन में चला गया। वह ७ वीं राजपूत रेजीमेन्ट का केन्द्र है। मैं अपनी बटेलियन के साथ २७ सितम्बर, १६४१ को मलाया से हांगकांग को चला गया था। मैं २५ दिसम्बर १६४१ को जापान द्वारा युद्ध बन्दी बना लिया गया। इसके बाद मुझे हांगकांग के

मातऊ चंग के कैम्प में रक्खा गया। छः मास बाद हम कन्टोन भेज दिये गये।

मैं ११ दिसम्बर १९४३ को सिंगापुर में आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हो गया। मैं पहली बटेलियन के ५ वें रेजीमेन्ट, जो कि बिदादरी कैम्प था, में रखा गया था। फिर रेजीमेन्ट इप्यु में चला गया और फिर पोपा पहाड़ी में २४ फरवरी १९४५ को आ गया। इस समय जोधसिंह इसके कमान्डर थे। रेजीमेन्टल कमान्डर कर्नल सहगल थे। थोड़े दिनों के बाद कप्तान जोधसिंह रंगून भेज दिये गए और इन की जगह खजीनशाह नियुक्त किये गये।

मैं सिपाही मुहम्मद हुसैन को जानता हूँ। उसका पहले ब्रिटिश रेजीमेन्ट से सम्बन्ध था। मोहम्मद हुसैन का हेडक्वार्टर कम्पनी से सम्बन्ध था। मैं जागीरी राम को जानता हूँ। २८ मार्च १९४५ को मोहम्मद हुसैन २ व ३ बजे के करीब मेरे पास आया और कहा कि वह आज भाग जाना चाहता है। मैंने उसे बताया कि आज भागने का अवसर नहीं है और कोई दिन ठीक रह सकता है। वह वापिस चला गया, उसी दिन सूर्यास्त के समय मुझे बटेलियन हेडक्वार्टर बुलाया गया, फिर मैं कम्पनी हेडक्वार्टर गया और वहां से ब्रिगेड हेडक्वार्टर ले जाया गया और मैंने वहाँ पर जागीरी राम, मोहम्मद हुसैन और खजीनशाह को देखा। इसके बाद खजीनशाह ने मुझे पीटा और कहा कि मैंने आजाद-हिन्द-फौज के साथ गद्दारी की है और भागने वालों में मैं भी एक आदमी था और कहा, "तुम्हारे जैसे मुसलमान ने तुर्कों को धोखा दे दिया।" फिर मुझे ब्रिगेड हेडक्वार्टर के क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन मुझे कर्नल सहगल के सामने पेश किया गया तथा व्यक्तिगत बयान लिए। कर्नल सहगल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भाग रहा था। मैंने

उत्तर दिया, "नहीं, मैंने भागने का प्रयत्न नहीं किया।" मैंने मुहम्मद हुसैन के मेरे यहां आने की सारी गाथा कह सुनाई। फिर मुझे भेज दिया गया। खजीनशाह ने गुलाम मोहम्मद को हुक्म दिया कि वह हमसे प्रश्न पूछे कि कौन भागना चाहता था। मैं २७ मार्च १६४५ को आयासिंह द्वारा पीटा गया और मेरे बयान लिये गए। मैं वहाँ २७ तथा २८ मार्च तक रहा।

२८ मार्च को हमारा बटेलियन लेगी आना चाहता था। खजीन शाह ने गुलाम मोहम्मद को कहा कि कर्नल सहगल को खबर दी जाये कि यदि इन लोगों को सजा न दी गई तो वह और खजीनशाह बटेलियन की कमांड छोड़ देंगे। फिर मुझे उपस्थित किया गया।

२६ मार्च को मेजर नेगी तथा खजीन शाह ने मुझको कर्नल शाहनवाज के सामने पेश किया। हम में से तीन आदमी मौजूद थे अर्थात मैं, जागीरीराम तथा मोहम्मद हुसैन। इसके बाद कर्नल शाहनवाज, मेजर नेगी, खजीन शाह तथा दो सन्तरी और आ गए। सन्तरी वहीं रहे और हम अन्दर चले गये। मैंने तीन Crime report वहाँ देखीं जो हमारे सम्बन्ध में थीं। मेजर ने Crime report अपने हाथ में लेकर शाहनवाज के हवाले की, जिसने प्रत्येक को अलग अलग पढ़कर सुनाया। शाह नवाज ने सब से पहले जागीरीराम से प्रश्न पूछा। उस समय मैं और जागीरीराम उपस्थित थे। कर्नल शाहनवाज ने जागीरीराम से पूछा "क्या तुम भागना चाहते हो?" उसने उत्तर दिया "नहीं, मैं भागना नहीं चाहता था।" इसके बाद मुझसे प्रश्न पूछा गया और मैंने उत्तर दिया, "मैंने भागने का कोई इरादा नहीं किया।" फिर कर्नल शाहनवाज ने कहा कि तुम एन० सी०

ओ० थे और मोहम्मद हुसैन तुम्हारे पास गया था। तुम ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी। मैंने कहा कि यह मेरा दोष था।

फिर उसने मोहम्मद हुसैन से प्रश्न पूछा, "क्या तुमने भागने का प्रयत्न किया तथा दूसरों को भी भगाने की कोशिश की।" मोहम्मद हुसैन ने उत्तर दिया, "नहीं, मैंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया।" कर्नल शाहनवाज ने कहा, "सच बोलो" मोहम्मद हुसैन ने उत्तर दिया, "मुझे कुछ दिक्कतें थी इसलिए मैं भागना चाहता था।" पर उसकी दिक्कतों के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई। मोहम्मद हुसैन को शाहनवाज ने कहा, "तुम्हें गोली से उड़ा देने की सजा दी जाती है क्योंकि तुम भागना चाहते थे और दूसरों को भगाने में योग दे रहे थे। अतः तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। मैंने कर्नल शाह नवाज को कहते हुए सुना, इस मामले को रेजीमेण्टल कमाण्डर के सामने रखो।" (अदालत का नोट—गवाह अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त कर रहा है।) फिर हम तीनों को बाहर भेज दिया। हमने वहां दस मिनट इन्तजार किया और फिर ब्रिगेड क्वार्टर वापिस भेज दिया गया। मोहम्मद हुसैन, जागीरीराम तथा मैं तीनों ही ब्रिगेड क्वार्टर साथ आए थे। मुझे तथा मोहम्मद हुसैन को पहले वाली चक्की में बंद कर दिया और खजीनशाह जागीरीराम को अपने साथ ले गया। उसी शाम के ५ बजे सरदार मोहम्मद तथा आयासिह मोहम्मद हुसैन को ले गये। उसके बाद मैंने मोहम्मद हुसैन को नहीं देखा।

मुझे तीन चार दिन तक पहरे में रखा गया। फिर मुझे मेजर नेगी के सामने पेश किया गया। मुझे मेरी पदवी से हटा दिया गया और उसने कहा, "तुम्हें रंगून जाना होगा। फिर मुझे पोपा को नजरबंद कैम्प में भेज दिया गया। ७ अप्रैल १९४४ को दूसरे

१६ आदमियों के साथ मुझे रंगून भेज दिया गया। हम कैद थे और हम पर संतरियों का पहरा था। हम मेगवी पहुंच गये, १६ अप्रैल १९४५ को ब्रिटिश ने मेगवी पर आक्रमण किया और सन्तरी हमारे पहरे से भाग गये। मैंने ब्रिटिश को रिपोर्ट की।

श्री भूलाभाई देसाई की जिरह

श्री देसाई के प्रश्न करने पर गवाह ने कहा कि मेरे तथा जागीरीराम के मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ था। यह ठीक है कि कर्नल शाहनवाज ने कहा था, "तुम गोली से मार देने लायक हो।" दूसरे तुमने दूसरों को भगाने में मदद की है, इस लिए तुम आजाद-हिन्द-फौज के द्रोही हो और तुम्हें गोली से उड़ा देने की सजा दी जाती है।" मैंने देखा कि कर्नल शाहनवाज खां Crime report पर कुछ लिख रहा था। मैं मेज पर से उठाये बिना कैसे Crime report पढ़ सकता था। मैं अंग्रेजी नहीं समझता।

चौबीसवें गवाह जागीरी राम की गवाही

सिपाही जागीरी राम ने बताया कि मैं सिंगापुर के पतन होने के बाद अक्तूबर में आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हुआ।

जब पोपा के क्षेत्र में था तो मेरे बटेलियन कमांडर खजीन शाह, रेजीमेंट कमांडर सहगल और डिवीजनल कमांडर शाह-नवाज थे। जब एक दिन मैं, मुहम्मद हुसैन और अलादीन भागने के बारे में बात चीत कर रहे थे तब खजीन शाह पहुँच गये और हमसे पूछा आप क्या बोल रहे हैं? मुहम्मद हुसैन ने कहा कि हमलोग मजाक में भागने की बातें कर रहे हैं। और हम लोग शाहनवाज के सामने लाये गये। और उनके सामने

भी यही उत्तर दिया ब्रिगेड प्रधान कार्यालय के लेफ्टिनेंट आया सिंह ने हम लोगों को मारा और कहा गया कि सच बोलोगे तो छोड़े जाओगे। शाहनवाज के पूछे जाने पर मुहम्मद हुसैन ने कहा कि मैं कुछ कठिनाईयों में हूँ, अतः भागना चाहता हूँ और इसलिये मैं क्षमा चाहता हूँ। शाहनवाज ने कहा कि तुम हमारे देश के लिये नहीं हो। तुम्हें मैं गोली से उड़वा दूंगा। मुहम्मद हुसैन ने पुनः क्षमा मांगी। उसके बाद मैं, मुहम्मद हुसैन और अलादीन हटा दिये गये।

सरकारी वकील—क्या कप्तान शाहनवाज ने तुमलोगों के पहिले और कुछ कहा।

श्री देसाई की आपत्ति

मैं इस प्रश्न के पूछने में आपत्ति करता हूँ। गवाह ने स्वतः कह दिया है कि बाद में मैं वहाँ से हटा दिया गया। आपके इस प्रश्न में सहायता मिलती है कि वहां से हटाने के पहिले कुछ और घटना हुई। सरकारी वकील ने कहा कि इससे गवाही किसी अस्पष्ट बात को स्पष्ट कर सकती है।

श्रीदेसाई—यह बहुत बड़ी बात है। गवाह को जो कुछ कहना था कह दिया। वहाँ से हटने के पहले और कुछ घटना हुई ऐसा सुझाना उचित नहीं है।

जज एडवोकेट—क्या जितना तुमने देखा कह दिया?

श्रीभूलाभाई देसाई—इस प्रश्न के लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सरकारी गवाह—मैं गवाह से पूछना चाहता हूँ कि जब मुहम्मद हुसैन ने क्षमा मांगी तब शाहनवाज ने कोई उत्तर दिया?

गवाह ने बताया कि शाहनवाज ने उत्तर नहीं दिया। मुहम्मद हुसैन पर गोली चलाई गई। गवाह ने बताया कि मैं, मुहम्मद हुसैन और अलादिन बटेलियन के प्रधान कार्यालय को भेज दिये गये। खजीनशाह ने मुझे आज्ञा दी कि मैं मुहम्मद हुसैन को गोली से मार दूं। मैंने इन्कार किया। इस पर खजीनशाह ने मेरे कन्धे पर बन्दूक रख, ट्रिगर में मेरी उंगली रख कर मोहम्मद हुसैन पर गोली चला दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन हमारी रेजी० लेग्यो नामक स्थान के लिये रवाना हो गई। ३ दिन के बाद मैं ब्रिटिश सैनिकों से मिल गया।

इसके बाद अदालत ३० नवम्बर के लिये स्थगित कर दी गई, इस दिन गवाह से जिरह की जायेगी।

३० नवम्बर ४५

गवाह एक दम निरक्षर भट्टाचार्य

आजाद-हिन्द-फौज के मुकदमे आज इस्तगासे के गवाह जागीरीराम द्वारा दिये गये बयान की सचाई की परख करने के लिये जबर्दस्त जिरह की गई। दुभाषिया फिर बदला गया। श्री भूलाभाई देसाई के जिरह करने पर गवाह जागीरीराम ने कहा: मैं जालंधर का रहने वाला हूँ। मैं एक दम निरक्षर भट्टाचार्य हूँ। मैं रोमन में ही हस्ताक्षर कर सकता हूँ। मेरा पहला मुकदमा अगस्त में दर्ज किया गया था। मैंने पंजाबी भाषा में अपना बयान अपने सूबेदार के सामने दिया था। बाद में उसे पढ़कर मेरे सामने सुनाया गया। जिस बयान पर मैंने हस्ताक्षर किये थे, वह अंग्रेजी में टाईप किया गया था। मैं अंग्रेजी नहीं जानता। दो दिन हुए मेरी स्मरण शक्ति ताजी हुई, जबकि मुझे मेरा पहिला बयान सुनाया गया। मुझे हथियार चलाने की शिक्षा दी गई। मुझे एम्बुलैन्स यूनिट के लिए भर्ती किया गया। मुझे अस्पताल में रोगियों के बिस्तर बिछाने और पट्टी बांधने की शिक्षा दी गई। कल मैंने जिस मुहम्मद हुसैन व गढ़वाली का जिक्र किया था, वे योद्धा यूनिट के थे। उनके साथ हुई तथा-कथित बातचीत के समय वे बीमार न थे।

प्रश्न—अक्टूबर १९४३ से लेकर मार्च १९४५ तक क्या आपने अंग्रेजी फौजों के साथ मिल जाने की कोशिश की।

उत्तर—मुझे कोई तारीख याद नहीं।

प्रश्न—आपने जो विवरण पेश किया है, क्या यह वही है जो आपको पेश करने को कहा गया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि अपनी गवाही में भी गवाह ने कहा था कि मुझे तारीख याद नहीं।

श्री देसाई—क्या आप जानते हैं कि ईस्वी संवत के मुकाबले में हिन्दू संवत कौन सा है ?

उत्तर—मैं वर्ष, महीनों आदि के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने गढ़वाली से कभी बात नहीं की थी। मैं सिर्फ जिस भाषा में बोलता हूँ उसी को जानता हूँ।

प्रश्न—मैं कहता हूँ जिस आदमी की भाषा गढ़वाली है, उसके बारे में आपने जो कुछ कहा है वह ठीक है ?

उत्तर—जब कभी मेरे सामने उसने मुझ से बात की, तब हिन्दुस्तानी में ही की।

प्रश्न—क्या आपने उन्हें गढ़वाली में बात करते कभी नहीं देखा ?

उत्तर—शायद वे अपने आदमियों के साथ गढ़वाली में बोलते होंगे। बातचीत में भी उन्होंने मुझसे कहा था, वे गढ़-वाली हैं।

प्रश्न—अब तो आप अदालत के सामने यह कह रहे हैं कि आपने उन्हें उनकी भाषा से पहिचाना, क्या यह ठीक है या नहीं।

उत्तर—मैं जानता हूँ कि उनकी मातृभाषा गढ़वाली है। लेकिन वे मेरे साथ जब बात करते थे, तो हिन्दुस्तानी में करते थे।

प्रश्न—आप मोहम्मद हुसैन को किस तरह जानते हैं ?

उत्तर—वे सदर-मुकाम में मेरे साथ रहते थे।

प्रश्न—मुहम्मद हुसैन कौन थे ?

उत्तर—वह एक मुसलमान हैं। (हंसी)

प्रश्न—क्या इसके अतिरिक्त भी आप उनके बारे में जानते हैं।

उत्तर—वे मुस्लिम हैं. इसके अतिरिक्त उन्हें पहिचानने के लिए आप कुछ और भी जानते हैं ?

उत्तर—वह पंजाबी थे। वह मारे गये। इससे अधिक मैं उनके बारे में क्या कहूँ।

प्रश्न—क्या आप अदालत में भी उन्हें किसी और चीज की बिना पर पहिचान सकते हैं ?

उत्तर—नहीं। गवाह ने कहा कि अचानक ही मेरी मुहम्मद हुसैन के साथ बातचीत हो गई थी। मैंने उनके साथ भाग जाने के बारे में बातें कीं।

प्रश्न—कहाँ भागने को ?

उत्तर—अंग्रेजों की ओर। जो लोग पेतरोल पर जाते थे, उन्होंने बताया कि अंग्रेज २० मील परे हैं।

प्रश्न—जब आपसे पूछा गया था तो क्या आपने कहा था कि आपकी इच्छा भागने की नहीं थी ?

उत्तर—जी हां। मैं लेफ्टनेंट आयासिंह को जानता हूँ। यह पता नहीं कि वे कहाँ हैं। वे जीवित हैं। गत मई मास मैंने उन्हें उनके गांव में देखा था। इसके बाद गवाह से डिवीजनल सदर मुकामों के बारे में पूछा गया। उसने कहा कि मुझे शाहनवाज

के, और किसी को याद नहीं। बचाव पक्ष के वकील श्री भूला भाई देसाई के जिरह करने पर सरकारी गवाह जागीरीराम ने इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर दिये—

प्रश्न—क्या आप अंग्रेजी शब्द 'क्राइम' को जानते हैं।

उत्तर—मैं 'क्राइम' अंग्रेजी शब्द को नहीं जानता।

प्रश्न—मेरा ख्याल है कि आप 'रिपोर्ट' शब्द को समझते हैं।

उत्तर—मैं इस शब्द को किसी को रिपोर्ट देने के अर्थ में ही समझता हूँ। श्री देसाई के पूछने पर क्या वह क्राइम रिपोर्ट का अर्थ समझता है। उसने इसका उत्तर नकारात्मक दिया ?

प्रश्न—तब आप क्राइम रिपोर्ट शब्द को कैसे जानते हैं ?

उत्तर—जिस दिन मैं प्रधान केन्द्र में था तो एक 'क्राइम रिपोर्ट' दी गई थी। मैंने उसमें ही इसके बारे में जाना। जब गवाह और दूसरे लोग कप्तान शाहनवाज के सामने पेश किये तो मैंने उनसे दो के मुकदमे स्थगित करने के बारे में कोई बात नहीं सुनी। तब मुहम्मद हुसैन ने गवाही दी। मुझे मालूम था कि अल्लादित्ता उसके साथ था। कप्तान शाहनवाज ने मुहम्मद हुसैन से पूछा था कि क्या वह भागना चाहता है। उसने कहा मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने क्षमा माँगी। उसके बाद शाहनवाज ने कहा कि तुम भगोड़े हो और तुम्हें मौत की सजा दी जायेगी।

प्रश्न—क्या आपको हथियार दिया गया था ?

उत्तर—मुझे बंदूक दी गई थी।

प्रश्न—क्या आप दूसरे हथियारों में से बंदूक को पहिचान सकते हैं ?

उत्तर—मैं किसी दूसरे हथियार को नहीं जानता। गवाह ने स्वीकार किया कि बन्दूक उनके कन्धे पर रखी गई थी। मोहम्मद हुसैन को गोली से मारने के समय जो सिख और तामिल उपस्थित थे वह उनके नाम नहीं जानता। वे कहाँ से आये थे यह भी मुझे ज्ञात नहीं।

प्रश्न—उनमें से एक सिख था और दूसरा तामिल-क्या इससे अधिक आप उनकी पहिचान बता सकते हैं?

उत्तर—मैं इनके बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता। आगे उसने कहा कि बन्दूक सीधी की गई और मुझे उसे पकड़ने के लिये कहा गया।

मोहम्मद हुसैन की मृत्यु

श्री देसाई ने गवाह से उठने और अदालत को यह दिखाने के लिये कहा कि उसने बन्दूक कैसे पकड़ी थी। गवाह ने ऐसा करके दिखाया और कहा "बन्दूक का मुँह मोहम्मद हुसैन की ओर किया गया जो ५ गज दूर जमीन पर बैठा था। तीन गोलियां चलाई गई। मैं नहीं जानता मोहम्मद हुसैन कौनसी गोली से मारा गया। मैंने यह नहीं देखा कि उसके शरीर में कितनी गोलियां लगी।

पच्चीसवें गवाह लैंस नायक सरदार मोहम्मद की गवाही

इसके बाद सरकारी वकील ले० ना० सरदार मुहम्मद की गवाही हुई। उसने कहा—"मैं हिन्दुस्तानी फौज में भर्ती हुआ था और जनवरी १६३६ में मलाया भेजा गया था। सिंगापुर के पतन के बाद मैं भी वहीं था। पीछे मैं आजाद-हिन्द फौज में भर्ती हो

गया। मुझे उस सेना में कमीशन (अफसर पद) दिया गया था। मैं रेजिमेन्ट रंगून में जनवरी १९४५ में आया था। मैं मोहम्मद हुसैन को जानता हूं। खजीनशाह ने सिपाही मोहम्मद हुसैन को बुलाया था। मैं जानता हूं, मोहम्मद हुसैन आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने से पहिले हिन्दुस्तानी फौज में था। खजीनशाह ने उनसे पूछताछ की और कभी कभी उन्हें मारा भी। उसके बाद वे ब्रिगेड के सदर मुकाम 'ए' में गये और सायंकाल को लौटे। मुझे आज्ञा दी गई कि पांच आदमी ब्रिगेड के सदर मुकाम में भेज देने चाहियें। मैंने इन आदमियों को खजीनशाह को सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मोहम्मद को गोली मार देने की आज्ञा दी गई है। दूसरे आदमियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मुझे सूचना दी गई थी कि मोहम्मदहुसैन को गोली मारी जायेगी। मुझे व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। उसके लिए कब्र भी खोदी गई। कप्तान खजीनशाह ने मोहम्मद हुसैन को एक पेड़ से बांधने की आज्ञा दी। आज्ञा का पालन किया गया। उसके बाद गोली भी मार दी गई। गवाह ने आगे कहा—हमारी सेना उसी दिन लड़ने के लिये चली गई। मैंने किसी हताहत की खबर नहीं सुनी। उसके बाद मैं ३ अप्रेल को अंग्रेजी सेना में आ गया। श्री देसाई के जिरह करने पर गवाह ने कहा—"मैंने अप्रैल १९४५ को सहगल को हताहतों की खबर नहीं दी। मैं जागीरीराम को जानता हूँ। वह गैर लड़ाकू अस्पताली अर्दली था। आयासिंह जागीरी राम को बन्दूक पकड़ने में सहायता दे रहा था।

प्रश्न—तब क्या आप समझते थे कि जागीरी राम गोली चलाना जानता था?

उत्तर— उसने सहायता लेकर गोली चलाई।

प्रश्न—जब वह गोली चलाना नहीं जानता था तो उसे गोली चलाने वाले जत्थे में क्यों रखा गया ?

उत्तर—"खजीनशाह ने आज्ञा दी थी कि उसे भी बुलाया जाए। जब मोहम्मद हुसैन गोली खा कर गिरा था तब मैं १२से१५ गज दूर था। मैं उनके पास गया, तब मुझे मालूम हुआ कि वह मर गया है। उनके शरीर में तीन गोलियां लगी थीं।" जज एडवोकेट के पूछने पर गवाह ने कहा कि उसे शाम को गोली मारी गई थी और उसने उसके शरीर पर रक्त नहीं देखा। इसके बाद अदालत अल्पाहार के लिए स्थगित हो गई।

लंच के बाद

छब्बीसवें गवाह अब्दुल हाफिज खां की गवाही

जब अदालत लंच के बाद फिर बैठी तो अस्पताली अर्दली सरकारी गवाह अब्दुल हाफिज खां ने कहा—मैं पोपा के क्षेत्र में एक रोगी को लेकर अस्पताल में जा रहा था। मैंने कुछ आदमी नाले के पास इकट्ठे देखे। ४ आदमी एक खाई में खड़े हुये थे। और मेजर ढिल्लन तथा अन्य अफसर पास खड़े हुए थे। जब मैं अस्पताल जाने के बाद उस जगह पर गया तो मैंने देखा मेजर ढिल्लन चार आदमियों को एक के बाद एक को बुला रहे थे और उनमें से प्रत्येक को कह रहे थे कि चूंकि तुम शत्रु से मिल गए हो, इसलिए तुम्हारी सजा मौत है। पीछे नायक शेरसिंह, सिपाही काल्ह राम और सिपाही हिदाय तुल्ला को मेजर ढिल्लन ने उन्हें एक एक करके मारने की आज्ञा दी। इसके अनुसार उन्हें गोली मार दी गई। उसके बाद मैं उस जगह से चला गया और बाद में पड़े हुए गुर्खा रेजीमेन्ट में चला गया। श्री भूलाभाई

देसाई के जिरह करने पर गवाह ने कहा कि मैंने चारों आदमियों को पहिले नहीं देखा था और न अफसरों तथा दूसरे इकट्ठे आदमियों से मुझे काम पड़ा था। मुझे रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के बाद अपना यूनिट में पहुंचना था, किन्तु उत्सुकता के कारण मैं जमघट के स्थान पर पहुंच गया। गवाह ने आगे कहा कि चूंकि मुझे अपनी यूनिट में कुछ नहीं करना था, इसलिए मैं वहां तुरन्त वापिस नहीं गया। यह पूछने पर कि क्या उसे काम की सूचना पहले दी जाती थी, गवाह ने आगे कहा कि "नहीं"।

गवाह ने आगे कहा कि सब मामला आध घन्टे में खतम हो गया। यह घटना किस दिन और किस महीने में हुई यह मुझे ज्ञात नहीं। जब मैं सुर्खा रेजीमेन्ट में गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मेरा बयान लिया गया। चूंकि कालुराम, हिदाय तुल्ला और शेरसिंह मेरी रेजीमेन्ट के थे, इसलिए मैं उन्हें जानता था।

२७ वें गवाह सिपाही ज्ञानसिंह की गवाही

मैं इंडियन आर्मी में १९३६ में भर्ती हुआ था। मैं अपनी बटेलियन के साथ मलाया गया था। मैं जापानियों द्वारा युद्ध बन्दी बना लिया गया। फिर १९४२ में मैं आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होगया। मैं आजाद ब्रिगेड में नियुक्त किया गया था और फिर नेहरू ब्रिगेड में बदल दिया गया था। उस समय नेहरू ब्रिगेड के नेसून कैम्प में था। अक्टूबर १९४४ में यह ब्रिगेड रंगून में था। इस समय ब्रिगेड कमाण्डर मेजर राना थे। इस के पद पर फिर लेफ्टि० ढिल्लन को नियुक्त किया गया था। पद ग्रहण करने पर ले० ढिल्लन ने एक भाषण दिया था उसने कहा था कि ब्रिगेड का

अनुशासन गंदा था और अब मैं उसे ठीक करूँगा। इसने बटेलियन कमाण्डर से पूछा कि वह मुझे खराब सिपाहियों के नामों की लिस्ट दें। मैं इनको वापिस भेजने का प्रबन्ध करूँगा। इसके बाद जो अपराध करेगा उसे रंगून जेल भेज दिया जावेगा।

इसके बाद बटेलियन पोपा क्षेत्र में १९४५ के तीसरे व चौथे मास में पहुँचा। मुझे याद है कि चार आदमी मारे गये थे। एक शाम को ४ बजे हमारी कम्पनी को आज्ञा मिली कि हम नाले पर पहुँचे। वहाँ पहुंच ने पर मैंने चार आदमियों को देखा जिनके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। वे एक खाई में थे। ले० ढिल्लन ने कहा कि ये चार आदमी ब्रिटिश की ओर जाना चाहते थे इसी लिए इनको मौत की सजा दी गई है। उसने फिर स्वयंसेवकों से कहा कि इनको गोली से भून दो। तीन आदमी लांस नायक हिदायतुल्लाह, सिपाही काल्राम तथा नायक शेरसिंह एक कदम के आगे बढ़े। एक आदमी को मेजर ढिल्लन ने आज्ञा दी कि खाई से बाहर आजाए और हिदायतुल्लाह को मेजर ढिल्लन ने गोली से इसे उड़ाने की आज्ञा दी। इस पर एक ने कहा कि वह कुछ कहना चाहता है। मेजर ढिल्लन ने कहा कि किसी की प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती और हिदायतुल्लाह को आज्ञा दी कि इसे गोली से उड़ादो। हिदायतुल्लाह ने निशाना मार कर एक गोली चलाई और वह आदमी जमीन पर गिर गया। मेजर ढिल्लन ने दूसरे आदमी को खाई से बाहर आने की आज्ञा दी और हिदायतुल्लाह से गोली से उड़ाने को कहा। मेजर ढिल्लन ने तीसरे आदमी को खाई से बाहर आने की आज्ञा दी और सिपाही काल्राम से इसे गोली मारने को कहा। चौथे आदमी को भी इसी प्रकार काल्राम ने गोली मार कर मार दिया। काल्राम तथा हिदायतुल्लाह के पास राईफल थे और नायक शेरसिंह के पास पिस्तौल थी। इसके

बाद मेजर ढिल्लन ने नायक शेरसिंह को इन चारों आदमियों पर पिस्तौल चलाने को कहा जो कि अभीतक अर्ध जीवित थे। शेरसिंह ने ५ गज के फासले से इन चारों पर पिस्तौल से गोली चलाई। इसके बाद मेजर ढिल्लन ने कहा कि जो आदमी ऐसा करेगा उनके साथ भी ऐसा ही किया जावेगा। चारों आदमियों वहीं खाई में दफना दिये गये। मैंने उनको दफनाते हुए देखा था। मैं उनके बारे में इससे अधिक कुछ नहीं जानता। इस के बाद हम पोपा से दस मील दूर चले गए। फिर हम ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर एक सूखा तालाब था, वहाँ हमने खाईयां खोदी। एक दिन शाम को चार बजे चार पलटन की ओर से टोमी गन की आवाज सुनी वहाँ दो टैंक पहुँचे और हमने आत्मसमर्पण कर दिया।

श्री भूलाभाई देसाई की जिरह

गवाह ने जिरह का उत्तर देते हुए कहा—मेजर ढिल्लन ने अपने भाषण में किसी भी ऐसे आदमी को हाथ खड़ा करने के लिये नहीं कहा जो कि रेजीमेंट के साथ नहीं रहना चाहते थे।

गवाह ने कहा—कभी-कभी मैं कुछ कहना भूल जाता हूँ। नाला ५ फीट चौड़ा था। यह २५ गज लम्बा था। मैं नहीं कह सकता कि वह कितना गहरा था। आदमी की ऊँचाई से अधिक नाले की गहराई कमरे की ऊँचाई के बराबर थी (अदालत का नोट—कमरे की ऊँचाई २० फुट है।) इसमें ३० आदमी थे। कम्पनी के आदमी पंक्ति में खड़े थे। कुछ आदमी दलील करने गये थे। खाई नाले के एक ओर थी। मुझे याद नहीं है कि वहां कितने अफसर थे। कप्तान ढिल्लन कम्पनी के सामने खड़े थे। खाई नाले में थी। मैंने खाई की गहराई नहीं देखी। खाई

कम्पनी के खड़े होने के स्थान से २०-२५ गज के फासले पर थी। यदि जोर से बोला जावे तो कम्पनी की बातें खाई तक पहुँच सकती हैं। मैं नहीं जानता कि वहाँ कोई ऐसा आदमी था जो कि गैर कंपनी का हो। नाला कुछ स्थानों पर चौड़ा था पर जहां हम खड़े थे वह स्थान ५ फोट चौड़ा था। हवाई हमले के समय लोग नाले में जाकर छुपते थे। और नायक शेरसिंह इस समय नाले में छुपा हुआ था। इस समय हवाई हमले की संभावना रहती थी। खाई नाले की सतह से ६०° के कोण पर थी। मेरे खड़े होने के स्थान से खाई २० गज पर थी। हम दो पंक्तियों में खड़े थे और मैं बीच में था। जिनको फांसी दी जानी थी, वे तमाम सामने खड़े थे। वे आदमी दो ग्रुप में थे जो कि मुझ से दो कदम के फासले पर थे। मैंने मेजर ढिल्लन को आज्ञा देते हुए सुना कि वे आदमी एक एक करके आजावें। चूंकि मैं कंपनी में बहुत समय से हूँ अतः मैं कालूराम तथा हिदायतुल्लाह को जानता हूँ।

अदालत द्वारा प्रश्न

नाले की चौड़ाई अदालत की मेज के बराबर थी। मैं कम्पनी के बीच में था। मेरे सामने ५-७ आदमी थे और दो पंक्तियों में खड़े थे।

(अदालत का नोट—गवाह के अनुसार नाले की लम्बाई ५ फीट थी।) मेजर ढिल्लन सबके पीछे खड़ा था। नाले की लंबाई २५ गज से मतलब है कि खाई मेरे स्थानसे २५ गज दूरीपर थी। मेजर ढिल्लन ने कहा था कि वे बटालियन नं० ८ के जाट थे।

एडवोकेट जनरल—मैं आजकी कार्यवाही यहीं स्थगित करना चाहता हूँ क्योंकि कर्नल किटसन जो कि एक गवाह हैं यहां

अभी तक उपस्थित नहीं हैं। सत्य यह है कि हमने तीन सप्ताह पूर्व कोशीश की थी कि वे यहां पहुँच जावें पर वे जावा में व्यस्त थे और आशा है कि शीघ्र ही वे यहाँ पहुँच जायेंगे। मेरे पास और गवाह नहीं है। इतने में आप आजाद-हिन्द-फौज के संशोधित कानून प्राप्त कर लेंगे और मैं सिद्ध करने का प्रयत्न करूँगा कि वे हमारे अधिकार में आते हैं या नहीं।

लै० कर्नल वाल्श—गवाह के आने में सम्भवतः ३६ घण्टे शेष हैं।

अध्यक्ष—अभी हम अस्थायी तौर पर बृहस्पतिवार तक अदालत स्थगित करते हैं और यदि गवाह जल्दी आगए तो हम भी जल्दी फिर इकट्ठे हो जाएंगे।

मुकदमा ६ दिसम्बर तक के लिए स्थगित हो गया।

---

६ दिसम्बर १९४५

मुकदमा एक दिन के लिये स्थगित

सरकारी गवाहों की गवाही की सुनवाई कल दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई क्यों कि जिन नये गवाहों की गवाही होनी थी वे आज ही दिल्ली पहुँचे थे, अतः वे अदालत में उपस्थित न हो सके।

"सरकारी गवाहों की गवाही कल समाप्त हो जावेगी और मुकदमा लगभग १५ दिन में समाप्त हो जावेगा।"
अदालत ने बताया।

---

७ दिसम्बर १९४५

लेफ्टि० कर्नल जे० ए० किट्सन की गवाही

मैं अप्रैल १९४५ में बर्मा में ४।२ गुर्खा राईफल की कमांड में था। अप्रैल के अन्त में हमने ईरावदी की ओर कूच किया जो कि अलेनमेयो के उत्तर में है। २२ अप्रैल १९४५ में अलोगान की ओर से जाते समय १० बजे प्रातःकाल मुझे अग्रगामी दल से एक खबर मिली। इस सूचना पर मैंने दल को मेगथान नामक गांव से ६०० गज के फासले पर रोक दिया। इसके बाद मैंने अपने दल को गांव के दक्षिण की ओर भेजा। आध घण्टे के बाद गोली चलने की आवाज सुनी। मैंने यह समझ कर कि शत्रु हैं मैंने बचे हुए दस्ते को उस ओर जाने की आज्ञा दी।

थोड़ी देर के बाद मुझे दक्षिण की ओर से मेरे दल की एक खबर बेतार के जरिये मिली। इसके बाद मैं इस गांव के पूर्व की ओर गया जहां पर मुझे अपने दल के कमांडर मिले जिनके साथ कप्तान सहगल भी थे जिनको मैं यहां अदालत में अभियुक्त के रूप में पहचानता हूँ। कप्तान सहगल के साथ आजाद-हिन्द-फौज के कुछ दूसरे अफसर भी थे और साथ में सौ के लगभग सिपाही भी थे।

बाद में आजाद-हिन्द-फौज के और सैनिक भी वहां उपस्थित हो गये। ले० कर्नल किट्सन ने आगे चलकर कहा:—मेरे कम्पनी कमाण्डर ने मेरे हाथ में एक लिखित पत्र दिया। यह उसे आत्मसमर्पण करने वाले दस्ते से मिला था। जो कि सफेद

झण्डा लिए हुए था। दो महीने बाद अपने कागजों को टटोलने के समय इस लिखित पत्र को नष्ट कर दिया। यह ब्रिटिश अथवा मित्र सेनाओं के लिये लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि आजाद-हिन्द-फौज के ३० अफसर तथा १०० सैनिक युद्ध-बन्दियों के रूप में आत्मसमर्पण करना चाहते थे। ले० कर्नल किट्सन ने कहा—"सहगल ने मुझे कहा कि वह ४।१० बैलूच रेजिमेंट में था और इस समय एक आजाद-हिन्द-फौज की एक रेजिमेन्ट कमान उसके हाथों में है। उसके साथ उसके रेजिमेंट की बटेलियन तथा रेजिमेण्टल सदर मुकाम हैं। बन्दियों को निशस्त्र करने, गिनने तथा उचित स्थान में रखने के बाद कप्तान से मेरी बात हुई। बन्दियों में करीब ५० घायल थे। मैंने सहगल से कई प्रश्न किये। यह भी पूछा कि वे आजाद हिन्द फौज में क्यों शामिल हुये। उन्होंने युद्ध के दो वर्षों का हाल सुनाया और कहा आजाद-हिन्द-फौज का जापानियों से मतभेद हो गया है। मैंने पूछा कि वे अंग्रेजों को पसन्द करते हैं? उन्होंने कहा दो अंग्रेज अफसर उनके मित्र हैं। सहगल ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का यह कारण बताया कि वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषण के विरोधी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे उसी उद्देश्य से लड़े हैं जिसको कि वे नियमानुकूल समझते थे। चूंकि अब वे हार गये हैं इसलिये अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। ले० कर्नल ने कहा कि मैंने सहगल से कह दिया कि उनके साथ क्या कार्यवाही की जायेगी। यह ब्रिगेड हैटक्वाटर्स पर निर्भर है। सहगल लंगड़े हो गये थे अतएव उनको कार द्वारा भेजने की व्यवस्था की गई।

२६ वें गवाह गंगाशरण की गवाही

मैं फरवरी १९४४ में आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हुआ था

शाहनवाज खां
कर्नल आजाद-हिन्द-फौज

"ब्रिटिश ताज के प्रति परम्परागत वफादारी के वातावरण में पला होने के कारण मैं अभी तक केवल नौजवान ब्रिटिश अफसरों की नजरों से ही हिन्दुस्तान को पहचानता था, लेकिन जब मैं नेताजी से मिला, और उन के भाषण सुने, तब अपने जीवन में पहिली बार मैंने एक भारतीय की आँखों से अपने भारत को देखा।"

मैं ५ वीं गुरिल्ला रेजीमेन्ट में भर्ती हुआ था। मैं सब-अफसर नियुक्त किया गया था। २६ और २७ फरवरी १६४५ को मैं पोपा में था। मैं नं० १ बटालियन में सिगनल अफसर था। लड़ाई के पेट्रोलो से इंकार करने पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जोध-सिंह ने मेरे विरुद्ध एक Crime Report कप्तान सहगल के सन्मुख पेश की। इस Crime Report में मेरे विरुद्ध तीन अपराध थे। मुझे मौत की सजा दी गई थी। फिर मैं सहगल द्वारा माफ कर दिया गया।

सफाई पक्ष के वकील श्री भूलाभाई देसाई ने कहा अब जिरह की जरूरत नहीं है। इसके बाद तीनों अफसरों ने अपने बयान पढ़ कर सुनाये। सबसे पहले श्री कप्तान शाहनवाजखां ने अपना बयान पढ़ कर सुनाया।

कप्तान शाहनवाज खां का वक्तव्य

"मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिये फौजी अदालत द्वारा या और किसी अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सके। कप्तान शाहनवाज ने अपने बयान में कहा, "मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैंने युद्ध में भाग लिया। लेकिन मैंने आजाद-हिन्द की अस्थायी सरकार की सेना के एक सदस्य के रूप में इस लड़ाई में भाग लिया। इस आजाद हिन्द सरकार ने सभ्य देशों की युद्ध प्रणाली के अनुसार मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता के लिये युद्ध छेड़ा और इस सरकार की विरोधी ब्रिटिश फौजों ने शत्रु पक्ष का सरकार माना।"

"जब मैंने आजाद हिन्द फौज में शामिल होने का निश्चय किया तो मैंने अपनी हरेक चीज का त्याग करने का फैसला किया। अपनी जिन्दगी, अपना घर, अपना परिवार तथा उसकी

परम्परा (सम्राट के प्रति वफादारी) सब कुछ बलिदान करने का संकल्प कर लिया। मैंने यह भी निश्चय किया कि यदि मेरा भाई मेरे मार्ग में रोड़ा अटकाये तो उससे भी मैं लडूँगा। १९४४ में हम वास्तव में एक दूसरे के विरुद्ध लड़े। वह घायल हो गया। चिन पहाड़ियों में करीब दो मास तक मैं तथा मेरा चचेरा भाई एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहे। हमारे सामने यह प्रश्न था कि देश के प्रति वफादार रहें या सम्राट के प्रति। मैंने देश के प्रति वफादार रहना निश्चय किया और मैंने अपने नेता जी (सुभाष चन्द्र बोस) को यह वचन दिया कि मैं अपना सब कुछ बलिदान कर दूँगा।" हत्याओं के अभियोग का उल्लेख करते हुये कप्तान शाहनवाज खां ने इस अभियोग से इन्कार किया कि उन्होंने मोहम्मद हुसैन की हत्या करवाई।

"ब्रिटिश राज के प्रति परम्परागत वफादारी के वातावरण में पला होने के कारण मैं अभी तक केवल नौ जवान ब्रिटिश अफसरों की नजरों से ही हिन्दुस्तान को पहचानता था। लेकिन जब मैं नेताजी सुभाषचन्द्र बोस से मिला, और उनके भाषण सुने, तब अपने जीवन में पहली बार मैंने एक भारतीय की आंखों से अपने भारत को देखा" कप्तान शाहनवाज ने फौजी अदालत में अपना बयान जारी रखते हुये कहा। "नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से किस प्रकार प्रभावित हुये उसका उल्लेख करते कप्तान शाहनवाज ने कहा:—

"उनकी निस्वार्थता, अपने देश के प्रति अगाध श्रद्धा, उनकी स्पष्टवादिता और जापानी इच्छाओं के सामने न झुकने के दृढ़ निश्चय से अत्याधिक प्रभावित हुआ। मैंने अनुभव किया कि भारत की प्रतिष्ठा उनके हाथों में सुरक्षित है। दुनियां की किसी भी चीज से वह उनका सौदा न करेंगे। उन्होंने हमारे सामने

कोई लुभावने चित्र नहीं रखे, बल्कि आजाद-हिन्द-फौज में रहने वालों को उन्होंने भूख, प्यास और मृत्यु तक का सामना करने के लिये तैयार रहने के लिये चेतावनी देदी।"

"जब मैंने सुदूर पूर्व में अपनी आँखों से भूख प्यास से पीड़ित हजारों भारतीयों के उत्साह को देखा, जिन्होंने जो कुछ उनके पास था सब आजाद-हिन्द-फौज को भेंट कर दिया और सारे परिवार के परिवार उस फौज में शामिल होगये और अपने देश के लिये फकीर बन गये। तब मैंने अनुभव किया कि हमने सच्चा नेता पाया है और उन्होंने भूख प्यास से जर्जरित, निहत्थे, और असहाय लाखों भारतीयों के नाम पर हम से आगे आने के लिये और उनकी आजादी के लिये अपने जीवन के बलिदान की अपील की है। अपने को भारतीय कहलाने वाला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नेताजी की इस भाव भरी मांग को पूरी न करता? मैंने एक नेता को पाया और उसका अनुकरण करने का संकल्प किया।"

भारतीयों का अपूर्व उत्साह

मैंने मलाया पर जापानियों पर हमला देखा था। मैं चाहता था कि भारत की ऐसी दशा नहीं होनी चाहिये। पर मैंने विचार किया कि जापानियों के हाथों युद्ध बन्दी बन जाने से यह अच्छा होगा कि मैं शस्त्र हाथ में लेकर भारतीयों के जीवन और संपत्ति की रक्षा में तत्पर होजाऊँ। आजाद-हिन्द-फौज में हो ऐसे लोगों की मैं भर्ती करता था, जो जापानियों से ही लड़ने में पीछे न हटें। इस्तगासे के गवाहों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। भर्ती जबरन नहीं की जाती थी। नेताजी स्वयं उन लोगों को चले जाने को कह देते थे, जो अधिक कष्ट सहने और अपने प्राणों का बलिदान करने में असमर्थ हों। उन्होंने आगे फिर कहा—जब

मैंने सोचा कि अंग्रेज मेरे करोड़ों भूखे देश वासियों का शोषण कर रहे हैं और इसी शोषण को सरल बनाने के लिये उन्हें अज्ञान और अशिक्षा के अन्धकार में रख रहे हैं, तो उनके प्रति मुझे बड़ा घृणा हो गई। मेरी यह दृढ़ धारणा हो गई कि भारत में विदेशी शासन अन्याय के आश्रित है और इस अन्याय को दूर करने के लिये मैंने अपना घरबार, परिवार और जीवन बलिदान करने की ठानली। हम लोगों को जो कष्ट और जो यातनायें सहनी पड़ी है, उन्हें कोई वेतन भोगी सेना क्या सहेगी।

हमने तो एक मात्र भारत की आजादी के लिये ही केसरिया बाना धारण किया था।

कप्तान सहगल का वक्तव्य

कप्तान शाहनवाज के बाद कप्तान सहगल ने अपना बयान देते हुये उन परिस्थितियों का उल्लेख किया, जिनसे वे आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होजाने को प्रेरित हुए। उन्होंने सिंगापुर में हुई १७ फरवरी १६४२ की सभा की ओर संकेत करते हुए कहा कि उस समय अँग्रेजों के प्रतिनिधि कर्नल हंट ने हिन्दुस्तानी सैनिकों और अफसरों को एक भेड़ों की झुण्ड की तरह जापानियों को सौंप दिया। इससे हमें बड़ा धक्का लगा। भारतीय फौजों ने बड़ी कठिनाइयों का सामना कर के लड़ाई लड़ी थी और उसके बदले अँग्रेजों ने उन्हें जापानियों की दया पर छोड़ दिया।

"ब्रिटिश सरकारने इस प्रकार स्वयं उन बन्धनों को तोड़ डाला जिन्होंने हमें ब्रिटिश सम्राट से सम्बन्धित कर रखा था। जापानियों ने हमें कप्तान मोहनसिंह के हवाले किया जो आजाद-हिन्द-फौज के प्रधान सेना अध्यक्ष थे। उनके अधिकार में हम अपना भावी निर्णय करने के लिये स्वतन्त्र थे। हमारा यह विश्वास हो

प्रेमकुमार सहगल
कर्नल आजाद-हिन्द-फौज

"हमने आजाद-हिन्द-फौज के इतिहास को खून से लिखा है। जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूँद बाकी है मैं हिन्दुस्तान की आजादी के लिये लड़ता रहूँगा।"

गया था कि चूँकि ब्रिटिश सरकार ने हमारी रक्षा करने से हाथ खींच लिया है इसलिये हमारी वफादारी पर उनका कोई हक नहीं है।"

१६४२ को 'भारत छोड़ो' सम्बन्धी घटनाओं को सरकार ने रेडियो द्वारा बाहर प्रकट नहीं होने दिया पर गुप्त रूप से जो बातें हमें मालूम पड़ी, उनसे यह स्पष्ट होगया कि भारत में १८५७ की भांति क्रूरता और दमन का राज्य स्थापित होगया है। इससे हमें अपने प्रियजनों की बड़ी चिन्ता हुई, जिन्हें हम भारत में छोड़ आये थे और साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भी प्रति घृणा और रोष के भाव जागृति हुये, जो हमारे देश को गुलाम बनाये रखने पर तुला हुआ था। भारत की रक्षा के सम्बन्ध में हमें सूचना मिली थी, उसके आधार पर हमें पूर्णतया सुरक्षित नहीं समझते थे। ब्रिटिश जापानी आक्रमण को रोकने में असमर्थ जान पड़े। अन्त में एक ऐसी सेना का निर्माण करने का निश्चय किया गया था जो कि जापानियों के साथ लड़ कर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करें और यदि जापानी अँग्रेजों के स्थान पर शासक बनना चाहें तो उसका मुकाबला करें। मैं आजाद-हिन्द-फौज में भय या लालच के मारे भर्ती नहीं हुआ था।

मैं तो केवल देश-भक्ति के भावों से प्रेरित हो उसमें भर्ती हुआ था। अब मेरी स्थिति एक युद्ध बन्दी की है। अब मुझे युद्ध बन्दी के सभी अधिकार मिलने चाहियें, जिस ब्रिटिश अफसर को हमने आत्मसमर्पण किया था, उसको हमने पहले यह लिख भेजा था कि हम युद्ध बन्दी की तरह आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। हमारी यह शर्त मानली गई थी। हत्या के अभियोग का उत्तर देते हुये सहगल ने कहा-मैंने चार सिपाहियों को अपराधी

पाकर उन्हें मृत्यु दण्ड दिया था पर यह सजा कार्यान्वित नहीं की गई थी। खेद प्रगट करने पर और भविष्य में अपराध न करने का आश्वासन देने पर वे क्षमा कर दिये गये। यदि उन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया होता तो वे इसके योग्य ही थे, क्योंकि उन्होंने विश्वास घात किया था। यद्यपि हमारा भारत को स्वतन्त्र करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था, फिर भी हम मलाया में भारतीयों के जान माल की रक्षा करने में सफल हुये थे।

लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन का बयान

कप्तान सहगल के बाद ले० ढिल्लन ने अपना बयान पढ़ा। इन्होंने अपना बयान देते हुए बताया कि देहरादून स्थित भारतीय सैनिक स्कूल के चेटवुड हाल में अंकित इन शब्दों का, "सबसे पहला नं० आपके देश के सम्मान, हित व सुरक्षा का है, इसके बाद आपको कमान में काम करने वाले के कल्याण का नम्बर आता है, और सबसे बाद में आपकी अपनी रक्षा व आराम का नम्बर आता है।" स्मरण कराया व कहा कि मैं इसी आदेश को सामने रख कर आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुआ था और स्वेदश की सेवा की थी। ले० ढिल्लन ने सिंगापुर के पतन तथा कप्तान मोहनसिंह द्वारा आजाद-हिन्द-फौज के निर्माण सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख करते हुये कहा-मलाया में जापानी आक्रमण के फलस्वरूप लोगों को जिन कष्टों का सामना करना पड़ा, उनसे मैं अपने देश पर सम्भावित आक्रमण के परिणाम की कल्पना करने से कांप उठा। उस समय मैंने अनुभव किया कि अंग्रेजोंने अपने डेढ़ सौ वर्ष के शासन काल में भारत का शोषण ही किया है और उसके बचाव की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की है, उन्होंने हमें सदा के लिये गुलाम रखने के निमित्त सर्वदा बढ़िया

गुरबख्शसिंह ढिल्लन

ले० कर्नल आजाद-हिन्द-फौज

"अपने वतन की आजादी के लिये मैं अन्तिम क्षण तक लड़ता रहूँगा।"

दीवान-ए-खास का एक चित्र जहाँ पर १८५७ के नेता **मोहम्मद बहादुर शाह** पर मुकदमा चला था।

बना दिया है। अतः मैंने मोहनसिंह द्वारा बनाई जाने वाली आजाद-हिन्द-फौज में भारत के लिये आशा की किरण देखी। मैंने सोचा कि यदि इस समय एक सुदृढ़ भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण होवे तो, वह मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कर सकती है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वह जापानियों से भी लोहा ले सकती है। मुझे लगा कि मातृभूमि मुझे अपने बन्धन तोड़ने लिये बुला रही है, इसलिये मैं आजाद-हिन्द-फौज में शामिल होगया। मोहनसिंह द्वारा निर्मित आजाद-हिन्द-फौज के भंग होने के बाद मैं द्वितीय आजाद-हिन्द-फौज में भी, जिसकी सर्वोच्च कमान श्री सुभाषचन्द्र बोस के हाथ में थी शामिल रहा।

जबर्दस्ती नहीं की जाती थी

आजाद-हिन्द-फौज की भर्ती का वर्णन करते हुये ले० ढिल्लन ने कहा कि जहाँ तक मुझे मालूम है और याद है, आजाद-हिन्द-फौज में कभी किसी व्यक्ति के साथ जबर्दस्ती नहीं की गई, क्योंकि आजद-हिन्द-फौज में लोग स्वेच्छा से भर्ती होते थे और स्वयं सेवकों की संख्या इतनी अधिक थी कि हम उन सब को अस्त्रशस्त्र मुहय्या नहीं कर सकते थे। सरकारी गवाहों का यह कथन एकदम गलत है कि आजाद-हिन्द-फौज में सैनिकों को जबर्दस्ती भर्ती किया जाता था और उन्हें नजरबन्द शिविरों या युद्ध-बन्दी शिविरों में भेजा जाता था। वहाँ कोई युद्ध-बन्दी शिविर नहीं था। मैंने जो भी भाषण दिये उन सब में भर्ती होने के लिये कहा था और चेतावनी दी थी कि वे लोग ही आजाद-हिन्द-फौज में शामिल होंगे जो स्वदेश के लिये सब प्रकार का कष्ट सहने को तैयार रहेंगे। मोर्चे पर लड़ने वालों

से पहिले भी मैं अपने अधीन काम करने वाले सैनिकों को इसी प्रकार चेतावनी देता था। कुछ अफसरों और सैनिकों ने अपनी अनिच्छा प्रकट की थी, इस पर लगभग २०० आदमी मेरी रेजिमेण्ट के मिगयान से कूच बोलते समय वापस रंगून भेज दिये गये थे।

केवल एक नजरबन्द शिविर

ले० ढिल्लन ने आगे कहा—वहां केवल एक नजरबन्द शिविर था, जिसमें सिर्फ अनुशासन भंग करने वाले आदमियों को दण्ड के तौर पर भेजा जाता था। लेकिन इस शिविर का आजाद-हिन्द-फौज की भर्ती में कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था। इसके विपरीत नजरबन्द शिविर के आदमियों को उनकी इच्छा होने पर भी आजाद-हिन्द-फौजमें नहीं लिया जाता था; क्योंकि इस शिविर में एक बार हो आने वाले आदमियों को आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने के अयोग्य समझा जाता था। सरकारी गवाहों ने इस सम्बन्ध में जो झूठी गवाहियां दी हैं, वे केवल अपने को बचाने तथा सरकार के कृपापात्र बनने के लिये ही दी हैं। मैं अभियान की प्रत्येक अवस्था में अपनी रेजिमेंट के आदमियों को यह छुट्टी दे देता था कि यदि वे कष्ट सहन में असमर्थ हैं तो वे वापिस जा सकते हैं। किन्तु, वे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते थे। कई बार तो मेरा पड़ाव शत्रु के मोर्चे बन्दी के अत्यन्त निकट होता था, परन्तु फिर भी कोई आदमी मेरा पता शत्रु को जाकर नहीं बताता था।

"कई बार तो मुझे २०—३० घण्टे तक प्यासा और २—३ दिन तक लगातार भूखा रहना पड़ता था। यदि एक ब्रिगेड के सेनापति के रूप में मुझे यह कष्ट सहने पड़ते थे। और फिर

भी वे मेरे साथ रहते थे। कोई भी ऐसा आदमी, जिसे जबर्दस्ती से सेना में भर्ती किया हो, इस प्रकार की कठिनाईयां सहन नहीं कर सकता। यह सत्य है कि मैंने चार आदमियों को फौज से भागने व शत्रु के पास खबर पहुँचने के प्रयत्न में फौजी अदालत के सामने पेश किया। लेकिन यह एक दम असत्य है कि उन्हें मेरी आज्ञा पर गोली से उड़ाया गया। जिस दिन उन्हें गोली से मारा गया बतलाते हैं, उस दिन मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था और चलने फिरने के अयोग्य था। वास्तव में उन आदमियों को सुनाया गया मृत्यु-दण्ड के बाद डिविजनल कमाण्डर द्वारा रद्द कर दिया गया था और उन्हें कभी भी गोली से नहीं मारा गया।"

मुझ पर मुकदमा नहीं चल सकता

तदन्तर ले० ढिल्लन ने कहा जो कुछ मैंने किया वह मैंने आजाद भारत की अस्थायी सरकार के आधीन लड़ने वाली एक नियमित रूप से संगठित सेना का सदस्य होने के नाते से किया था; और इसलिये मुझ पर भारतीय सैनिक कानून व फौजदारी कानून के अनुसार कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और नही कोई अभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि जो भी मैंने किया है वह सेना के एक सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य पालन करने के लिये किया है। मुझे आगे यह भी बताया गया कि कानून के विचार से फौजी अदालत द्वारा मेरा यह मुकदमा गैरकानूनी है। मैं आजाद-हिन्द-फौज में पवित्र उद्देश्यों से भर्ती हुआ था। इस फौज का सदस्य होने के कारण मैं बहुत युद्धबन्दियों को रुपया व सामान की सहायता पहुँचा सकता था।

"आजाद-हिन्द-फौज ने सुदूरपूर्व में भारतीयों की जान, माल व इज्जत की रक्षा की। मैंने ऐसे बहुत से नागरिकों व युद्ध बन्दियों के 'जिन्हें जापानी मौत की सजा सुना चुके थे', प्राण बचाये। मैंने जापानियों को भारतीय नगरों पर बम-वर्षा करने से रोका और मैं अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ। सुदूरपूर्व स्थित भारतीयों ने आजाद हिन्द फौज द्वारा की गई सेवाओं की प्रशंसा की और इसलिये उन्होंने स्वतन्त्र-भारत की अस्थायी सरकार के कोष में देश के लिये करोड़ों रुपयों की सहायता दी थी। उन्होंने यह सब देश भक्ति पूर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर ही किया था। मैंने कोई अपराध नहीं किया था।" ले० ढिल्लन के बयान के बाद अदालत अगले दिन के लिये स्थगित हो गई।

इस्तगासे की गवाहियाँ समाप्त

सफाई पक्ष की गवाहियां आरम्भ

८ दिसम्बर १९४५

प्रथम गवाह श्री ओहता की गवाही

सफाई पक्ष के पहिले गवाह श्री ओहता ने

जो विदेश कार्यालय के एक अफसर हैं, अंग्रेजी में बोलते हुये कहा कि आजाद-हिन्द-फौज १९४२ में स्थापित की गई और उसी वर्ष टोकियो ने उसे स्वीकार कर लिया था।

श्री ओहता से शपथ लेते समय उन्हें कोई धर्म पुस्तक नहीं दी गई। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। वे एक आदर्श गवाह प्रतीत होते थे क्योंकि वे प्रत्येक बात का सोच समझ कर उत्तर देते थे। जज एडवोकेट की आंखें सारे समय गवाह पर टिकी रहीं और जब वे गवाही को गलत लिखाते थे तो श्री ओहता बीच-बीच में टोक कर उसे ठीक कराते थे।

श्री भूलाभाई देसाई के पूछने पर श्री ओहता ने कहा, "मैं जापानी विदेश-कार्यालय का एक अफसर हूँ और युद्ध के दिनों में भी इस पद पर था। स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा २१ अक्तूबर १९४३ को की गई थी। जापानी सरकार ने उसे एक स्वाधीन व स्वतन्त्र सरकार के रूप में स्वीकार किया था और उसे समस्त संभव सहायता दी थी।" इसके बाद श्री देसाई ने बहुत से दस्तावेजों की प्रतिलिपियां अदालत में पेश कीं। इन दस्तावेजों की प्रारम्भिक कापियां संयुक्तराष्ट्र अमरीका की सरकार के पास हैं श्री ओहता ने आगे कहा कि जापानी सरकार की उस घोषणा की सामग्री मैंने ही तैयार किया था। जो जापान सरकार

के प्रकाशन कार्यालय द्वारा आजाद-हिन्द-सरकार की स्थापना व स्वीकृति के विषय में जारी की गई थी। आजाद-हिन्द-सरकार श्रीयुत सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में स्थापित की गई थी और जापान की शाही सरकार ने उस भारतीय राष्ट्र की चिर प्रतीक्षित महत्वाकांक्षाओं की ओर एक महत्वपूर्ण कदम समझ कर पूर्ण सहायता देने का वचन दिया था। इसी बीच में देसाई ने गवाह को जापान के तत्कालीन प्रधान-मंत्री जनरल तोजो की वक्तृता में आजाद-हिन्द-सरकार को भारत से ब्रिटिश शासन के उखाड़ फैंकने में सहायता देने का प्रण किया गया था और कहा गया था कि जापान में अण्डमान व निकोबार के द्वीप स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार के आधीन रखने का निश्चय किया है। श्री देसाई ने गवाह को संबोधित करते हुए पूछा, "क्या ऐसा हुआ था ?" गवाह ने उत्तर दिया 'हां'। इसपर जज एडवोकेट ने कहा। "तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि प्रधान-मन्त्री ने वक्तव्य दिया था ?' गवाहः " यह नियमित राजनीतिक कार्यवाही का एक अंग था।"

सरकारी वकील ने तोजो के वक्तव्य का वर्णन करने पर आपत्ति की और गवाह से पूछाः "क्या यह वक्तव्य अंग्रेजी में दिया गया था ?" गवाहः "यह जापानी भाषा में दिया गया था, लेकिन जैसा कि रिवाज था उस वक्तव्य को तुरन्त अंग्रेजी व चीनी भाषा में उलथा किया गया था।"

जज एडवोकेट, क्या यह पूरा वक्तव्य है या उसका एक भाग है ?

गवाह—मुझे याद नहीं कि वह एक पूरा वक्तव्य है या उसका एक अंश है।

श्री देसाई—जहां तक आपको मालूम है यह वक्तव्य ठीक है ?

गवाह—'हां'; यह सरकारी अनुवाद है। गवाह ने आगे चल कर कहा कि जापानी सरकार ने एक राजनैतिक प्रतिनिधि भेजने का निर्णय किया और श्री हाचिया को आजाद-हिन्द की स्थायी सरकार के लिये एक राजनैतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।

सरकारी वकील की जिरह

सरकारी वकील की जिरह में श्री ओहता ने कहा कि मैं १६२४ से जापानी विदेश कार्यालय में काम कर रहा हूँ। मुझे यह मालूम नहीं कि युद्ध से पहिले भी भारतीय स्वतन्त्रता संघ की कोई शाखा विद्यमान थी। नहीं, मार्च १६४२ में टोकियो पहुंचने वाले किसी सद्इच्छा शिष्ट मण्डल के विषय में कुछ जानकारी है। मुझे बैंगकोक में होने वाले किसी सम्मेलन का भी पता नहीं है।

दूसरे गवाह श्री मत्सूमोती की गवाही

दूसरे जापानी गवाह श्री मत्सूमोती ने फौजी अदालत को बताया कि मैं नवम्बर सन् १६४२ से अक्टूबर १६४४ तक और मई १६४५ से युद्ध के अन्त तक जापान की सरकार में परराष्ट्र उपमन्त्री था। इसके पहिले मैं सन्धि समिति का डायरेक्टर था। अन्य देशों से सन्धि सम्बन्धी कार्य करना उस समिति का काम था। उन्होंने बताया कि आजाद-हिन्द की अस्थाई सरकार से संगठन से परिचित था। मैंने टोकियो के परराष्ट्र विभाग में आज़ाद-हिन्द-सरकार के सम्बन्ध में कुछ कागजात देखे थे। आजाद-हिन्द की अस्थायी सरकार को जर्मन, इटली, कोरिया, मन्चूरियो, चीन, फिलीपाइन, श्याम तथा बर्मा ने स्वीकार किया था। उन्हें एक वक्तव्य दिखाया गया जो बताया जाता है कि ६ नवम्बर १६४३ में प्रधान-मन्त्री तोजो ने "एशिया दिवस" के

अवसर पर प्रतिनिधियों की सभा में दिया था। उन्होंने बताया कि मैं उस प्रतिनिधि सभा में उपस्थित था। उन्होंने अदालत को बताया कि जो वक्तव्य मुझे दिखाया गया है, वह ठीक है।

सरकारी वकील के जिरह किये जाने पर उन्होंने बताया कि मैं दिसम्बर १६४० से नवम्बर १६४२ तक सन्धि-समिति का डायरेक्टर था। इस काल में टोकियो के भारतीय स्वतन्त्रता संघ से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। उनसे यह पूछा गया कि क्या आप टोकियो में मार्च १६४२ में हुई बैठक के बारे में जानते हैं जो सहानुभूति प्रदर्शन करने वाली मिशन के नाम से प्रख्यात है? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं समझता हूँ कि सहानुभूति प्रदर्शक मिशन की बैठक हुई थी और मैं यह भी नहीं जानता कि उसमें क्या हुआ। उन्होंने बताया कि मैं श्री रासबिहारी बोस को नहीं जानता। उन्होंने यह बताया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि जापान की सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप पुंज को आजाद-हिन्द सरकार को सौंपने के बारे में क्या कार्यवाही की।

पैरवी समिति के वकीलों ने कोई जिरह नहीं की। श्री भूला-भाई देसाई के अनुरोध करने पर अदालत ने गवाह को दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी और वे पैरवी समिति के वकीलों के साथ बैठ गये। ये अन्य जापानी गवाहों के भाषणों का अनुवाद कर दिया करेंगे।

यहां पर मुकदमा शनिवार तक के लिए स्थगित हो गया।

---

१० दिसम्बर १९४५

तीसरे गवाह श्री रैंजो सवादा की गवाही

मैं अक्तूबर १९४४ से मई १९४५ तक उप-विदेश मन्त्री था। वार्साई सम्मेलन के समय मैं पेरिस में जापानी दूतावास का सेक्रेटरी था। देशों में दूतावासों तथा प्रतिनिधि कार्यालयों में लगभग २० वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है। आगे चल कर श्री भूलाभाई देसाई ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों के उत्तर में श्री सवादा ने कहा—जब मैं उप-विदेश मंत्री था तो मुझे आजाद-हिन्द-सरकार के बारे में मालूम था और उस सरकार में एक जापानी प्रतिनिधि की नियुक्ति की ओर मेरा ध्यान था। नवम्बर १९४४ में यह निश्चय हुआ था कि आजाद-हिन्द-सरकार के लिये एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए और श्री टी० हाचिया प्रतिनिधि नियुक्त किये जायें। श्री हाचिया मार्च १९४५ में आजाद-हिन्द-सरकार के सदर मुकाम पर पहुंचे। सर एन० पी० इंजीनियर द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने कहा—जब मैं उप-विदेश मन्त्री था, तो मैं टोकियो में था। आजाद-हिन्द-सरकार के पास प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में जापान सरकारी गजट में सार्वजनिक घोषणा की थी। जब मैं रंगून पहुंचा तो श्री हाचिया को जापान सरकार के प्रमाणपत्रों के साथ नहीं भेजा गया था क्योंकि आजाद-हिन्द-सरकार अस्थायी सरकार थी, लेकिन बाद में श्री सुभाषचन्द्र बोस के निर्देशानुसार प्रमाण पत्र श्री हाचिया के पास भेजे गये।

इन प्रमाण-पत्रों पर जापान सम्राट के बाकायदा दस्तखत थे।

लेकिन डाक की अनियमित व्यवस्था के कारण ये प्रमाण-पत्र उनके पास न पहुंचे। रंगून पहुँचने पर श्री हाचिया आजाद-हिन्द-सरकार के विदेश मन्त्री से मिले। श्री हाचिया ने मुझे जो कुछ कहा उसी से यह बात मुझे ज्ञात हुई। मैं यह नहीं जानता था कि श्री हाचिया का आजाद-हिंद-सरकार से सरकारी तौर पर कैसा व्यवहार था लेकिन श्री हाचिया एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। आगे चलकर गवाह ने कहा—मुझे यह ज्ञात है कि श्री सुभाष बोस ने श्री हाचिया से कोई सम्पर्क रखना अस्वीकार कर दिया क्योंकि श्री हाचिया के पास प्रमाण-पत्र न थे। अप्रैल १९४५ के मध्य तक जापानी रंगून खाली करने लगे अप्रैल के अन्त में उन्होंने अंतिम रूप से रंगून खाली कर दिया। मई के मध्य में टोकियो से श्री हाचिया को प्रमाण-पत्र भेजे गये। वे जहां कहीं हों उन्हें यह भेजे जाने थे। अप्रैल के मध्य में श्री हाचिया रंगून से बैंकाक के लिए चले गये थे जहां कि वे युद्ध के अंत तक रहे। बैंकाक से श्री हाचिया ने मुझे कुछ लिखा।

सफाई पक्ष के चौथे गवाह श्री हाचिया की गवाही

श्री तेरूरो हाचिया ने कहा—जापान सरकार ने मुझे अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार के लिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा। मैं मार्च १९४५ में रंगून पहुंचा और अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार के विदेश मन्त्री कर्नल चटर्जी से मिला। मैं रंगून में २४ अप्रैल १९४५ तक रहा। मुझे श्री अय्यर भी मिले जो आजाद-हिन्द-सरकार के सदस्य थे। रंगून से बैंकाक गया। मैं आजाद-हिन्द-सरकार भी बैंकाक चली गई थी। मैं दिल्ली लाये जाने तक बैंकाक ही रहा। श्री देसाई के प्रश्न पर श्री हाचिया ने

कहा—जब मैं रंगून आया तो अपने साथ कोई प्रमाण पत्र नहीं लाया। लेकिन रंगून पहुंचते ही आजाद-हिन्द-सरकार के विदेश मन्त्री कर्नल चटर्जी से मिला। आगे चलकर गवाह ने कहा—रंगून जाने से पूर्व मैं टोकियो में था। जापानी विदेश मन्त्री श्री शिगेमित्सु ने मुझे रंगून जाने की आज्ञा दी।

प्रश्नों के उत्तर में श्री हाचिया ने कहा—आजाद-हिन्द-सरकार के पास भेजे जानेसे पूर्व मैं जापानी कूटनीतिज्ञ विभाग में था। मैं पोलैंड-स्थित जापानी दूतावास में रहा। अलजीरिया जापान का प्रतिनिधि रहा और कुछ समय तक टोकियो के विदेशी कार्यालय में संस्कृति विभाग का प्रधान था। मैं रंगून अपने साथ कोई प्रमाण-पत्र नहीं ले गया क्योंकि मुझे नहीं दिये गये थे। चूंकि आजाद-हिन्द-सरकार एक अस्थायी सरकार थी, इसलिए प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये थे और इसके बारे में मुझे सूचित कर दिया गया था। इस सिलसिले के उत्तर में आपने कहा—बातचीत के दौरान में मुझ से कहा गया कि प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं। बाद में मुझे तार मिला कि प्रमाण पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन वे मुझे न मिले। इसके बाद जज एडवोकेट सर एन० पी० इंजीनियर ने हाचियासे जिरह की। श्री हाचिया ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में कहा—जब मैं रंगून में गया तो अपने साथ कोई कागजात नहीं ले गया। लेकिन रंगून पहुँचने पर मैं आजाद-हिन्द-सरकार के विदेश मन्त्री कर्नल चटर्जी से मिला और उनसे कहा कि मैं प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हूँ। इसके बाद मैं श्री अय्यर से मिला। एक बार कर्नल चटर्जी मेरे पास आये और मैं समझता हूँ कि एक बार मैं श्री आयर से मिला।

श्रीबोस का मिलने से इन्कार

श्रीहाचिया ने अन्य प्रश्नों के उत्तर में कहा, रंगून में श्रीसु-

भाषचन्द्र बोस मुझ से न मिले। उन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया। मैं समझता हूँ कि इसका कारण यह था कि मेरे पास प्रमाण-पत्र न थे कर्नल चटर्जी ने मुझे इसके बारे में कहा। जज एडवोकेट के एक और प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा, कर्नल चटर्जी की मार्फत श्री बोस ने मुझे टोकियो से तार मँगाने के लिये प्रार्थना की मेरे रंगून पहुँचने के बाद पाँच दिन बाद तार भेजा गया। जापान सरकार का मुझे तार मिला कि प्रमाण-पत्र भेजे जा रहे हैं। इस बार मुझे केवल यही सूचना मिली थी। आगे चलकर गवाह ने कहा: जब मैं बैंकाक में था तो मुझे तार मिला कि प्रमाण पत्र भेज दिये गये हैं। तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मई के अन्त में या जून के शुरू की बात है।

सफाई पक्ष के ५ वें गवाह जनरल तदाशी कताकुरा की गवाही

५वें गवाह जनरल तादाशी कताकुरा थे। आप इम्फाल आक्रमण के समय सर्वोच्च सदर मुकाम के चीफ-आफ-जनरल स्टाफ थे। आपने कहा: १९४३ में मैं रंगून में था और आजाद-हिन्द-फौज से परिचित था। मैंने अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार के बारे में सुना था लेकिन उसके बारे में मुझे विस्तार से ज्ञात नहीं था। जुलाई १९४२ में श्री सुभाषचन्द्र बोस से आजाद-हिन्द-सरकार की व्याख्या के बारे में रंगून में मिला था।

श्री देसाई ने पूछा —क्या श्री बोस ने अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार के बारे में आप से बातें कीं ?

जज एडवोकेट ने कहा कि गवाह ने जो कुछ सुना है वह साक्षी नहीं है। अपनी दलील की पुष्टि में श्री देसाई ने गवाही कानून का हवाला देते हुए कहा कि प्रश्न नियमानुकूल है और कुछ

दलीलों के बाद प्रश्न दूसरे रूप में रखा गया और गवाह ने कहा कि श्री सुभाषचन्द्र बोस ने यह कहा था कि भारत की आजादी प्राप्त करने के लिए सेना तथा अस्थायी सरकार की निश्चय ही जरूरत है।

इम्फाल पर आक्रमण

गवाह ने आगे चल कर कहा—जापानी दक्षिणी सेना के कमान्डर की आज्ञा से मैंने इम्फाल आक्रमण की योजना बनाई।

प्रश्न—उस आक्रमण में आजाद-हिन्द-फौज का क्या-क्या भाग लेना था ?

उत्तर—आजाद-हिन्द-फौज जापानियों से भिन्न एक सेना के रूप में लड़ी थी वह भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रही थी जापानियों के नियन्त्रण में इम्फाल आक्रमण में आजाद-हिन्द-फौज को अलग कार्य सौंपा गया था। गवाह ने आगे चल कर कहा—मुझे यह ज्ञात है कि आजाद-हिन्द-फौज की प्रथम छापामार रेजीमेन्ट की पहली टुकड़ी जनवरी १९४४ में रंगून पहुंची और कप्तान शाहनवाज कमांडर थे। मैं समझता हूँ कि यह रेजीमेन्ट फरवरी या मार्च १९४४ में मोर्चे पर गई। जब गवाह से यह पूछा गया कि इस रेजीमेन्ट को क्या कार्य सौंपा गया था, तो उसने कागज पर नकशा बनाया और बताया कि रेजीमेन्ट का काम उस पंक्ति को काटना था जो कि तीर से दर्शाई गई है।

प्रश्न—क्या उन क्षेत्रों में कमान सम्पूर्ण रूप से शाहनवाज के हाथों में थी, पर उनके साथ जापानी अफसर था ?

उत्तर—मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहनवाज की रेजीमेंट के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये एक जापानी अफसर था। कमान शाहनवाज के

हाथों में थी।

प्रश्न—आजाद-हिन्द-फौज तथा जापानी सेना की संयुक्त कमान के बारे में क्या व्यवस्था थी या उसके बारे में क्या समझौता हुआ था?

उत्तर—जब कोई आक्रमणात्मक कार्यवाही नहीं होती थी, तो साधारणतः आजाद-हिन्द-फौज तथा जापानी बिलकुल स्वतंत्र थे। जब आक्रमण चलता तो दोनों जापानी कमान के नीचे रहते थे।

जापानियों और आ० हि० फौज में सहयोग

प्रश्न—जब जापानियों और आजाद-हिन्द-सेना भारत में घुसी, तो उनके द्वारा अधिकृत मातृभूमि के शासन के बारे में आपको क्या जानकारी है?

उत्तर—भारत की जीती गई जमीन आजाद-हिन्द-फौज के जिम्मे करने का प्रबन्ध था, और उसका शासन आजाद-हिन्द-फौज की अस्थायी सरकार के हाथ में था। हमले में मिला हुआ माल भी आजाद-हिन्द-सरकार का था।

प्रश्न—क्या हमले के समय कोई घोषणा की गई थी?

उत्तर—एक घोषणा पर सुभाष चन्द्र बोस के हस्ताक्षर थे और दूसरी पर जापानी सेनापति के। जापानी घोषणा में कहा गया था कि जापानी लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे, भारतीयों से नहीं। सारी अधिकृत जमीन और माल आजाद-हिन्द-सरकार के अधिकार में रहेगा। सुभाष बोस की घोषणा में कहा गया कि हम लोग भारत की आजादी के लिये लड़ रहे हैं और जापानियों द्वारा जीती गई भूमि भारतियों को सौंप दी जायेगी। गवाह ने कहा कि मैं इन घोषणाओं को पेश नहीं कर सकता। गवाह ने आगे बताया कि इम्फाल के हमले के पहले जापानियों और आजाद-

हिन्द-फौज के अफसरों के बीच परस्पर सहयोग के लिये परामर्श हो गया।

इम्फाल का हमला

सर एन० पी० इंजीनियर के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं रंगून में अक्टूबर १६४२ से अप्रैल १६४४ तक था। अक्टूबर १६४३ से जुलाई १६४४ तक मैं रंगून तथा मोमियो में फौजी कार्यवाहियों की देख रेख में था। जुलाई १६४४ के बाद मेरा बर्मा में जापानियों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। इम्फाल के हमले की आयोजना जनवरी १६४४ के लगभग बनी थी, और हमला मार्च १६४४ के लगभग शुरू हुआ। हमला कब समाप्त हुआ इसका मुझे पता नहीं क्योंकि हमले के अन्त तक मैं उपस्थित नहीं था। जनवरी १६४४ में जापानियों के बर्मा में कुल डिवीजन-२,३०,००० सैनिक थे और आजाद-हिन्द-फौज के इतने ही सैनिक थे। बाद में इनकी संख्या बढ़ गई। मैं नहीं कह सकता इम्फाल के बाद आजाद-हिन्द-फौज की संख्या घट गई थी? और पूछे-जाने पर गवाह ने कहा कि इम्फाल के हमले में आजाद हिन्द के शामिल होने का निश्चय जनवरी १६४४ में किया गया था। मैं उस समय वहीं उपस्थित था। जहाँ तक मैं जानता था आजाद-हिन्द-फौज के रास्तों को बनवाना, मरम्मत करवाना, पुल ठीक करने जैसे काम लिये जाते थे। इस पर गवाह को शाहनवाज की डायरी दिखाई गई जिसमें लिखा था "हमारे सैनिकों से मजदूरों का काम लिया जा रहा है।" गवाह ने कहा इसका मुझे पता नहीं है। गवाह को एक और दस्तावेज दिखाया गया, जिसमें इम्फाल के हमले के पहले आजाद हिन्द-फौज के सैनिक संगठन और मोर्चे आदि की व्यवस्था से अपने को अपरिचित बताया।

हा, जो भारतीय चाहते थे उन्हें आजाद-हिन्द-फौज में भेज दिया जाता था, जो नहीं चाहते थे, उन्हें युद्धबन्दी शिविरों में। जापानियों ने आजाद-हिन्द-फौज के अफसरों को कभी नहीं कहा कि जापानियों द्वारा निमित घोषणाओं का प्रचार रेडियो से ही करें। जापानी और हिन्दुस्तानी दोनों ही अफसर एक दूसरे का अभिवादन करते थे।

प्रश्न—जापानियों और सुभाषचन्द्र बोस की घोषणाओं का आपको कैसे पता चला?

उत्तर—मैंने जापानियों की मूल घोषणा देखी थी और श्री सुभाषचन्द्र बोस की घोषणा का अनुवाद। पूछने पर गवाह ने बताया कि शाहनवाज के रेजिमेंट को फौजी कार्य सौंप दिये गये थे। जब आजाद-हिन्द-फौज भारत में घुसी, तब जापान सरकार और सुभाषचन्द्र बोस ने शाहनवाज को बधाई का संदेशा भेजा। इसके बाद अदालत की कार्यवाही दूसरे दिन के लिये स्थगित हो गई।

११ दिसम्बर १९४५

सफाई पक्ष के छठे गवाह मि. एस. ए. आयर की गवाही

मि० एस० ए० आयर प्रकाशन-मन्त्री आज़ाद-हिन्द-सरकार ने अपनी गवाही दी। इस से पूर्व आप रियूटर एजेन्सी के प्रतिनिधि थे।

प्रश्न—आप दिसम्बर १९४० में कहाँ थे ?

उत्तर—मैं बैंकाक में था।

प्रश्न—और आप जापानी अधिकार के बाद वहीं रहे।

उत्तर—नहीं मैंने बर्मा के रास्ते भारत पहुँचने का प्रयत्न किया परन्तु सफल न हो सका क्यों कि दो दिन पूर्व ही सरहद बन्दी करद गई थी।

प्रश्न—आप १९४२ में बैंकाक में थे ?

उत्तर—जी हाँ।

प्रश्न—आपने पूर्वी एशिया के रहने वालों की कान्फ्रेंस देखी थी ?

उत्तर—जी हाँ। जून १९४२ में चीन, जापान, जावा, बर्मा, सुमात्रा, इन्डोचायना, फिलिपाईन आदि के भारतीयों की कान्फ्रेंस बैंकाक में हुई।

प्रश्न—कितने हिन्दुस्तानी पूर्वी एशिया में रहते हैं ?

उत्तर— २५ लाख।

प्रश्न—आप किस के प्रतिनिधि बनकर उपस्थित हुये थे ?

उत्तर—मैं केवल दर्शक की हैसियत से सम्मिलित हुआ था।

प्रश्न—आप कान्फ्रेंस के पश्चात कौनसे भारतीय संघ में सम्मिलित हुये ?

उत्तर—मैं भारतीय स्वाधीनतालीग का बैंकाक में मेम्बर बना। इस लीग का उद्देश्य भारत की आजादी था।

प्रश्न—लीग का प्रधान कार्यालय कहाँ था ?

उत्तर—बैंकाक में।

प्रश्न—आप की क्या प्रतिज्ञा थी ?

उत्तर—मैं प्रकाशन विभाग का इन्चार्ज था। समस्त पूर्वी एशिया में प्रचार करता था।

प्रश्न—कब तक ?

उत्तर—फरवरी १६४३ तक और इसके बाद सिंगापुर चला गया।

साढ़े सात लाख मेम्बर थे

प्रश्न—क्या आप सुभाष बाबू से मिले ?

उत्तर—हाँ ! मैंने उनसे मुलाकात की थी।

प्रश्न—लीग की कितनी शाखायें थी ? और कहाँ कहाँ थीं ?

उत्तर—बर्मा, स्याम, मलाया, इन्डोचायना, शांघाई, जावा, सुमात्रा, हांगकांग, फिलिपाइन्स, और जापान में।

प्रश्न—लीग के बाकायदा मेम्बर थे ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—संख्या बता सकते हैं ?

उत्तर—ठीक संख्या तो नहीं बता सकता परन्तु अनुमान है कि संख्या साढ़े सात लाख थी।

प्रश्न—श्री सुभाष बाबू सिंगापुर कब पहुँचे।

उत्तर—२ जुलाई १९४३ को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वहाँ पहुँचे और इस के पश्चात् पूर्वी एशिया के प्रतिनिधियों की कान्फ्रेंस हुई जिस में श्री रासबिहारी बोस ने लीग का सभापतित्व श्री सुभाष बोस के हवाले कर दिया। सब देशों के प्रतिनिधि आये थे। मैं उस समय वहाँ उपस्थित था।

प्रश्न—और समस्त प्रतिनिधियों ने सुभाष बाबू को अध्यक्ष निर्वाचित किया ?

उत्तर—केवल सबने चुना ही नहीं अपितु खुशी के मारे खुशियां मनाई गई।

श्री सुभाष बाबू का ऐलान

गवाह ने कहा कि इस सम्मेलन में श्री सुभाष बाबू ने घोषणा की कि शीघ्र आज़ाद-हिन्द-सरकार स्थापित करने वाले हैं। समस्त उपस्थित समुदाय ने इस समाचार का बड़ी प्रसन्नता से अभिनन्दन किया। सम्मेलन में इस घोषणा पर बहुत ही बहस हुई और प्रत्येक को आदेश देने की आज्ञा दी गई।

आज़ाद हिन्द-सरकार स्थापित हुई

गवाह ने आगे कहा कि २१ अक्तूबर को लीग के समस्त शाखाओं के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस सिंगापुर में हुई। सबसे पूर्व मन्त्री ने रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई और इस के बाद

श्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद-हिन्द-सरकार की स्थापना की घोषणा की। इस समय लोग खुशी के मारे पागल हो रहे थे। श्री सुभाष बाबू ने आजाद-हिन्द-सरकार के मन्त्रियों के नाम सुनाये। उस के बाद श्री सुभाष बाबू ने आजाद-हिन्द-सरकार से वफादारी की प्रतिज्ञा की और बाद में समस्त दूसरे मन्त्रियों ने भी वफादारी की रस्म अदा की। सब लोग नारे लगा रहे थे।

"सुभाष चन्द्र बोस की जय", "आजाद-हिन्द-सरकार की जय।"

इसके बाद गवाह ने कान्फ्रेन्स के चित्र को पहचाना। इनके मन्त्रिमण्डल का एक ग्रूप था। जिसमें गवाह का अपना चित्र भी था।

प्रश्न—आजाद-हिन्द-सरकार की घोषणा के बाद और कोई सार्वजनिक कार्यवाही की गई ?

उत्तर—आजाद सरकार की घोषणा के बाद आजाद-हिन्द-सरकार ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।

प्रश्न—आप के जिम्मे क्या काम सुपुर्द किया गया ?

उत्तर—प्रकाशन और प्रचार का मन्त्री।

प्रश्न—आपकी सरकार किस प्रकार की बनाई गई थी ?

उत्तर—स्वाधीनता लीग की प्रबन्धकारणी कमेटी ही आजाद-हिन्द-सरकार की कैबीनेट बन गई।

प्रश्न—मलाया के हिन्दुस्तानियों के लिये आजाद-हिन्द-सरकार ने क्या काम किया ?

उत्तर—आजाद-हिन्द-सरकार ने मलाया के भारतीयों की हर प्रकार रक्षा की। इनके जान-माल तथा इज्जत की रक्षा भी की। आजाद-हिन्द-फौज ने इस बारे में पूरी पूरी सेवा की। कौमी

आधार पर शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। चिकित्सा का पूर्ण प्रबन्ध था।

केवल भारतीयों के चन्दे से

गवाह ने श्री देसाई के प्रश्नों का देते हुये कहा कि सिंगापुर में लीग का एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित होता था।

प्रश्न—आजाद-हिन्द-सरकार का व्यय कैसे चलता था ?

उत्तर—भारतीयों के चन्दे से चलता था।

प्रश्न—वह तमाम रुपया कहाँ जमा रखा जाता था ?

उत्तर—आजाद-हिन्द-सरकार का तमाम रुपया आजाद-हिन्द बैंक में रखा जाता था।

प्रश्न—चन्दा किस रूप में मिलता था ?

उत्तर—रुपये, कपड़े, अनाज, धातें तथा अन्य वस्तुयें जो भी आजाद-हिन्द-फौज के काम आ सकें। वर्मा में हमारा बैंक था

मि० देसाई ने गवाह को लीग के बुलेटिन में चन्दे की रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि ३५ डालर चन्दा हुआ और लगभग एक लाख डालर के जवाहरात थे। सिंगापुर के डालर का मूल्य युद्ध से पूर्व डेढ़ रुपये के बराबर था।

दो करोड़ रुपया

गवाह को श्री देसाई ने आजाद-हिन्द-बैंक की रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि आजाद-हिन्द-बैंक में डेढ़ करोड़ डालर अर्थात २। करोड़ रुपये आजाद-हिन्द-सरकार के जमा थे।

श्री दीनानाथ बैंक के डायरेक्टर थे और मैं इस का अध्यक्ष था। प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा कि श्री सुभाष बाबू

आज़ाद-हिन्द-फौज के उच्च सेनापति थे। सारी फौज पूर्णतया स्वयंसेवकों की सेना थी।

प्रश्न—और आपके पास इस तरह अधिक स्वयंसेवक थे कि उनको सिखाने के लिए हथियार भी मिलते थे ?

उत्तर—बिल्कुल ठीक।

प्रश्न—प्रजा की ट्रेनिङ्ग के लिए कोई स्कूल भी खोला गया था ?

उत्तर—नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के आने के दो तीन माह पश्चात् एक स्कूल इस उद्देश्य के लिए सितम्बर या अक्टूबर १९४३ में खोला गया था।

प्रश्न—आज़ाद-हिन्द-सरकार और जापान सरकार के मध्य क्या सम्बन्ध थे ?

उत्तर—जिस प्रकार दो मित्र-राष्ट्रों के मध्य में होने चाहियें।

प्रश्न—जब आप रंगून गये तो आज़ाद-हिन्द-सरकार भी रंगून चली गई ?

उत्तर—हाँ जनवरी १९४४ में चली गई थी। मैं फरवरी में चला गया था।

प्रश्न—आप अप्रैल १९४४ से अप्रैल १९४५ तक कहाँ रहे ?

उत्तर—मैं नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के साथ उनके बंगले में रहा।

प्रश्न—कभी आज़ाद-हिन्द-सरकार के मध्य ऐसा संघर्ष हुआ जिसमें आज़ाद-हिन्द-सरकार ने अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का परिचय दिया हो।

उत्तर—हाँ, दो तीन अवसर ऐसे आए।

(१) मार्च १९४४ में सुभाष बा और जापानी सरकार के

मध्य एक सम्मेलन हुआ था। मैं वहाँ मौजूद था। इस में यह निर्णय होना था कि हिन्दुस्तान के आक्रमण के लिए संयुक्त कमेटी बनाई जाये। जापानी कहते थे कि इस कमेटी का अध्यक्ष जापानी हो परन्तु नेता जी ने जोर दिया कि हम इसे सहन नहीं कर सकते क्यों कि इसे भारत के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस में भारत की स्वतन्त्रता, इज्जत और शान में अन्तर आता है। परिणाम यह हुआ कि जापानी अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया गया।

(२) एक दूसरी कान्फ्रेंस के अवसर पर जापानियों ने यह कहा कि आज़ाद-हिन्द-सरकार के सलाहकार तथा भर्ती के मंत्रियों के कामों की घोषणा से पूर्व जापानी सरकार को बताए जावें तो अच्छा हो।

श्री नेता जी ने कहा कि कानूनन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्यों कि यह हमारी सरकार का आन्तरिक मामला है। हां, आपस हो जाने के बाद मित्रता के नाते सूचित कर सकते हैं।

(३) श्री नेता जी ने यह आज्ञा दी थी कि आज़ाद-हिन्द-फौज जो भाग विजय करेगा इन में जापानी फर्मों को जाने की आज्ञा न होगी और न ही आज़ाद-हिन्द-बैंक के अतिरिक्त किसी जापानी बैंक को अपना कार्यालय खोलने की आज्ञा होगी।

गवाह ने कहा कि आज़ाद-हिन्द-सरकार ने आज़ाद-हिन्द-फौज की मार्फत बर्मा में रहने वाले हिन्दुस्तानियों के जन, धन तथा इज्जत की पूरी-पूरी रक्षा की।

प्रश्न—आपकी सरकार के कितने ब्राडकास्टिंग स्टेशन थे ?

उत्तर—चार।

प्रश्न—वे किस के अधिकार में थे ?

उत्तर—वे मेरे अधिकार में थे।

प्रश्न—कोई आन्तरिक विरोध तो नहीं था ?

उत्तर—(गवाह ने जोर से चिल्लाकर कहा) "नहीं।"

प्रश्न—क्या आपको बंगाल के दुर्भिक्ष का ज्ञान था ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—आजाद-हिन्द-सरकार ने उसके लिये कुछ किया ?

उत्तर—श्री नेता जी ने २८ लाख मन चावल भेजने की सूचना भारत सरकार को दी थी परन्तु उन्होंने इसका उत्तर भी नहीं दिया।

जज एडवोकेट जनरल की जिरह पर गवाह ने कहा, "मैं समाचार-पत्र प्रतिनिधि की हैसियत से बैंकाक गया था और कान्फ्रेंस में जो प्रस्ताव पास हुए थे मुझे याद हैं।

प्रश्न—आपको याद है कि वहां एक प्रस्ताव में जनरल तोजो को धन्यवाद दिया गया था कि इन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिए पूरी सहायता देने की घोषणा की है ?

उत्तर—मुझे प्रस्ताव याद नहीं है परन्तु इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ था।

प्रश्न—बैंकाक कान्फ्रेंस में कौंसिल-आफ-एक्शन स्थापित की गई थी। कार्रवाई का आपको ज्ञान है ?

उत्तर—नहीं मैं इसमें सम्मिलित नहीं था।

प्रश्न—क्या यह ठीक है कि दिसम्बर १६४२ में इस कौंसिल के समस्त सदस्य पृथक हो गये थे। केवल रासबिहारी बोस ने त्यागपत्र नहीं दिया था ?

उत्तर—मैंने अफवाह सुनी थी। मुझे ज्ञान नहीं। मैं इस समय बैंकाक में था और श्री रासबिहारी बोस इन दिनों सिंगापुर में थे और कौंसिल-आफ-ऐक्शन के मेम्बर भी सिंगापुर में थे।

प्रश्न—क्या यह घटना सत्य है कि जापानियों ने अपने अधिकृत इलाकों में हिन्दुस्तानियों की जायदादें वापिस नहीं कीं ?

उत्तर—मैं जानता हूं कि बर्मा में रहने वाले इन हिन्दुस्तानियों की जायदादें (जो वहां से भाग आये थे) वापिस नहीं मिलीं।

जापानी सरकार से प्रार्थना

प्रश्न—क्या आपको यह मालूम है कि बैंकाक कॉन्फ्रेंस में यह प्रस्ताव पास हुआ कि जापानी सरकार से यह प्रार्थना की जावे कि वह जर्मन सरकार को इस बात पर रजामन्द करें कि सुभाष बाबू को पूर्वी एशिया में भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिये भेजा जावे ?

उत्तर—हाँ। इस सम्बन्ध का प्रस्ताव था।

प्रश्न—आपको लीग के मेम्बरों की संख्या का कहाँ से पता चला ?

उत्तर—लीग के प्रकाशित समाचारपत्रों तथा रिपोर्टों से।

प्रश्न—आपके क्या क्या कर्तव्य थे ?

उत्तर—मेरा काम आजाद-हिन्द-सरकार के कार्यों का प्रकाशन करना था और हिन्दुस्तान के लोगों को रेडियो से यह बताना था कि आजाद-हिन्द-सरकार इनको आजादी के लिए क्या कर रही है।

प्रश्न—क्या यह ठीक है कि लोगों को विवश किया जाता था कि वह अपनी जायदाद का चौथा हिस्सा आजाद-हिन्द-सरकार को दें ?

उत्तर—नहीं। मजबूर नहीं किया जाता था अपितु लोग स्वयं अपनी इच्छा से देते थे। व्योपारी लोग स्वयं तय करते थे कि विभिन्न इलाकों से कितना रुपया वसूल किया जाय। इस के लिए विशेष कमेटियां बनाई गई थीं। सब लोग अपनी इच्छा से चन्दा देते थे।

प्रश्न—क्या यह सत्य है कि लोगों को विवश किया जाता था कि या तो वे पचास रुपये दें या एक गज कपड़ा दें?

उत्तर—नहीं। यह कोई आज्ञा न थी अपितु अपील थी।

प्रश्न—मैं दोहराता हूँ कि यह बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था?

उत्तर—नहीं। यह गलत है कि बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था।

प्रश्न—आपको आजाद-हिन्द-फौज के सम्बन्ध में सूचनायें मिलने के उपाय क्या थे?

उत्तर—सरकारी रिपोर्टें और एलान जो मेरे पास प्रकाशित करने के लिए भेजे जाते थे।

प्रश्न—आपको कैसे पता है कि आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती करने के लिये जबर्दस्ती नहीं की जाती थी।

उत्तर—सुभाष बाबू के भाषण ही इसके प्रचुर प्रमाण हैं।

प्रश्न—मैं कहता हूं कि बलपूर्वक भर्ती की जाती थी।

उत्तर—यह सरासर गलत है, जहां तक मुझे ज्ञात है किसी को भी मजबूर नहीं किया जाता था।

श्री रासबिहारी बोस की विज्ञप्ति

एडवोकेट जनरल ने गवाह को श्री रासबिहारी बोस की

एक विज्ञप्ति "हमारा संघर्ष" दिखाया और गवाहसे पूछा कि क्या यह श्रीबोसने प्रकाशित किया था। इसमें यह लिखा था कि कप्तान मोहनसिंह की लीडरी में अंग्रेजी कैदियों को मजबूर किया गया कि वह आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हों।

गवाह ने कहा कि मैं इस समय बैंकांक में था। मैंने प्रकाशित नहीं किया लेकिन यह सिंगापुर में प्रकाशित हुआ और मैंने पूरी तरह इसे पढ़ा भी नहीं।

एडवोकेट जनरल ने कहा, "मैं आपसे यह कहता हूँ कि आजाद-हिन्द-फौज के उच्च अधिकारियों ने युद्ध-बन्दियों पर बहुत ही अत्याचार ढाये ताकि आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हों।

उत्तर—यह सर्वथा झूठ है।

प्रश्न—पहले-पहल कब प्रयत्न किया गया कि भारतीय युद्ध-बन्दियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाया जावे।

उत्तर—मुझे ज्ञात नहीं।

प्रश्न—आपको ज्ञात है कि जापानियों ने आजाद-हिन्द-फौज को वेतन दिये ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—क्या आपको आजाद-हिन्द-फौज के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं ?

उत्तर—मुझे इन बातों की जानकारी है जिनका सम्बन्ध इनके कारनामों के प्रचार से था। बाकी प्रबन्ध से मेरा कोई सम्बन्ध न था।

प्रश्न—मैं आपको यह बताता हूँ कि ब्राडकास्टिंग जापानियों के आधीन होता था ?

उत्तर—नहीं हम स्वतन्त्रता पूर्वक करते थे।

प्रश्न—मैं यह आपको बतलाता हूँ कि आजाद-हिन्द-फौज के अफसरों को विवश किया जाता था कि वे ब्राडकास्ट करें ?

उत्तर—नहीं। यह गलत है वे बड़ी खुशी से ब्राडकास्ट करते थे।

प्रश्न—सुभाष बाबू ने कहाँ से २८ लाख मन चावल का प्रबन्ध किया था ?

उत्तर—सिंगापुर रेडियो से।

श्री देसाई ने गवाह से जिरह की।

प्रश्न—क्या जनरल टोजो जुलाई १९४३ में सिंगापुर में आये ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—इनके किसी जलसे में आप उपस्थित थे ?

उत्तर—हाँ। परेड के अवसर पर मैं उपस्थित था।

यहाँ अदालत लंच के लिये स्थगित होगई।

लंच के बाद

सातवें गवाह कर्नल लोगनाथन की गवाही

लंच के बाद कर्नल लोगनाथन की गवाही हुई। इस से पूर्व आप देहली के हैल्थ आफसर थे। कर्नल लोगनाथन ने कहा, "मैं १५ फरवरी १९४२ को हिन्दुस्तानी फौज के साथ सिंगापुर में था और मैं नं०१९ अस्पताल का इन्चार्ज था। मैं इस समय लै० कर्नल था और जापानियों के आक्रमण के बाद भी अस्पताल का कमाण्डर रहा।

मैं फैरोल पार्क के जलसे में सम्मिलित नहीं हुआ। मेरे

अस्पताल में ५० प्रतिशत लोग लड़ाई के जख्मी थे और ५००
साधारण रोगी थे।

मैं सितम्बर १९४२ में आजाद-हिन्द-फौज में सम्मिलित हुआ। मेरा अस्पताल बम्बून कैम्प में था। मैं कैम्प का निरीक्षण किया करता था। यहाँ कैम्प वास्तव में दो हजार आदमियों के लिये बनाया गया था परन्तु इसमें १५,००० हजार आदमी रहते थे। इस कैम्प में चार अस्पताल थे।

प्रश्न—क्या आप बैंकाक सम्मेलन के सम्बन्ध में कुछ जानते हैं?

उत्तर—मैं बैंकाक कान्फ्रेंस में उपस्थित था वहां सारे पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों के एक सौ दस प्रतिनिधि थे जो जापान चीन, इन्डोचाईना आदि से आये हुये थे। सोलह सत्रह प्रस्ताव पास हुए।

इसमें से एक प्रस्ताव इस आशय का था कि आजाद-हिन्द-फौज की कार्यवाहियां ऐसी होनी चाहियें जो इन्डियन नेशनल कॉंग्रेस के उद्देश्य के अनुसार हों।

मैं श्री रासबिहारी बोस को जानता था वह भारतीय स्वाधीनता लीग के अध्यक्ष थे। और कौंसिल आफ एक्सन के सभापति थे कर्नल मोहन सिंह आजाद-हिन्द-फौज के जनरल कमाडिंग आफसर थे और दोनों के सम्बन्ध आपस में अच्छे थे।

प्रश्न—क्यों?

उत्तर—रास बिहारी बोस बहुत समय से जापानियों के मित्र थे। इस लिए वह जापानियों से मिलकर काम करना चाहते थे।

परन्तु जनरल मोहनसिंह का विचार था कि जापानियों से कदापि भी दबना नहीं चाहिये। इसलिये इन दोनों में आपस में मतभेद हो गया था। जनरल मोहनसिंह इस लिये रास बिहारी बोस से नाराज़ थे।

जनरल मोहनसिंह की गिरफ्तारी

१९४२ में जापानियों ने निर्णय किया कि आज़ाद-हिन्द-फौज के कुछ सिपाहियों को बर्मा भेजें। मगर जनरल मोहनसिंह ने इसका विरोध किया क्यों कि वे चाहते थे कि कौंसिल-आफ-एक्शन की स्वीकृति ली जावे। जनरल मोहनसिंह की जापानियों से अनबन हो गई और इन्हें रास बिहारी बोस की आज्ञा से गिरफ्तार कर लिया और आज़ाद-हिन्द-फौज को मोहनसिंह की आज्ञा से तोड़ दिया गया जिसको इन्होंने गिरफ्तारी से पूर्व ही आज्ञा दे रखी थी कि इनकी गिरफ्तारी की अवस्था में इस पर परामर्श किया जावे।

मि० रावन, मि० मैनन, जनरल मोहनसिंह, कर्नल गिलानी, और रास बिहारी बोस कौंसिल-आफ-एक्शन के मेम्बर थे। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। मैं इस में सम्मिलित नहीं था।

काले पानी का चीफ कमिश्नर

प्रश्न—आप सुभाष बाबू से कब मिले?

उत्तर—२ जुलाई १९४३ को।

प्रश्न—जिस समय आज़ाद-हिन्द-फौज स्थापित की गई क्या आप उस समय शामिल थे?

उत्तर—मैं मौजूद था और मुझे भी एक मंत्री बनाया गया तथा मैं आज़ाद-हिन्द का डाइरेक्टर मेडिकल सर्विस था।

प्रश्न—क्या नवम्बर १९४३ में सुभाष बाबू टोकियो गये थे?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—आजाद-हिन्द-सरकार रंगून कब गई ?

उत्तर—जनवरी १९४४ में।

प्रश्न—क्या आप पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों की कान्फ्रेंस में कालेपानी के आजाद-हिन्द-सरकार के हवाले करने की रस्म में सम्मिलित थे ?

उत्तर—हाँ, मुझे वहां का चीफ कमिश्नर बनाया गया था।

प्रश्न—आपको किसने बनाया था ?

उत्तर—नेताजी सुभाष बोस ने निर्वाचित किया था। गवाह ने आगे कहा, "मेरे साथ पांच आदमी कालेपानी भेजे गये थे। वहाँ हमने दो तीन सप्ताह के पश्चात जलसा किया और नियमित कार्यवाही के अनुसार मुझे वहाँ का अधिकार दिया गया। मेजर अलवी शिक्षा विभाग के नायक थे। ले० सूबासिंह अर्थ विभाग के अधिकारी थे। ले० इकबाल पुलिस के इन्चार्ज थे। मैंने काले पानी तथा निकोबार की सरकार चलाई। दिसम्बर १९४४ में वापिस सिंगापुर बुलाया गया। नवम्बर १९४४ में द्वीपों की सरकार की रिपोर्ट आजाद-हिन्द-सरकार को पेश की।"

गवाह ने आगे बताया, "मुझे सुभाष बाबू टोकियो ले जाना चाहते थे, परन्तु मैं बहुत बीमार होगया। इसलिये मैं नहीं जा सका।"

प्रश्न—आपने इन द्वीपों के नये नाम क्या रखे थे ?

उत्तर—कालेपानी का नाम "शहीद" तथा निकोबार का नाम "स्वराज्य" रखा गया था।

आगे गवाह ने विस्तार पूर्वक आजाद-हिन्द-सरकार की गाथा सुनाई तथा यह भी बताया कि तमाम निकटवर्ती सरकारों तथा मित्रों ने इस सरकार को स्वीकार कर लिया था।

प्रश्न—क्या आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती के लिये किसी प्रकार की जबर्दस्ती की जाती थी ?

उत्तर—नहीं। सब भर्ती स्वेच्छा से होती थी।

प्रश्न—आपकी सरकार ने ब्रिटिश और अमरीकन सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी ?

उत्तर—जी हाँ।

प्रश्न—आजाद-हिन्द-फौज ने बर्मा में क्या क्या सेवायें की ?

उत्तर—भारतीयों, चीनियों तथा बर्मा के लोगों के जन-धन की रक्षा की।

एडवोकेट जनरल ने पूछा, "मैं यह कहता हूँ कि द्वीप अंडेमान तथा नीकोबार आजाद-हिन्द के सुपुर्द नहीं किये गये ?

उत्तर—यदि वे द्वीप हमारे आधीन न होते तो मैं वहाँ नहीं जाता।

प्रश्न—मैं आप से यह कहता हूँ कि वे लड़ाई के बाद आजाद-हिन्द सरकार के सुपुर्द किये जाते ?

उत्तर—यह गलत है।

प्रश्न—परन्तु यह सत्य है कि आपके आधीन में केवल शिक्षा विभाग था ?

उत्तर—मैंने कहा था कि यदि पुलिस विभाग हमारे आधीन न किया जावेगा तो मैं दूसरे विभाग नहीं लूँगा।

प्रश्न—जब काले पानी थे तो आप जापानियों के मार्फत ही अपनी रिपोर्टें भेजते थे ?

उत्तर—क्यों कि मेरे पास डाक का पृथक कोई प्रबन्ध न था अतः मैं जापानियों की मार्फत ही भेजा करता था। मैं अपनी मोहर लगा कर बन्द किया करता था। एक बार जापानियों ने एक रिपोर्ट को खोलकर एतराज किया था कि यदि यह रिपोर्ट

शत्रुओं के हाथ में पहुँच गई तो भयंकर सिद्ध होगी।

प्रश्न—आपको फौजी स्थान देखने की आज्ञा थी ?

उत्तर—मैंने कभी भी यह प्रयत्न नहीं किया।

प्रश्न—आपको आजाद-हिन्द-सरकार की ओर से स्थापित होने का पत्र दिया गया था जब कि आपको काले पानी का चीफ कमिश्नर बना कर भेजा गया था ?

उत्तर—जी हाँ।

यह पत्र एडवोकेट जनरल ने अदालत में प्रस्तुत किया और गवाह ने इसे पहचाना। इस पत्र पर श्री सुभाषचन्द्र बोस के हस्ताक्षर आजाद-हिन्द-सरकार के प्रधान मंत्री की हैसियत से थे और एक पत्र जापान के गैरमुल्की मंत्री की ओर से था जिसमें द्वीप अण्डेमान के सागर के मंत्री के नाम विस्तृत आज्ञाएँ थीं।

एडवोकेट जनरल ने पत्र के कुछ वाक्यों को इधर उधर तोड़ मोड़ कर गवाह को भूल में डालने का प्रयत्न किया तो गवाह ने कहा कि पूरा पत्र पढ़ कर सुनायें।

श्री देसाई ने कहा, "जब पत्र अदालत में मौजूद है तो एडवोकेट जनरल को उस पत्र के टुकड़े टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं। यह बात केवल जिरह के समय ही परामर्श के लिये प्रस्तुत की जा सकती है।

प्रश्न—क्या आपको श्री सुभाषचन्द्र ने जबानी आज्ञाएँ दी थीं ?

उत्तर—मुझे यहाँ जबानी आज्ञा दी गई थी कि शीघ्र से शीघ्र व्यवस्थानुसार दोनों चीजों का पूर्ण अधिकार लूँ।

इसके बाद कर्नल लोगनाथन की डायरी अदालत में प्रस्तुत की गई। गवाह ने उसे पहिचाना और कहा कि यह डायरी मेरा

है। गवाह ने कहा कि मेरी डायरी में लिखा है कि २१ मार्च को पोर्ट बिलयर में सरकार का चार्ज लेने की रस्म अदा की गई। थी और इसमें लिखा है कि आज से आ० हि० सरकार का काम शुरू होता है।

इसके बाद एडवोकेट जनरल ने गवाह की लिखी एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जिसमें द्वीप अण्डेमान सरकार के कारनामे अंकित थे और यह रिपोर्ट श्री सुभाषचन्द्र को भी भेजी गई थी।

गवाह ने जिरह में बताया कि हमने वहाँ के लोगों की एक कमेटी बनाई थी जो सरकार की सहायता करती थी तथा परामर्श देती थी।

प्रश्न—जब आप वहाँ के चीफ कमिश्नर थे तो जापानियों ने जासूसों के साथ बहुत सख्तियाँ कीं?

उत्तर—यह सत्य है, परन्तु मैं इसमें उनकी कुछ भी सहायता न कर सका।

प्रश्नों के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं वहाँ एक लाख रुपया लेकर गया था, परन्तु मैंने जुलाई तक केवल तीन लाख रुपये खर्च किये थे।

इसके बाद अदालत कल के लिये स्थगित हो गई।

-*:*-

१२ दिसम्बर १९४५

अण्डमान व निकोबार के बारे में प्रश्न

कर्नल लोगनाथन से जिरह

प्रश्न—लेफ्टिनेंट इकबाल जो काले पानी में न्याय विभाग के अधिकारी थे क्या करते थे ?

उत्तर—फौजदारी और दिवानी मुकद्मे करते थे।

प्रश्न—आपको सिंगापुर जाने के बाद अण्डमान से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—मेजर अलवी अण्डेमान रहना पसन्द नहीं करते थे ?

उत्तर—हाँ। वे युद्ध के मोर्चे पर जाना पसन्द करते थे।

प्रश्न—और उन्होंने आपको एक पत्र लिखा था और उसमें शीघ्र परिवर्तन की प्रार्थना की थी और लिखा था कि वे इस योग्य नहीं कि अपनी नौकरी को कार्यरूप में परिणित कर सकें क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ हैं और यह भी लिखा था कि काले पानी में बहुत गड़बड़ है। आजाद-हिन्द-सरकार तो केवल तमाशा ही है और इसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है। मैं अपने देश की सेवा के लिये खून बहाने को तैयार हूँ, परन्तु मैं इस स्थान पर कोई सेवायें नहीं दे सकता।

उत्तर—पत्र में जो कुछ लिखा है, मैं उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता।

प्रश्न—क्या मेजर अलवी काले पानी में आजाद-हिन्द-फौज के लिये स्वयंसेवक भर्ती करता था।

उत्तर—हाँ, यह भी कर्तव्य में से एक था।

प्रश्न—तो कितने स्वयंसेवक आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हुये।

उत्तर—मेरे जाने से पूर्व वहाँ ६० स्वयंसेवक थे।

श्री देसाई की आपत्ति

अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपों के शासन प्रबन्ध के बारे में विस्तार से प्रश्न किये जाने पर श्री देसाई ने आपत्ति की। आपने कहा कि यह सब प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। प्रधान प्रश्न यही है कि दोनों द्वीप अस्थायी आ० हि० सरकार को सौंप दिये गये थे। श्री देसाई ने कहा कि ये केवल अदालत के समय की नकल कर रहे हैं और जिरह में सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन अध्यक्ष ने श्री देसाई की आपत्ति को अनियमित करार दे दिया और अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप के शासन प्रबन्ध के बारे में और प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी। जज-एडवोकेट ने गवाह से पूछा क्या आपकी यह राय थी कि अस्थायी सरकार दोनों द्वीपों से हट जाए ?

ले० कर्नल लोकनाथन ने उत्तर दिया, मैं बराबर यही प्रयत्न करता रहा था कि पुलिस विभाग मेरे अधीन हो।
इस पर जज एडवोकेट ने कहा—मैं तुम्हारे इस प्रयत्न की पूर्ण प्रशंसा करता हूँ।

गवाह ने कहा इसका श्रेय मैं आपसे नहीं लेना चाहता। एडवोकेट जनरल ने गवाह को श्री नेता जी को दी गई रिपोर्ट के बारे में बताने को कहा। इस पर देसाई ने आपत्ति

उठाई कि यह प्रश्न अनावश्यक है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं अदालत का समय नष्ट नहीं कर रहा हूँ।

प्रश्न—क्या आपने अस्थायी सरकार को अण्डेमान और निकोबार द्वीपों से हटने की सिफारिश की थी ?

उत्तर—मैं अदालत को यह दस बार कह चुका हूं कि मैं पुलिस विभाग को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न कर रहा था।

अदालत के अध्यक्ष ने कहा—क्या आप प्रश्न को शान्ति से सुन कर उचित प्रत्युत्तर देंगे ?

गवाह—मैंने कल कहा था कि इकबाल दीवानी मुकदमों को निपटाया करता था। जब मैं अण्डमान गया तो वहाँ जापानियों का एक रसद विभाग था। मेरे आने के बाद वह चलता रहा। आत्म निर्भरता का कार्य क्रम इसी विभाग के आदेशानुसार किया जाता था।

इसके बाद गवाह को उनकी ४ सितम्बर १६४५ की मासिक रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें कहा गया था कि हम लोग जापानी अफसरों को अधिक अच्छा समझने लगे हैं और इससे परस्पर अधिक विश्वास होगा। श्री सुभाष चन्द्र का एक तार मिलने पर गवाह अपनी रिपोर्ट देने के लिये स्वयं चल दिया। गवाह के स्थान पर अलवी की नियुक्ति हुई। गवाह को एक पत्र दिखाया गया जिसमें अलवी ने अंडमान से किसी और स्थान पर भेज देने का अनुरोध किया था। गवाह ने इस पत्र के इन शब्दों की सत्यता को स्वीकार किया कि नेता जी के हस्ताक्षर से हम लोगों के प्रति जापानियों का रुख कड़ा हो सकता है।

श्री देसाई—इस बारे में प्रासंगिक प्रश्न केवल इतना ही है

कि ये द्वीप आज़ाद-हिन्द-सरकार को सौंप दिये गये थे या नहीं। ये छोटी छोटी अन्दरूनी बातें अप्रासंगिक हैं। मैं चाहता हूँ कि अदालत का समय बच जाए।

अदालत के सदस्यों से सलाह करके अध्यक्ष ने कहा कि अदालत यह जानना चाहता है कि इन द्वीपों में सरकार की क्या स्थिति है और इस्तगासा यही प्रमाणित करना चाहता था।

प्रश्न—आपने अभी कहा है कि आपकी रिपोर्ट में कोई बात पसन्द न होने पर जापानी लोग उसे बदलने या हटाने को कहते थे।

उत्तर—मैं यह नहीं कहता कि चूँकि जापानी मेरी रिपोर्ट को बदलने को कहते थे इसलिये वह बिल्कुल अमान्य थी।

अस्थायी सरकार की स्थिति

गवाह को यह पत्र दिखाया गया जो कि उसके सिंगापुर जाने के समय मेजर आलवी ने दिया था। उसमें बताया गया था कि जापानियों के साथ अस्थायी सरकार को कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं, जापानी अत्याचार कर बैठते हैं यह लोग जनता का विश्वास खो रहे हैं। गवाह ने बतलाया कि सरकार आदमियों के पास जनता के लोग शक हो जाने के डरसे आने में संकोच करते थे। मैं यह नहीं कह सकता कि अस्थायी सरकार की पिछली सभा में कितनी उपस्थिति थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि मेरे प्रयत्न करने पर भी कुफिया मामलों में जान-माल का खतरा बना रहता था, पर उसने अस्वीकार किया कि मैंने अस्थायी सरकार को अण्डमान से हटने की शिफारिश की थी और न मैंने सिंगापुर आने पर इसके बारे में श्री सुभाषचन्द्र बोस को कोई शिफारिशी तार भेजा।

प्रश्न—आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है 'हम लोग जापानी अधिकारियों को आवश्यक चिन्ताओं से मुक्त कर युद्ध उद्योग में बड़ी सहायता दे सकेंगे।' मुक्त करने से आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री देसाई—अंग्रेजी भाषा को आप जिरह का विषय नहीं बना सकते।

गवाह—आपको मेरा अभिप्राय समझने के लिये क्या मैं अपनी अंग्रेजी समझाऊँ ?

सर नौशेरवाँ एक क्षण को रुके और बोले—गवाह के इस रुख के बावजूद मैं अपना प्रश्न नहीं छोड़ूँगा।

गवाह—'उन्होंने चिंताओं से मुक्त करने' से अभिप्राय यह है कि यदि हम पुलिस विभाग और अन्य विभागों का प्रबन्ध लें, तो जापानी अपनी रक्षा की तैयारी में सारा समय लगासकेंगे। स्वयं मुझे पुलिस विभाग न मिलने की दशा में अस्थायी सरकार को हटाने की बात सोचनी पड़ी थी। उसे हटाने के लिये श्री सुभाषचन्द्र बोस को तार दिया गया था।

गवाह को डायरी दिखाई गई, इसमें श्री सुभाषचन्द्र बोस को दिये गये तार की नकल थी। इस नकल में अस्थायी सरकार का हटाने की बात थी। गवाह ने कहा कि मैंने भौंसले से परामर्श किया था और उक्त तार भौंसले ने दिया था।

आ० हिं० फौज का संगठन

और प्रश्न पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि मैं बिदादरी में हुई उस सभा में उपस्थित था, जिसमें आ० हिं० फौज के प्रश्न पर विचार-विनिमय हुआ था। इस सभा में कोई जापानी अफसर नहीं था। उसमें जापानी योजना के अनुसार आ० हिं०

फौज का संगठन करने का विषय नहीं था। फौज में भर्ती होने वालों को न तो घूँस दी जाती थी, और नहीं न भर्ती होने वालों को यातनायें।

सुभाष बाबू से अन्तिम भेंट

गवाह ने कहा कि मैंने सुभाष बाबू से चलते समय अन्तिम भेंट की। वे २४ अप्रैल के लगभग रंगून से रवाना हुये। उनके जाने के बाद मुझे बर्मा कमाण्ड का जनरल अफसर से कमांडिंग बना दिया गया था। जापानियों ने अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में रंगून खाली करना शुरु किया। मैं नहीं कह सकता कि जापानियों ने रंगून जेल को कब अपने अधिकार से छोड़ा।

प्रश्न—आपको मालूम है कि बर्मा की क्रान्तिकारी फौज ने पहली मई से रंगून पर अधिकार कर लिया था?

उत्तर—थोड़े से आदमी इधर उधर देखे थे, परन्तु अधिकार का मुझे पता नहीं।

श्री देसाई ने गवाह से जिरह की।

प्रश्न—आप पोर्ट बिलयर से वापिस सिंगापुर कब गये?

उत्तर—२ अक्तूबर को चला और ३ अक्तूबर को पहुँचा।

आजाद-हिन्द-सरकार का कार्यक्रम

प्रश्न—अस्थायी सरकार के कार्यक्रम के बारे में आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी है?

उत्तर—यह प्रश्न तो, भारत सरकार आजकल क्या करती है, यह पूछने की तरह हुआ। (हँसी)

प्रश्न—अदालत के अध्यक्ष ने प्रश्न को स्पष्ट करते हुये कहा कि अस्थायी सरकार के मंत्रिमण्डल की सभायें हुआ करती थी और उसमें किन विषयों पर विचार-विनियम हुआ था?

उत्तर—विचारार्थ विषय यह है- "भारत स्वतन्त्रता।"

आठवें गवाह श्री दीना नाथ की गवाही
(डायरेक्टर आजाद-हिन्द-बैंक)

अगले गवाह श्री दीनानाथ पहले बर्मा लकड़ी व्यापारी और ठेकेदार थे। बाद में वह आजाद-हिन्द-बैंक के डायरेक्टर बने। उन्होंने कहा आजाद-हिन्द-बैंक की रजिस्ट्री बर्मा के कानूनों के अनुसार हुई थी। आजाद-हिन्द-सरकार के चन्दे की रकम बैंक में तथा सरकार के अर्थ विभाग में जमा रहती थी। इस जमा फंड से आवश्यकतानुसार रकम निकाली जाती थी। बर्मा में एकत्र चन्दे की रकमें १५ करोड़ रुपयों की थी और मलाया में ५ करोड़ के लगभग। जनता भी बैंक में हिसाब खोलती थी। बैंक ने अप्रैल १९४४ से मई १९४५ तक कार्य किया। रंगून के अधिकार होने के बाद बैंक पर ब्रिटिश फौजों ने मुहर लगा दी। उस समय आजाद-हिन्द-फौज के ३५ लाख रुपये जमा थे। श्री देसाई ने गवाह से रंगून के पास स्थित जियावदी नामक स्थान के बारे में प्रश्न किये। गवाह ने बताया कि यह स्थान ५० मील वर्ग का है। पहले इसका प्रबन्ध जियाबादी की आजाद-हिन्द-बैंक की शाखा करती थी, बाद में यह अस्थायी सरकार के सुपुर्द हो गई थी। इस स्थान में एक बड़ा शक्कर का कारखाना, सूत के कारखाने, ऊनी कारखाने, अस्पताल और कुछ खेती बारी थी। आजाद-हिन्द-फौज का वहाँ एक अड्डा भी था। अस्पताल और कारखाने आजाद-हिन्द-फौज ही चलाती थी। उक्त स्थान की पैदावार अस्थायी सरकार को दे दी जाती थी।

भारत स्वतन्त्रता-समिति

उक्त समिति की कार्यवाही पर किये गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा कि समिति की शाखायें सारे पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। उसके कई विभाग थे। जैसे ट्रेनिंग, प्रचार, राहत इत्यादि। उसका प्रधान कार्य अनुपस्थित भारतीयों की सम्पत्ति की रक्षा करना, दुख दर्द को दूर करना, फौजी हमलों से बचाना और बालकों के लिये स्कूल चलाना था। इस स्थान की आबादी २५ हजार थी। इनमें से अधिक आदमी हिंदुस्तानी थे। वहां आजाद-हिन्द-फौज का कैम्प था और कारखानों का प्रबन्ध भी इसी के अधिकार में था। वहाँ से जितनी आय होती थी वह आजाद-हिन्द-सरकार के सुपुर्द कर दी जाती थी।

संघ के बाद

गवाह ने आगे बताया कि आजाद-हिन्द-फौज ने हिन्दुस्तानी नागरिकों की इज्जत, जान-माल की बर्मा में रक्षा की थी। रात को आजाद-हिन्द-फौज के दस्ते शहरों में घूमते थे, पहरा देते थे। जापानियों के हाथों हिन्दुस्तानियों की रक्षा करते थे। जापानी लोग साधारण से शक पर ही हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेते थे।

एक बार पचास भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन पर जापानियों को जासूस होने का शुबा था।

बर्मा में जापानियों का अधिकार होने के बाद गुण्डों ने भारतीयों की जायदाद पर अधिकार कर लिया था और इनकी बहुत बेइज्जती की जाती थी। परन्तु आजाद-हिन्द-फौज के रंगून आने के बाद सब कष्ट समाप्त हो गए थे।

गवाह से जिरह

प्रश्न—जब जापानी रंगून में आये तो आप कहां थे ?

उत्तर—मैं दो सप्ताह पहले चला गया था।

प्रश्न—जापानी रंगून में कब प्रविष्ट हुये ?

उत्तर—७ मार्च १९४२ को।

प्रश्न—आप रंगून कब वापिस आये ?

उत्तर—अगस्त १९४२ में।

प्रश्न—आप स्वाधीनतालीग में कब प्रविष्ट हुए ?

उत्तर—जनवरी १९४४ में।

प्रश्न—आपका क्या उद्देश्य था ?

उत्तर—मैं रंगून में लीग की एक शाखा का अध्यक्ष था। रंगून प्रदेश में लीग की छः शाखायें थीं।

प्रश्न—आपने जापानियों के राज्य की बदनामी की जो कहानी सुनाई वह अगस्त १९४२ के बाद ही जारी रही ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—बदनामी कौन करते थे। ?

उत्तर—बर्मा के गुण्डे लोग। इक्के दुक्के आक्रमण करते थे।

प्रश्न—१९४३ में भी लूटमार होती थी ?

उत्तर—जी हाँ जब तक आजाद-हिन्द-फौज थी।

प्रश्न—आपके पास क्या प्रमाण है कि आजाद-हिन्द-फौज ने पचास हिन्दुस्तानियों को जापानियों के अधिकार से छुड़ाया था ?

उत्तर—जो आदमी रिहा हुये थे उन्होंने मुझे बतलाया था और आजाद-हिंद-फौज के श्री सहाय ने भी मुझे बताया जिन्होंने जापानियों को समझाया था कि वह भारतीयों को तंग न करें।

गवाह ने बताया कि कर्नल सहगल सप्लाई बोर्ड के मेम्बर थे और बोर्ड आजाद-हिन्द-फौज के लिये समस्त आवश्यकतायें खरीदा करता था।

प्रश्न—आप आजाद-हिन्द-बैंक के भागीदार भी थे ?

उत्तर—जी हाँ, भागीदार था।

प्रश्न—आप अपने हिसाब रखने वालों को सूद भी देते थे ?

उत्तर—हाँ नियमित रूप से सूद देता था।

प्रश्न—आप आजाद-हिन्द-सरकार को भी सूद पर रुपये देते थे ?

उत्तर—हाँ

प्रश्न—आजाद-हिन्द-सरकार का रुपया किस के नाम था ?

उत्तर—अर्थ मन्त्री के नाम। कभी कभी वह रुपया एक करोड़ रुपया हो जाता था इसी में से हर महीने दस लाख से तीस लाख तक रुपया आजाद-हिन्द-फौज के लिये दे दिया जाता था। एक समय में इनके नाम एक करोड़ २५ लाख रुपया जमा था। आजाद-हिन्द-फौज का ३५ लाख रुपया जमा था।

प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा कि रुपया जापानी करंसी तथा अंग्रेजी करंसी में था।

प्रश्न—बर्मा से १५ करोड़ रुपया चन्दा कितने समय में प्राप्त हुआ था ?

उत्तर—जनवरी १९४४ से अप्रैल १९४५ तक।

प्रश्न—अंग्रेजी अधिकार होने के बाद बैंक पर जब अंग्रेजी मोहर लग गई तो आप रंगून में थे।

उत्तर—हाँ, मैं रंगून में था और पहली जून को गिरफ्तार कर लिया गया था।

प्रश्न—३५ लाख रुपया आजाद-हिन्द-फौज के नाम कब थे ?

उत्तर—मई १९४५ में।

प्रश्न—आपको कैसे ज्ञात था ?

उत्तर—मैनेजर ने हिसाब की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

प्रश्न—कब ?

उत्तर—सम्भवतः १९ मई को डायरेक्टरों की मीटिंग में।

प्रश्न—आपको मालूम है कि १४ मई को आजाद-हिन्द-फौज के हिसाब से बीस लाख रुपया लगाया गया।

उत्तर—मुझे जानकारी नहीं।

प्रश्न—आजाद-हिन्द-कोलिनी का वर्णन आपने किया था कि वह परमानन्द की जायदाद थी।

उत्तर—नहीं मेरे विचार में वह मैनेजर था। एक सार्वजनिक जलसे में यह घोषणा की गई थी कि यह कोलिनी आजाद-हिन्द-सरकार के हवाले की गई है। इस जलसे में श्री सुभाषचन्द्र बोस ने भी भाषण दिया था और धन की अपील की थी।

श्री परमानन्द सप्लाई के मन्त्री का काम करते थे और इसका प्रबन्ध आजाद-हिन्द-फौज के किसी प्रतिनिधि के हाथ में था। श्री परमानन्द वहाँ नहीं रहते थे। प्रश्न का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं कि अंग्रेजों के अधिकार में आने के बाद कोलिनी का क्या हुआ ?

गवाह ने आगे बताया कि बाल सेना और रानी झाँसी रेजीमेंट की सेवायें प्रशंसनीय थीं।

नवें गवाह हवलदार शिवसिंह की गवाही

हवलदार शिवसिंह ने कहा कि मैं आजाद-हिंद-फौज का मेम्बर था पर बयान लिखाते समय कहा कि मैं अब भी मेम्बर हूँ। मैं बर्मा १६४३ में पहुंचा था और जियावादी के इलाके में काम करता था। अगस्त १६४३ से अप्रैल १६४५ तक वहाँ रहा। मैं आजाद-हिन्द-फौज ट्रेनिंग का कैम्प खोलने के लिये गया था। इसके बाद मैंने और भी कर्तव्य निभाये। इस इलाके में लगभग १५ हजार हिंदुस्तानी थे। वहाँ हमारे कई कारखाने थे। खांड का कारखाना, सूत का कारखाना आदि आदि। एक मुर्गी खाना भी खोला गया था। जख्मी तथा बेकार सिपाहियों के लिये आराम करने का कैम्प हमारी सरकार ने बना रखा था।

प्रश्न—हमारी सरकार से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर—आजाद-हिंद-सरकार।

गवाह ने इस कालानी का पूर्ण इतिहास वर्णन किया। थोड़े थोड़े गाँव पर एक तहसीलदार नियुक्त था जिसका काम मामले इकट्ठा करना तथा साधारण झगड़ों का फैसला करना था। बड़े बड़े मामले कालोनी के मैनेजर के पास जाते थे और जब उससे भी तय नहीं होते थे वे आजाद-हिंद-फौज के पास आते थे। मैनेजर का नाम रामचंद्र था और इसे आजाद-हिंद-सरकार ने नियुक्त किया था। पुलिस के इन्चार्ज श्यामचरण मिश्रा थे। यह सम्पूर्ण कालोनी पूर्ण स्वतन्त्र थी। इसका जापानियों और बर्मा के लोगों से कोई सम्बन्ध न था।

एडवोकेट जनरल की जिरह पर गवाह ने कहा कि मैं १६४१ में हिन्दुस्तानी रेजीमेन्ट में था और अप्यू के निकट गिरफ्तार होगया था।

प्रश्न- तुम गिरफ्तारी के बाद अपने आप अंग्रेजों के

विरुद्ध लड़ने के लिए स्वंयसेवक बने ?

उत्तर—मैं आजाद-हिन्द-सरकार का स्वंयसेवक बना था और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भर्ती हुआ था।

प्रश्न—तुमने १० फरवरी १९४२ को सेगान से भारतीय फौजों के लिए ब्राडकास्ट किया ?

उत्तर—नहीं। मैंने फौजों के लिए नहीं किया, केवल यह बताया कि जापानियों ने मुझ से क्या वर्ताव किया।

प्रश्न—क्या आपसे जापानियों ने ब्राडकास्ट कराया ?

उत्तर—नहीं, मैंने अपनी खुशी से किया था।

प्रश्न—किसके लाभ के लिये ब्राडकास्ट किया था ?

उत्तर—वह हमारी उन भारतीय फौजों के लाभ के लिये था जिनको अँग्रेजों ने जंगलों में छोड़ दिया था और वे बेचारे कष्ट उठाते फिरते थे और उनको डर था कि जब वे पकड़े जाँयगे तो जापानी इनको काट देंगे। मैंने उनको तसल्ली देने के लिये ब्राडकास्ट किया था।

प्रश्न—आपने कहा था कि जापानियों की सहायता करो और अँग्रेजों के विरुद्ध जंग करो ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—आप जनरल मोहनसिंह से मिले ?

उत्तर हाँ, केवल देखा था।

प्रश्न—और इसने आपको आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने को कहा ?

उत्तर—नहीं मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई ?

प्रश्न—आप से गाँव में कर्नल सहगल मिले ?

उत्तर—हाँ

प्रश्न—कर्नल सहगल ने आप से कहा कि आजाद-हिन्द-फौज में शामिल हो जाओ ?

उत्तर—नहीं बिल्कुल नहीं (हँसी)

प्रश्न—और आपने वहाँ से ब्राडकास्ट किया कि जापानियों की सहायता करो ?

उत्तर—केवल हिन्दुस्तानियों की सहायता के लिये।

प्रश्न—जापानियों की सहायता करने तथा हिन्दुस्तानियों की आजादी के लिये ?

उत्तर—नहीं, जो कुछ मैंने पहले बताया है इसके सिवा और ब्राडकास्ट नहीं किया।

प्रश्न—कर्नल फोजीवाड़ा से कभी मिले ?

उत्तर—नहीं, मैंने केवल उनको देखा, मिला नहीं।

प्रश्न—आप सिंगापुर में मोहनसिंह के बंगले में ठहरे ?

उत्तर—नहीं, इस बंगले के पास और बहुत से बंगले हैं, मैं उनमें से एक में ठहरा था।

प्रश्न—आपने मोहनसिंह से मुलाकात की ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—वहां से तुम बिदादरी कैम्प में अपनी मर्जी से गये ?

उत्तर—नहीं मुझे ले जाया गया।

प्रश्न—तुम एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों ले जाये गए ?

उत्तर—और भी बहुत आदमियों को इस प्रकार एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता था।

प्रश्न—बिदानरी कैम्प में तुम लोगों ने लोगों को आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने के लिये कहा ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—तुमसे किसी ने कहा था कि आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हो जाओ ?

उत्तर—नहीं ।

प्रश्न—तुम्हारे कैम्प में कोई व्याख्यान हुआ ?

उत्तर—नहीं, मैं वहाँ दो महीने रहा । तब तक कोई लैक्चर नहीं हुआ ।

प्रश्न—तुम बैंकाक कान्फ्रेंस में गये थे ?

उत्तर—हाँ ।

प्रश्न—उस समय तुम आजाद-हिन्द-फौज में शामिल थे ?

उत्तर—उस समय तक आजाद-हिन्द-फौज नहीं बनी थी ।

प्रश्न—उस समय तुम आजाद-हिन्द-फौज में शामिल होने को तैयार थे ?

उत्तर—हाँ यदि मेरे भ्रम दूर कर दिये जायें ।

प्रश्न—तुम अंग्रेजी समझते हो ?

उत्तर—थोड़ी भी समझता हूँ और थोड़ी सी बोल लेता हूँ ।

प्रश्न—तुम्हें किसी ने बैंकाक कान्फ्रेंस में भेजा था ?

उत्तर—कप्तान हुक्मसिंह ने मुझे आज्ञा दी थी ।

प्रश्न—क्यों ?

उत्तर—मुझे कहा गया था कि यदि वहाँ हिन्दुस्तानी में कोई लैक्चर हो तो लिखना ।

प्रश्न—तुमने किसी लैक्चर की रिपोर्ट लिखी ?

उत्तर—हाँ, मैंने जनरल मोहन सिंह के लैक्चर की रिपोर्ट लिखी थी ।

प्रश्न—सितम्बर १९४२ में तुम फिर रंगून गये ?

उत्तर—एक पार्टी कर्नल गिल के साथ थी । मैं इन के साथ

गया था ।

प्रश्न—क्या तुम आजाद-हिन्द-फौज में शामिल हो गए ?

उत्तर—मैं शामिल तो होगया था पर काम करने को तैयार न था जब तक कि जापान सरकार हमारी आजाद-हिन्द-सरकार और आजाद-हिन्द-फौज को स्वीकार नहीं कर लेती ।

प्रश्न—तुम्हें सितम्बर १९४२ में आज्ञा दी गई थी कि अराकान से हिन्दुस्तान जाओ ?

उत्तर—नहीं, मुझे यह आज्ञा दी गई थी कि अराकान के इलाके की देखभाल करो और वापिस आकर रिपोर्ट दो ।

प्रश्न—आपके साथ कितने आदमी थे ?

उत्तर—केवल एक और था ।

प्रश्न—क्या तुमने यह काम आजाद-हिन्द-फौज के स्वयं-सेवक की हैसियत से किया ?

उत्तर—हाँ ।

प्रश्न—दिसम्बर १९४२ में आजाद-हिन्द-फौज में कुछ गड़बड़ हुई ?

उत्तर—बाद में कुछ जानकारी हुई ।

प्रश्न—तुमने दिसम्बर १९४२ में हिन्दुस्तान को भागने का प्रयत्न किया ?

उत्तर—नहीं ।

प्रश्न—क्या १९४३ में तुम गिरफ्तार किये गये थे ?

उत्तर—जापानियों ने मुझे गिरफ्तार किया था ।

प्रश्न—क्यों ?

उत्तर—मुझे मालूम नहीं । कर्नल गिल की तमाम पार्टी गिरफ्तार हुई थी । इसमें मैं भी था ।

प्रश्न—कर्नल गिल की पार्टी क्या काम करती थी ?

उत्तर—मुझे पता नहीं। मैंने अपना काम आपको बता दिया।

प्रश्न—तुम कितने दिन जापानियों की कैम्प में रहे ?

उत्तर—लगभग एक मास।

प्रश्न—इस के बाद क्या हुआ ?

उत्तर—मुझे आजाद-हिन्द-फौज के कैम्प में भेज दिया गया।

प्रश्न—क्या तुम दुबारा भर्ती हो गये थे ?

उत्तर—मैंने आजाद-हिन्द-फौज को छोड़ा ही कब था।

प्रश्न—तुम कब भर्ती हुये थे ? (हंसी)

उत्तर—जब जापानियों ने हमारी आजाद-हिन्द-फौज को स्वीकार कर लिया था।

(दिसम्बर १९४४ में)

प्रश्न—तो तुम इससे पूर्व भर्ती हो गये थे ?

उत्तर—पर मैंने कार्य उस समय प्रारम्भ किया जब हमारी आजाद-हिन्द-फौज को स्वीकार कर लिया गया। मैं जब अराकान गया इस समय आजाद-हिन्द-फौज ने अंग्रेजों या अमरीकनों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की थी।

प्रश्न—तुम किस के कहने से अराकान गये ?

उत्तर—कर्नल गिल की आज्ञा से।

प्रश्न—क्या कर्नल गिल की पार्टी आजाद-हिन्द का हिस्सा थी ?

उत्तर—मुझे दूसरों का पता नहीं। मैं अपने सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूँ।

प्रश्न—तुम्हें आजाद-हिन्द-फौज से कौनसी पदवी दी गई थी ?

उत्तर—मैं ले० बनाया गया था।

प्रश्न—कब ?

उत्तर—मैं अक्तूबर १९४४ में बना।

प्रश्न—क्या मार्च १९४३ नहीं था ?

उत्तर—नहीं, १९४४ था, यह सम्भव है कि महीना सही न हो।

गवाह ने आगे बताया कि मैं हिन्दुस्तान भाग कर नहीं जाना चाहता था। आत्मसमर्पण के समय मैंने जो कुछ किया वह भारत के लाभ के लिये किया था। यदि विस्तृत जानकारी की आवश्यकता हो तो मुझ पर जब फौजी-अदालत में मुकदमा चलेगा तो मैं बताऊँगा।

अध्यक्ष—प्रश्न का उत्तर दो।

गवाह—मैंने कोई सूचना नहीं दी।

प्रश्न—तुम कप्तान बराहुनदीन को जानते हो ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—वह कभी तुम से मिले ?

उत्तर—वह आजाद-हिन्द-फौज के कैदियों के हाथों पकड़ा गया था। इसको मैंने देखा था।

प्रश्न—इसकी गिरफ्तारी के पहले तुम इससे नहीं मिले या उसे कोई सूचना नहीं दी।

उत्तर—कदापि नहीं। मैंने एक बर्मी जासूस से चाल चली थी। आजाद-हिन्द-फौज के लाभ के लिए मैं यह चाहता था कि किसी प्रकार जीयावादी की हमारी कोलोनी बच जाये। मैंने इस बर्मी को बताया था कि यहाँ कोई लड़ने वाला सिपाही नहीं है और न कोई युद्ध का मोर्चा है।

प्रश्न—तुम्हें इस सूचना के लिए एक हजार रुपया मिला था ?

उत्तर—बिल्कुल झूठ।

प्रश्न—जियाबादी का इलाका जागीर था या रियासत या बादशाहत थी ?

उत्तर—रियासत थी। बाकी तुम्हारी मर्जी है कुछ भी कहो। (हँसी)।

प्रश्न—इस रियासत का राजा कौन था ?

उत्तर—मैंने सुना है कि कोई रायबहादुर था और वह हिन्दुस्तान चला गया था। (हँसी)।

प्रश्न—तुम्हें इस राजा या रियासत का कुछ ज्ञान है ?

उत्तर—मुझे उस समय का ज्ञान है जब से हमारी सरकार ने अधिकार किया था, इससे पूर्व का नहीं।

प्रश्न—तुम यह कैसे कह सकते हो कि वह रियासत थी और वह उसका राजा था ?

उत्तर—मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है वहाँ राजा का महल मौजूद है और राजा हिन्दुस्तान में मौजूद है। (हँसी)

प्रश्न—मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह केवल जागीर थी और इसकी आमदनी आजाद-हिन्द-सरकार को मिलती थी।

उत्तर—मुझे तो केवल यह ज्ञात है कि हिन्दुस्तानी पूर्वी एशिया में जायदाद छोड़कर चले गये थे। इनका अधिकार आजाद-हिन्द-सरकार के हवाले कर दिया गया था।

श्री देसाई के जिरह करने पर गवाह ने कहा कि जापानी अफसर मिस्टर सैन्यू ने बताया था कि जापान एशिया की आजादी के लिए लड़ रहा है और इसमें हिन्दुस्तान की आजादी भी शामिल है।

इसके बाद अदालत दूसरे दिन के लिये स्थगित हो गई।

१३ दिसम्बर १९४५

आजाद-हिन्द-फौज की नीति पर प्रकाश

"सेना में अंग्रेजों व भारतीयों में भेदभाव होने से आजाद-हिन्द-फौज में शामिल हुआ।"

(कप्तान अरशद)

दसवें गवाह श्री बी० एन० नन्दा की गवाही

पूर्वी एशिया में भारतीयों की संख्या

श्री बी० एन० नन्दा ने कहा कि सरकारी आधार पर जापान से लड़ाई होने के पहिले भारतीय आदमी बर्मा में १०१७८२५, मलाया में लगभग ८ लाख, हांगकांग में ४७४५, डच पूर्वी द्वीप समूह में २७ हजार, फ्रेन्च हिन्द चीन में ७,००० और जापान में लगभग ३०० था। जापान से युद्ध शुरू होने के बाद कितने भारतियों ने इन देशों को छोड़ा, इसके अंक मेरे पास नहीं हैं।

श्री० नन्दा ने अपने बयान में कहा कि आजाद-हिन्द-फौज में शामिल होने का कारण यह था कि भारतीय सेना में और अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों में भेदभाव की नीति व्यवहार में लाई जाती थी। कर्नल इकवाकुरू के साथ बात चीत में कप्तान शाहनवाज उपस्थित थे। वहां शाहनवाज ने कहा और की तरह जापानियों की नीति के बारे में मुझे सन्देह है। इस आन्दोलन

को चलाने के लिए नेता जी को टोकियो से बुलाना चाहिए। इसके बाद गवाह ने सिंगापुर में नेताजी के आने, अस्थायी सरकार के संगठन होने तथा उसके मुख्य केन्द्र के रंगून हटने की घटनायें बताईं।

आज़ाद-हिन्द-फौज भारतीय भूमि पर

जब आज़ाद-हिन्द-फौज भारत के किसी प्रदेश में घुसी तो नेता जी ने तथा बर्मा के जापानी सेनापति ने एक घोषणा प्रकाशित की। युद्ध क्षेत्र में जाने के पूर्व मैंने इस घोषणा को देखा था। उसमें जापानी सेनापति ने बताया था कि जीती हुई भूमि पर शासन प्रबन्ध आज़ाद-हिन्द-फौज करेगी। मणिपुर युद्ध क्षेत्र के पास जीते गये प्रदेशों का शासन मेजर एम० ए० मलिक करते थे। उस समय कोहिमा क्षेत्र में अस्थायी सरकार के अधिकार में, ५०० वर्ग मील जमीन थी। गवाह ने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर कहा कि शाहनवाज अपनी सेना के साथ कोहिमा क्षेत्र में गये थे। अप्रैल १९४५ में जापानी रंगून खाली करने लगे और नेताजी २४ अप्रैल को चले गये। जाने से पहले उन्होंने कर्नल लोगनाथन को बर्मा का प्रधान सेनापति बना दिया था। श्री सुभास चन्द्र बोस ने कहा कि आज़ाद-हिन्द-फौज के इन दस्तों को पीछे इस लिए छोड़ा जा रहा है, जिससे भारतीय जनता की रक्षा कर सकें। गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि नेताजी ने पीछे रही हुई फौज के लिये भारतीयों की रक्षा का कार्य तभी तक निर्धारित किया; जब मित्रराष्ट्रों की फौजें न आ जायें। उनके आने पर हमें आत्म-समर्पण करने को कहा गया था। नेताजी का सन्देश मिलने पर मैंने प्रबन्ध विभाग के प्रधान होने के नाते भविष्य के कार्यों

के लिये तैयारियां की। उस समय जापानी फौजें जा चुकी थीं और बर्मा की फौजें थी नहीं। रंगून में इस समय आजाद-हिन्द-फौज में ५-६ हजार सशस्त्र सैनिक थे। ये सैनिक विभिन्न कैम्पों में थे। उन्हें मैंने अपने अधिकार में लिया और इन सैनिकों के लिये गश्त तथा पुलिस का काम निर्धारित किया। २५ अप्रैल तक जापानियों ने रंगून बिल्कुल खाली कर दिया और उस समय वहाँ न कोई पुलिस ही थी और न किसी प्रकार शासन प्रबन्ध ही। मैंने बर्मा के स्थानापन्न प्रधान-मन्त्री से मिल कर उन्हें बताया कि आजाद-हिन्द-फौज क्या कर रही है, तथा उसकी सहायता आप ले सकते हैं।

जापानियों ने जाते समय चावल तथा खाद्य-पदार्थों के गोदाम आम जनता के लिये खुले छोड़ दिये गये थे। इस कारण दंगा मचाने की संभावना थी। इसलिये जहाँ ऐसे गोदाम थे, वहाँ मैंने आ० हि० फौज के संतरी खड़े कर दिये और बर्मा सरकार के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। २५ अप्रैल के लगभग मुझे मालूम पड़ा कि जापानियों ने जाते समय सेंट्रल जेल के दरवाजे खुले छोड़ दिये थे, जहाँ ब्रिटिश युद्धबन्दी कैद थे।

ग्यारहवें गवाह ले० कर्नल ई० के एस्कायर की गवाही

श्री देसाई के पूछने पर गवाह ने कहा, "मैं जमना क्षेत्र के प्रधान कार्यालय में ए० ए० जी० हूँ। सफाई पक्ष द्वारा भारत के बाहर से कागजात लाने को कहा गया था। इस प्रार्थना पर अधिकारियों ने जापान सरकार से उन्हें लेने का प्रयत्न किया।"।

यहाँ पर गवाह ने एक पत्र उपस्थित किया जिस में इन दस्तावेजों के सम्बन्ध में जापान सरकार का जवाब था। साथ

ही रेडियो की लिखित प्रतिलिपि पेश की जो कि भारत के प्रधान कार्यालय के मोनीटोरिंग विभाग से प्राप्त हुई थी।

बारहवें गवाह कप्तान अरशद की गवाही

कप्तान अरशद ने कहा कि मैं दूसरी पंजाब रेजिमेंट की पाचवें बटालियन में नौकर था। मैं युद्धबन्दी बनाया गया और हथियार डालने के समय फैरो पार्क में उपस्थित था।

हमें पहले आज्ञा दी गई कि अंग्रेजों और हिन्दुस्तानी अफसरों को अलग अलग कर दिया जाए। हम हिन्दुस्तानी अफसरों को फैरो पार्क में ले जाया गया और वहाँ बहुत से हिन्दुस्तानी मौजूद थे और हमने पूर्व परेड लगाई। थोड़ी देर बाद कर्नल हंट ने घोषणा की कि आज से तमाम हिन्दुस्तानी फौज को मैं जापानी मेजर फूजीवाड़ा के हवाले करता हूँ। अंग्रेज और हिन्दुस्तानी फौज ने हथियार डाल दिये हैं और हम युद्ध बन्दी हैं। उसने यह भी कहा कि तुम जपानी फौज के बन्दी हो। तुम्हें उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी। इतना कह कर उसने कुछ कागज मेजर फूजीवाड़ा को दे दिये। मेजर फूजीवाड़ा ने इसके बाद के भाषण के अन्तर्गत में कहा कि जापानी फौज ने मित्र राष्ट्रों को पराजित कर दिया है। उसने युद्ध प्रारम्भ करने के सामान भी बयान किये और यह भी बताया कि जापानियों के एशिया में क्या विचार हैं। उसने बताया कि हम सब एशिया के समस्त देशों को स्वतन्त्र देखना चाहते हैं और हमारी यह इच्छा है कि हिन्दुस्तान पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो और हम भारत वर्ष को पूरी पूरी सहायता देंगे। अन्त में उसने कहा कि तुम सब भारतवासी हो और तुम्हें हिन्दुस्तान की आजादी के लिये काम करना चाहिये, हम तुम्हें अपना बन्दी नहीं समझते अपितु

तुम स्वतन्त्र हो और जनरल मोहनसिंह तुम्हारे इन्चार्ज होंगे। तुम्हें उसकी आज्ञा माननी होगी।

इसके बाद मोहनसिंह ने भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मलाया की लड़ाई में हिन्दुस्तानी फौज अच्छी तरह न लड़ सकी क्योंकि राशन का पूरा प्रबंध न था और न ही पर्याप्त हथियार थे। हवाई जहाजों की रक्षा भी प्राप्त न थी। अन्त में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिये लड़ें। अब तक हिन्दुस्तान के पास हथियार न थे, परन्तु हमारी इच्छा है कि हम आजाद-हिन्द-फौज बनायें जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए जापान की सहायता लेगी और जापान ने हमें हर प्रकार की सहायता देने का फैसला किया है। इस भाषण का सबने खूब स्वागत किया और तालियों से गगन मण्डल को गुंजा दिया।

गवाह से जिरह

प्रश्न—आप आजाद-हिन्द-फौज में कब भर्ती हुए?

उत्तर—जुलाई १९४२ में।

प्रश्न—आप तीनों अभियुक्तों को जानते हैं?

उत्तर—जी हाँ।

प्रश्न—कर्नल सहगल कब शामिल हुये?

उत्तर—अगस्त १९४२ में।

प्रश्न—आप आजाद-हिन्द-फौज में क्यों शामिल हुये? गवाह ने अपना बयान बताया कि मेरे लिए बड़ी कठिन समस्या थी कि मैं आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हूँ या नहीं क्योंकि इससे पूर्व राजनीति से कोई दिलचस्पी न थी। क्योंकि मेरी शिक्षा ही ऐसी थी। मैंने इस सम्बन्ध में सिंगापुर के अनेक अफसरों से परा-

मर्श किया। जुलाई १९४२ के शुरू में मैं जनरल मोहन-सिंह के बंगले के पास रहता था। कर्नल सहगल को बारह साल से जानता हूँ क्योंकि कालेज में हम एक साथ ही पढ़ा करते थे। अतः मैंने कर्नल सहगल तथा अन्य मित्रों से परामर्श किया। हमने निर्णय किया कि इन अवस्थाओं में हम केवल अपने देश से वफादारी के लिए कटिबद्ध हैं। हमने यह भी अनुभव किया कि हिन्दुस्तानी अफसरों के साथ अंग्रेज अफसरों की अपेक्षा बहुत घटिया व्यवहार होता है। हमने यह भी सोचा कि हम अफसर लोग आजाद-हिन्द-फौज में शामिल न हुए तो जापानी लोग हमारे सिपाहियों में फूट डालकर अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। अतः हमें उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिये। हमने यह निर्णय किया कि अफसरों का एक दल बनाकर आ-जाद-हिन्द-फौज में शामिल हो जाना चाहिये और अपना प्रभाव जापानियों पर डालना चाहिये जिससे मलाया में वह हिन्दुस्ता-नियों पर अत्याचार न कर सकें क्योंकि हमने उनको मलाया में चीनियों और मलाया के लोगों पर अत्याचार करते देखा था। यदि हिन्दुस्तानी आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती न हुए तो यह सम्भव है कि जापानी भारतवासियों पर अत्याचार करें। इन सब कारणों से आवश्यक था कि हम फौज बनायें।

देशभक्त न कि देशद्रोही

हमें यह शक था कि हमारे देश के नेता देश द्रोही न समझें। क्यों कि कांग्रेस ने जापानियों के विरुद्ध घोषणा कर दी थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि कांग्रेस के इन्कलाबी दल के लोग हमें गलत न समझें। जब उनको ज्ञात होगा कि हमारी आजाद-हिन्द-फौज बिल्कुल हिन्दुस्तानियों की फौज है और इसका

सारा प्रबन्ध हिन्दुस्तानियों के हाथ है। लिहाजा इन सब को दृष्टि में रखते हुये हमने बैंकाक कान्फ्रेंस के बाद आजाद-हिन्द-फौज में शामिल होने का निर्णय कर दिया। मैं इस फौज में जनरल अफसर था। कप्तान मोहनसिंह जनरल अफसर कमांडिंग थे। बाद में उनको जापानियों से भेदभाव हो गया। वह गिरफ्तार कर लिये गये। आजाद-हिन्द-फौज भंग कर दी गई। कप्तान मोहनसिंह को जापानियों के निश्चय पर सन्देह हो गया था लिहाजा उन्होंने हम सब अफसरों को बताया और हमने मिल कर निश्चय किया कि यदि जापानी अपने व्यवहार को न बदलेंगे तो हम फौज भंग कर देंगे।

श्री रास बिहारी बोस ने इस बात को बुरा माना कि कप्तान मोहनसिंह ने आजाद-हिन्द-फौज को भंग कर दिया।

प्रश्न—इन दोनों के सम्बन्ध कैसे थे ?

उत्तर—अच्छे नहीं थे।

प्रश्न—कप्तान मोहनसिंह को किसने गिरफ्तार कराया ?

उत्तर—श्री रासबिहारी बोस की आज्ञा से गिरफ्तार किया गया। मैं वहाँ मौजूद था।

प्रश्न—कौंसिल-आफ-ऐक्शन के सदस्य किसके साथ हैं ?

उत्तर—अधिक सैनिक कप्तान मोहनसिंह के साथ थे।

प्रश्न—उनमें कौन लोग थे ?

उत्तर—कप्तान मोहनसिंह, कर्नल गिलानी, श्री चन्द, और श्री रासबिहारी बोस प्रधान थे।

प्रश्न—दूसरी आजाद-हिन्द-फौज कैसे थी ?

उत्तर—जापानियों ने हमें युद्धबन्दी बनाने से इन्कार किया और कहा कि हम तुम्हें पहले ही स्वतन्त्र कर चुके हैं इसलिये

अब तुम्हारे अपने हक में है कि तुम क्या काम करोगे ? तुम अपना मार्ग स्वयं ढूँढ सकते हो। नई आजाद-हिन्द-फौज बनाने का प्रयत्न किया। जब श्रीरासबिहारी बोस, कर्नल अबुलमोर और हमारे अफसरों की एक मीटिंग हुई जिसमें हमने बताया कि हम जापानियों के व्यवहार से बिल्कुल विवश थे। इसलिये हमने आजाद-हिन्द-फौज को भंग कर दिया। एक बार वेतन लेने से भी इन्कार कर दिया। लेकिन श्री रासबिहारी बोस ने कहा कि यह ले लेनी चाहिये क्योंकि यह मेरा अपना रुपया है। हमने यह भी कहा कि आजाद-हिन्द-फौज पहिले अनाधिकार थी। इसलिए अब जो नई फौज बनायी जाये, उसमें एक कमांडर और एक मिलिट्री डाक्टर होना चाहिये और फौज की भर्ती स्वेच्छा से होनी चाहिये। किसी पर जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिये। इस सभा के बाद आजाद-हिन्द-फौज को नये सिरे से संगठित किया गया। इस सभा में कप्तान शाहनवाज भी उपस्थित थे।

प्रश्न—इनका क्या विचार था ?

उत्तर—इनको भी दूसरे अफसरों की तरह जापानियों की नियत पर सन्देह था। उन्होंने अपनी मांग कि नेता जी श्री सुभाषचन्द्र बोस को टोकियो से बुलाया जाये जिससे वह हमारे पथप्रदर्शक बनें। इसके बाद नेता जी श्री सुभाषचन्द्र बोस जुलाई १९४३ में वहाँ पहुँचे और आजाद-हिन्द-फौज की नींव रखी गई। राज्य की घोषणा २१ अक्तूबर को हुई। नेता जी ने कमांडर-इन-चीफ बनने के बाद एक वक्तव्य में आजाद-हिन्द-फौज के नवयुवकों को कहा कि जो इसमें शामिल न होना चाहें वह जा सकते हैं। इसके बाद जनवरी १९४४ में हमारी आजाद-हिन्द-फौज का सदर मुकाम रंगून में बदल दिया गया और वहाँ जापानियों और आजाद-हिन्द-फौज की संगठित कमान बनाई गई।

गवाह ने कहा कि मुझे अपनी नौकरी के समय एक दस्तावेज मिली जो जापानी अफसरों की लिखित थी। इसका अनुमान था कि जापानी फौज और आजाद-हिन्द फौज के बीच सन्धि हो जाये।

प्रश्न—आजाद-हिन्द-दल क्या था ?

उत्तर—यह आजाद-हिन्द-शासन के सिविल अफसरों की सभा थी जिनको शासन के लिये शिक्षित किया गया था। गवाह ने आगे कहा कि जब हमारी हिन्दुस्तानी फौजों ने हिन्दुस्तान की भूमि में प्रवेश किया तो नेताजी ने एक घोषणा की थी जिसमें लिखा था जो प्रदेश विजय हो गये हैं उनका शासन आजाद-हिन्द-फौज के अफसरों के अधिकार में होगा और जापानियों का इससे कुछ सम्बन्ध न होगा और जापानी कमाण्डर ने भी इसके अर्थ की घोषणा की।

प्रश्न—क्या आप मणिपुर के मोर्चे पर थे ?

उत्तर—हाँ, मणिपुर हमारे अधिकार में आया था। इस इलाके का प्रबन्ध हमारे मेजर झानी के सुपुर्द था। विष्णुपुर का इलाका जो हमारे हाथ आया था वह कप्तान मलिक के हवाले था और प्रबन्ध करने वाले आजाद-हिन्द-दल के अफसर थे। हमारे आधीन १५०० वर्ग मील था। आगे चलकर गवाह ने कहा कि जापानी २३ अप्रैल को रंगून जाने शुरू हुये थे। २४ अप्रैल को नेताजी रंगून से रवाना हुये। मैं रंगून में रहा। नेताजी ने कहा था कि यातायात में बहुत कठिनाई है, वह थोड़े अफसरों को अपने साथ ले गये और बाकी रंगून में ही रहे। उन्होंने कर्नल लोगनाथन को कमाण्डिंग अफसर बनाया और कहा कि मैं आजाद-हिन्द-फौज को इसलिये छोड़ रहा हूँ कि तुम्हारा कर्तव्य है कि आत्मसमर्पण करने वाली फौज के आने तक यह होगा

कि तुम रंगून में शान्ति स्थापित रखो। लोगों को लूट मार से बचाओ अपनी इस आज्ञा का पूरा पालन किया। मैं कर्नल लोगनाथन का प्रधान स्टाफर था। इस समय जापानियों ने रंगून से फौजें हटाली थी। बर्मा की फौजें नहीं थी सिर्फ कुछ गुरिल्ला लोग थे।

हमारे पास आजाद-हिन्द-फौज में ५००० या ६००० नवयुवक थे। हमने सारे शहर का नकशा बनाकर अपनी फौज के जवानों की रक्षा के लिये लगा दिया। खास कर हिन्दुस्तानी मुहल्लों की रक्षा की। २५ अप्रैल को जापानियों ने रंगून को खाली कर दिया था। वहाँ पुलिस भी न थी। बर्मा की देशी सरकार नाम मात्र को थी। मैं बड़े मंत्री से मिला। मैंने इन से कहा यदि शान्ति स्थापित करने की आवश्यकता पड़े तो हम पूरी पूरी सहायता करेंगे। उसने हमारी स्कीम को स्वीकार किया और अपने पुलिस के बड़े अफसर को मेरे पास भेजा कि हम रंगून की रक्षा का प्रबन्ध करें। जापानियों ने जाते समय चांवल के सारे गुदाम जनता के लिये खोल दिये थे। गड़बड़ का भय था। जब कभी किसी गुदाम पर गड़बड़ होती हम अपनी फौज भेज कर शान्ति स्थापित करते थे। मैं बर्मा के शासन की छावनी का शिक्षा में भी बुलाया गया, जहाँ मैंने आजाद-हिन्द-फौज की सेवा का वर्णन किया, जो हम शान्ति स्थापित करने के लिये कर रहे थे। २६ अप्रैल को मुझे ज्ञात हुआ कि रंगून का जेल खाना जापानी खोल गये थे जिसमें अंग्रेजी और संगठित जापानी सेना थी। मैं वहाँ गया और कमाण्डर हैटसन से मिला और इनको बताया कि हम किस प्रकार शान्ति स्थापित कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि मैं आजाद-हिन्द-फौज के हथियार आपके सामने डालने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा आप अपना काम जारी रखें जब तक

राजनीतिक फौज न आ जाये। मैं रोज उनके पास जाता था और आपकी सब काम की रिपोर्ट देता था। 'बर्मा की सुरक्षित सेना के बड़े अफसर ने मुझे बुलवा कर पूछा कि आजाद-हिन्द-फौज की क्या सलाह है। मैंने आपको बताया कि हमारा इरादा शान्ति स्थापित करने का है। जब तक अंग्रेजी फौज न आजाये उसने कहा कि बर्मा की मित्रराष्ट्र फौजों से वार्तालाप कर रहा है। मैंने उसके सामने हथियार डालने की इच्छा प्रगट की। लेकिन हंटसन ने कहा कि बर्मा रक्षा फौज के पास अंग्रेजी फौज के कमाण्डर की कोई लिखित आज्ञा नहीं है अतः आजाद-हिन्द-फौज के हथियार नहीं ले सकते और यदि वह किसी आजाद-हिन्द-फौज के आदमी पर सख्ती करेंगे तो अच्छा न होगा।

इस समय भी रंगून पर बमबारी होती थी मैंने कमाण्डर हंटसन से कहा कि यह बन्द होनी चाहिये। उसने उत्तर दिया कि मैं किस प्रकार अंग्रेजी सरकार को सूचना दूँ। मैंने उसे रेडियो का ट्रंनमिटर देते हुये कहा कि अंग्रेजी सरकार को रेडियो से सूचना दे दो, परन्तु हंटसन को Wavelength का ज्ञान नहीं था इसलिये उसने उसका प्रयोग नहीं किया।

बम बारी से रंगून की रक्षा

इसके बाद गवाह ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जो इनकी आज्ञा से कर्नल सलाम ने बर्मा में ब्रिटिश फौज के कमाण्डर को रंगून की रक्षा के लिये सहायता देने के लिये आश्वासन भेजा था। गवाह ने यह बताया कि ३ मई को हमारे कैम्प के कमाण्डर ने एक अंग्रेजी हवाई जहाज को सिगनल किया। वह हवाई जहाज नीचे उतरा और जो अफसर उसमें से उतरा था उसको मैंने कमाण्डर हंटसन के पास भेजा। दूसरे रोज कर्नल हंटसन ने एक पत्र द्वारा सूचित किया कि रंगून शहर पर

बम बारी होगी और समुद्री फौज रंगून के इलाके से बम बारी करेगी। हमें आज्ञा दी गई कि किले पर सफेद झण्डा लहरायें।

कमाण्डर हंटसन ने रायल ऐयर फोर्स को सूचना भेजी कि रंगून में कोई जापानी फौज नहीं है और वह खुला शहर है इस पर बमबारी नहीं होनी चाहिये।

गवाह ने कमाण्डर हंटसन के उस पत्र को अदालत में पहचाना। ४ मई १९४५ को हंटसन ने गवाह को एक पत्र और भेजा था जिसमें आज्ञा दी गई थी कि आजाद-हिन्द-फौज के सब हथियार एक स्कूल में जमा कर दें और सब नौजवानों को आज्ञा दें कि वह बैरकों में रहें।

इस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि अंग्रेजी फौजें रंगून दरिया से उतरीं। मैं वहाँ गया, ब्रिगेड नम्बर १ से मिला और उसको आजाद-हिन्द-फौज की सब कार्यवाहियों से परिचित कराया, और मैंने यह कहा कि हम युद्ध बन्दी की हैसियत से हथियार डालने को तैयार हैं। उसने कहा कि सारे हथियार मुझे भेज दो और सब जवानों को बैरकों में रखो और बाकी निर्णय फिर किया जायेगा। दूसरे दिन कर्नल लोकनाथन और मैं जा कर उससे मिले। उसने कहा कि तुम लोग इस समय तो आजाद-हिन्द फौज को कायम रखो क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्थान नहीं है। तुम जेल को ही आजाद हिन्द फौज की बैरक समझो और इसके फाटक पर आजाद हिन्द फौज का बोर्ड भी लगा दो। हमने वह बोर्ड लगा दिया। कर्नल लोकनाथन हमारे कमाण्डर उसी प्रकार रहे। कुछ दिन तक फाटक के बाहर हमारा पहरा रहा। ४ मई को हमने शहर का पहरा बन्द कर दिया, परन्तु ब्रिगेड ने आकर कहा कि तुम पहरा जारी रखो अतः हमने तीन पहरे और

जारी रखें। इसके बाद अंग्रेजी फौज ने सारे शहर में अधिकार कर लिया।

एडवोकेट जनरल की जिरह पर गवाह ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि सिंगापुर के पतन से पूर्व बहुत से हिन्दू सिपाही जापानियों से जा मिले। मुझे यह भी मालूम नहीं कि कर्नल मोहनसिंह ने उनको अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये कहा था।

प्रश्न—तुमने सफाई के वकील को कोई बयान दिया था ?

उत्तर—हाँ, डेढ़ मास पूर्व बयान दिया था।

प्रश्न—इसमें तुमने यह कहा था कि कर्नल हैर ने तुम लोगों को जनरल पार्क में कहा था कि अब तुम जापानी फौज के आदमी हो।

उत्तर—उन्होंने कहा कि तुम जापानी फौज के कैदी हो और यही शब्द मैंने अपने बयान में दोहराये थे।

प्रश्न—हिन्दुस्तानी कैदियों को जिन्होंने स्वयंसेवक होने से इन्कार कर दिया था उनको शान्त सागर के द्वीपों में निर्वासित कर दिया गया ?

उत्तर—दूसरी आजाद-हिन्द-फौज बनने के बाद।

जापानियों से कोई वेतन नहीं

प्रश्न—जापानियों ने कभी आजाद-हिन्द-फौज को वेतन दिया ?

उत्तर—श्री रासबिहारी बोस ने मुझे विश्वास दिलाया था कि वेतन भारतीय स्वाधीनता लीग ओर से दी जा रही है। श्री रासबिहारी बोस की ओर से हमें लिख कर विश्वास दिलाया जाता था।

प्रश्न—यदि तुम फौज में भर्ती न होते, तो क्या तुम्हें जापानी युद्ध बन्दी बना लेते ?

उत्तर—सम्भवतः ।

प्रश्न—जापानियों का व्यवहार निर्दयता पूर्ण था ?

उत्तर—नहीं ।

प्रश्न—मैं फिर कहता हूँ कि व्यवहार निर्दयता पूर्ण था ।

उत्तर—मेरे ज्ञान में कोई निर्दयता पूर्ण व्यवहार नहीं किया गया ।

प्रश्न—क्या कप्तान सहगल और कप्तान शाहनवाज खां आजाद हिन्द-फौज के भर्ती करने के अफसर थे ?

उत्तर—मैंने इन्हें भर्ती करते हुये नहीं देखा और न ही मेरी कोई जानकारी है ।

कांग्रेस जापान के विरुद्ध थी

प्रश्न—टोकियो को हिन्द-जापान मित्र-मिशन गया था, क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है ?

उत्तर—हाँ ।

प्रश्न—आजाद-हिन्द-फौज के स्थापित करने का विचार क्या जापानियों के विचार से निकला था ?

उत्तर—मैं नहीं कह सकता ।

प्रश्न—आपको कैसे पता लगा कि 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' जापान के विरुद्ध थी ?

उत्तर—मैं इस समय हिन्दुस्तान आया था और १६ जनवरी तक हिन्दुस्तान में रहा । अतः मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि कांग्रेस जापानियों के विरुद्ध थी ।

प्रश्न—क्या कोई भाषण सुना था ?

उत्तर—किसी समाचार पत्र में पढ़ा था।

प्रश्न—बैंकाक कान्फ्रेंस में तुम शामिल हुये थे ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—आप फरवरी से सितम्बर १९४२ में क्या करते रहे ?

उत्तर—मैं ट्रान्सपोर्ट अफसर था।

प्रश्न—तुम मोहनसिंह के बंगले में रहते थे ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—जो अफसर स्वंय सेवक नहीं बने थे क्या श्री रास-बिहारी बोस ने एक विज्ञप्ति द्वारा कुछ प्रश्न पूछे थे ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—श्री रासबिहारी बोस उनसे मिलने भी गये ?

उत्तर—इसका मुझे ज्ञान नहीं।

एडवोकेट जनरल ने गवाह को विज्ञप्ति दिखाई तो गवाह ने कहा कि विज्ञप्ति सब अफसरों को भेजी गई थी चाहे वह स्वयंसेवक थे या नहीं।

प्रश्न—गिरफ्तारी के बाद मोहनसिंह का क्या हुआ ?

उत्तर—मुझे केवल यह पता था कि रासबिहारी बोस की आज्ञा से गिरफ्तार करके कहीं भेज दिये गये थे।

प्रश्न—आपने आज्ञा सुनी थी ?

उत्तर—हाँ, इसमें यह भी लिखा था कि जनरल मोहनसिंह को आज़ाद-हिन्द फौज के जनरल पद से हटा दिया गया है।

प्रश्न—बाद में इसका क्या हुआ ?

उत्तर—मालूम नहीं।

भर्ती स्वेच्छा से

प्रश्न—आपने कहा है कि कान्फ्रेंस में यह निर्णय किया गया कि दूसरी आजाद-हिंद-फौज की भर्ती स्वेच्छा से की जानी

चाहिये तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि पहली फौज की भर्ती स्वेच्छा से नहीं हुई थी ?

उत्तर—नहीं, पहले भी स्वेच्छा से हुई। (हँसी)

प्रश्न—तो दूसरी बार स्वेच्छा पर जोर देने की क्यों आवश्यकता थी ?

उत्तर—इसलिये कि लोगों को पता चले कि भर्ती स्वेच्छा से होगी और किसी को विवश नहीं किया जायेगा।

प्रश्न—आप मणिपुर कब गये थे ?

उत्तर—फरवरी १९४४ के शुरू में।

प्रश्न—और कितने सप्ताह वहाँ रहे ?

उत्तर—तीन सप्ताह बाद में माण्डले और बाद में रंगून चला गया।

प्रश्न—रंगून कब पहुँचे ?

उत्तर—मई १९४४ में।

प्रश्न—श्री सुभाष बाबू के रंगून से चलने के समय आजाद-हिन्द-फौज के ६००० सिपाही वहाँ थे। क्या उन सब के पास हथियार थे ?

उत्तर—सब के लिये हथियार प्राप्त नहीं किये जा सकते थे।

प्रश्न—बर्मी इन्कलाबी फौज ने घोषणा की थी कि वे रंगून में १ मई को ६ बजे प्रविष्ट हुये ?

उत्तर—केवल उनकी इच्छा मात्र थी, परन्तु क्रियात्मक रूप से १ मई को रंगून में प्रविष्ट नहीं हुये। (हँसी)

इसके बाद एडवोकेट जनरल ने बर्मा की इन्कलाबी फौज की घोषणा पढ़ कर सुनाई जिसमें लिखा था कि १ मई को ६ बजे

रंगून पर अधिकार हो गया।

श्री देसाई—मालूम होता है कि यह घोषणा घटना से पूर्व लिखी गई थी। यह अनुमान कर लिया गया होगा। (हँसी)

प्रश्न—सूबेदार पिंडरखां पर आजाद-हिन्द फौज में शामिल होने के लिये बहुत कठोरता की गई ?

उत्तर—वह कभी शामिल नहीं हुआ और इस पर कठोरता के व्यवहार का मुझे कोई ज्ञान नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई ने गवाह से दुबारा जिरह की।

प्रश्न—क्या बर्मा इन्कलाबी-फौज ने रंगून पर वास्तव में अधिकार कर लिया था ?

उत्तर—नहीं यह गलत है।

प्रश्न—कितने व्यक्तियों ने स्वयंसेवक बनने से इनकार किया ?

उत्तर—दस पन्द्रह।

प्रश्न—क्यों ?

उत्तर—क्यों कि वह आजाद-हिन्द-फौज के विरुद्ध प्रचार करते थे।

इस समय यहाँ पर श्री देसाई ने कहा कि हम कप्तान लक्ष्मी तथा अन्य गवाहों की गवाही लेना जरूरी नहीं समझते। अब हम सफाई पक्ष की गवाही समाप्त करते हैं।

अदालत ने मुकदमा सोमवार के लिये स्थगित करते हुये यह घोषणा की कि इस दिन श्री भूलाभाई देसाई सफाई पक्ष की ओर से बहस शुरू करेंगे।

सफाई पक्ष की गवाहियाँ समाप्त।

—oo—

स्वर्गीय श्री भूलाभाई देसाई

सफाई पक्ष के प्रमुख वकील

"पराधीन जाति को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए युद्ध करने का अधिकार है।"

श्री भूलाभाई देसाई की बहस

१६ दिसम्बर १९४५

पराधीन जाति को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए युद्ध करने का अधिकार

आजाद-हिन्द-फौज के प्रथम ऐतिहासिक मुकदमे में आज सफाई पक्ष के प्रमुख वकील श्रीभूलाभाई देसाई की बहस प्रारम्भ हुई।

श्री देसाई ने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनकी विस्तृत व्याख्यान करते हुए इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कानून दो व्यक्तियों की सम्मितियों के विस्तृत उद्धरण देते हुए अपनी सार गर्भित तथा चमत्कृत युक्तियों द्वारा इस बात पर जोर दिया कि एक पराधीन देश को अपनी स्वतन्त्रता के लिये युद्ध छेड़ने का पूरा अधिकार है।

श्री भूलाभाई देसाई द्वारा दिया गया भाषण नीचे दिया जाता है:—

आप पिछले कुछ दिनों से दो अभियोगों के विरुद्ध जो कि मेरे मुवक्किलों, जो कि आपके सामने अभियुक्त के रूप में हैं, के विरुद्ध हैं, गवाहियां सुनी हैं। संक्षेप में, एक तो सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने तथा हत्या करने एवं उसमें योग देने के अभियोग लगाये गये हैं। वास्तव में देखा जावे तो अदालत के

सामने केवल एक ही अभियोग है, क्यों कि जहाँ तक हत्या वा हत्या में याग देने का सम्बन्ध है यह पहले अभियोग का ही एक भाग है। मैं यह इसलिये कहता हूँ कि सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के किसी भी मामले में गोली चलाने के प्रत्येक कार्य पर अभियोग लगाना संभव होगा जो कि मेरे विचार में तर्क को असिद्ध करना है। वास्तव में अदालत के सन्मुख केवल एक ही अभियोग है और वह है सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। गवाहों ने दूसरे अभियोगों के सम्बन्ध में माना है, इस समय मैं केवल प्रथम अभियोग के सम्बन्ध में विचार विमर्श करूँगा अर्थात् सम्राट् के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में क्या सच्चाईयां हैं, और समय आने पर यह बतलाऊँगा कि जहाँ तक दूसरे आरोप (हत्या व हत्या में योग) का सम्बन्ध इस का वस्तुत: केवल इसके सिवा कोई अन्य आधार नहीं कि ४ भगोड़े व्यक्तियों को, जिन्हें गोली से उड़ाया गया बतलाते हैं, मुकदमा चला कर फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस्तगासे के गवाहों ने इन व्यक्तियों को गोली से उड़ाये जाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि उन्हें फाँसी की सजा सुनाई गई थी। रहा मोहम्द हुसैन का मामला तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि उसे सजा सुनाई गई हो। इन सब मामलों में मेरा यह कहदेना आवश्यक है कि अदालत के सामने जो गवाहियाँ दर्ज की गई हैं, उनके द्वारा अदालत केवल इसी परिणाम पर पहुँच सकती है कि यद्यपि प्रथम मामले में सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन सजाओं को कार्यान्वित कभी नहीं किया गया। इस माननीय अदालत के सन्मुख तथ्यों पर पूर्ण विचार करने के लिये आवश्यक है कि मैं सच्चाइयाँ उपस्थित करूँ।

यहाँ एक वा दो ऐसे मामले हैं जिनको इस अदालत के

सन्मुख उपस्थित करने के लिये मैं बाधित हूँ इससे पूर्व कि मैं वास्तविक तथ्यों की ओर बढ़ूं। यह मुकदमा ऐसे प्रश्नों को उठाता है जो साधारण प्रकार के नहीं और जिनका निर्णय कदाचित एक फौजी अदालत का काम नहीं है। साधारणतः एक फौजी अदालत व्यक्तिक अपराधों या भगोड़ों का फसला करती है। इस मुकदमे के सम्बन्ध में यह कहने का साहस करता हूँ और इस चीज का प्रमाण भी मौजूद है, यह कि प्रस्तुत मामला सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का पृथक मामला नहीं है। शहादतों ने प्रमाणित किया है कि जिन व्यक्तियों का मुकदमा आपके सामने है एक नियमित रूप से संचालित फौज के ही भाग हैं जिन्होंने सम्राट के विरुद्ध युद्ध घोषणा की है, इसे इस्तगासे ने भी स्वीकार किया है, अतः यह मुकदमा किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। यह मुकदमा इस अदालत के सामने आजाद-हिन्द-फौज के सम्मान तथा कानून का मुकदमा है। अब जो कुछ भी मुकदमे के अन्तर्गत है इस अदालत के सामने है कि एक जाति को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए युद्ध करने का पूरा अधिकार है। मैं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कानूनदां व्यक्तियों की सम्मतियाँ उद्धरित करूँगा कि एक राष्ट्र या राष्ट्र के किसी हिस्से को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए युद्ध छेड़ने का पूरा अधिकार है जिसको मैं आपकी सन्तुष्टि के लिये प्रमित प्रमाणों द्वारा सिद्ध करूँगा।

एक बात और जिसे मैं कहना चाहता हूँ और मैं साधिकार कहता हूँ कि इस मुकदमे ने जनता में बड़ी उत्सुकता पैदा करदी है। यह मेरा काम नहीं है कि यह बात मान्य है या नहीं पर सत्य यह है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी ओर से भी इस पर कई मत प्रकट किये गए हैं। जिसमें भारत के वायसराय भी शामिल हैं। आप महानुभावों ने निष्पक्ष रूप से न्याय करने की शपथ

ग्रहण की हुई है कि आप लोग गवाहों के आधार पर इन व्यक्तियों के साथ न्याय करेंगे, इसमें मुझे जरा भी संशय नहीं है जो कि आप की अपनी आत्मा से निकलेगा जिस पर किसी भी पक्ष या विपय के विचारों का प्रभाव न होगा। पर इस प्रकार के तमाम मुकदमो में-जिनमें मुझे ऐसे मामलों को परखने का मौका मिला है-माननीय व्यक्ति के लिये जो कुछ न्याय चाहता है कहना बहुत ही कठिन है।

जूरियों से निवेदन

मैं जूरियों को इस बात से सचेत कर देना चाहताहूँ कि वे कहीं इस मुकदमे के फैसले के समय जन मत का दुर्पयोग न कर बैठें। इस मुकदमे के सम्बन्ध में मुझे जो कहना है वह यह कि इस अदालत के कानूनों के अध्ययन करने के आधार पर कह सकता हूं कि आप महानुभाव कानून तथा घटना दोनों ही के निर्णायक हैं। मैं समझता हूं कि जज एडवोकेट जो आप के परामर्शदाता हैं उन सब बातों का पूर्ण निर्णय देंगे जो मैं अथवा मेरे विपक्षी माननीय मित्र घटना तथा कानून को उपस्थित करेंगे, और अन्त में आप उन के परामर्श को गम्भीर तथा आदर की दृष्टि से देखेंगे, इसलिये अन्तिम निर्णय करना आपका विशेषाधिकर तथा जिम्मेदारी है। इस लिये जो कुछ मैं एक स्थान पर कहूँ, दूसरे स्थान पर केवल आपके लिये पृथक कुछ न कहूँगा, मैं नहीं कह सकता कि मैं कानून तथा घटना के लिये अलग अलग कथन करूँगा। ऐसी अदालत की अपेक्षा एक अभ्यस्त न्यायधीश के लिये कानून के प्रश्न को हल करना अपेक्षाकृत सरल है। मेरे विचार में इस मुकदमे में कानून स्पष्ट है। प्रायः यह सरल होगा कि साधारण ज्ञान

की कानून की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मैं इस का निर्णय करने के लिये आप का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

अदालत के सन्मुख मेरी अगली प्रार्थना यह है कि जहाँ तक सम्भव हो सकता है, इस मुकदमे से सम्बन्धित सभी तथ्यों के परिणामों को उपस्थित करूँगा। ऐसा करने के लिये मैं इन पर लागू होने वाले कानून को भी उद्धरित करूँगा। किसी भी बात को उपस्थित करते समय यदि अदालत के मस्तिष्क में किसी प्रकार का जरा भी शक पैदा हो तो मैं विश्वास करता हूँ कि कृपा करके आप सुझायेंगे, जिससे कि यदि यह आवश्यक हुआ, जो मैं प्रमाणों की विस्तृता पर जाने का प्रयत्न करूँगा क्योंकि इस समय इन के परामर्श की आवश्यकता है। मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों के प्रमाणों के २५० पृष्ठ तथा प्रदर्शित के १५० पृष्ठों को पढ़कर थकाने का प्रयत्न करूँ। पर इन में बहुत कम, पर आवश्यक पढ़कर अवश्य सुनाऊँगा। साथ ही अन्य सभी प्रमाणों को मैं विस्तार से भी पढ़ने का प्रयत्न नहीं करूँगा।

इतना कथन करने के बाद मैं प्रमाणों द्वारा पुष्ट तथ्यों को उपस्थित अदालत के सन्मुख उपस्थित करता हूँ। ऐसा करने से पूर्व मैं कुछ आवश्यक घटनाएँ उपस्थित करूँगा। दिसम्बर १९४१ में जापान ने अमरीका तथा ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था इस के बाद कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जोकि इस अदालत के सन्मुख हैं। ब्रिटिश भारतीय फौजों ने सिंगापुर में १५ फरवरी १९४२ में आत्मसमर्पण किया और अन्तिम पतन १७ फरवरी १९४२ के दिन फरार पार्क में हुआ।

अगली मुख्य घटना जिसे अदालत को अपने विचार में

स्थान देता है, प्रथम आजाद-हिन्द-फौज का निर्माण है जो कि सितम्बर १६४२ में स्थापित की गई थी। उस के बाद दिसम्बर १६४२ में इस फौज का विघटन होगया तथा कप्तान मोहनसिंह गिरफ्तार कर लियेगये। इस के बाद द्वितीय आजाद-हिन्द-फौज के निर्माण के प्रयत्न किये गये। दूसरी जुलाई १६४३ में श्री सुभाषचन्द्र बोस सिंगापुर पहुँचे। इसके बाद इन्होंने आजाद-हिन्द-फौज की कमान अपने हाथ में ली। एक "वृहत्तर पूर्वी एशिया सम्मेलन" भी हुआ जिसमें विभिन्न सुदूर पूर्वी देशों में से भारत स्वतंत्रता समिति के प्रतिनिधि आये थे। इस सम्मेलन का एक प्रस्ताव यह था कि आजाद-हिन्द की एक अस्थायी सरकार स्थापित की जाये। इसके अनन्तर मुख्य बात यह है कि आजाद-हिन्द की एक अस्थायी सरकार की घोषणा २१ अक्टूबर १६४३ के दिन की गई जिस का नाम मैं संक्षिप्त में "अस्थायी सरकार" देता हूँ। उस घोषणा के सम्बन्ध में मैं फिर बताऊँगा, पर इस समय मैं अदालत के सन्मुख मुख्य घटनाएँ उपस्थित करना उचित समझता हूँ जिन पर अदालत को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस सरकार की घोषणा पर भिन्न व्यक्तियों का एक मंत्रिमण्डल बनाया गया था जिसके अध्यक्ष नेताजी सुभाषचन्द्र बोस थे, उस मन्त्रिमण्डल ने बाकायदा वफादारी की शपथ ग्रहण की थी। इस के बाद इस सरकार ने ब्रिटेन तथा अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी की थी। जहाँ तक आजाद-हिन्द-फौज का सम्बन्ध है, इस फौज ने इस सरकार के आधीन रह कर उसके आदेशों के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। इसके बाद तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। एक इस अस्थायी सरकार का सिंगापुर से रंगून चले जाना था, दूसरे आजाद-हिन्द-फौज

का बर्मा से भारत में कोहिमा तक आना तथा उसका वापिस लौटना। महानुभावो, यह घटनाएँ हैं जिन पर अदालत को विचार करना है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, मैं अदालत के सामने तथ्यों के प्रमाण उपस्थित करूँगा जिन को हमने इस्तगासे के गवाहों की जिरह के समय अथवा बचाव पक्ष के गवाहों के समय उपस्थित किया है।

अदालत से मैं यह स्वीकार करने को कहूँगा कि आजाद-हिन्द की अस्थायी सरकार बाकायदा स्थापित और घोषित हो चुकी थी। महानुभावो, मैं निवेदन करता हूँ कि इस की महत्ता में किसी प्रकार की संदेह की गुंजाइश नहीं है और बाकी किसी गवाह ने जिरह के अन्तर्गत इसे अस्वीकार किया है। महानुभावो, आपके सामने उस घोषणा के चित्र विद्यमान हैं। इस से पूर्व कि मैं आगे कहूँ, मैं आप का ध्यान उस घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं घोषणा की पूरी तफसील पढ़ना नहीं चाहता, अपितु इस स्थल से सम्बन्धित अनुच्छेद ही पढ़ूँगा"।

इस स्थल पर श्री देसाई ने घोषणा के कुछ अंश पढ़कर सुनाए—

आजाद-हिंद-सरकार की घोषणा के कुछ अंश

सन १८५७ के बाद अंग्रेजों द्वारा बलात् निःशस्त्र और पाशविक रूप से प्रवाहित किये जाने के बाद कुछ दिनों तक भारतीय जनता दबी पड़ रही किन्तु सन १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही साथ एक नई जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। सन् १८८५ से लेकर पिछले विश्वव्यापी युद्ध के अन्त

तक भारतीय जनता ने अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा में सभी युक्तियों का प्रयोग किया, आन्दोलन चलाये, प्रचार किये, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया, भय दिखलाये, तोड़ फोड़ की और अन्त में सशस्त्र क्रान्ति भी की। किन्तु कुछ समय तक ये सभी क्रियायें निष्फल रहीं। अन्त में सन् १९२० में जब भारतीय जनता विफलता की भावना से आक्रान्त होकर एक नई पुष्टी ढूंढ़ने का प्रयास कर रही थी, महात्मा गांधी असहयोग और सविनय अवज्ञा के नए शस्त्र लेकर आगे आए।

इस प्रकार, वर्तमान महासमर के आरंभ होने से पहले, भारतीय स्वतन्त्र्य की अन्तिम लड़ाई के लिये अखाड़ा तैयार होगया था इस युद्ध में जर्मनी ने अपने साथियों की सहायता से यूरोप में अपने शत्रु पर विनाशकारी प्रहार किये हैं। इधर पूर्वी एशिया में जापान ने अपने मित्रों के साथ हमारे शत्रु पर भीषण आघात किये हैं। स्थिति के इस सुखद योग के कारण आज भारतवासियों के सामने अपनी राष्ट्रीय मुक्ति को प्राप्त करने का बड़ा ही अवसर है।

मैं इस स्थान पर अदालत को यह बताने के लिये ठहरता हूँ कि पूर्वी एशिया के भारतीयों की संख्या न्यून या अधिक गवाहों ने प्रमाणित कर ही दी है जो कि इस अदालत के सन्मुख है।

"आज कल के इतिहास में पहली बार प्रवासी भारतीयों में भी राजनीतिक-चेतना जाग्रत हुई है और वे एक सूत्र में बंध गये हैं। न केवल अपने भारत निवासी बंधुओं के साथ हृदय से हृदय मिलाकर सोच और अनुभव कर रहे हैं बल्कि उनके पैर से पैर मिलाकर स्वतन्त्रता के पथ पर भी बढ़ रहे हैं। विशेषतः

पूर्वी एशिया में आज २० लाख से भी अधिक भारतीय एक शक्तिशाली व्यूह में संगठित हैं और उनके सामने पूर्णतः सैनिक जीवन का ध्येय है। और उनके सामने खड़ा है आजाद-हिन्द-सेना का वह संगठित समूह जिसके मुँह से बराबर यही पुकार निकल रही है—"आगे दिल्ली की ओर बढ़ो"।

ब्रिटिश राज्य ने अपने पाखंड से भारतीयों को साहसिक बना दिया है, उसने उन्हें लूट खसोट कर उपवास और मृत्यु की गोद में डाल दिया है, और इस प्रकार उसने भारतवासियों पर से अपने प्रति विश्वास की भावना को बिल्कुल हटा दिया है। इतना ही नहीं, आज वह संकट जनक स्थिति में है। इस दुखद राज्य के अंतिम अवशेष को नष्ट करने के लिये केवल एक चिनगारी की आवश्यकता है। उस चिनगारी को सुलगाने का काम आजाद-हिन्द-फौज का है। इस सेना को भारत की नागरिक जनता और ब्रिटिश अधिकार में कार्य करने वाली भारतीय सेनाओं के बहुत से सैनिकों से भी उत्साहपूर्ण सहयोग का जो आश्वासन मिला है और साथ ही साथ उसे अपने अजेय विदेशी मित्रों का जो सहारा है तथा इन सबसे अधिक, उसे जिस निजी बल का आश्रय है उनसे पूर्ण विश्वास है कि वह अपना ऐतिहासिक कार्य पूरा कर लेगी।

अब जब कि स्वतंत्रता का उषाःकाल निकट है, भारतवासियोंका कर्तव्य है कि वे अपनी निजी अस्थाई सरकार बनावें और उसी सरकार के नेतृत्व में अपना अंतिम संग्राम आरंभ करें। किन्तु सभी भारतीय नेताओं के कारागार में रहने के कारण और जनता के निःशस्त्र बना दिए जाने के कारण देश के भीतर किसी ऐसी शासन संस्था की स्थापना करना और उसके निर्देश में सशस्त्र युद्ध आरंभ करना संभव नहीं है। इसलिए यह पूर्वी एशिया के

भारत-स्वतंत्र्य-संघ का कर्तव्य है कि वह आजाद-भारत की अस्थाई सरकार के निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले और आजाद-हिन्द फौज की सहायता से, जो संघ द्वारा स्थापित की गई है, स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाये।

पूर्वी एशिया के भारत-स्वतंत्र्य-संघ द्वारा आजाद-हिन्द की अस्थाई सरकार के रूप में निर्मित किये जाकर आज ही अपने ऊपर आये हुए उत्तरदायित्व के पूर्णरूप से समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि की मुक्ति के इस युद्ध में हम परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद की याचना करते हैं और अपने तथा अपने साथी सैनिकों के जीवनों को मातृभूमि के हित तथा उन्नति की वेदी पर अर्पित करते हैं।

अस्थायी सरकार भारत से अंग्रेजों तथा उनके मित्रों को निकालने के लिये उनके विरुद्ध संग्राम छेड़ेगी। इसके उपरान्त इसका कार्य होगा कि स्वतन्त्र भारत में आम जनता के सहयोग से स्थाई राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे। अंगरेज और उनके मित्रों की पराजय हो जाने के बाद तथा स्थायी राष्ट्रीय सरकार के बनने तक, अस्थायी सरकार की जनता के हितार्थ भारत में शासन-प्रबन्ध करती रहेगी।

अस्थायी सरकार विश्वास करती है कि सभी भारतीय उसके साथ हैं। सभी को धार्मिक स्वतन्त्रता है, तथा समस्त जनता को समान अधिकार हैं। इस सरकार का उद्देश्य है कि राष्ट्र के सभी व्यक्ति पूर्ण सुखी रहें, देश के सभी शिशु सरकार द्वारा समान संरक्षण प्राप्त करें तथा समस्त भेद-भावों को जो अब तक विदेशी शासन द्वारा कूटनीति से फैलाये गये थे, समूल मिटा दिये जायेंगे।

हम भगवान का नाम लेकर, अपनी उन बीती हुई पीढ़ियों के नाम पर जिन्होंने आज हमें एक राष्ट्र का रूप दिया है, और उन शहीदों के नाम पर जिन्होंने वीरत्व और बलिदान की परम्परा को स्थापित किया है, देशवासियों को निमन्त्रण देते हैं कि वे आज अपने देश की स्वतन्त्रता पाने के हेतु इस झंडे के नीचे संगठित हों। हम उनका आह्वान करते हैं कि वे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अपने इस अन्तिम संग्राम के लिये, विजय में विश्वास रख कर पूरी शक्ति लगादें। हमारा यह संग्राम तब तक जारी रहे जब तक हम अपने शत्रु को देश से बाहर न निकाल दें और इस तरह भारत को फिर से आजाद कर दिखायें।"

इसके बाद सरकार के सदस्यों के हस्ताक्षर दिये हुए हैं। इस घोषणा को अदालत के सामने पढ़ने का कारण अस्थायी सरकार के बनने के उद्देश्य तथा उसके द्वारा प्रारम्भ होने वाले कार्यों को दर्शाना है। अस्थायी सरकार अपने उद्देश्य में असफल रही, यह बात अप्रासंगिक है। यह सत्य है कि वह सरकार स्थापित की गई थी। दूसरी बात यह है कि उसका एक संगठित सरकार होना तो सर्वथा सिद्ध है। इसके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। गवाहों ने अदालत के सामने लोगों के कर्तव्य को भी बताया है जिसको मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है। गवाहों ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय स्वाधीनता लीग अस्थायी सरकार की कार्यकारिणी बन गई थी, जो कि उस युद्ध के समय में आवश्यक थी और उन लोगों ने बाकायदा वफादारी की प्रतिज्ञा ली थी। गवाहों ने इसको बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है कि केवल मलाया में जून १९४४ में २,३०,००० वफादारी लोगों ने अस्थायी सरकार के प्रति वफादारी लिखित रूप में प्रकट की। इस संख्या को बतलाने

च०—मेरा तात्पर्य यह है कि जैसा आप बताते हैं वैसा इस सरकार के साथ न था। आपने बताया है कि वह विद्रोहियों का दल था। इस प्रकार का विचार असत्य है, इसी कारण मैंने प्रस्तुत किया है कि वह अस्थायी सरकार बाकायदा संचालित एक निर्मित सरकार थी जिसमें व्यक्तियों ने प्रतिज्ञा की थी और अकेले मलाया में २,३०,००० व्यक्तियों ने वास्तव में वफादारी की प्रतिज्ञा ली थी।

महानुभावो, अगली सचाई मैं अदालत के सामने यह उपस्थित करता हूँ यह अस्थायी सरकार धुरी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत हो चुकी थी। मैंने इसे संक्षेप में इसलिये बताया है कि यह कानून तथा सचाई की रुह से भी अनावश्यक है कि उसे कितनी सरकारों व किस प्रकार की सरकारों ने स्वीकार किया था। यह स्वीकृति सिद्ध हो चुकी है तथा उसे अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिये युद्ध छेड़ने का पूर्ण अधिकार था। युद्ध छेड़ने के अधिकार के कारण इस की प्रजाजन पर युद्ध का अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू होगया।

मेरे प्रतिवादी मित्र द्वारा स्वीकृति के प्रश्न पर जिरह के समय उठाये गये प्रश्नों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जहाँ तक जर्मनी तथा इटली की स्वीकृति का प्रश्न है किसी प्रकार की जिरह ही नहीं हुई और न ही प्रयत्न किया गया। उस समय की पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि वे जापान के अधिकार में थे। मान लीजिए जापान एक राष्ट्र था और उसने अन्य राज्यों को जीतने में सफलता प्राप्त की पर उन को स्वतंत्रता नहीं थी, पर इस अस्थायी सरकार की स्वीकृति में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है क्योंकि आखिर वह स्वीकृत तो हुई थी। और उन्होंने इसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार कर लिया तथा उन लोगों ने भी अपने देश की स्वतंत्रता की घोषणा करदी थी। यहाँ

यह प्रश्न नहीं है कि दो स्वतन्त्र राष्ट्र ही युद्ध की घोषणा कर सकते हैं।

आजाद-हिन्द-फौज

महानुभावो, अगली सचाई यह है कि आजाद-हिन्द-सरकार की अपनी सेना थी जो कि पूर्णतया संचालित तथा व्यवस्थित की गई थी, जिस के पास अपने अनेक चिन्ह थे तथा नियमित नियुक्त अफसरों के आधीन काम करती थी। मैं इस्तगासे का आभारी हूँ कि उन्होने मुझे इसे सिद्ध करने के लिये बहुतसी सामग्री दी है। उन्होंने सिद्ध करदिया है कि आजाद-हिन्द-फौज बाकायदा नियमित फौज थी। यह आजाद-हिन्द-फौज के कानून के मातहत थी। जिरह में कोड़े लगाने की सजा का वर्णन जिरह के बीच किया है। आजाद-हिन्द-फौज के कानून में ले० नाग के बयान के अनुसार भारतीय फौजी कानून की दफा ४५ को भी स्थान दिया गया था। इस दफा के अनुसार फौजियों को शारीरिक सजा दी जा सकती है। भारतीय कानून के अनुसार आजाद-हिन्द-फौज के कानून में भी कोड़े लगाने की सजा का विधान है।

इस स्थान पर श्री देसाई ने भारतीय फौजी कानून की कुछ धारायें पढ़कर सुनाई जिनके आधार पर सिद्ध किया है कि आजाद-हिन्द-फौज को भी कोड़े लगाने का अधिकार था।

महानुभावो, यह फौज एक बाकायदा नियमित रूप से सुशिक्षित अफसरों द्वारा निर्मित थी तथा पूर्णतया कार्य करती थी। जहाँ तक अफसरों की नियुक्ति, नियमित तरीकों जिनके द्वारा चलाई जाती थी, इसकी भिन्न शाखाओं के सम्बन्ध में, आप लोग मुझसे अधिक जानते हैं क्यों कि आपके सामने बहुत से

प्रमाण उपस्थित हैं। वे फौज की आज्ञाओं की शक्ल में हैं।

इतनी बातों से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि आजाद-हिन्द-सरकार एक बाकायदा सरकार थी जिसने भारत की स्वतन्त्रता के लिये युद्ध छेड़ा था, उसकी अपनी फौज थी तथा ब्रिटिश भारत के कानून के अनुसार ही उनके अपने कानून थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार के युद्ध की घोषणा करना भारत की आजादी प्राप्ति की इच्छा से था। इसलिये आजाद-हिन्द-फौज के कानून की निन्दा का अभिप्राय भारतीय फौजी कानून की निन्दा करना है।

आजाद-हिन्द-फौज का निर्माण दो उद्देश्यों से हुआ था। सब से मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी प्राप्त करना था। महानुभावो, गवाहों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इस फौज के निर्माण का उद्देश्य भारत की आजादी प्राप्त करना था और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये लोग इस में भर्ती हुए थे। इस फौज का दूसरा गौण उद्देश्य जो भी आवश्यक था कि बर्मा तथा मलाया के रहने वाले प्रजाजन की सहायता करना था, विशेष कर उस समय जब कि युद्ध के कारण लोगों का जीवन जायदाद आदि खतरे में थे। गवाहों ने प्रमाणित कर दिया है कि आजाद-हिन्द-फौज का निर्माण भारत की आजादी प्राप्त करना तथा उस समय के पूर्वी एशिया के प्रजाजन के जानमाल तथा इज्जत की रक्षा करना था।

जापान सरकार, जिसे अब निपन सरकार कहते हैं, आजाद-हिन्द-सरकार को निकोबार तथा अण्डमान द्वीप सौंप दिये थे। साथ जियाबाडी को भी जिसका क्षेत्र फल ५० वर्ग मील था, इस अस्थायी सरकार के हवाले कर दिया था। इस में भारतीयों की संख्या १५,००० की थी।

निकोबार तथा अंडमान द्वीपों के सम्बन्ध में ले० नाग ने अपनी गवाही में स्वीकार कर लिया है कि ये दोनों द्वीप आजाद-हिन्द-फौज के हवाले कर दिये गये थे। वह गवाही तीन भागों में विभक्त है। जापान सरकार की घोषणा जो कि इस अदालत के सामने प्रमाणभूत उपस्थित हैं, वह प्रमाण जनरल तोजो द्वारा दिया गया भाषण है जो कि निकोबार तथा अंडमान आजाद-हिन्द-सरकार को सौंपते समय किया गया था। वह भाषण ६ नवम्बर १९४३ को दिया गया था। वह घोषणा नीचे दी जाती है।

"केवल भारत ही नहीं अपितु पूर्वी एशिया के अधिकांश भाग ने, बिना किसी संशय के हिजऐक्सलेंसी, अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार के भाषण से बहुत ही प्रोत्साहित हुई है जो कि अभी आपके सामने हुई है जिसमें नेताजी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता इस अस्थायी सरकार के आधीन भारत की भावी शुभ कामना तथा एशिया के लिये हृदय में पूर्ण उत्साहित हैं और वे चिरकाल से भारत की आजादी, स्वतन्त्रता तथा मान की प्राप्ति के लिये प्रयत्न शील हैं। पहले ही बहुत सी घोषणाओं में बताया जा चुका है कि जापान अंग्रेजों तथा अमरीकों के पंजे से भारत को आजाद कराने की पूरी सहायता देने का वचन दे चुका है। जिससे भारत अपने उद्देश में सफलीभूत हो जावे। अब अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार का निर्माण हो चुका है तथा भारतीय देशभक्त इस सरकार के आधीन हैं, तथा पहले से अधिक संगठित रूप में हैं, अपनी आजादी प्राप्त करने के लिये मजबूर हैं। मैं इस समय घोषणा करता हूँ कि जापान सरकार अंडमान तथा निकोबार शीघ्र ही इस सरकार के हवाले करना चाहता है, जो कि इस समय जापानी शक्ति के आधीन हैं,

जिससे इसके भारतीय भारत की आजादी में पूरी पूरी सहायता कर सकें।"

"जापान का उद्देश्य है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपना अधिकार मिलना चाहिये तथा जीवन के आनन्द को प्राप्त किया जाना चाहिये। जापानी सरकार का पूरी शक्ति के साथ आजाद-हिन्द-सरकार की, भारत की आजादी की लड़ाई में पूरा २ साथ देना चाहती है। जापान चाहता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये दो तरफा शक्ति से काम हो।"

'नेताजी के द्वारा उत्साहित हिम्मत को पूर्वी एशिया के प्रतिनिधियों में हिम्मत को, जो कि आज तथा कल की एसेम्बली में हुई है, देखकर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग भारत की आजादी के लिये पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे।"

इसके प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि उद्देश्य प्राप्ति का यत्न शुरू कर दिया गया था। यह भी प्रमाणित है कि घोषणा की गई तथा नवीन राष्ट्रों के लिये कमीश्नर द्वारा संचालन करने के लिये शासन करने की भी घोषणा हुई तथा वास्तव में कमिश्नर नियुक्त भी किया गया था, और यह भी सत्य है कि कमिश्नर वहाँ गया भी था, यह भी सिद्ध हो चुका है कि बाकायदा रस्म अदा करने के बाद उस कमिश्नर के हवाले वे द्वीप पोर्ट ब्लियर में किये गये थे और जिरह में भी कोई विशेष आलोचना नहीं हुई है।

शहीद तथा स्वराज्य

उन देशों पर आजाद-हिन्द-सरकार का कब्जा हो गया तो उन द्वीपों के नाम क्रमशः शहीद तथा स्वराज्य रख दिये गये थे। यह भी प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है।

जियावाडी

अब मैं जियावाडी के प्रश्न पर आता हूँ। लिखित प्रमाण के आधार पर इसका क्षेत्रफल ५० वर्गमील था जिसकी भारतीय आबादी १५,००० थी। इसमें अपनी सूगर फैक्टरी थी तथा बहुत से कारखाने थे। जिसका इन्तजाम आजाद-हिन्द-फौज तथा आजाद-हिन्द-दल के हाथ में था।

मेरे माननीय मित्र ने जिरह के दौरान में शिवसिंह तथा अरशद द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत गवाही पर कुछ भी कहने का साहस नहीं किया है। शिवसिंह ने कहा था कि प्रत्येक विभाग आजाद-हिन्द-फौज के हाथ में था। उसने उस अफसर का भी नाम दिया था जो कि प्रत्येक विभाग का व्यवस्थापक था तथा अर्थात अर्थ, पुलिस, पी. डब्लू. डी., न्याय इन सब पर उसका अधिकार था। इन सब अवस्थाओं में कानूनी स्थिति साधारण है। विस्तृत रूप से इसके सम्बन्ध में फिर बताऊँगा। जापान ने बर्मा पर कब्जा किया। जापान के विजय होने के कारण, जापान को समस्त प्रदेश व इसका कुछ भाग अपनी मर्जी से किसी को भी सौंपने का अधिकार था। आपके सामने गवाह ने भी स्पष्ट रूप से बताया था कि जापान-सरकार तथा अस्थाई-सरकार के बीच समझौता हुआ और इसका एक भाग स्वतन्त्र करके आजाद-हिन्द-फौज तथा आजाद-हिन्द-दल के हवाले कर दिया था।

मणिपुर तथा विष्णुपुर

प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जिस समय जापान तथा आजाद-हिन्द-फौज शासन कर रहे थे, वास्तव में भारतीय प्रदेशों पर आजाद-हिन्द-फौज का अधिकार था जो कि आजाद-हिन्द-दल

द्वारा व्यवस्थित थे। इसका क्षेत्र फल १५०,००० वर्गमील था।

आज़ाद-हिंद-बैंक

अगला प्रश्न इस राष्ट्र की आमदनी का है। अदालत के सामने प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि वास्तव में इस राष्ट्र को २० करोड़ रुपया चंदे से प्राप्त हुआ था जो कि प्रजा तथा फौज के काम आता था। दीनानाथ ने इस बात को आपके सामने प्रमाणित कर दिया है। वे स्वयं भी आज़ाद-हिन्द-बैंक के डायरेक्टरों में से एक थे। जब बर्मा तथा मलाया पर अंग्रेजों का कब्ज़ा हुआ तो आज़ाद-हिन्द-सरकार के तमाम दस्तावेज़ सुरक्षित थे। इस से स्पष्ट है कि आज़ाद-हिन्द-सरकार का संगठन बहुत अच्छा था। यह प्रमाणित हो चुका है कि विजेताओं ने जब आज़ाद-हिन्द-बैंक पर कब्ज़ा किया तो उस में ३५ लाख रुपया जमा था। मैं रुपयों को कब्ज़े में लेने की शिकायत नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ उस पर कब्ज़ा करना विजेताओं का हक़ था। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि सरकार की आमदनी के ज़रिये पूरे थे तथा ठीक ठीक चलाये जाते थे।

झंडा

मैं यहाँ पर एक बुलेटिन पेश करना चाहता हूँ। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि मैं इसे उपस्थित करूँ और अदालत को उसे अधिकार पूर्ण नीति से समझकर ग्रहण करना चाहिये। यह दस्तावेज़ १० नवम्बर १९४५ का "स्ट्रैप कलेक्टिंग" के नाम से है।

मि० एन० पी० इन्जीनियर—मेरे लायक दोस्त उस दस्तावेज़ को पढ़ना चाहते हैं जिसको स्वीकार नहीं किया गया है।

मि० देसाई—मैं केवल अदालत के सम्मुख उपस्थित कर रहा

हूँ । क्या मेरे लायक दोस्त का मतलब यह है कि केवल कानूनी पुस्तक ही दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है ?

जज-एडवोकेट—दस्तावेज इस समय स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

मि० देसाई—मैं केवल अदालत के सामने उसे पेश कर रहा हूँ ।

५७ धारा में लिखा है:

"अदालत को निम्न सच्चाइयों को अधिकृत नोटिस स्वीकार करना चाहियेः

"इन तमाम अवस्थाओं में तथा समस्त प्रकाशित इतिहास, साहित्य, विज्ञान अथवा कला को, अदालत को चाहिये कि वे इनको दस्तावेज की सहायता के लिये स्वीकार करलें ।"

यदि मेरे लायक एडवोकेट जनरल शपथ पूर्वक यह बता सकते हैं इतिहास, साहित्य, विज्ञान तथा कला की प्रत्येक पुस्तक प्रमाण के लिये प्रस्तुत करने के लिये दस्तावेज हैं या नहीं । मुझे सखेद कहना पड़ता है कि यह वह बयान है जो अपने आप पराजित करता है ।

जज एडवोकेट—मि० देसाई, कृपा करके पढ़ें कि आप अदालत से क्या दस्तावेज मंजूर कराना चाहते हैं ?

मि० देसाई—क्या मैं अदालत से इस पर विचार करने की प्रार्थना न करूँ ? मैं तो यही कहता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र पर विचार करें । अदालत चाहे तो इसे स्वीकार कर सकती है; मैं नहीं कहता कि अदालत इसे स्वीकार अवश्य ही करे । मेरा तो कहना यह है कि धारा ५७ के अनुसार इसे दस्तावेज स्वीकार किया जावे ।

मैं १० नवम्बर १९४५ के साप्ताहिक पत्र "स्टैम्प-कलेक्टिंग" जो कि लंदन से प्रकाशित हुआ है और जिसे डगलस आमस्ट्रोंग

ने सम्पादित किया है, को प्रस्तुत करना चाहता था। इस पत्र के पृष्ठ १६३६ के कालम एक पर यह लिखा था—

"इम्फाल स्टैम्प जो कि असफल हो गया।"

"जापानियों को पूर्ण विश्वास था कि वे इम्फाल पर कब्जा कर लेंगे, जिससमय में उन्होंने दक्षिण आसाम पर आक्रमण किया तो उन्होंने वास्तव में विशेष प्रकार के टिकिट वहाँ पर प्रयुक्त करने के लिये बनाये थे। पर वे स्टैम्प न बन सके, हमारे प्रेस प्रतिनिधि फ्लाईंग अफसर टी. ए. ब्रूमहेड ने सूचना दी है कि उसने रंगून के प्रेस में वहाँ के जिम्मेदार आदमी के पास इसके प्रूफ देखे थे। उन में से स्टैम्प तैयार हो गये थे, १ आने का लाल रंग का था २ पैसे वाला हरे रंग का था। दोनों का डिजाइन समान था। जिस पर लाल का चिन्ह था, उस पर "चलो दिल्ली" और "आजादहिन्दुस्तान की अस्थायी सरकार" लिखा हुआ था। जब यह विश्वास हो गया कि इम्फाल स्टैम्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो साँचों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था तथा प्रकाशित सभी सामान जला दियेगए।"

यह प्रार्थना की जाती है कि इसे प्रमाणित माना जावे कि आजाद हिन्दुस्तान की अस्थायी सरकार ने स्टैम्प तैयार कर लिये थे तथा उनको चलाने के लिये तैयार थी। ऊपरी उद्धरण से पता चलता है कि साँचे जापानियों के निर्देश अनुसार बनाये गए थे।

इस्तगासे के वकील—मैं पेश..............................

जज एडवोकेट—इस पर आपके अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है और नहीं मेरे लिये आवश्यक है। जब दस्तावेज पढ़ा जा चुका तो अब कोई चीज नहीं रह जाती है।

अब अदालत चाहे इसे स्वीकार करे या नहीं।

मि० देसाई—यह दस्तावेज इतना महत्व पूर्ण नहीं है, पर चूँकि दस्तावेज मेरे नोटिस में लाया गया था, इसलिए मैंने यह उचित समझा कि मैं इसे अदालत के समक्ष उपस्थित करूँ। इस में किसी इतिहास, साहित्य, विज्ञान तथा कला की पुस्तकों का प्रश्न नहीं है। यह तो बहुत ही मान्य इंग्लैण्ड का एक मैगजीन है जो कि इस विषय से सम्बन्ध रखता है जो कि प्रसिद्ध सम्पादक द्वारा सम्पादित होता है।

महानुभाव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस सरकार के पास अपना एक फौजी गजट था। यह भी इस अदालत के सन्मुख प्रकट हो चुका है।

इन सचाईयों पर, महानुभाव, कानून का सब से पहला प्रश्न यह है कि वह अवस्था जिसमें यह आजाद-हिन्द-सरकार बनाई गई थी तथा कार्य कर रही थी, युद्ध छेड़ने में मजबूर थी और इसने हिन्दुस्तान को आजादी के लिये युद्ध किया। अदालत के सन्मुख यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अदालत ताजीरात हिन्द के अनुसार यह मुकदमा चला रही है और प्रश्न को दो तरीकों से देखना है। प्रथम तो यह है कि जब राष्ट्र युद्ध की घोषणा करते हैं—जिन अवस्थाओं में यह सरकार बनी थी उसके लिये आवश्यक था वह युद्ध की घोषणा करे—और युद्ध की घोषणा करने पर, जहाँ तक कानून का ऐसे युद्ध से सम्बन्ध है, वे म्युनिसिपल कानून की सीमा से बाहर हैं। मेरा इससे क्या तात्पर्य है, मैं बताने का प्रयत्न करूँगा। मान लीजिए कि युद्ध के अन्तर्गत एक जर्मन निवासी दो या तीन ब्रिटेन निवासियों को इंगलैण्ड में मार देता है तथा इंगलैण्ड में ही पकड़ा जाता है, प्रश्न यह है, क्या

उसके विरुद्ध हत्या का अभियोग लगाया जायेगा। मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि सीधी सादी बात है कि वह काम युद्ध के अन्तर्गत किया गया था, और इस पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि दो स्वतन्त्र प्रदेश या दो राष्ट्रों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने को कहें और युद्ध के अन्तर्गत जो भी कार्य वे करेंगे म्युनिसिपल कानून के बाहर है। यदि यह अदालत की सन्तुष्टी नहीं करता तो मैं ताज़ीरात हिन्द की ७९ वीं धारा जारी करता हूँ, जो कि इस प्रकार है:

"कानून के अनुसार किया गया जुर्म नहीं················"

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि "कानून" शब्द "अन्तर्राष्ट्रीय कानून" की पूर्ति करता है, और इसी कारण जहाँ तक जर्मन निवासी के मुकदमे का सम्बन्ध है जो कि इंगलैन्ड में गिरफ्तार किया गया है, उस का बचाव पक्ष यही होगा।

"मेरा देश, मेरा राष्ट्र आपके राष्ट्र के साथ युद्ध लिप्त था। मेरे राष्ट्र की आज्ञा के कारण मैंने वह कार्य किया जो कि साधारण अवस्था में अभियोग है, पर विशेष अवस्थाओं के कारण किसी प्रकार का जुर्म नहीं है।"

यह बात समझ से बाहर है कि कोई बाकायदा व्यवस्थित फौज पर किसी प्रकार का अभियोग लगाया जावे, क्योंकि वह एक दस लाख आदमियों से युद्ध में लगा है जबकि वह अपनी फौज के साथ युद्ध में लिप्त था। फिर मैं नहीं समझता कि उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का म्युनिसिपल कानून लागू हो सकता है सिवाय इसके कि एक सिपाही ने दूसरे सिपाही की जेब से पुस्तक चुराली हो। इसका मैं अनुमोदन करता हूँ। पर जिस

प्रश्न पर हमें विचार करना है वह भिन्न है। जबकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है, क्या ऐसे समय किया गया कार्य अभियोग के अन्तर्गत आता है।

अतः म्यूनिसिपल कानून ऐसी अवस्था में लागू ही नहीं होता। यदि इन व्यक्तियों ने जो कि आपके सामने अभियुक्त के रूप में हैं, आपस की लड़ाई में किये गये कत्ल के समान अभियोग नहीं किया है फिर इन पर कानून किस प्रकार कैसे लागू हो सकता है। इन पर घरेलू लड़ाई के समान अभियोग लागू नहीं होता। गवाहों से सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने जो भी कुछ किया था वह युद्ध की इच्छा से किया था।

यदि आप चाहें तो इसे दूसरी तरह भी देख सकते हैं। धारा ७६ इस मुकदमे पर लागू होती है या नहीं। चूंकि धारा ७६ की भाषा है, "कानून के अन्तर्गत किया गया काम अपराध नहीं है," तो मेरा कहना यह है कि आप इसे स्वीकार करें या दूसरे कानून को, बात एक ही है। धारा मानती है कि प्राइवेट जीवन में किया गया काम जुर्म है। अदालत इन अभियुक्तों पर धारा १२१ तथा ३०२ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत मुकदमा चला रही है, पर दूसरी मैंने इसी ताजीरात हिन्द की ७६ वीं धारा का बयान किया है कि यह जुर्म नहीं है। मान लीजिये दो राष्ट्रों ने युद्ध की घोषणा की है और जब शान्ति स्थापित हो जाती है फिर हरेक सिपाही से व्यक्तिगत तौर पर यह पूछा जावे कि तुमने इसे मारा है या नहीं। मेरा विश्वास है आप इस बात पर हंसी उड़ायेंगे। अतः आप मुझ से सहमत होंगे कि इस नवीन सरकार द्वारा घोषित युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उचित है।

अब मैं अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पुस्तकों से युद्ध करने के अधिकार पर उद्धरण देने का प्रयत्न करूँगा। मैं अन्तर्राष्ट्रीय

कानून भाग २ के शीर्षक "कानून" जिसका लेखक डिक कारबेट है जिसका संस्करण १९२७ का है, से उद्धरण पेश करता हूँ।

"यदि अन्तर्राष्ट्रीय जुर्मों का दमन करने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय शासन न हो और यदि उस अवस्था में कोई युद्ध छेड़ दिया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वह कानूनी है। अतएव मेरी राय में "यदि कोई अपने आपको विदेशी जुए से मुक्त करने के लिए युद्ध छेड़ दे तो नैतिक व अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मातहत वह न्यायोचित ही होगा। यदि यह कहा जाय कि निर्णय के अनुसार भारतीय लोग सैनिक की हैसियत से इंग्लैण्ड को जर्मनी, इटली व जापान से मुक्त कराने के लिए छेड़ी गई किसी भी लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मौका आने पर एक आजाद भारतीय राज्य को इंग्लैण्ड आदि किसी भी देश से मुक्ति पाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिये, यह तो न्याय का उपहास है।

फिर लड़ाई छेड़ने के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों देश स्वाधीन हों अथवा उनमें सार्वभौम सत्ता निहित हो। लड़ाई एक राज्य और उसके अधीनस्थ प्रदेश के बीच भी हो सकती है। इंग्लैण्ड के इतिहास में हमें दिखाई देता है कि चार्ल्स प्रथम व जेम्स द्वितीय के समय ऐसी लड़ाई हुई।

आजाद-हिन्द-फौज एक संगठित सेना थी और उसने उभय विधान के अनुसार युद्ध संचालन किया। इतना ही नहीं कानून के अनुसार तो विद्रोहियों को भी योद्धा माना गया है।

हत्यायें न्यायोचित

लड़ाई में आदमियों का खून करना न्यायोचित है। आप लोगों को भी गर्व है कि आप लोगों ने लड़ाई में इतने आदमी

मार दिये। जिन तीन व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जा रहा है वे अपने लिये लड़ाई में नहीं कूदे थे। उन्होंने अपने लिये लोगों का खून नहीं किया था। यदि इसीलिये उन पर अभियोग चलाया जा सकता है तो क्या इस युद्ध के दूसरे पक्ष के लोगों पर भी दफा ३०२ के मातहत मुकदमा चलाया जायेगा।

अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फुल ने कहा है कि यदि किसी गृह युद्ध में विद्रोही जीत जांए तो उनके तमाम कार्य ऐसे ही समझे जाते हैं जैसे कि एक कानूनी सरकार के होते हैं किन्तु यदि विद्रोह विफल हो जाए तो उस अवस्था में भी विद्रोहियों पर उनके कामों को लेकर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये।

एडवोकेट जनरल ने भी यह कहा है कि अभियुक्त ने बाकायदा युद्ध छेड़ा। उनके इस कथन से भी मेरे इस कथन की पुष्टि होती है कि उन लोगों ने एक व्यक्ति की हैसियत से नहीं, किन्तु एक संगठित सरकार के अंग होने की हैसियत से लड़ाई छेड़ी थी। अतएव मेरा कहना तो यह है कि आजाद-हिन्द-सरकार व ब्रिटेन के बीच युद्ध की घोषणा हो जाने के बाद युद्ध-संचालन में जो जो काम हुये उन्हें दीवानी जुर्म नहीं समझा जाना चाहिये।

इसके बाद अदालत की कार्यवाही लंच के लिये बन्द हो गई।

लंच के बाद की कार्रवाई

लंच के बाद बहस जारी करते हुए श्री भूलाभाई देसाई ने कहा कि जिस तरह न्यायाधीश पर, अभियुक्त को फांसी की सजा देने से हत्या करने के लिये बहकाने देने का अभियोग नहीं लगाया जा सकता उसी तरह सशस्त्र सैनिकों के दल पर जिसने युद्ध की घोषणा करदी हो, और तब उन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की हो जो मित्र होने तक नहीं कर सकते थे, कानूनन मुकदमा

नहीं चलाया जा सकता।

उन्होंने कहा कि जब अदालत की कार्रवाई लंच के लिये स्थगित की गई थी तब मैं इस बात की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट कर रहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत विदेशी शासन में रहने वाली प्रजा को इस बात की इजाजत है कि वह संगठित होकर शासकों के विरुद्ध युद्ध करे चाहे वे सफल हों या न हों। उस काल में वे सभ्य देशों की तरह युद्ध कर सकते हैं। इनके मामले भी इसी तरह हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि अभियुक्त यह कहने के अधिकारी हैं कि उन कार्रवाइयों के लिये वे उत्तर दायी नहीं हैं। कानून के अनुसार इनका उत्तरदायित्व सरकार पर है जिनके आदेशानुसार उन लोगों ने युद्ध किया और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जब दो राष्ट्रों के बीच युद्ध की घोषणा हो गई हो तब उन पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। यदि विद्रोह सफल हो गया होता तो यह राष्ट्रीय सरकार की समस्या होती। किन्तु इस मुकदमे का ताल्लुक असफल हो जाने से है और तब यह प्रश्न उठा है जिसका उत्तर मेरे मुवक्किलों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दिया है।

श्री भूलाभाई देसाई ने ब्लैकस्टन के विचारों का हवाला देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानून की चर्चा की। स्मरण रहे कि ब्रिटेन के वकीलों ने ब्लैकस्टन के विचारों को ब्रिटेन के आम कानून का निर्माणकर्ता स्वीकार किया है। श्री देशाई ने अदालत को बताया कि भारतीय दण्ड विधान के ७९ वें धारा के अन्तर्गत कानून शब्द का वही अर्थ लगाना चाहिये जो इंग्लैण्ड में उसका अर्थ है।

श्री भूलाभाई देसाई ने दूसरे प्रथम श्रेणी के वकील के

विचारों का हवाला दिया और बताया कि जिसे कानून उचित समझता है वह दोष नहीं है। प्रश्न यह है कि कानून क्या है? यह जानना आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में अन्य देशों में क्या अर्थ लगाया जाता है। जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कानून ब्रिटेन का कानून हो गया है।

यहां की प्रथा की विस्तृत चर्चा करते हुए श्री भूलाभाई देसाई ने चीनी जहाज पर हत्या के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रिवी कौंसिल के फैसले का हवाला दिया। फैसला देते हुये लार्ड एटकिन ने कहा था कि सभी कानूनी प्रश्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ नियम लागू होते हैं और जो उचित ढंग से लागू हो सकता है वह लागू किया जाना चाहिये। उन्होंने बताया कि संगठित सेना के किसी सदस्य को छोड़ना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत है। यदि कोई सैनिक युद्ध के समय सदा कानूनी प्रश्नों पर विचार करता रहता तो उसकी स्थिति बड़ी विचित्र ही हो जाती।

फिर श्री भूलाभाई ने युद्ध-घोषणा करने की स्थिति की चर्चा करते हुए ओपेनीम का हवाला दिया। अभियुक्त उन अस्थायी सरकार की सेना के सदस्य थे जो स्वतन्त्र होने के लिये युद्ध कर रही थी। इसी तरह की ऐतिहासिक घटनाओं के उदाहरण देते हुए उन्होंने ओपेनीम का फिर हवाला दिया और सन् १६१८ में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस तथा अमेरिका द्वारा चेकोस्लोवाकिया के युद्धलिप्त देश स्वीकृत किये जाने की बात के बारे में कहा और उन्होंने बताया कि पोलिश राष्ट्रीय फौज को भी उन लोगों ने स्वीकार किया था। उन्होंने अदालत को बताया कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने

के लिए अभियुक्तों ने विदेश में एक विशाल सैन्य संगठन कर लिया था और उसे युद्धरत समझा जाने लगा था। इस सेना को दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीयों का भी समर्थन प्राप्त था।

'अभियुक्तों पर भारत का कानून लागू नहीं'

उन्होंने कहा कि आपने मामले की दृष्टि से इन लोगों पर आप फौजदारी कानून लागू कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये संगठित सेना के सदस्य के नाते लड़ाई लड़ी। यदि यह अभियुक्त सफल हो गये होते तो यह अदालत उन पर मुकदमा नहीं चलाती। देश को स्वतन्त्र करने के अपने उद्देश्य में असफल हो जाने से ही वे युद्धरत अस्थायी सरकार की सेना की सदस्यता से वंचित नहीं किये जा सकते, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी और उनमें सभी आवश्यक गुण थे। उन्होंने बताया कि दोनों दल-ब्रिटिश सैन्य दल और आजाद-हिन्द-फौज युद्ध करने की स्थिति में थे, अतः भारतीय दण्ड विधान के ७६ वें दफे के अन्तर्गत अभियुक्तों पर भारत के कानून लागू नहीं हो सकते। सरकारी पक्ष जो सिद्ध करना चाहता है वह ऐसा ही है जैसे इन तीनों अभियुक्तों ने अपने हित के लिए किसी की हत्या की हो।

श्रीभूलाभाई ने यह भी कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून उस मध्य कालीन स्थिति को भी स्वीकार करता है जिसमें युद्ध करने वाले विद्रोही स्वतन्त्र होने की आशा करते हैं और अभियुक्त निश्चित रूप से इस स्थिति तक पहुँच गये थे। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी वकील के उस कार्य के लिए आभारी हूँ जिसमें उन्होंने कागजात पेश कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ब्रिटिश सेना और आजाद-हिन्द-फौज में युद्ध हो रहा था। उन्होंने अदालत

के न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि आप लोग इस फैसले पर पहुँचें कि युद्ध जारी रखने में अभियुक्तों ने जो कार्रवाई की उसके लिये वे छोड़ दिये जायँ क्योंकि एक संगठित सेना के सदस्य भी अपने को इसी तरह छोड़ दिये जाने का दावा करेंगे।

श्रीभूलाभाई ने फिर ब्रिटेन की सन् १९३८ की अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी पुस्तिका का हवाला दिया और बताया कि युद्ध होने की स्थिति को स्वीकार कर लेने से युद्धरत होने की बात आप हो ही जाती है। यह केवल सिद्धान्त के रूप में ही नहीं रह गया है। किन्तु इसके अनुसार निर्णय भी किये जा चुके हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने पुर्तगाल का उदाहरण उपस्थित किया।

उन्होंने यह भी बताया कि चाहे आप भले ही इन्हें विरोधी स्वीकार करें किन्तु तो भी आप स्वीकार कर सकते हैं कि ये युद्धरत थे।

युद्धरत देशों के अधिकार

श्रीदेसाई ने इस बात पर फिर जोर दिया कि कोई आदमी अपने विरोधी को सरकार ही माने, फिर भी दोनों के बीच लड़ाई की स्थिति स्वीकार की जा सकती है और द्रोहियों के पक्ष में लड़ने वाले व्यक्तियों को युद्ध सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्रदान की जा सकती है। इंगलैण्ड में साम्राज्ञी के एडवोकेट सर जान हार्डिंग ने इटली के राजा और राजद्रोहियों के मामले में इस अधिकार को स्वीकार किया था।

इसके बाद श्रीदेसाई ने कामन्स सभा के उस वाद विवाद की चर्चा की जो १४ अप्रैल, सन् १९३७ को स्पेन के गृहयुद्ध के सम्बन्ध में हुआ था। मिस्टर ईडन उन दिनों विदेशमन्त्री थे।

ब्रिटिश सरकार ने दोनों के बीच लड़ाई की जो स्थिति स्वीकार की थी, उसका उन्होंने समर्थन किया था और कहा था कि युद्ध स्थिति का प्रश्न उतना सैद्धान्तिक नहीं है जितना वास्तविक।

सन् १८२१–२५ में तुर्कों के विरुद्ध जो ग्रीक विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोह अपनी ही सरकार के विरुद्ध किया गया था और यद्यपि विप्लवकारियों की कोई अपनी सरकारी संस्था नहीं थी फिर भी उनका विप्लव युद्ध माना गया था। कहीं कहीं विप्लवियों को सफलता मिली थी और कहीं-कहीं असफलता, फिर भी इससे युद्ध-स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा था। दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों ने भी अपने देश के विरुद्ध विप्लव किया था, किन्तु इंग्लैण्ड ने उन्हें युद्धरत देशों का अधिकार प्रदान किया था।

इसके बाद श्री देसाई ने मिस्टर ओनिल के उस भाषण का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने अपने ग्रन्थ में कहा था कि विप्लव युद्ध का एक न्यायसंगत शस्त्र है और विप्लवकारियों को कुत्तों की भाँति बन्दूक का निशाना नहीं बनाया जा सकता। यह सत्य है कि आजाद-हिन्द-फौज के सिपाहियों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों को मारा था किन्तु साथ ही साथ यह भी सत्य है कि ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने भी आजाद-हिन्द-फौज के सिपाहियों को मारा था इसलिए दोनों दलों को युद्ध-सम्बन्धी समानता का अधिकार प्राप्त है।

श्री देसाई ने मैक्विस का उदाहरण देते हुए कहा कि वे लोग पेताँ की उस सरकार का विरोध कर रहे थे जो जर्मनी से मिली हुई थी। अतः जनरल आइज़नहावर ने यह घोषणा की थी कि मैक्विस दल उनके अन्तर्गत शत्रुओं का सामना कर रहा

था, इसलिए यदि उनका किसी प्रकार दमन किया गया तो वे अपने कानून को भंग कर देंगे। आजाद-हिन्द-फौज के सम्बन्ध में यह कथन और भी सत्य है। उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत है। महत्ता की बात है कि ब्रिटिश जनता ने यह मान लिया है कि स्वतन्त्रता के लिये लड़ी जाने वाली लड़ाई में युद्ध करने वाले दलों को युद्ध-सम्बन्धी अधिकारादि देना ठीक ही है।

भारत-सरकार द्वारा स्वीकृति

इसके बाद श्री देसाई ने भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित की हुई उस विज्ञप्ति तथा श्री हैण्डरसन द्वारा कामन्स सभा में दिये गए उस वक्तव्य का उल्लेख किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार की नीति सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की नहीं है। श्री देसाई ने कहा कि उन्हें यह बात अदालत के सामने यह प्रकट करने के लिए उपस्थित की है कि इच्छा न होने पर भी भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि उस दशा में युद्ध करने का अपराध नहीं लगाया जा सकता।

राजभक्ति का प्रश्न

राजभक्ति के प्रश्न पर विचार करते हुए श्री देसाई ने कहा कि १७ फरवरी के बाद राजभक्ति नहीं रह गई थी। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब फेरर पार्क में अंग्रेज अफसर भारतीय अफसर से अलग हो गए थे तो कर्नल हंट ने भारतीयों को जापानियों के सिपुर्द कर दिया था और जापानी प्रतिनिधि ने यह घोषणा कर दी थी कि जो लोग आजाद हिन्द-फौज में जाना चाहते हैं वे बन्दी नहीं रहेंगे और वे लोग

कप्तान मोहन सिंह के हवाले कर दिए गए थे। अतः जब अंग्रेजों ने उन्हें जापानियों की दया पर छोड़ दिया था तो उनकी भक्ति केवल अपने देश के प्रति ही हो सकती थी।

ब्रिटेन और भारत की स्थिति में अन्तर बताते हुए श्री देसाई ने कहा कि ब्रिटेन में देश और सम्राट दोनों के प्रति भक्ति रखनी पड़ती है, किन्तु भारतवर्ष में केवल बादशाह के प्रति ऐसी दशा में जब बादशाह देश से पृथक कर दिया जाता है तो जनता के लिए कुछ निर्णय करना असम्भव हो जाता है और उसे अपने देश के प्रति ही प्रेम रखना पड़ता है। आजाद-हिन्द-फौज के सैनिकों ने ठीक यही किया।

एक नियमित सेना

अन्त में श्री देसाई ने कहा कि इस्तगासे की ओर से यह कहा जा सकता है कि आजाद हिन्द सरकार एक कठपुतली सरकार थी। यह बात सत्य है कि आजाद-हिन्द-फौज एक छोटी सी फौज थी, फिर भी उसकी नियमित रूप से स्थापना हुई थी और वह जापानियों की ओर से लड़ रही थी। दोनों का उद्देश्य भारत को स्वतन्त्र बनाना था।

श्री देसाई ने यह भी बताया कि आजाद-हिन्द-सरकार को कितने ही देशों की सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी और जापान सरकार ने उसके लिए एक जापानी मन्त्री भी नियुक्त किया था। उस मन्त्री को पद-ग्रहण करने का अवसर मिल सका था या नहीं यह दूसरी बात है, किन्तु इस में सन्देह नहीं कि उसकी नियुक्ति हुई थी और आजाद-हिन्द-सरकार एक नियमित रूप से संगठित शासन-संस्था थी और जापानियों के हाथों में खिलौना मात्र नहीं थी।

इस के बाद अदालत दूसरे दिन के लिये स्थगित करदी गई, इस दिन श्री भूलाभाई देसाई अपनी बहस जारी रखेंगे।

—*०*—

१७ दिसम्बर १९४५

फौजी अदालत में अमरीकी तथा अंग्रेजी स्वतन्त्रताओं की गूँज

श्री देसाई की बहस जारी

मैं राजभक्ति के सम्बन्ध में बता रहा था। मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि जहाँ आपको कानून को न्याय, निष्पक्षता तथा परिस्थिति के आधार पर देखना पड़ता है, आप के सामने उदाहरण हैं जहाँ देश तथा राजा में परस्पर नहीं बनती, ऐसे स्थान पर राजभक्ति के लिये नागरिकों पर प्रभाव डाला जाता है, मैं यहाँ कोरे सिद्धान्त की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके लिये एक उदाहरण उपस्थित करना चाहता हूँ कि ब्रिटिश कामनवेल्थ ब्रिटिश राज्य कहलाता था। जिस समय संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने स्वतन्त्रता के लिये युद्ध की घोषणा की थी उस समय के मैं कुछ उद्धरण पेश करना चाहता हूँ।

अमरीका जब ब्रिटेन के आधीन था, तब उसने एक विदेशी राजा के प्रति वफादार रहने की अपेक्षा देशभक्ति का ही वरण करना स्वीकार समझा।"

आप के सामने १७७६ की ब्रिटिश स्वतन्त्रता घोषणा के अंश को उद्धृत करता हूँ —

"ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ प्रकार अधिकार दिये हैं जैसे जीवन, स्वाधीनता तथा आनन्द मय जीवन बिताना आदि।"

यह घोषणा ४ जुलाई १७७६ के दिन की गई थी; और वास्तव में एक युद्ध लड़ा गया जिस के परिणाम स्वरूप १७८१ में संयुक्त राष्ट्र अमरीका को पूर्ण स्वाधीनता मिली और आज वही अमरीका संसार के स्वतन्त्र राष्ट्रों में है। मैं इस उदाहरण को पेश करते हुए साहस के साथ कह सकता हूँ कि यह उदाहरण बहुत ही आवश्यक है, संसार के सन्मुख एक पथ प्रदर्शक का काम देता है। मैं आपका ध्यान अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार की वफादारी की प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट करता हूँ, इसके शब्दों पर आप को पूरा ध्यान देना चाहिए।

"पूर्वी एशिया के भारतीय आज अंग्रेजों की प्रजा अब नहीं हैं, वे अस्थायी आजाद-हिन्द सरकार के स्वाभिमानी नागरिक हैं। मलाया के रहने वाले भारतीयों के हृदयों में स्थान प्राप्त करने के लिये, हमारी फौज की नवीन सरकार के प्रति जिम्मेदारी अनुभव करने के लिये, यह निर्णय किया गया है कि स्वतन्त्र भारतीय लीग के प्रत्येक सदस्य से यह कहा जाए कि वे अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लें। इसके सम्बन्ध में समस्त शाखाओं को प्रतिज्ञा की प्रतियों के साथ विस्तृत विवरण भेजा जा चुका है। प्रत्येक प्रतिज्ञा लेने वाले सदस्य को "वफादारी का प्रतिज्ञा कार्ड" तथा "स्वतन्त्र भारतीय लीग सदस्यता कार्ड" दिये जायेंगे। वफादारी की प्रतिज्ञा केवल "स्वतन्त्र भारतीय लीग" के सदस्यों से ली जावेगी क्योंकि जो लोग इसके सदस्य नहीं हैं उनको सच्चा भारतीय नहीं माना

जा सकता। नेता जी ने अपने व्याख्यान में श्योनान में २१ अक्टूबर को कहा था, "उनके साथ भारतीय व मित्र का सा व्यवहार नहीं किया जायेगा। उनके लिए भारत में कोई स्थान नहीं है।

जहाँ तक इन दस्तावेजों का सम्बन्ध है, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह प्रतिज्ञा भी संयुक्त राष्ट्र अमरीका की स्वाधीनता की घोषणा के समान दिलचस्प है।

इसके आगे भी भूलाभाई देसाई ने अनेक उद्धरण उपस्थित करके यह सिद्ध किया कि आजाद-हिन्द-सरकार को अन्तर-राष्ट्रीय कानून पर युद्ध छेड़ने का अधिकार था। आपने यह भी कहा कि यदि इन उदाहरणों पर उचित ध्यान न दिया गया तो न्याय की हत्या होगी।

अब मैं युद्ध-बन्दी के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा। युद्धबन्दियों से यह आशा की जाती है कि वह शत्रु के हाथ की कठपुतली न बने, पर उसे अपने देश की आजादी के लिये न लड़ने की आशा नहीं की जा सकती। आजाद-हिन्द-फौज का निर्माण केवल भारत की स्वतन्त्रता के लिये हुआ था और यह उपलब्ध प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि वह जापानियों की कठपुतली न थी। वह जापानियों से भी लड़ने को तैयार थी। इसलिए आ० हि० फौज के सैनिकों ने युद्धबन्दियों के कर्तव्य का भंग नहीं किया।

भारतीय युद्ध बन्दी आजाद-हिन्द-फौज में इसलिये सम्मिलित हुए क्योंकि उन्हें शत्रु के हवाले कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों और भारतीयों में भेदभाव की नीति बर्ती जाती थी, क्योंकि जापानियों द्वारा की गई चीन और मलाया निवा-

स्त्रियों की दुर्दशा से भारत को बचाना चाहते थे। वे शत्रु के हितार्थ खून बहाने के लिए उसमें नहीं जा मिले।

इस सम्बन्ध में मैं नाग की गवाही पढ़ना चाहूँगा। मैंने उससे प्रश्न पूछा था, "क्या आपको याद है कि सिंगापुर की एक सभा में कप्तान मोहनसिंह ने युद्धबन्दियों से कहा था कि आवश्यकता पड़ी तो वे ब्रिटिशों के समान जापानियों से भी लड़ेंगे ?" उसने उत्तर दिया, "यदि मेरे रास्ते में जापानी या और कोई भी आयेगा तो वह उससे भी लड़ेगा।"

इस्तगासे के नवें गवाह हवलदार सुच्चासिंह ने कहा था, "सिंगापुर में आजाद-हिन्द-फौज पहले ही बन चुकी थी और बहुत से लोग उसमें शामिल हो चुके थे। आजाद-हिन्द-फौज भारत की आजादी के लिये लड़ेगी और किसी उद्देश्य के लिये नहीं है। यदि हम भारत की ओर बढ़ेंगे और जापानी हमारे साथ चलें, इस समय शस्त्रास्त्रों से लैस होंगे, यदि उस समय जापानियों ने हम पर हथियार उठाये तो हम उनसे भी लड़ेंगे। हमारे लिये यह सुनहरा मौका है, हमें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा"।

इस्तगासे के १८ वें गवाह सिपाही दिलासा खान ने कहा, "इसके बाद मुझे बोस ब्रिगेड में भेज दिया गया। वहाँ कप्तान शाहनवाज खाँ ने एक भाषण दिया था, जिसे मैंने सुना था। उसने कहा था कि बोस ब्रिगेड को सब से पहले युद्ध भूमि में जाना है। इस ब्रिगेड में अफसर तथा सिपाही सब हैं।" उसने आगे कहा, "उसने यह भी कहा था कि जब हम अपने शत्रुओं से जापानियों के सहयोग से लड़ेंगे तो हमें इस युद्ध में गौण नहीं रहना चाहिए और अपने देश का अपमान न होने देंगे। जब हम भारत पहुँचेंगे तो हम अपने भारत के स्त्री तथा पुरुषों से

मिलेंगी, जो हम से बड़े हैं उन्हें हमें मां के समान मानना होगा और जो हम से छोटे हैं उन्हें हमें अपनी बहन तथा बेटी समझना पड़ेगा। यदि कोई इन आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसे गोली से उड़ा दिया जावेगा। भारत के आज़ाद होने पर जो जापानी हमें सहायता दे रहे हैं हमारा अपमान करेंगे, हम उनसे भी लड़ेंगे। उसने यह भी कहा था कि अन्य जापानी तुम्हें एक चाँटा मारे तो तुम उसे उस के जवाब में तीन चाँटे मारो, क्यों कि हमारी सरकार जापानी सरकार के समानान्तर सरकार है। हम उनसे किसी प्रकार भी कम नहीं हैं। हमारे भारत पहुँचनेपर यदि हम देखेंगे कि उसने हमारी किसी महिला का अपमान किया है तो प्रथम बार उसे चेतावनी दे दी जावेगी पर फिर भी वह न माना तो हम स्वतन्त्र होंगे कि उसे गोली से उड़ा दें, क्यों कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वह भारत की आज़ादी की प्राप्ति के लिये लड़ी जा रही है न कि जापानियों के लाभ के लिये। यह भाषण ट्रेनिंग में दिया गया था।"

इस्तगासे के १६ वें गवाह हवलदार नैत्रबहादुर ने कहा था, "मैं आज़ाद-हिन्द की अस्थाई सरकार की घोषणा से परिचित था। आज़ाद-हिन्द में भर्ती होने से पहले मैं युद्ध बन्दी शिविर में था।" उसने आगे कहा, "मैं जानता था कि आज़ाद-हिन्द-फौज का मुख्य उद्देश्य भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसी भी फौज से लड़ना था, पर मेरा इरादा लड़ने का न था इसलिए चुप रहा। "किसी भी फौज से लड़ने" का मतलब जापानियों से था।"

इस्तगासे के २४ वें गवाह सिपाही अब्दुल्ला ने कहा, "अगस्त १६४३ में मैं नीसून कैम्प में था। कप्तान शाहनवाज वहाँ भाषण

देने आया था। उसने कहा था कि भारत की आजादी के लिये आजाद-हिन्द-फौज बन चुकी है जो कि केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ही नहीं लड़ेगी अपितु उनसे भी लड़ेगी जो भारत की आजादी में रोड़ा बनेंगे या कोई भी पार्टी जो हमारे काम में रुकावट डालेगी।”

गवाहों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि आजाद-हिन्द-फौज ने अपने उद्देश्यानुसार काम किया था। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जापान के साथ समझौता किया और उन्होंने ईमानदारी तथा श्रद्धा से विश्वास किया था।

इस्तगासे के बारहवें गवाह ने कहा था “मेरे आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने के अनेक कारण थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिये यह प्रश्न बड़ा ही कठिन था कि आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होऊँ या नहीं, क्यों कि मुझे बहुत सी बातों पर विचार करना था। मैं उस समय तक राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता था, क्यों कि मेरी शिक्षा ही ऐसी थी। मैं भारतीय फौज में १९२८ में भर्ती हुआ था, मैंने अनुभव किया कि भारतीय फौज में राजनीति इतनी बढ़ी नहीं था इसी लिए मैं भर्ती होने से रुका, पर जिस समय आजाद-हिन्द-फौज का प्रश्न उठा तो हमें निर्णय करना था कि हमें इसमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं, मुझे गम्भीरता से विचारना था, पर यह प्रश्न इतना बड़ा था कि मैं किसी प्रकार का निर्णय न कर सका।”

मेरे इसके पढ़ने का कारण यह है कि यह गवाह सच्चा था और यह भी सच है कि उनके दिमाग में इस प्रकार के प्रश्न थे जो यह बताते हैं कि पुरुषों ने भर्ती होते समय काफी सोचा था। अतः मैं इसी गवाह के बयान की ओर पंक्तियां पढ़ूँगा। उसमें

कहा था, "मुझे याद है कि प्रारम्भ जुलाई १९४२, मैं हम से फिर पूछा गया कि हम आजाद-हिन्द-फौज में स्वेच्छा से भर्ती होना चाहते हैं या नहीं। मैं सिंगापुर के माउन्ट प्लेजर में था, जहाँ पर कप्तान मोहनसिंह का प्रधान कार्यालय था। मैं कप्तान सहगल को पिछले १२ या १३ वर्ष से जानता हूँ, हम कालेज में एक साथ थे। मैंने सोचा कि मुझे कुछ अफसरों के साथ उनसे आजाद-हिन्द-फौज का स्वयंसेवक बनने के विषय में वह तथा दो तीन अफसर मेरे बंगले पर आये और आजाद हिन्द-फौज में भर्ती होने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया। हमने इस पर हर प्रकार से विचार किया। हमने सर्वसम्मति से अपने देश व्यक्ति की इच्छा से स्थिति के मुताबिक भर्ती होने का निश्चय किया।"

उसने बताया था, "मैंने यह भी अनुभव किया था कि जहाँ तक भारतीय फौज के जीवन का सम्बन्ध है, ब्रिटिश अफसर तथा भारतीय कमीशंड अफसर में अन्तर था। कमीशंड अफसरों के साथ अंग्रेज सिपाहियों का सा भी व्यवहार नहीं था। हमने यह भी सोचा था कि यदि सिंगापुर और मलाया में उपस्थित ऊँचे अफसर आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती न हुए तो यह बात सम्भव थी कि जापानी भारतीय युद्ध बन्दियों को तंग करेंगे क्यों भारतीय युद्ध बन्दी संख्या में थोड़े रह जायेंगे। कुछ लोग भर्ती होंगे और नहीं और जापानी इस का लाभ उठायेंगे और अपने लिये सेवायें कराने के लिये तंग करेंगे। हमने अनुभव किया कि यह भारतीयों का अपमान होगा। हम एक मत हो गये कि यदि उच्च अफसर आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हो जाते हैं तथा एक शक्ति शाली फौज तैयार करते हैं तथा आजाद-हिन्द-फौज की व्यवस्था नियमित फौज के रूप में करते हैं, और फौज के प्रश्न पर जापानियों से भी लड़ते हैं, तो हमारी स्थिति जापानियों से भी

अधिक शक्तिशाली हो जायेगी। हमने यह भी अनुमान किया था कि यदि हम अपनी फौज बनाने में कामयाब हो गये तो हम मलाया के भारतीयों पर जापानियों को अत्याचार करने से भी रोक सकते हैं। हम देख चुके थे कि जापानियों ने चीनियों, एंगलोइंडियन तथा मलाया निवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया था। वे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। हमने यह भी सोचा कि यदि हम आज़ाद-हिन्द-फौज में भर्ती न होंगे तो सिंगापुर तथा मलाया के भारतीयों को दुखी किया जायेगा। इस लिए हमने इन सब बातों पर विचार विमर्श किया था। पर उस समय एक प्रश्न उठा कि यदि हम आज़ाद-हिन्द-फौज में भर्ती हो जाते हैं तो भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इससे यह पता चलता है कि उन्होंने किसी प्रकार से भी शीघ्रता तथा बेईमानी से कोई काम नहीं किया था। उन्होंने प्रत्येक स्थिति पर तथा भावी अवस्थाओं पर पूर्णतया विचार विमर्श कर लिया था। यदि ऐसी ही अवस्थाओं में अपना कार्य प्रारम्भ किया था तो मैं अदालत से कहूँगा कि वे अपने कदम पर पूरा विश्वास रखते थे। पर जब कि युद्धबन्दी पहले ही मुक्त कर दिये गए थे, अपनी स्थिति देखता है और तब अपने देश के लिए लड़ता है, यहाँ तक कि जापानियों से भी लड़ने के लिये तैयार था यदि वे उनके प्रति अविश्वास कर बैठें, ऐसी अवस्था में मैं समझता हूँ कि आज़ाद-हिन्द-फौज किसी प्रकार भी अपराधी नहीं है और नहीं वे लोग अपराधी हैं, जो लोग इसमें भर्ती हुए। अतः मैं जोरदार शब्दों में कहूँगा कि युद्ध-बन्दी होने के नाते से इन पर किसी प्रकार का भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जहाँ तक मैं देखता हूँ, ताजीरात हिन्द में ऐसा कोई अपराध अंकित नहीं है। वह अपराध भारतीय फौजी

कानून में हो सकता है, पर ऐसा कोई भी अपराध आपके सम्मुख नहीं है।

महानुभावो, इससे सम्बन्धित एक बहुत ही आवश्यक प्रमाण यह है कि प्रथम आजाद-हिन्द-फौज का विघटन किस प्रकार हुआ। इस सम्बन्ध में अदालत के सम्मुख प्रमाण उपस्थित हैं जिन कारणों से यह फौज विघटित हुई। रासबिहारी बोस बहुत वर्षों से जापान में थे। इसी लिए वह जापान में विश्वास करता था। दूसरी ओर मोहनसिंह बहुत ही सचेत था। मोहनसिंह चाहता था कि एक ऐसी फौज का निर्माण किया जाय जो हिन्दुस्तान की आजादी प्राप्त कर सके। साथ ही वह यह भी चाहता था कि वह जापानियों के हाथ की कठपुतली बनकर न रहे। चूंकि उसे शक था इसलिए बैंकाक की कान्फ्रेंस में भारत के लिये लड़ने के लिये जापानियों के उद्देश्य को भी साफ कर दिया था और यही कारण था कि मोहनसिंह पर से जापानियों का विश्वास उठ गया था। प्रथम आजाद-हिन्द-फौज में इसके सदस्य और जापानियों के हमदर्द भारतीयों में इस प्रकार का संघर्ष चल रहा था। जब जापानियों ने यह समझा कि आजाद-हिन्द-फौज और फौज में भर्ती होने के इच्छुक किसी प्रकार इनके ही थे। वे किसी की कठपुतली बनकर नहीं रह सकते। इसलिए प्रथम आजाद-हिन्द-फौज तोड़ दी गई, पर जिस समय दूसरी आजाद-हिन्द-फौज की कमान को श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपने हाथ में लिया तो सबने मिल-कर इसमें पूरा २ सहयोग दिया। अदालत के सामने मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शुरू से आखीर तक आजाद-हिन्द-फौज तथा आजाद-हिन्द की अस्थायी सरकार जापान की कठपुतली बन कर न रहे। अपितु वह एक शक्तिशाली संस्था थी। जिसका उद्देश्य अपने आपको स्वतन्त्र करना था, इसमें कोई शक नहीं कि वह

जापानियों के साथ मित्रराष्ट्र के समान एक प्रकार की मर्यादा प्राप्त कर रहे थे ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हरेक व्यक्ति सोचने और समझने के बाद आज़ाद-हिन्द-फौज में भर्ती हुआ था। मैं अधिकारपूर्वक कह सकता हूँ। प्रायः संसार में यह देखा जाता है कि सोचने और समझने के बाद एक व्यक्ति जिस कार्य को करता है तो दूसरे व्यक्ति उसे अच्छा समझते हुए तथा उस पर विश्वास करते हुये उसमें शामिल हो जाते हैं। अदालत के सामने इस्तगासे तथा सफाई पक्ष के गवाहों ने प्रमाणित कर दिया है कि सब लोग आ० हि० फौज में स्वेच्छा से भर्ती हुए थे, अपने उद्देश तथा कारणों के लिये लड़े थे, इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता कि युद्ध-बन्दी के कर्त्तव्य को नहीं निभाया। आपको अच्छी तरह याद होना चाहिये कि अदालत के सामने इस प्रकार का कोई अपराध नहीं है। आपके सामने केवल दो अभियोग हैं जिनको मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं। ऐसे प्राईवेट राजनैतिक विचारों पर जोर देने का मेरा तात्पर्य यह है कि इससे मनुष्य की सच्चाई, न्यायप्रियता तथा श्रद्धा का परिचय मिलता है जो कि कभी २ कानूनी बातों से अधिक लाभ-दायक सिद्ध हुए हैं। ले० कर्नल लोगनाथन सफाई पक्ष के सातवें गवाह ने इस प्रश्न को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है। मैं विनयपूर्वक "हमारा-संघर्ष" नामक विज्ञप्ति का हवाला देना चाहता हूँ जो कि आपके सामने उपस्थित है। इससे पूर्व मैं उस दस्तावेज को पढूँगा जो कि सिद्ध किया जा चुका है कि वह विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी, मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे योग्य मित्र इस पर पूरा विश्वास करेंगे जो कुछ कि इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि रासबिहारी ने जो कुछ किया वह क्यों किया, क्या अदालत

के लिये यह समझना भूल है कि चूंकि रासबिहारी बोस ने मोहनसिंह के विरुद्ध कुछ कहा है इसलिये यह सत्य है। मैं अदालत को स्मरण करादूँ कि कप्तान मोहनसिंह तथा रासबिहारी बोस में परस्पर मत भेद था, यह भी प्रमाणित हो चुका है।

सफाई पक्ष के सातवें गवाह ल० क० लोगनाथन ने अपनी गवाही में कहा था "मैं कप्तान मोहनसिंह को जानता हूँ जिस समय मैं आजा-हिन्द-फौज में भरती था यह G. O. C. था। कप्तान मोहन सिंह तथा रासबिहारी बोस के सम्बन्ध अच्छे न थे। मेरे अपने अनुभव के आधार पर जानता हूँ कि रास बिहारी बोस के जापान में बहुत दिन रहने के कारण इस पर जापानियों का प्रभाव था और मोहनसिंह को संशय था कि जापानी रास-बिहारी बोस की अपेक्षा अधिक शक्ति से काम लेगें।"

अब मैं सफाई पक्ष के बारहवें गवाह कप्तान अरशद की गवाही के कुछ अंश उपस्थित करना चहता हूँ। प्रथम आजाद-हिन्द फौज के प्रधान कार्यालय की शाखा "जी" का जनरल स्टाफ अफसर था—प्रथम आजाद-हिन्द-फौज दिसम्बर १९४२ में विघटित करदी गई थी। बैंकाक रेज्यूलेशन बैंकाक की कान्फ्रेन्स जो जून में हुई थी में बनाये गये थे—उनमें बहुत से प्रस्ताव थे जो स्वीकृत किये जाने के पश्चात् जापान सरकार के पास प्रमाणित करने के लिये भेजे गये थे और हमारा विचार था कि उनको प्रमाणित कर शीघ्र ही वापिस कर देगी—पर देरी होते देखकर कप्तान मोहन-सिंह ने जो उस समय आजाद-हिन्द-फौज का जी० ओ० सी० था अनुभव किया कि जापानी बैंकाक के इन प्रस्तावों को प्रमाणित करने में देरी कर रहे हों तो उसने जापानियों की स्त्री-पुरुषों से सम्बन्धित संस्था जिसका सम्पर्क हमारे साथ था इवाकुरु से कहा गया कि वे इन प्रस्तावों की पुष्टि करें। उन्होंने भी कोई स्पष्ट

उत्तर नहीं दिया—वे भी इस कार्य में अधिक से अधिक देरी करने लगे। मैं वहाँ मौजूद था, क० मोहन सिंह ने अपने प्रधान कार्यालय को इस सम्बन्ध में सब कुछ बता दिया। कप्तान मोहनसिंह ने जापानियों के विरुद्ध अपना संशय भी प्रकट किया और उसने यही बताया कि यदि जापानियों का यही रवैया रहा तो वह आ० हि० फौ० को तोड़ देगा और हम भी उससे सहमत होगये कि जब तक आ० हि० फौ० और जापानियों के बीच बातें स्पष्ट नहीं हो जाती तो हमें आ० हि० फौ० को समाप्त कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कप्तान मोहन सिंह और जापानियों के बीच मतभेद होगया एक और ही कारण था जापान ने तमाम युद्ध बन्दियों को फरार-पार्क की मिटिंग में मोहन सिंह के हवाले कर दिया था—इस समय तक आ० हि० फौ० के सदस्य तथा युद्ध बन्दी जो आ० हि० फौ० में भरती न हुए थे मोहन सिंह के आधीन थे। दिसम्बर में जो लोग आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती नहीं हुए थे उनको जापानी मोहन सिंह से वापिस लेना चाहते थे—मोहन सिंह ने अनुभव किया कि जापानी अपने वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिये युद्ध बन्दियों का साथ देने से इन्कार कर दिया। इन्हीं मुख्य कारणों तथा अन्य छोटे २ कारणों कारण हम आ० हि० फौ० को तोड़ देने को विवश हुए।"

महानुभाव, बैंकाक प्रस्ताव नं० १३ इस प्रकार है:—

"(१३) स्वीकृत हुआ कि आ० हि० फौ० केवल इस लिये बनाई जाये:—

(क) भारत में ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी शक्ति को रोकने के लिये।

(ख) भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने तथा सुरक्षित करने के लिये, तथा

(ग) अन्य उद्देशों के लिये जो उद्देश प्राप्ति में सहयोग दे सकें-जैसे भारत की स्वतन्त्रता।"

इस्तगासे के प्रथम गवाह लेफ्ट० नाग ने भी अपने बयान में इस की पुष्टि की है:

"कप्तान मोहन सिंह लिखित आदेश छोड़ गया था कि यदि वह गिरफ्तार कर लिया जावे तो आ० हि० फौ० को विघटित कर दिया जावे। मेरी गिरफ्तारी पर आ० हि० फौ० तोड़ दी जायेगी तथा तमाम आ० हि० फौ० के बैज नष्ट कर दिये जायेंगे।" प्रारम्भ से ही एक सर्व साधारण विचार था कि आ० हि० फौ० जापानियों के आधीन नहीं रहेगी और न ही हम इसे इसके आधीन होने देंगे। उन दिनों इसके तोड़ देने का कोई भी प्रश्न न था। इस का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिये भारत को आजाद करना था।"

"द्वितीय आ० हि० फौ० के बनने पर, भी वही भावनाएँ थीं जब तक कि सुभाषचन्द्र बोस जुलाई' ४३ में वहाँ न पहुँचे। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति ने यही सोचा कि सुभास बाबू उन सब को ठीक रास्ते पर ले चलेंगे और जापानियों के आधीन भी नहीं रहेंगे। उसके बाद दोनों फौजें-जापानी तथा आ० हि० फौज-मित्र राष्ट्रों के समान लड़े थे।

ये हैं प्रमाण जो कि अदालत के सामने हैं। दूसरी आ० हि० फौज बनने पर यह विश्वास हो गया था कि वे जापानियों के आधीन न रहेंगे। फिर वास्तव में वे मित्र राष्ट्रों के सामने लड़े भी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आ० हि० फौ० तथा जापान सरकार आपस में मित्रराष्ट्र थे। आ० हि० फौ० का एक ही उद्देश्य था भारत की आजादी प्राप्त करना और जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है वे आ० हि० फौ० के सदस्य थे।

इससे आगे मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आ० हि० फौ० पूर्णतया भारतीय अफसरों के आधीन थी। यह ठीक है कि युद्ध के समय वे जापानियों के आधीन थे क्योंकि वे लोग युद्ध कला में प्रवीण थे, पर यहाँ भी उनके सहयोग प्राप्त करने की भावना ही थी, इसलिये मेरे योग्य मित्र द्वारा उपस्थित प्रश्न अनुचित है। पर आजाद-हिन्द-फौज अपने इन्तजाम में स्वतन्त्र थी और केवल भारतीय अफसर ही उसमें थे।

ले० नाग के शब्दों में:—

"तमाम आजाद-हिन्द-फौज भारतीय अफसरों द्वारा सुगठित की गई थी न कि जापानियों द्वारा। शुरू से आखीर तक इसमें भारतीय अफसर ही थे न कि जापानी अफसर।"

आजाद-हिन्द-फौज के झण्डे कांग्रेस के झण्डे थे अर्थात् केसरिया, सफेद तथा हरा। उनके बैज जापानियों के बैजों से भिन्न थे।"

इस्तगासे के १६ वें गवाह ने यह कहा था:—"जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैंने भारतीय अफसरों से शिक्षा प्राप्त की थी न कि जापानियों से। जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे क्षेत्र में या आ० हि० फौज में कोई जापानी नहीं था। मैं लेफ्टि० अब्दुर रहमान का सहकारी था जो कि फाल्म पर राशन का इन्चार्ज था। राशन ४८ मील से लाया जाता था। राशन में चांवल, नमक, तेल, तथा चीनी होते थे। चीनी बहुत कम होती थी। राशन में चांवल, नमक तथा तेल की मात्रा कम होती थी। इस ओर आ० हि० फौज बड़ी कठिनाइयों में लड़ रही थी। जब तक मैं आजाद-हिन्द-फौज में रहा मैंने अपना काम ईमानदारी से निभाया।"

इससे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आजाद-हिन्द-फौज पूर्णतया स्वतन्त्र थी। आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती स्वेच्छा से हुई

थी। यह बात भी प्रमाणों तथा श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा अभियुक्तों के भाषणों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति को आ० हि० फौ० में भर्ती होने के लिये पूरा पूरा मौका दिया था कि वह अच्छी तरह सोच समझ कर आ० हि० फौ० में भर्ती होवें। साथ ही यह बताना आवश्यक है कि बहुत से थोड़े लोगों को ही सामान की कमी के कारण फौजी शिक्षा दी जा सकती थी, उनको स्वंय-सेवक ही रखा जाता था।

यह बात सत्य है कि आ० हि० फौ० में भर्ती होने वालों को मौत का खतरा था।

ले० नाग ने कहा था, "मैंने सुभाषचन्द्र बोस को २१ अक्टूबर के बाद होने वाली सभा में भाषण देते हुए यह कहते सुना था कि जो आ० हि० फौ० को छोड़ना चाहते हैं, खुशी से छोड़ सकते हैं।"

इस्तगासे के पाँचवें गवाह ने कहा था, "क्वालालमपुर के डिकसन बन्दरगाह में मेरे पहुँचने के पूर्व जापानियों के कारण बहुत ही खराब अवस्था थी। इस समय मैं जापानियों के आधीन था। जनवरी। फरवरी १९४२ में मैंने शाहनवाज को पहली बार देखा था जब कि वह स्वयंसेवक इकट्ठे करने आया था। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि शाहनवाज ने आ० हि० फौ० में भर्ती होने के लिये लोगों को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वह मजबूत आदमी चाहता था जो भारत की आजादी के लिये अपने प्राणों को भी दे सके। इस भाषण के बाद मैंने शाहनवाज को कभी नहीं देखा।

इस्तगासे के २४ वें गवाह ने कहा था, "मैं पोपा २५ व २६ फरवरी को पहुँचा था। कर्नल सहगल ने पोपा पर कहा था कि जो लोग आ० हि० फौज में नहीं रहना चाहते तथा दुश्मनों की

ओर जाना चाहते हैं, वे आज ही स्पष्ट बतादें, हम उनको उधर भेजने का प्रबन्ध कर देंगे पर उन्हें किसी प्रकार का हथयार या कागज ले जाने का अधिकार नहीं होगा।"

सफाई पक्ष के छठे गवाह:—"रंगरूटों की भर्ती स्वेच्छा से होती थी। हमारे पास इतने अधिक स्वयं सेवक थे कि हम उन को शिक्षित न कर सके थे।"

सफाई पक्ष ७ वें गवाह, "आजाद-हिन्द-फौज स्वतन्त्र थी। रंगरूटों की भर्ती में किसी प्रकार की सख्ती न की गई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमने अस्थायी सरकार के सदस्य होने की हैसियत से—ब्रिटेन तथा अमरीका के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था।"

लेफ्टि० ढिल्लन के सम्बन्ध में भी एक बयान है जिसकी ओर भी मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इन अभियुक्तों ने अपने भाषणों में स्पष्ट कर दिया था कि आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है।

यह कहना कि आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती करने के लिये सख्ती की जाती थी, गलत है। हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि आजाद-हिन्द-फौज में इतने अधिक आदमी भर्ती होते थे कि उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकती थी। ऐसी दशा में जबर्दस्ती की गुंजाइश ही कहाँ है? जिन गवाहों ने जबर्दस्ती की जाने की गवाही दी है, वे महत्व पूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। वे वस्तुतः अनुशासन भंग के अपराधी थे और इसलिए उन्हें दंड दिया गया था। अब वे अर्धसत्य बातें कह कर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। सभी अनुभवी वकील जानते हैं कि फौजदारी अदालतों में यह बात सामान्य है।

इस्तगासा यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि अभियुक्तों के

साथ जबर्दस्ती की जाती थी तथा आ० हि० फौ० में भर्ती होने की धमकी दी जाती थी।

इस स्थल पर श्री देसाई ने अदालत के सन्मुख एक आवेदन पत्र उपस्थित किया जिसमें प्रार्थना की गई थी कि बयान में से जबर्दस्ती किये जाने वाले अंशों पर विचार न किया जाये। जजएडवोकेट ने स्वीकार कर लिया है कि अभियुक्तों द्वारा कोई यातना नहीं दी गई थी। इस्तगासा यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तों ने कोई छिपी हुई धमकी दी थी। इस प्रकार जबर्दस्ती वाले प्रमाणों का आधार ही मिट जाता है। अतः इन बातों पर विचार नहीं होना चाहिए।

जज-एडवोकेट—क्या आप इस प्रश्न पर अभी निर्णय चाहते हैं?

सफाई पक्ष—इस प्रश्न पर।

जजएडवोकेट—अदालत का ऐसा ढंग नहीं होता है। हम अपना निर्णय टुकड़े-टुकड़े कर के नहीं देना चाहते। इस आवेदन पत्र पर अदालत तब तक निर्णय नहीं कर सकती जब तक वह एडवोकेट जनरल का भी बयान न सुनले। अंतिम निर्णय के समय अदालत आप के आवेदन-पत्र पर विचार करेगी।

श्री देसाई—ऐसी दशा में मुझे इस प्रश्न पर अधिक दलील देनी पड़ेगी। इन गवाहों में एक मामूली सिपाही था जो ठहर नहीं पाया था। अतः मैं चाहता हूँ कि अदालत इन प्रमाणोंपर ध्यान न दे।

मैं इसे गवाहों के बयानों से सिद्ध करता हूँ—लेफ्टि० के० पी० धारगलकर, "मुझे याद नहीं कि ले० ढिल्लन वहाँ था। मुझे याद है कि कप्तान शाहनवाज खां तथा कप्तान सहगल वहाँ थे। मैं

दोनों अफसरों को अभियुक्त के रूप में अदालत में पहचानता हूँ। दोनों अभियुक्त ने मुझसे कभी कोई बात न की, पर आजाद-हिन्द-फौज की भर्ती पर वादविवाद हुआ था। मैं इन वाद विवादों के समय मौजूद था। मेरे लिये यह बड़ा मुश्किल है कि कप्तान सहगल तथा शाहनवाज के वास्तविक शब्द क्या थे, पर उसका सारांश यह था, "इस अवस्थाओं में समय बर्बाद करने की अपेक्षा तुम लोग आ० हि० फौज में भर्ती क्यों नहीं हो जाते ?"

मेरे कहने का तात्पर्य यही था। अब मुझे "अवस्था" पर विचार करना है। "अवस्था" से मतलब है, "युद्ध बन्दी की अवस्था"। इससे अभियुक्त के विरुद्ध कोई बात सिद्ध नहीं होती।

जिरह में गवाह ने कहा, "मैंने तीनों अभियुक्तों को कई बार देखा था। मैंने इन्हें २० से ५० बार देखा है। मैंने सहगल से केवल दो बार बात की है। मुझे याद नहीं है कि मैंने शाह-नवाज तथा ले० ढिल्लन से कोई बात की थी। मैंने सहगल से कर्नल भौंसले के बारे में बात की थी। मुझे और कोई अवसर याद नहीं है। वादविवाद के समय मैं १५ बार उपस्थित हुआ था। शाहनवाज तथा सहगल दो बार उपस्थित हुए थे। ये बिरादरी के कैम्प में हुआ था। सारा बिरादरी आजाद-हिन्द-फौज का कैम्प था। हम वहाँ मोहनसिंह द्वारा ले जाये गये थे। मैंने वाद-विवाद में कोई भाग नहीं लिया और न ही कप्तान शाहनवाज तथा कप्तान सहगल ने हमें कोई भाषण दिया। वादविवाद के समय यही हुआ।

हमने आगे कहा—

"कप्तान शानवाज वहाँ आया था, पर मैं नहीं कह सकता कि

वह शेरदिलखान से मिलने आया था। मुझे वादविवाद में भाग लेने के लिये नहीं कहा गया था। चूंकि मैं कमरे में रहता था इसलिये कुछ बातें सुनी थीं। मुझे उसके वास्तविक शब्द याद नहीं हैं पर मुझे उनका सारांश याद है। इसमें आ० हि० फौज के अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें थीं। मुझे भाषण दिया गया था पर इन उपस्थित अफसरों द्वारा नहीं। कप्तान शाहनवाज दूसरे १६ आदमियों से बातें कर रहा था। इसकी बात का सरांश यह था—तुम लोग आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती क्यों नहीं हो जाते ?" मुझे याद नहीं कि इसने और क्या कहा।"

महानुभाव, आप इसके सारांश में कितना अन्तर देखते हैं।

"मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि उसने क्या कहा था। मैं कह नहीं सकता कि कप्तान शाहनवाज क्या कह रहा था। कप्तान सहगल के सम्बन्ध में भी यही उत्तर है।"

यह है कप्तान धारगलकर का बयान जो कि पूर्णतया असन्तोष जनक है। अत: इस प्रमाण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

इसके बाद श्री देसाई ने अनेक गवाहों के बयानों के उद्धरण देकर यह सिद्ध किया कि आजाद-हिन्द-फौज में भरती करते समय किसी प्रकार की सख्ती नहीं की जाती थी।

इसके बाद अदालत लंच के लिये स्थगित हो गई।

लंच के बाद

श्री देसाई ने अदालत से अनुरोध किया कि यदि जिरह करते समय सरकारी वकील ने कानून सम्बन्धी कोई नया नुसखा निकाला जिसकी मैंने चर्चा न की हो तो मुझे उस का उत्तर देने के लिए समय मिलना चाहिए। इससे आगे मैं हत्या के अभियोग

की चर्चा करना चाहता हूँ। मैं उन सब को एक साथ लूँगा। किसी प्रकार भेद डालने की आवश्यकता नहीं पर फिर भी मैं उन्हें दो भागों में बाँट देता हूँ--एक--चार मनुष्यों को एक स्थान पर गोली से उड़ाने, दूसरे मोहम्मद हुसैन का दूसरी बार गोली से उड़ाने का। पहले मैं अदालत के सामने इस पर विस्तृत टिप्पणी करूँगा फिर प्रमाणों पर प्रकाश डालूँगा।

चार आदमियों के विरुद्ध सजा सुनाने की रिपोर्ट है, और सजा तक के प्रमाण अदालत के पास हैं। मोहम्मद हुसैन के विरुद्ध किसी प्रकार की सजा की रिपोर्ट नहीं है। इसके विरुद्ध सजा सुनाने तथा सजा देने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। मोहम्मद हुसैन के सम्बन्ध में गवाह ने यही बताया था कि किसी प्रकार का रक्त पात नहीं हुआ था और न ही गवाह ने सजा का कारण प्रस्तुत किया था।

लेफ्टि० ढिल्लन के सामने चार आदमियों को गोली से उड़ा देने का अभियोग लगाया गया है, पर ढिल्लन की डायरी के पन्नों से प्रतीत होता है कि उस दिन वह बहुत कमजोर थे, फिर इस बात पर विश्वास नहीं किया जाता कि वे वहाँ उपस्थित रहे होंगे। यह दस्तावेज भी आपके सामने है। उस पर तारीख ६ मार्च १६४५ दी हुई है जो कि इस प्रकार—

"जयहिन्द—मेरा विचार है कि तुम्हारे बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। बाकी प्रश्नों का उत्तर कल दूँगा। मैं आज आता पर पिछली रात में कुछ स्थानों का निरीक्षण करने गया था, वापिस आने पर मुझे बहुत निर्बलता अनुभव हो रही है, मैं इतनी निर्बलता अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी भी अनुभव न की थी। मेजर शंकर ने आज मुझे एक

इंजेक्शन दिया है। मुझे इस प्रकार १२ इंजेक्शन लगेंगे, पर प्राप्त नहीं हैं। ऐसा एक कल लगेगा।"

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ तक चार व्यक्तियों की सजा से सम्बन्ध है, आज्ञा दी गई थी पर कार्य रूप में परिणित नहीं की गई थी और साथ ही सजा के देने की बात सिद्ध भी नहीं हुई है।

चूँकि आज्ञा देदी गई थी अतः यह नियम नहीं मानलेना चाहिए कि आज्ञा कार्य रूप में परिणित की गई थी। मैं अदालत से कम से कम इतना चाहता हूँ कि वह यह कह दे कि वस्तुतः फांसी दिये जाने पर संदेह करने को काफी गुंजाइश है। ऐसा स्वीकार कर लिये जाने पर मैं अदालत से अनुरोध करूँगा कि सन्देह से मेरे मुवक्किलों को लाभ उठाने दिया जाये।

मोहम्मद हुसैन के सम्बन्ध में चार गवाहियां हैं। हवलदार गुलाम मोहम्मद ने कहा था, "मैं हवलदार गंगाशरण को जानता हूँ। पहले दस्ते के कमाण्डर ने रिपोर्ट की थी कि इसने (गंगा-शरण) इसकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। वह आज़ाद-हिन्द-फौज में सब-अफसर था। इस अपराध के फल स्वरूप वह कर्नल सहगल के सन्मुख उपस्थित किया गया, मुकदमा चला और फाँसी की सजा सुना दी। उसके बाद उसे माफ कर दिया गया और छोड़ दिया गया।" जिरह में भी इसने इस सचाई को स्वीकार किया है।

इस्तगासे के २४ वें गवाह अल्लाह दित्ता ने कहानी के प्रारम्भिक भाग पर प्रकाश डाला था। उसने गवाही में कहा:—

"मोहम्मद हुसैन ने कहा, 'मुझे कुछ कठिनाईयां थीं इस लिये मैंने भागने का विचार किया था।' पर उसकी कठिनाईयों के लिये कोई पूछताछ नहीं की गई थी। मोहम्मद हुसैन को शाहनवाज ने बताया, "तुम्हें गोली से उड़ाने की आज्ञा दी जाती है क्यों कि तुमने भागने की कोशिश की थी तथा दूसरों को भी ऐसा करने को कहा था। इसलिये तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता।" मैंने कर्नल शाहनवाज को कहते सुना था, इस मामले को रेजीमैण्टल कमाण्डर के सामने उपस्थित करो। (अदालत का नोट-गवाह ने अंग्रेजी शब्द उच्चारित किया है।) फिर हम तीनों को भेज दिया गया। मैं कर्नल शाहनवाज को अभियुक्त के रूप में अदालत में पहचानता हूँ। हम वहाँ दस मिनट तक ठहरे और फिर वापिस दस्ते के मुख्य कार्यालय लाये गए। मोहम्मद हुसैन जागीरीराम तथा मैं दस्ते के साथ वापिस मुख्य कार्यालय को आगए। मुझे तथा मोहम्मद हुसैन को उन्हीं चौकियों में बन्द कर दिया जिनमें हम पहले थे और खजीन शाह जागीरीराम को ले गया। उसी दिन शाम को सरदार मोहम्मद तथा अयासिंह मोहम्मदहुसैन को ले गये। उसके बाद मोहम्मद हुसैन को मैंने नहीं देखा।

महानुभाव, जिरह में उसने कहा : "मेरे तथा जागीरीराम के मामले में कोई फैसला नहीं हुआ था।"

अदालत को स्मरण होगा कि तीन व्यक्ति थे, और यह भी स्पष्ट है कि उन में से दो को कोई सजा नहीं दी गई थी।

यह सत्य है कि कर्नल शाहनवाज ने यह कहा था, "तुम गोली से उड़ा देने के लायक हो। कर्नल शाहनवाज ने कहा था कि तुम जैसे गद्दारों को गोली से उड़ादेना चाहिए। कर्नल शाहनवाज

ने मोहम्मद हुसैन से कहा था, "तुम अपने आप भाग जाना चाहते थे, तुमने दूसरों को भगाने के लिये बहकाया, इस लिए तुम आ० हि० फौज के गद्दार हो और तुम्हें गोली से मार देना चाहिए।' "मैंने कर्नल शाहनवाज को सजा के कागज पर कुछ लिखते देखा था। मैं मेज पर झुके बिना रिपोर्ट कैसे पढ़ सकता था। मैं अंग्रेजी नहीं जानता।"

यह गवाही अपूर्ण है तथा असत्य है। गवाह अंग्रेजी नहीं जानता और फिर भी कहता है, "वह अपराधी की रिपोर्ट लिख-रहा था," और जिरह करने का उद्देश्य यह था कि इसने गढ़ी हुई कहानी बयान की है जो कि इसने न देखी है और न ही की है। यह ऐसा गवाह है। जिरह का यही उद्देश्य था।

"मैंने कर्नल शाहनवाज खान को अपराधी की रिपोर्ट पर कुछ लिखते हुए देखा था।" यह गवाह नहीं जानता कि Crime क्या है, पर यह कहता है कि वहाँ Crime report थी जिसपर वास्तव में कर्नल शाहनवाज लिख रहा था, क्यों कि यह सिद्ध करना चाहता था कि वह Crime report थी और उस पर सजा लिखी हुई थी।

"मैंने शाहनवाज को अपराधी की रिपोर्ट लिखते हुए देखा। मैं रिपोर्ट को टेबल पर से उठाये बिना कैसे देख सकता था? मैं अंग्रेजी नहीं समझ सकता। मैं नहीं जानता कि इसने कब और क्या लिखा, क्यों कि अंग्रेजी नहीं जानता और मैं उस समय Crime report नहीं पढ़ रहा था।"

पुनः जिरह करने पर

"Crime reports मेज पर रखी थीं और कर्नल शाहनवाज

ने ऐसे पढ़ा जैसे कि हमसे बातें कर रहा है। इसने Crime report पर लिखा जो कि पहले से तैयार की हुई थी।"

यह कहानी का एक भाग है, फिर हम उस गवाह की ओर आते हैं जिसकी ओर से सज़ा दी गई थी। वह है जागीरीराम। आपने इसे गवाहों में देखा है। यह नर्सिंग डिपार्टमेंट में है। इसने अदालत में स्वीकार किया है कि इसने कभी भी अपने जीवन में अपने हाथ में बन्दूक, राईफल या कोई भी अन्य वस्तु नहीं उठाई, पर इस सचाई को परखने के लिए जागीरीराम ने कहा, "मैं मजबूर था, मैं नहीं जानता कैसे गोली चलाई जाती है, मैंने कभी भी गोली चलाने का अभ्यास नहीं किया है पर मेरे कन्धों पर बन्दूक रखी गई थी........................।" महानुभावो, इस कहानी को परख करना आपका काम है।

"मैं मोहम्मद हुसैन तथा अल्लाहदित्ता को जानता था। मोहम्मद हुसैन, मैं तथा एक गढ़वाली, जब हम पोपाहिल में थे तो भागने के सम्बन्ध में परामर्श किया। जिस समय हम भागने के सम्बन्ध में बातें कर रहे थे, खजीनशाह ने एक अर्दली भेजा और हमें आज्ञा दी कि बटालियन के मुख्य कार्यालय को रिपोर्ट दें।

मोहम्मद हुसैन ने कहा कि इसने जागीरीराम तथा अल्लाह दित्ता से भागने की बातें मजाक में की थीं। खजीन शाह ने मुझ से प्रश्न किया कि वे मजाक में बातें कर रहे थे। मेरे पास इसके भागने के इरादे का कोई प्रमाण नहीं है पर इसने मुझे मजाक में ही कहा है। मोहम्मद हुसैन तथा मुझे बटालियन के मुख्य कार्या-लय के पास एक वृक्ष से बांध दिया और खजीन शाह हमसे प्रश्न करता जाता था। खजीनशाह ने मुझ से प्रश्न किया कि

भागने का प्रयत्न कौन कर रहा था और मैंने उत्तर दिया कि मैं किसी का भी नाम नहीं जानता जो कि भाग रहे थे। इसके बाद मोहम्मदहुसैन से प्रश्न पूछा गया। उसने भी यही कहा कि वह कुछ भी नहीं जानता। सूर्य अस्त होने के बाद खजीन शाह, मुझे तथा मोहम्मद हुसैन को ब्रिगेड हेडक्वार्टर ले गया। जिस समय मुझे ब्रिगेड हेडक्वार्टर ले जाया गया, मोहम्मद हुसैन, खजीन शाह तथा एक सन्तरी मेरे साथ थे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर नाले के पास थे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर आने के बाद खजीन शाह टेलीफोन पर चला गया और फिर इसके बाद अल्लाहदित्ता भी नाले पर आ गया। इसके बाद हम तीनों, मोहम्मद हुसैन, अल्लाहदित्ता तथा मुझे एक संरक्षण के अधीन कर दिया तथा हमारे हाथ बांध दिये। दूसरे दिन हमें कर्नल सहगल के सामने पेश किया गया। कर्नल सहगल ने पूछा कि क्या मैंने भागने का प्रयत्न किया था। मैंने उत्तर दिया, "नहीं।" तुमने भागने का इरादा नहीं किया। कर्नल सहगल से बातें करते समय, मेजर नेगी तथा खजीनशाह भी उपस्थित थे। कर्नल सहगल ने पूछा, "क्या तुमने किसी को मोहम्मद हुसैन के भागने के विषय में किसी को कहा था।" मैंने उत्तर दिया कि मैं मोहम्मद हुसैन के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद हम कमरे से बाहर आगए और क्वार्टर गार्ड को वापिस चले गए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर के लेफ्टि० अयासिंह ने हमें पीटा और कहा कि हमें छोड़ दिया जावेगा यदि हम भागने वालों के नाम बता देंगे। मैंने यही कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन हमें डिवीजनल कमाण्डर शाहनवाजखाँ के पास ले जाया गया। हमारे साथ मेजर नेगी, खजीनसिंह तथा एक सन्तरी था। हम तीनों, जागीरी राम, अल्लाह दित्ता और मोहम्मद हुसैन को डिवीजनल कमाण्डर के सामने

पंक्ति में खड़ा कर दिया। डिवीजनल कमाण्डर ने पूछा, "सच सच बताओ, क्या तुमने भागने का प्रयत्न किया?" मैंने कहा, "नहीं, मैंने भागने का इरादा नहीं किया।" कप्तान शाहनवाज ने पूछा, "तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की?" मैंने उत्तर दिया, "मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, और न ही मैंने भागने का इरादा किया।" उसने पूछा कि मेरे पास उस समय कोई अफसर था। मैंने कहा, "नहीं मैं तो अपने मैडिकल अफसर के साथ काम कर रहा था।" इसके बाद शाहनवाज ने अल्लाह दित्ता से पूछा, "तुमसे मोहम्मद हुसैन ने भागने के सम्बन्ध में कब बात की थी। क्या तुमने किसी को रिपोर्ट की?" अल्लाह दित्ता ने कहा, "मैं मोहम्मद हुसैन के भागने के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने समझा, यह केवल मजाक था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।" कप्तान शाहनवाज ने फिर अल्लाहदित्ता से कहा, "तुम एक एन. सी. ओ. हो, तुमने रिपोर्ट क्यों न दी?" अल्लाह दित्ता ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि मोहम्मद हुसैन के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद शाहनवाज ने मोहम्मद हुसैन से प्रश्न पूछा और मोहम्मद हुसैन ने उत्तर दिया, "चूंकि मैं मुसीबत में था और इसलिये भागने का प्रयत्न किया था और अब मुझे माफ कर दिया जाए। इसके बाद शाहनवाज ने कहा "तुम हमारे देश के लिए नहीं हो, तुम हमारे शत्रु हो। मैं तुम्हें गोली से मार कर मौत की सजा देता हूँ।" इसके बाद मोहम्मद हुसैन ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे जहाँ भेजा जायगा मैं चला जाऊँगा। इस पर कप्तान शाहनवाज ने कुछ नहीं कहा।"

इस सारी गाथा का तात्पर्य यह है कि वास्तव में सजा सुनाई गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सजा को कार्य रूप में परिणित किया गया या नहीं। जागीरीराम तथा दूसरे

आदमी के लिये इसने कुछ भी नहीं कहा। केवल यही कहा "इन तीनों को मेजर नेगी तथा खजीनशाह के साथ ब्रिगेड हेडक्वार्टर ले जाया गया।"

इसके बाद कहानी का अगला महत्वपूर्ण भाग आता है:

"मैं खजीन सिंह तथा सब-अफसर बर्फीसिंह के साथ बटालियन की ओर ले जाया गया। जब मैं बटालियन हेड-क्वार्टर पहुँचा तो खजीनशाह ने बर्फीसिंह ने मुझे बटालियन हेड कार्टर ले जाने को कहा। मुहम्मद हुसैन वहाँ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो खजीनशाह तथा अयासिंह भी वहाँ थे।"

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि खजीनशाह तथा अयासिंह दोनों जीवित हैं, इसके सम्बन्ध में यही सच्चे गवाह हैं। दोनों में से किसी को भी अदालत पेश नहीं किया गया है। गाथा आगे इस प्रकार है:—

"खजीनशाह ने मुझे बताया "तुम्हें मोहम्मद हुसैन को गोली से उड़ाकर मारना पड़ेगा क्यों कि भागने वालों में से तुम भी एक हो।" मैंने इन्कार कर दिया और कहा मैं उसे गोली नहीं मारूँगा ....।"

मैंने बहुत सी मनो वैज्ञानिक समस्यायें समझी हैं पर यह ऐसी भ्रममूलक है, जैसे गोली कैसे चलाई जाती है और न ही गोली चलाना जानता है, उससे कहा जाता है कि तुम्हें सजा के तौर पर गोली चलानी पड़ेगी। जिसको मैं नहीं समझता और मुझे विश्वास है कि आपके सामने भी ऐसी समस्या उपस्थित की जावे तो आप भी नहीं समझ सकेंगे।

"खजीनशाह ने मुझ से कहा "तुम्हें मोहम्मद हुसैन को गोली मारनी होगी, क्यों कि तुम भी उनमें से एक हो जो भाग रहे थे।" मैंने इन्कार करते हुए कहा कि मैं उसे गोली नहीं मारूँगा

और न ही मैं गोली चलाना जानता हूँ। खजीनशाह ने मुझे फिर बताया। "अगर तुम मोहम्मद हुसैन को गोली न मारोगे तो तुम्हें भी गोली से मार दिया जावेगा। मैंने फिर भी अस्वीकार कर दिया और उसने फिर अपना पिस्तौल निकाल लिया।"

मैं ऐसी मनो वैज्ञानिक बातें नहीं समझ सकता। यह एक मूर्खता पूर्ण बात है।

मैंने फिर भी इन्कार कर दिया और अयासिंह ने राईफल उठा लिया। उसने राईफल मेरे कंधे पर रख दिया और मेरा अंगुली को कुन्दे के पास ले गया। खजीनशाह ने अयासिंह को गोली चलाने की आज्ञा देने को कहा। वहाँ हम तीन, एक सिंह, एक तामील तथा स्वयं मैं, थे। मुहम्मद हुसैन की आँखें बांध दी गई। उसे जमीन पर बैठने की आज्ञा दी गई कि वह वृक्ष की ओर पीठ करके बैठ जावे तथा उस के हाथ पीछे की ओर बाँध दिये गए। अयासिंह ने मुझे गोली मारने की आज्ञा दी और तीनों को गोली मार दी गई। मोहम्मद हुसैन वहीं मर गया। खजीनशाह ने अयासिंह को गोली चलवाने की आज्ञा दी और अयासिंह ने फिर उसे आज्ञा दी। खजीनशाह ने मुझसे कहा कि मेरी कम्पनी को रिपोर्ट दो और बटालियन हेड क्वार्टर न आना। उस शाम को हमने लौग्यो की ओर प्रयाण किया। तब फिर हम लेगयो में दो या तीन दिन ठहरे। इसके बाद मैं त्रिटिश की ओर चला गया।

जिरह में आगे बताया:

"मेरे बयान दे देने के बाद मुझे पढ़ कर सुनाया गया और मुझसे पूछा गया कि यह तुम्हारा बयान दिया हुआ सही

है या नहीं। मैंने कहा, "हां, यह सही है।" मुझे परसों फिर दिखाया कि बयान ठीक है या नहीं और मैंने कहा, "हाँ।" मुझे हिन्दुस्तानी में अनुवाद करके बताया गया था और पढ़ कर सुनाया था और एक बार फिर मैंने वही बयान बताये और दोनों ठीक ठीक मिल गए थे। मैंने हथियारों की कोई ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की थी। मैं फौज में भर्ती हुआ और मजदूर तथा नौकर की हैसियत से मैंने काम किया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुझे पट्टी बाँधने तथा उनके बिस्तरे ठीक करने की ट्रेनिंग दी गई थी। मेरा लड़ने वाले दस्ते से कोई सम्बन्ध न था। सिवाय इसके कि जब रोगी अस्पताल में भेजे जाते थे मेरा लड़ाई के दस्ते के साथ कोई सम्बन्ध न था...............।"

इन उद्धरणों को देने का मेरा तात्पर्य यह है कि घटना कितनी मुख्य बयान की जाती है और फिर यह यही कहता है। मैं उनको नहीं पहचान सकता। जब कि यह कहा जाता है कि किसी को मैंने मारते हुए देखा और उसे मैं अब नहीं पहचान सकता तो आप उस व्यक्ति की मृत्यु को सिद्ध नहीं कर सकते।

उसने आगे कहा:—

"मोहम्मद हुसैन और गढ़वाली जिनका मैंने वर्णन किया है, लड़ने वाले दस्ते के सदस्य थे। बातचीत के समय वे बीमार न थे। बात चीत से पहले मैं उन्हें नहीं जानता था, पर वे उसी कम्पनी में रहते थे। मेरी उनसे पहले कोई बात चीत नहीं हुई थी, उस समय मैं पोपा कैम्प में था। मैं इस पूर्व बर्मा नहीं गया था। आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने से पूर्व जापानियों द्वारा रातदिन कोयले ढोने का काम करा कर थका दिया जाता था। जिस गढ़वाली का जिक्र किया गया है मैं उसका नाम नहीं जानता।"

प्रश्न यह है कि बाकी षड्यन्त्र कारियों को वह जानता था या नहीं।

"मैं जानता हूँ कि वह गढ़वाली है क्योंकि वह हमारे साथ रहता था और गढ़वाली भाषा बोलता था। मैंने गढ़वाली या मोहम्मद हुसैन से मोहम्मद हुसैन के कम्पनी हैडक्वार्टर में आने से पूर्व कभी बात चीत नहीं की। मैंने गढ़वाली से गुनाह के दिन से पूर्व कभी भी बात चीत नहीं की थी। उस दिन की बात चीत से मैं कह सकता हूँ कि वह गढ़वाली था। मैं अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई भाषा नहीं जानता हूँ।"

"मोहम्मद हुसैन के कम्पनी में आने पर मैं इसे जानने लगगया। वह मेरे साथ हैडक्वार्टर में रहता था। मैं जानता हूँ कि वह मुसलमान था। मैं उसके बारे में और कुछ भी नहीं जानता। वह मुझसे जापानी में बोला करता था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह मेरे साथ रहता था। मैं उसमें शारीरिक बर्णन के अतिरिक्त और कोई परिचय नहीं दे सकता। मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। यह मौके की बात है कि मोहम्मद हुसैन और मैं एक साथ थे और इसी बीच गढ़वाली वहाँ आगया ...।"

"जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैंने कहा, मेरा भागने का इरादा नहीं था क्यों कि मैं मार डाला जाता। मैं अयासिंह को जानता हूँ, क्यों कि वह मेरी कम्पनी में था। मैं जानता हूँ वह जिन्दा है। मैंने उसे जिगरगचा तथा चिदागांव में देखा था। मई के अन्त में मेरे पहुँचने के दो या तीन दिन पहुँचने के बाद मैंने इसे चिदा गांव में देखा था।

मैंने कप्तान शाहनवाज को डिविजनल हैडक्वार्टर में देखा था। वहाँ और भी अर्दली तथा सिपाही थे। मुझे याद नहीं कि

वहाँ शाहनवाज के अतिरिक्त और कोई अफसर था। मैं अंग्रेजी का "Crime" शब्द नहीं जानता। मैं "रिपोर्ट" शब्द जानता हूँ जिसका अर्थ है किसी को रिपोर्ट देना। मैं "Crime report" शब्द नहीं समझता जो कि मुझे लिखे हुए कागज पर दिखाए गए हैं। जब मुझे अदालत में पेश किया गया तो किसी आदमी को मुझे Crime report शब्द सिखाने की आवश्यकता नहीं थी।"

मैंने यह सब इसलिये उसके सामने रखा था कि वह इसे समझता है या नहीं। सिवाय इसे सिखाने के और कोई ढँग भी प्रकट नहीं होता।

"मुझे बताया गया था कि Crime report मेरे सामने रखी जायेगी और हम तीनों को कप्तान शाहनवाज के सामने पेश किया जायेगा। मोहम्मद हुसैन को गोली से मारने के सम्बन्ध में पहले कोई घोषणा नहीं की गई। कप्तान शाहनवाज मेरे लिए तथा अल्लाह दित्ता के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा······।

"मोहम्मद हुसैन ने स्वीकार किया है कि वह भागना चाहता था। वह इसलिए भागना चाहता था क्यों कि वह मुसीबत में था; और क्षमा याचना करते हुए कहा कि वह जहां भी आज़ादी जावेगी, जाने को तैयार है। इसके बाद शाहनवाज ने कहा कि वह अपने देश के लिये नहीं है, वह तो शत्रु हैं और इसलिए मैं मौत की सजा देता हूँ। फिर हमने प्रयाण किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ भी नहीं हुआ था।

"मोहम्मद हुसैन को गोली मारते समय मुझे राईफल दिया गया था। मैं राइफल के अतिरिक्त कोई हथियार नहीं जानता। राईफल को मेरे कंधे पर आयासिंह ने रख दिया था। मोहम्मद-

हुसैन को गोली मारने के समय उपस्थित तामिल तथा सिख व्यक्तियों के नाम नहीं जानता, पर जिस समय मैं वहां पहुँचा दोनों घटनास्थल पर मौजूद थे। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि उन्होंने क्या किया। मैं उनके नाम नहीं जानता पर मैंने उन्हें बटालियन हेडक्वार्टर में देखा था। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि मैंने और क्या कहा था। अपने-पन में उस समय न था। राईफल को ठीक किया गया और मुझे पकड़ने को कहा गया। मैंने इसे अयासिंह की मदद से पकड़ा। राईफल मोहम्मद हुसैन की ओर थी। वह जमीन पर पांच गज की दूरी पर बैठा था। जब एक, दो, तीन कहा गया तो मैंने कुंदा दबा दिया। तीन बार गोली चली पर मैं नहीं जानता कि किस गोली से वह मरा। मैं मोहम्मद हुसैन के शव के पास देखने नहीं गया कि कितने छेद बने हुए थे। गोली मारने के बाद मैं मोहम्मद हुसैन के शव के पास नहीं गया था। मैंने उसे अन्तिम बार उस समय देखा जब वह वहां पड़ा था।"

यह जागीरराम द्वारा प्रस्तुत किया गया बयान है। और महत्वपूर्ण बातें यह हैं। प्रथम-वह गोली मारने वाले साथियों को नहीं जानता और नहो उन्हें पहचान सकता है। दूसरे इसने स्वीकार किया है कि अयासिंह तथा खजीनशाह जिन्दा हैं। तीसरे यह कि मैं मोहम्मद हुसैन को नहीं जानता। यहां पर कोई बुद्धिमता नहीं है कि एक आदमी गोली चलाना नहीं जानता और उससे ऐसा कराया गया, अतः यह अदालत का काम है कि वह इसका स्पष्टीकरण करे। मैं कह सकता हूँ कि यह गवाह ऐसा है जिसपर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रमाणित

करने में अयोग्य साबित हुआ है, जब कि बाकी दो व्यक्ति अभी जीवित हैं, अदालत ने उन्हें क्यों नहीं पेश किया।

महानुभाव, इस सम्बन्ध में एक और गवाह हैं, वह है लान्स नायक सरदार मोहम्मद। मैं इस सम्बन्ध में गवाह के बयान को पेश करता हूँ—

मैं 'मोहम्मद हुसैन को जानता था। २७ मार्च को ले० खजीन-शाह ने भगोड़े के पीछे भेजा। भगोड़ों के आने पर इसने उनको आज्ञा दी कि निम्न आदमियों को बटालियन हेडक्वार्टर लाया जाये सिपाही मोहम्मद हुसैन लांस नायक अल्लादित्ता, लांस नायक मोहम्मद शफी, सिपाही जागीरीराम तथा सिपाही गोबरू सिंह···· ·············। खजीनशाह ने मुझे बताया कि ये आदमी भागने का इरादा कर रहे थे। उसने आगे बताया कि वह आज शाम को इन व्यक्तियों के बारे में बात करने जायेगा और वह चला गया········ ·········। मैं ले० खजीन शाह से रास्ते में मिला था और मैंने इन लोगों को इसके हवाले कर दिया। इसने लांस नायक मोहम्मद-शफी घटनास्थल पर ही छोड़ दिया क्योंकि इसके पलटन कमाण्डर ने शिफारिस की थी और मैं वापिस लौट आया। उसने कहा कि मोहम्मद हुसैन को गोली मार देने की सजा हुई है।

मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यह गवाही अच्छी नहीं है।

गोली मारने के सम्बन्ध में

दूसरों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है, पर जागीरा राम उस समय वहाँ उपस्थित था। उसने मुझे गुलाम मुहम्मद के पास जाने को कहा था। उसने पुछवाया था कि मोहम्मद हुसैन को बटालियन के मातहत या ब्रिगेड के मातहत गोली मारनी चाहिए··············। साथ ही मुझे सिपाही

मोहम्मद इब्राहीम को भी लाने को कहा जो कि क्वार्टर गार्ड से रिहा किया गया था। मुझे आदेश दिया गया था कि मोहम्मद हुसैन को बटालियन के मातहत उसी दिन गोली मारनी है। मैं उसे बटालियन हेड क्वार्टर में वापिस लाया। मैंने यह आज्ञाएँ खजीनशाह को देदी। फिर खजीनशाह ने मुझे आज्ञा दी कि मोहम्मद हुसैन को फांसी देने का इन्तजाम किया जाये। उसने १० आदमियों को कुदाल फावड़े लेकर आने को कहा। मैंने इन आदमियों को कब्र खोदने के लिए कहा। मैं जानता हूँ कि कब्र खोदी गई थी। फिर खजीनशाह ने मुझे मोहम्मद हुसैन को नाले के किनारे लाने को कहा गया। मोहम्मद हुसैन को नाले पर ले जाया गया। ले० खजीनशाह, ले० अयासिंह हवलदार मेजर गोबिन्दसिंह, कुछ सिपाही और मैं मोहम्मद शाह के साथ नाले पर गए। ले० खजीनशाह ने मोहम्मद हुसैन को वृक्ष से बांधने को कहा गया। मैंने इस आज्ञा को सब-अफसर गोविन्दसिंह के हवाले कर दिया और उसने दो सिपाहियों की मदद से इस आज्ञा का पालन किया। इसके बाद ले० खजीन शाह दलेल पार्टी के दो आदमियों को मोहम्मद हुसैन की फांसी के लिए ले आया। वे दोनों सिपाही थे, एक नार्मल था दूसरा सिख था। इन दोनों के आने पर खजीनशाह ने आज्ञा दी कि जागीरीराम को भी मोहम्मद हुसैन पर गोली चलानी होगी। तीनों आदमी मोहम्मद शाह की ओर मुँह कर खड़े हो गए और खजीनशाह ने अयासिंह को गोली चलाने की आज्ञा के लिए कहा। अयासिंह झिझका। खजीनशाह ने फिर एक बार आज्ञा देने के लिये कहा। अयासिंह ने गोली चलाने की आज्ञा दी। तीनों सिपाहियों ने मोहम्मद हुसैन पर गोली चलादी। मोहम्मद हुसैन मारा गया। इसका शव सड़क के एक ओर कर

दिया गया। खजीनशाह ने मुझे आज्ञा दी कि मैं अब्दुल हाकिम को इसके दफनाने के लिए भेजूँ। इसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इसके परिणाम की रिपोर्ट भेजना मेरा काम था। मैंने इस परिणाम की रिपोर्ट तैयार नहीं की क्योंकि रात हो चुकी थी और हमें उसी दिन प्रयाण करना था। मैं १ अप्रैल को भाग गया और मित्रराष्ट्रों को इसकी सूचना दी।

"जिस रात मोहम्मद हुसैन को मारा गया था उस दिन हम लोग्यों की ओर रवाना हुए। यह २६ मार्च १९४५ की बात थी।

यह प्रश्न भागने तथा उस दिन के बीच सम्बन्ध जानने के लिए पूछा गया था।

"............मेरे पास मोहम्मद हुसैन की मृत्यु की रिपोर्ट बनाने के लिये समय नहीं था। पहली अप्रैल ४५ को मैंने कप्तान सहगल को कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। मुझे पता नहीं कि कोई रिपोर्ट भेजी गई था। मैं जागीरीराम को गिरफ्तारी के समय से जानता हूँ। आयासिंह जागीरीराम को राईफल चलाने में सहायता कर रहा था। वह उसके पास खड़ा था। जागीरीराम ने सहायता के साथ गोली चलाई। मैं नहीं कह सकता कि जागीरीराम खड़ा था या घुटने टेक कर बैठा था। जिस समय मोहम्मद हुसैन गिरा तो मैं १० या १५ गज के फासले पर खड़ा था। मैं अब्दुल हकीम को आज्ञा देकर चला गया था। मैं मोहम्मद हुसैन के पास गया और देखा कि वह मर चुका था। इसके तीन निशान थे। मैं इसके दफनाने के समय नहीं था।

जज एडवोकेट द्वारा प्रश्न

"जब मैंने देखा कि तीन निशान थे और एक शव और पड़ा था तो मैंने समझा कि वह मर गया था। गोली मोहम्मद हुसैन के

८ या १० गज के फासले से चलाई गई थी। गोली गोधूली के समय चलाई गई थी। मैंने बताने में असमर्थ रहा कि गोली किस प्रकार चलाई थी। जहाँ तक प्रमाणों का प्रश्न अदालत के सामने है स्थिति स्पष्ट है।

चार आदमियों के बारी बारी से गोली चलाने के सम्बन्ध की गवाही के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उस समय ले० ढिल्लन की कैसी अवस्था थी। इस सम्बन्ध में मैंने प्रमाणित दस्तावेज आपके सामने पेश किया ही था। मेरा निवेदन है कि यह घटना घटी ही नहीं क्यों कि इस में केवल यही बताया गया है कि ले० ढिल्लन ने आज्ञा पर आज्ञाएँ दी हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि एक आदमी इतना कमजोर है कि जीवन में कभी भी इतना कमजोर नहीं था। वास्तव में ले० ढिल्लन को इंजेक्शन दिया गया था और ग्यारह और देने बाकी थे। यह प्रमाणित हो चुका है। फिर यह कैसे सम्भवः हो सकता है कि वह इस प्रकार ऐसे घटनास्थल पर पहुँच कर ऐसी उल्लेखित आज्ञाएँ देता। अतः मैं कह सकता हूँ कि यह गाथा अक्षरशः असत्य है और आपको भी ऐसाही मानना पड़ेगा क्योंकि किसी प्रकार के धब्बे नहीं थे।''

अदालत के सामने यह गवाही है। आपने देखा कि गवाहों ने बताया कि खजीनशाह तथा अयासिंह थे, पर अदालत के सामने उपस्थित नहीं किए गए। जिन दो आदमियों ने गोली चलाने में हिस्सा लिया वे पहचाने नहीं गये हैं और सबसे मजे की बात तो यह है कि एकही स्थान पर तीन गोलियाँ लगी हैं। किसी प्रकार का खून नहीं निकला है। मेरा निवेदन है कि यह गवाही झूठी है। क्यों कि गवाह प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है।

यह सीधी सादी बात थी कि गोली चलाते समय जागीरीराम खड़ा था। इसे जागीरीराम ने भी स्वीकार किया है, पर मेरे प्रश्न करने पर गवाह हक्का बक्का होगया और उत्तर न देसका कि गोली बैठ कर या घुटने टेक कर चलाई गई या खड़े होकर। राईफल कहाँ और किस अवस्था में थी। यह भी मानना चाहिए। शेष दो गवाहों के सम्बन्ध में भी कहना आवश्यक है। इनमें से एक उपचार गृह का सदस्य था और उसे वहाँ उस समय दवा देनी थी। अत: वह वहां नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे गवाह की गवाही के अनुसार वह वहाँ नहीं था।

इस्तगासे का वकील:—इस का मतलब यह नहीं था कि वह वहां था। उसका कहना यह है, "मैंने किसी आदमी को वहाँ नहीं देखा था।"

श्रीदेसाई:—मेरे कहने का मतलब यह है कि वास्तव में वह वहाँ नहीं था, क्यों कि उसने कहा था कि उसने किसी भी आदमी को नहीं देखा और न ही वहाँ कोई मनुष्य था। गवाह की गवाही असफल होजाती है। आपको मानव की स्थिति देखनी है न कि सम्भव असम्भव बातें। अत: आपको सोच समझकर इस बात का निर्णय करना है।

मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि जिस व्यक्ति को गोली चलाना नहीं आता उसे ही इस कार्य के लिये क्यों चुना गया। अन्य घटना की, जिसमें ले० ढिल्लन के ४ व्यक्तियों को गोली से उड़ा देने का अभियोग लगाया गया है, चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि अदालत को ले० ढिल्लन के उस दिन की दशा के बारे में उनकी डायरी से मालूम हो ही गया है। डायरी के अनुसार स्पष्ट है कि वे उस दिन इतने अधिक कमजोर थे जितने

पहले नहीं थे और उन्हें सूई भी दी गई थी। उस परिस्थिति में इस बात की बहुत कम सम्भावना है कि वे उस तथा कथित घटना के बारे में उपस्थित रहे हों। उन्होंने अदालत से इस बात का अनुरोध किया कि वह यह स्वीकार कर ले कि तथा घटित घटना के समय कम्पनी से बुलाये जाने की बात असत्य है। उन्होंने अपनी बहस व्यवहारिकता पर की क्योंकि जैसा सरकारी पक्ष ने बताया है। उस परिस्थिति में वह सम्भव नहीं है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि अदालत के सामने जो सबूत है उसके ही आधार पर निर्णय दें। उन्होंने अदालत को इस बात की चेतावनी दी यदि उस परिस्थिति में जिसकी सम्भावना थी तो वह स्वतः खतरा उठायेंगे।

गवाहियों के बयान में अन्तर

ले० ढिल्लन पर हत्या करने तथा हत्या कराने के बहकावे देने का सरकारी पक्ष ने जो अभियोग लगाया है उसका खंडन करते हुये कहा कि पहली बात तो यह है कि इस बात की संभावना नहीं है कि ले० ढिल्लन जिन पर गोली से उड़ा देने की आज्ञा देने का तथा-कथित अभियोग है, उस समय उपस्थित रहे होंगे। दूसरी बात तो यह है कि कोई भी गवाह उन लोगों को थोड़ा बहुत भी नहीं पहचानता है। तीसरी बात यह है कि दूसरे गवाह का कथन है कि पहला गवाह उस समय वहां उपस्थित नहीं था और चौथी बात यह है कि दूसरे गवाह ने ऐसा बयान दिया है, जो सम्भव नहीं है। श्री देसाई ने यह बताया कि उन लोगों को पहचानने का प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैंने सरकारी पक्ष के सम्बन्ध में जितने भी दोष साबित किये हैं उनसे सरकारी पक्ष निराधार हो जाता है। अब सरकारी वकील उन दो गवाहों के बयान की चर्चा करना

चाहते थे तब श्री देसाई ने कहा कि गवाहियों ने जैसा बयान दिया है उससे वही अर्थ निकलता है। इसके सिवा दूसरा अर्थ लगाना असत्य होगा। उन्होंने अपने पक्ष में सरकारी पक्ष के गवाहों के बयान का विस्तृत उल्लेख किया। दोनों गवाहियों के तथा कथित गोली चलाने के बयान में जो अन्तर है उसकी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक गवाह के अनुसार खाई का गड्ढा २० फुट था। यह कोई नहीं स्वीकार करेगा कि ४ व्यक्तियों पर गोली चलाने के लिये समूचे कम्पनी के सैनिक कुवे में कूदेंगे। अन्त में आपने कहा कि सरकारी पक्ष को सिद्ध करने का काम सरकारी वकील का है और इसे सिद्ध करने में सरकारी पक्ष को पूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने इस बात को दुहराया कि यदि गोली चलाने की आज्ञा भी देदी गई हो तो भी गोली नहीं चलाई गई।

कोई व्यक्ति विशेष उत्तरदायी नहीं

श्री देसाई ने कहा कि यदि गोली चलाई भी गई हो तो भी वह अभियोग नहीं है क्योंकि आ० हि० फौज के कानून के अन्तर्गत युद्ध जारी रखने में जो कार्यवाही की गई उसके लिए किसी खास व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं कहा जा सकता।

युद्धबन्दी की तरह आत्मसमर्पण

उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण की शर्तों की चर्चा की जबकि कप्तान शाहनवाज और उसके साथियों ने आत्मसमर्पण किया। कर्नल फिट्सन और गुलाम मुहम्मद ने यह स्वीकार किया कि जब कप्तान सहगल और उसके साथी घेर लिये गये तब उन लोगों ने कहा था हम लोग युद्धबन्दी की तरह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं नहीं तो हम लोग अन्त तक लड़ेंगे। यह

शर्तें स्वीकार कर ली गई थी और उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। इसका अर्थ यह हुआ कि युद्ध समाप्त हो जाने पर उन लोगों को युद्धबन्दी की तरह सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है और कप्तान सहगल को छोड़ दिया जाना चाहिए। श्री देसाई ने कहा कि जितने सबूत हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि ब्रिटिश अफसरों ने आ० हि० फौज को संगठित सेना स्वीकार किया था और वे उनके अफसरों को उसी ओहदे के अफसर समझते थे।

समूचा मुकदमा अवैध

उन्होंने फिर कानून सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जिसके अनुसार समूचे मुकदमे की अवैधता को चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि अदालत केवल फौजी अदालत के अन्तर्गत आने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में मुकदमा चला सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अदालत इस पर स्वतः मुकदमा नहीं चला सकती किन्तु केवल प्रांतीय सरकारों के आदेश पर ही मुकदमा चलाया गया है। उन्होंने प्रिवीकौंसिल के निर्णय का हवाला दिया और बताया कि जब तक कई व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर कोई अभियोग नहीं किया हो तब तक प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग मुकदमा चलता है कुछ अभियुक्तों पर जो यथाकथित अभियोग लगाया है वह दूसरे अभियुक्तों पर नहीं। इस तरह समूचा मुकदमा अवैध हो जाता है।

इन पर अन्तर्राष्ट्रीय नियम लागू हों

उन्होंने कहा कि यह तीनों अभियुक्त संगठित सरकार की सेना के सदस्य थे अतः इन्हें युद्धरत राष्ट्रों के सैनिकों की तरह सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। इन पर म्युनिसिपल नियम

लागू नहीं हो सकते। इन पर अन्तर्राष्ट्रीय नियम लागू होंगे। यह कहना उचित नहीं है कि फौजी अदालत का अन्तर्राष्ट्रीय नियम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ७६ वीं धारा में यह बताया गया है कि किसी भी नियम को किसी पर लागू नहीं किया जा सकता और नियम के अन्तर्गत केवल वे ही नियम आते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार हों। जहाँ तक वफा-दारी का प्रश्न है अमेरिका का 'विद्रोह' ज्वलन्त उदाहरण है जब अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था। उन्होंने यह बताया कि आ० हि० फौज के लोग स्वेच्छा से भर्ती होते थे न कि दबाव से। इन तीनों अभियुक्तों ने इसमें भर्ती होने के लिये किसी पर अत्या-चार नहीं किया। जहाँ तक हत्या करने और हत्या कराने के लिए बहकावा देने का प्रश्न है, वह सिद्ध न हो सका कि वस्तुतः किसी को फांसी दी गई। इन लोगों ने आ० हि० फौज के कानून के अनुसार कार्य किया और आ० हि० फौज के कानून अन्य सभ्य राष्ट्रों के कानून की तरह थे और वे भारतीय सैन्य विधान की तरह थे। कोड़ा मारना भारतीय रक्षा विधान में है उसी तरह उसमें है। इन दोनों में श्री देसाई ने जो सबूतें दी उसके आधार पर उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि यह अभियुक्त निर्दोष घोषित किये जायें। अन्त में आपने कहा कि यदि सरकारी वकील ने प्रसिद्ध घटना का हवाला दिया तो मुझे लिखित उत्तर देने का अवसर देना चाहिये। जज एडवोकेट ने प्रश्न किया कि किस नियम के अनुसार ऐसी इजाजत दी जाय? श्री देसाई ने कहा कि इसके लिए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं। यह साधारण समझ की बात है न्याय तो इसी में है कि वैसे प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि इससे अदालत को सहायता ही मिलेगी।

इस तरह श्री देसाई ने सर्वश्री कप्तान सहगल, कप्तान शाह-नवाज खां और ले० ढिल्लन पर मुकदमा चलाने वाली अदालत के सामने सायंकाल अपनी आखरी बहस समाप्त की। अदालत ने सरकारी वकील सर नौशेरवाँ इंजीनियर को अपना मुकदमा तैयार करने के लिए आगामी शनिवार तक का मौका दिया। अदालत २२ दिसम्बर ४५ तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इस्तगासे के वकील सर नौशेरवाँ इन्जीनियर

"अभियुक्त भारतीय फौज के कमीशंड अफसर थे। भारतीय फौजी कानून के अनुसार इनको भारत सरकार के प्रति वफादार रहना चाहिए था।"

इस्तगासे के वकील सर नौशेरवाँ की बहस

११ दिसम्बर १९४५

सर एन० पी० इंजिनियर ने अपनी ३०,००० शब्दों की बहस पढ़कर सुनाई। आपके भाषण का खुलासा नीचे दिया जाता है।

सम्राट के विरुद्ध युद्ध

सभापति महोदय तथा माननीय अदालत के सदस्यों,

सबसे पहले मैं सम्राट के विरुद्ध के अभियोग पर प्रकाश डालूँगा। सबूतों ने सिद्ध कर दिया है कि तीनों अभियुक्त आजाद-हिन्द-फौज में शामिल थे, तथा इसके संचालन एवं कार्य में पूरा पूरा भाग लिया था। इन्होंने सम्राट के विरुद्ध युद्ध सम्बन्धी आदेश दिये थे और स्वयं ने भी सम्राट के विरुद्ध लड़ने में भाग लिया था।

इस से आगे आपने भिन्न भिन्न तारीखों का हवाला देते हुए बताया कि किस समय किस को कौन से पद पर नियुक्त किया गया था।

"सबूतों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि तीनों अभियुक्त सिंगापुर के पतन के बाद ही आजाद-हिन्द-फौज में शामिल हो गए थे।"

आप ने आगे तारीखों का हवाला देते हुए बताया कि किस अभियुक्त ने अपने भाषणों के द्वारा सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रेरित किया था।

कप्तान शाहनवाज

गवाह जमादार मोहम्मद हयात ने बताया कि सिंगापुर के पतन के बाद कप्तान शाहनवाज खाँ ने कैम्प नीसून में भाषण दिया था। गवाह इल्ताफ रज़ाक ने अपनी गवाही में बताया है कि कप्तान शाहनवाज खाँ जनवरी या फरवरी १९४३ में पोर्ट डिक्सन में गये थे और भारतीय अफसरों के सन्मुख भाषण दिया और उनको आज़ाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने के लिए कहा था। गवाह नायक संतोखसिंह ने अपनी गवाही में बताया है कि कप्तान शाहनवाज खाँ ने अप्रैल १९४३ में सेलीतार कैम्प में भाषण दिया और उनसे कहा कि प्रत्येक भारतीय को आज़ाद-हिन्द-फौज में भर्ती होना चाहिए। गवाह लांस नायक गंगाशरण ने अपनी गवाही में बताया कि कप्तान शाहनवाज ने अप्रैल के अन्त में या जनवरी ४३ के प्रारम्भ में पोर्ट स्वेटनहम में भाषण देते हुए बताया कि प्रत्येक युद्ध बन्दी को आज़ाद-हिन्द-फौज में भर्ती होना चाहिए।

कप्तान सहगल

गवाह नायक संतोखसिंह ने अपनी गवाही में बताया कि कप्तान सहगल जनवरी १९४२ में सिगनल कम्पनी में नं० १ के आदमियों को कहा कि आज़ाद-हिन्द-फौज बनाई जा रही है जो कि नवीन भारतीय फौज होगी और इसमें प्रत्येक भारतीय को शामिल होना चाहिए।

ले० ढिल्लन

सूबेदार मेजर बाबूराम ने अपनी गवाही में कहा था कि फरवरी या मार्च १९४२ में ले० ढिल्लन ने नोसून कैम्प में आज़ाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने के लिये लोगों से कहा था। आगे आप ने सूबेदार अमलनूर खाँ, हवलदार साधु सिंह, सिपाही काका सिंह की गवाहियों का हवाला देते हुए बताया कि ले० ढिल्लन ने लोगों को अपने भाषणों द्वारा आज़ाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने के लिये प्रेरित किया था।

तीनों अभियुक्तों ने अपने बयानों में स्वीकार किया था कि इन्होंने सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया था। अतः इस बात को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं। कप्तान शाहनवाज़ खाँ तथा कप्तान सहगल की डायरियों के पृष्ठ इस बात की गवाही के लिये पर्याप्त हैं। इससे आगे आपने सिपाही हिदायत खाँ, हनुमान प्रसाद, अब्दुल्लाह खाँ के बयानों का हवाला देते हुए बताया कि भिन्न भिन्न स्थानों पर सम्राट के विरुद्ध इन अभियुक्तों ने युद्ध छेड़ा था, उनमें भाग भी लिया था।

बल प्रयोग

इसके आपने श्री देसाई के इस आवेदन पत्र पर आपत्ति प्रगट की जिसमें यह कहा गया था कि बल प्रयोग की बातों पर ध्यान न दिया जाये। इस पर आपने कहा कि इस्तगासे का यह फर्ज था, क्यों कि अभियुक्त युद्ध बन्दियों को बल पूर्वक सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिये प्रेरित करते थे। इस्तगासे का यह भी कर्तव्य था कि वह बल प्रयोगों की अवस्थाओं का भी वर्णन करे। इस्तगासे का यह कहना है कि लोगों को यह

कह कर आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती किया गया कि यदि वे आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हो जायेंगे तो उनके सभी कष्ट दूर कर दिये जायेंगे। आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने वालों पर जबर्दस्ती की जाती थी। मेरा यह निवेदन है कि आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने वालों के साथ जबर्दस्ती खुल कर की जाती थी, जिनकी जानकारी इन अभियुक्तों को थी। अदालत का फर्ज है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे। विचार करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है:—

(क) क्या वास्तव में आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती कराने के लिये युद्ध-बन्दियों के साथ जबर्दस्ती की जाती थी ?

(ख) क्या अभियुक्त जबर्दस्ती से युद्ध-बन्दियों को आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती कराने के सम्बन्ध से जानकारी रखते थे ?

(ग) क्या आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती न होने वालों को तंग किया जाता था ?

इन प्रश्नों के आधार पर अदालत को अपने समय पर ही निर्णय करना है, पर बल प्रयोग की बातों को नजर अन्दाज नहीं किया जासकता है और प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

जबर्दस्ती की जाती थी

हमारे पास बहुत से सुबूत हैं, जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि भारतीय फौज के आदमियों के साथ ही नहीं अपितु अफसरों के साथ भी, आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती न होने पर जबर्दस्ती की जाती थी। बहुत से गवाहों ने यह बताया था कि उनको तब तक तंग किया जाता था जब तक वह आजाद-

हिन्द-फौज में भर्ती नहीं हो जाते थे। कप्तान घालगरकर ने अपने बयान में अगस्त १९४२ के नजरबन्द कैम्प को अनुभव बताये थे। उन्होंने बताया था कि उन कैम्पों की हालत बहुत खराब थी और उसके साथ भी अफसरों जैसा बर्ताव नहीं किया गया था। लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उसने खुद अपनी आँखों से देखा दृश्य बताया था, कि बहुत से भारतीयों को पीटा भी जाता था। इनको संतरियों के आगे सलाम करने के लिये भी मजबूर किया जाता था। आप ने आगे कप्तान अरशद और हवलदार मोहम्मद सरदार की गवाहियों के उदाहरण पेश करते हुए बताया कि आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती कराने के लिए जबर्दस्ती की जाती थी।

जमादार मोहम्मद हयात ने अपनी गवाही में बतलाया था कि उसकी बटैलियन के मुसलमान आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती नहीं हुये थे। केवल थोड़े से मुसलमान और बटैलियन के हिंदू और सिख ही भर्ती हुये थे। इसे भी आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने की आज्ञा दी गई थी, किन्तु इसने इन्कार कर दिया था। इसका विचार था कि वह आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती न हो। इसने अपने अफसरों और सिपाहियों को आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती न होने के लिये कह कर, आजाद-हिन्द-फौज के विरुद्ध प्रचार किया था। इसके बाद आपने नजरबन्द कैम्पों के उदाहरण देते हुए बताया कि लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता था। हवलदार ललित बहादुर, रविलाल, सूबेदार रामस्वरूप तथा लान्सनायक महेन्द्रसिंह की गवाहियों का हवाला देते हुये बताया कि आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती न होने वालों से दलेल (थका देने वाला काम) कराया जाता था।

इन विश्वसनीय गवाहों के आधार पर यह स्वीकार किया

जाना चाहिए कि लोगों को आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती करने के लिए जबर्दस्ती से काम लिया जाता था।

"हमारा संघर्ष" नामक रासबिहारी बोस की एक विज्ञप्ति का हवाला दिया। इसमें लिखा था, "मोहनसिंह ने चुनाव से पूर्व अपने बयान में बताया था कि अधिकांश लोग इस आन्दोलन में स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं जो कि अब हमें असत्य प्रतीत होता है। सिपाहियों तथा अफसरों के साथ किये गये बलप्रयोगों की कहानियां सुनकर मेरा दिल डरता है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसकी भारी जिम्मेवारी मोहनसिंह पर है। हमारे बहुत से भाइयों को मौत के घाट उतार दिया एवं बहुतों के साथ जबर्दस्ती की गई तथा तंग किया गया जो कि मेरे उद्देश्यों के विरुद्ध है। हमारा काम ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ना है, न कि अपने भारतीय भाइयों को तंग करना।"

यह दस्तावेज भारतीय स्वतन्त्रता लीग के नमक हलाल छपा था। इसका प्रचार दूर दूर तक किया गया था यहाँ तक कि इस विज्ञप्ति को उर्दू में भी प्रकाशित किया गया था। इससे सिद्ध होता है कि लोगों के साथ जबर्दस्ती की जाती थी।

इन आधारों पर सफाई पक्ष की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। अब प्रश्न यह रहता है कि अभियुक्तों को इसकी जानकारी थी या नहीं। इसका सिद्ध करना हमारे का काम है। इसे भी सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण हैं। यदि अदालत यह स्वीकार करती है कि अत्याचार किए गए थे तो जनता इन अत्याचारों से परिचित थी। फिर यह कैसे हो सकता है कि अभियुक्त भी इनसे परिचित थे। महानुभावों, यह आपका काम है कि प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर आप अपना निर्णय दें।

स्वर्गीय श्री रासबिहारी बोस

अध्यक्ष-भारतीय-स्वाधीनता-लीग तथा सलाहकार-आजाद-हिन्द-सरकार

आज़ाद-हिन्द-फौज का चिह्न

आज़ाद-हिन्द-फौज की मुद्रा

आज़ाद-हिन्द-फौज का बैज

प्रतिज्ञा

आज़ाद-हिन्द-फौज के सैनिकों की शपथ

"मैं अपनी इच्छा से और खुशी से आज़ाद-हिन्द-फौज का सैनिक बन रहा हूं। मैं अपना, तन, मन, धन सब कुछ भारत की स्वतंत्रता के लिए अर्पण करता हूं। प्राणों की परवाह किए बिना मैं भारत की सेवा तथा भारतीय स्वतन्त्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करूँगा। इस सेवा-कार्य में मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न होगा। अपने हृदय में जातिधर्म या भाषा के भेद की भावना को मैं किसी भी प्रकार का स्थान नहीं दूँगा तथा प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरूष को स्नेह की दृष्टि से देखूँगा तथा उन्हें अपना भाई समझूँगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून

इन मुकदमों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता। प्रश्न केवल राष्ट्र तथा उसकी प्रजा का है। तीनों अभियुक्तों को भारतीय कमीशन प्राप्त था। भारतीय फौजी कानून के आधार पर वे इससे प्रभावित होते हैं। अतः इन पर भारतीय फौजी कानून ही लागू होता है। इन पर यही कानून तब तक लागू होता था जब तक कि वे अवसर प्राप्त न करतें या नौकरी से न हटा दिए जावें। वस्तुतः इस बात का प्रमाण है कि आजाद-हिन्द-फौज के जिन अफसरों व सिपाहियों ने बाद में आजाद-हिन्द-फौज को छोड़ दिया वे पुनः युद्ध बन्दी बना दिये गए।

उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के वकील का यह अर्थ है कि भारतीय दण्ड विधान की १२१ (अ) की धारा का आशय अर्थ होना चाहिये कि अभियुक्तों की क्या स्थिति थी और यदि अस्थायी सरकार की घोषणा हो गई है और ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई है तो सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना अपराध नहीं है। इस्तगासे के वकील ने बताया कि वस्तुतः अस्थायी सरकार की घोषणा करना ही अपराध है और ऐसी कार्यवाही के लिये अपराध को छोड़ा नहीं जा सकता। युद्ध किस उद्देश्य से किया गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, यह कार्यवाही ही आपत्ति जनक है।

इससे आगे आपने एक कानून की पुस्तक का हवाला दिया, "अन्तर्राष्ट्रीय कानून, इंग्लैंड के कानून का एक अंग है, पर जहाँ तक कानून, धारासभाओं अदालती निर्णय या प्रथा का सम्बन्ध है"। अंग्रेजी कानून के अनुसार इस को सिद्ध किया जा सकता है। अदालत अन्तर्राष्ट्रीय कानून तभी लागू कर सकता है जब

कि वह देश के कानून का अंग हो। जब तक विद्रोहियों को स्वीकार नहीं कर लिया गया हो तब तक इन लोगों को युद्ध के राष्ट्रीय बन्दियों की सुविधाएँ नहीं दी जा सकती। अमेरिका के कानून इंगलैंड के कानून से भिन्न हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून अमेरिका के कानून को रद्द कर सकता है। अतः अमेरीकन कानून का हवाला देना इस मुकदमे के लिए महत्वहीन है। इस मुकदमे के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय अदालत नहीं है। इस अदालत का काम भिन्न राष्ट्रों या एक राष्ट्र के प्रजाजनों के प्रश्नों को हल करना नहीं है।

इन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने वाली अदालत भारतीय फौजी अदालत के आधार पर बनाई गई है जिसका काम भारतीय फौजी कानून में बंधे हुए अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने का है जिनको भारतीय फौजी कानून तथा ताजीरात हिन्द के मातहत सजा दी जा सकती है।

ताजीरात हिन्द की धारा ७६ के "कानून" शब्द का अर्थ वह कानून है जो कि ब्रिटिश भारत में लागू होता है। सफाई पक्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का जो प्रश्न उठाया है वह प्रश्न धारा सभा में उठाया गया होता तो अच्छा होता, किन्तु ऐसी अदालत के सामने जो शासन व्यवस्था के कानून तथा भारतीय फौजी कानून से बँधी हुई है, पेश करना निरर्थक है।

सफाई पक्ष ने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति जिस में हाउस-आफ-कामन्स की घोषणा है, का भी हवाला दिया है। यह गवाही के रूप में तो नहीं समझी जा सकती, चूँकि इस का जिक्र किया गया है इसलिए मुझे भी वायसराय द्वारा प्रकाशित दूसरी विज्ञप्ति का हवाला देने की अनुमति मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा था कि ४५,००० आदमी आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती नहीं हुए थे। ४५,००० मनुष्यों में से ११,००० भूख प्यास, बीमारी से मारे गए। बीस हजार युद्ध बन्दी आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हुए थे पर इन में से केवल १,५०० की रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है जो कि कानूनी अदालत के सामने बेकार हैं।

आजाद-हिन्द की अस्थायी सरकार के सम्बन्ध में स्वयं अभियुक्तों ने बहुत कुछ कहा है। सफाई के गवाह एस० ए० अय्यर ने जो कि स्वाधीनता लीग के प्रधान कार्यालय के प्रकाशन विभाग में थे, अपनी गवाही में कहा था कि अस्थायी सरकार व स्वाधीनता लीग के सदस्यों से युक्त थी। यह बयान इस प्रमाण के लिए काफी है। इस ने आगे बताया कि अस्थायी सरकार ने पूर्वी एशिया व बर्मा में चन्दे से रुपया इकट्ठा करके आजाद-हिन्द-बैंक की स्थापना की थी। श्री सुभाष बोस की स्थिति वही थी जो कि स्वाधीनता लीग के प्रधान की। और आजाद-हिन्द-फौज की कमान आपके हाथ में आ गई। गवाह ने आगे बताया कि लोगों को नागरिक सुरक्षा के लिए शिक्षा देने के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोला गया था। आजाद-हिन्द-सरकार ने मलाया तथा बर्मा के लोगों की रक्षा चिकित्सा तथा हवाई हमलों से बचाने के लिए भी स्वाधीनता लीग की मार्फत सामाजिक कार्य किए थे। गवाह ने अपने सम्बन्ध में बताते हुए कहा था कि उसे भी जुलाई १९४२ में प्रकाशन विभाग सौंपा गया था और बाद में अस्थायी सरकार में मन्त्री पद दिया गया था। इसका काम अस्थायी सरकार तथा आजाद-हिन्द-फौज के कार्यों का प्रकाशन करना था तथा निर्देशानुसार प्रचार करना था जो कि रेडियो, सार्वजनिक सभाओं के रूप में प्रायः होता था। स्वाधीनता लीग में बहुत से विभाग थे जो

कि मन्त्रियों के हाथ में थे और अस्थायी सरकार द्वारा निर्धारित आदेशों के आधार पर चलते थे। अस्थायी सरकार का अपना समाचार पत्र भी था।..............दूसरे मन्त्रियों के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। अपने मन्त्रित्व के सम्बन्ध में बताया कि इसने नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के आने पर उन के स्वागत के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया था और इस दिन नेता जी को अध्यक्ष चुना गया था। प्रचार विभाग की ओर से अस्थायी सरकार के आदेशों की घोषणा भी की गई थी, आज़ाद-हिन्द-फौज के प्रथम प्रयाण के समय के समारोह का भी प्रचार किया गया था।

यह गवाह अस्थायी सरकार तथा आज़ाद-हिन्द-फौज के कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए काफी है। इस गवाह ने यह बताया था कि इन लोगों ने बंगाल के दुर्भिक्ष (अकाल) के बारे में भी सुना था और नेता जी ने १००,००० टन चावल भेजने का निश्चय भी कर लिया था जो कि स्वीकार नहीं किया गया। इसकी सूचना रेडियो द्वारा हिन्दुस्तान भेजी गई थी। यह आउ-फर सम्भवतः अगस्त १९४३ में किया गया था जो कि सिंगापुर से किया गया था। बर्मा के लोगों को चावल की कमी नहीं थी। यह गवाही नाकाफी है जो कि सफाई पक्ष की पूर्ति नहीं करती है।

कर्नल लोगनाथन की गवाही का हवाला देते हुए बताया कि जब अस्थायी आज़ाद-हिन्द-सरकार बनाई थी तो वह भी मंत्री मंडल में था और आज़ाद-हिन्द-फौज में चिकित्सा विभाग का डायरेक्टर था। जिरह में इसने कहा था, "अस्थायी सरकार की घोषणा के समय, जिसमें मन्त्रियों के नाम भी घोषित किए गए थे, मैं भी था। मैं अस्थायी सरकार बनने से

लेकर अंडमान जाने तक अस्थायी सरकार का चिकित्सा विभाग का डायरेक्टर था। निर्देशानुसार हरेक मंत्री को अपना काम करना पड़ता था। कैबेनिट की मीटींग में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, प्रयाण-गीत युद्ध की घोषणा, तथा राष्ट्र-भाषा के सम्बन्ध में भी विचारविमर्श किया गया था। स्वाधीनता लीग से सम्बन्धित शाखाओं, उनके कार्य, फौज की भर्ती तथा ट्रेनिंग के सम्बन्ध में भी सोचा जाता था। सभी विषय सम्मिलित परामर्श के लिये थे।"

दीनानाथ ने अपनी गवाही में कहा था, "मैं रंगून ब्राँच की स्वाधीनता लीग का सदस्य था। मुझे अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार की घोषणा के सम्बन्ध में पता है। आजाद-हिन्द-बैंक भी था। मैं भी डायरेक्टरों में से एक था।" आपने आगे बताया, कि "पूर्व एशिया में सब जगह भारतीय स्वाधीनता लीग की ब्राँचें थीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है स्वाधीनता लीग का कार्य यह था, "अस्थायी सरकार के आदेशों के पालन के लिए मान्य संस्था थी। हरेक ब्राँच में बहुत से विभाग थे जिनका काम भिन्न भिन्न था। इसमें अर्थ विभाग, भर्ती विभाग, ट्रेनिंग विभाग, प्रचार विभाग, सुधार विभाग, ए. आर. पी. विभाग, स्त्री विभाग, तथा बाल सेना विभाग थे। स्वाधीनता लीग का काम भारतीयों की रक्षा करना था और विशेषतः छोड़ कर चले जाने वाले लोगों के धन तथा जायदाद की रक्षा करना था। हरेक ब्राँच का काम बीमारों की देख भाल तथा बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करना भी था।" जिरह में आपने कहा, "भर्ती से मेरा मतलब आजाद-हिन्द-फौज की भर्ती से है और प्रचार से मतलब अस्थायी सरकार तथा आजाद-हिन्द-फौज के प्रचार से है। रक्षा से मेरा

मतलब हवाई हमलों की रक्षा से है। औरतों की संस्था से तात्पर्य रानी आफ झाँसी रेजिमेंट से है। बाल सेना का काम हवाई हमलों तथा अन्य आवश्यक अवसरों पर जन सेवा करने से है।"

प्रश्न है कि क्या इसी का नाम अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार था जिसमें एक इंचभी राष्ट्र के गुण नहीं थे। कर के रूप में एक पाई भी नहीं ली जाती थी। इसे आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार कहा जाता था। इसलिए मलाया में किए गए कार्य आजाद-हिन्द सरकार के नाते से नहीं हो सकते। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसका काम तब पड़ता, जब कि जापानी हिन्दुस्तान पर कब्जा करने के बाद इसे हिन्दुस्तानियों के हवाले कर देते। यह सरकार केवल कागजी सरकार थी। वास्तव में कोई सरकार थी ही नहीं।

सफाई पक्ष के "स्टैम्प कलेकटिंग" नामक इंगलैंड से प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 'भारतीय प्रमाण कानून की ५७ वीं धारा के आधार पर केवल कुछ वास्तविकताएँ ही प्रमाण के रूप में ग्रहण की जा सकती हैं। सफाई पक्ष ने इस नोटिस को दस्तावेज स्वीकार कराने की प्रार्थना की है। इस धारा में इस के लिए कोई स्थान नहीं है। यह दस्तावेज ५७ वीं धारा के किसी भी १३ विभागों के अन्तर्गत नहीं आता इस में केवल इतिहास, साहित्य, विज्ञान तथा कलापूर्ण पुस्तकों तथा परिचय पुस्तक के अतिरिक्त और कोई भी कागज दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मैगजीन के पेश करने का मतलब यह है कि आजाद-हिन्द-की अस्थायी सरकार टिकट बनाने को तैयार थी और इसके लिए टिकटों के डिजाइन तथा आवश्यक सांचे भी बना लिए थे जो कि

जापानी सरकार के निर्देशानुसार बनाए गए थे, पर वह अजीब व गरीब बात हुई।

अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार को जापान सरकार तथा इसके मित्रराष्ट्रों द्वारा स्वीकार कर लेने के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना काफी होगा कि जापान ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही अर्थात युद्ध जीतने की इच्छा से ही इसे राष्ट्र स्वीकार किया था। यह जापान का ही काम था। श्री सुभाषचन्द्र बोस को जर्मन सरकार से परामर्श करने के बाद जर्मनी से मलाया बुलाया गया था। श्री मत्सू मोतो ने जिरह में कहा है "जापान सरकार ने जर्मन की सरकार से परामर्श किया और सुभाषचन्द्र बोस को जापान बुला लिया क्योंकि सुभाष बाबू हिन्दुस्तान की आजादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे और सोचा गया कि जापान को इस युद्ध में इनसे बहुत सहायता मिलेगी और जापान भी हिन्दुस्तान को आजाद कराने के इच्छा से सहायता करना चाहता था। जापान ने इसे अपने मतलब के लिए किया था। जहाँ तक मुझे याद है कि सुभाष बाबू अप्रैल १९४३ में आये थे। आजाद-हिन्द की अस्थायी सरकार की घोषणा मैंने अप्रैल १९४३ में सुनी थी। मेरा विचार है कि सुभाष बाबू जापान में एक मास रहे। मैंने विश्वस्त सूत्र से सुना था कि आजाद-हिन्द की अस्थायी सरकार बनाई जा रही है और उसके अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस बनाये जायेंगे तथा जापान इसे स्वीकार करके इस प्रकार की सहायता करेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जापान ने केवल इसी लिए अस्थायी सरकार को स्वीकार किया था कि इससे जापानी सरकार को युद्ध जीतने में सहायता मिलेगी। जापान ने अपने साथी राष्ट्रों से भी इसे स्वीकार करने के लिए कहा था

और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था।" गवाह ने आगे बताया कि सुभाषचन्द्र बोस ने जापान के सहयोगी राष्ट्रों व जापान सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लेने की प्रार्थना की थी। इस सम्बन्ध में गवाह ने कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया था। कुछ भी हो अस्थायी सरकार को अन्य राष्ट्रों ने स्वीकार अवश्य ही किया था। गवाह ने आगे बताया कि जापान हिन्दुस्तान को आज़ाद कराना चाहता था इसका मतलब यह है कि पहले जापान को लड़ाई जीतनी चाहिये और फिर ब्रिटेन तथा मित्रराष्ट्रों को हराना चाहिए था। जापान का हिन्दुस्तान को विजयी करके भारतीयों के हवाले करना भी एक महत्वपूर्ण बात है।

एस० ए० अय्यर ने अपनी गवाही में कहा था, "मुझे पता नहीं कि जापान ने हिन्दुस्तान के बारे में अपना मत प्रकट किया था।" जापान ने विजयी प्रदेशों के साथ क्या बर्ताव किया यह इतिहास की बात है। मैं स्वीकार करता हूँ कि जापान के मित्र-राष्ट्रों ने अस्थायी सरकार को एक सरकार स्वीकार कर लिया था पर वे सब के सब युद्ध में जापान सरकार के आधीन थे। यह ठीक है कि गवाह ने कहा था वे देश स्वतन्त्र थे और जापानियों के अधिकार में नहीं थे। गवाह ने स्वीकार किया है कि जापानी सेना इन सब प्रदेशों में थी, पर वह क्रियाहीन थी।

जापान सरकार का अस्थायी सरकार को एक मन्त्री भेजने की चर्चा करते हुए इस्तगासे के वकील ने बताया कि मन्त्री भेजने का फैसला नवम्बर १९४४ में किया गया था। इसके लिए श्री हाचिया को मन्त्री बनाया गया और वह रंगून में मार्च १९४५ में पहुँचे थे। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि रंगून जाते समय इसे किसी प्रकार का अधिकार पत्र नहीं दिया गया था। अधिकार पत्र इस लिए नहीं दिया गया था क्योंकि सरकार

अस्थायी थी। श्री सुभाष बोस की स्वीकृति पर श्री हाचिया को अधिकार पत्र मई के मध्य में भेजा गया था। पर सत्य तो यह है कि श्री हाचिया के पास कोई अधिकार पत्र ही नहीं पहुँचा। गवाह ने जिरह में बताया है कि हाचिया ने वास्तव में मन्त्री पद पर कार्य किया था। इसने स्वीकार किया है कि श्री बोस ने अधिकार पत्र न होने के कारण इनके साथ कुछ भी सम्बन्ध रखने के लिए अस्वीकार कर दिया था।

श्री हाचिया ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह कोई अधिकार पत्र अपने साथ नहीं लाये थे और न ही कभी मिला। हाँ, एक तार इस आशय का जरूर मिला था कि अधिकार पत्र भेज दिया गया है। गवाह के अनुसार यह कर्नल चटर्जी से दो बार तथा आ अय्यर से केवल एक बार मिले थे। इसने यह भी स्वीकार किया है कि अधिकार पत्र न होने के कारण श्री बोस ने इनसे मिलने के लिए इन्कार कर दिया था और सुभाष बोस के कहने पर इन्होंने टोकियो एक तार भी भेजा था।

मेरा निवेदन यह है कि जापान सरकार ने अस्थायी आज़ाद-हिन्द-सरकार को अंडमान तथा निकोबार द्वीप सौंपे ही नहीं थे और नहीं कर्नल लोकनाथन तथा किसी अन्य व्यक्ति ने इन स्थानों के कार्य सम्भाला हो। वास्तव में जापान को इन द्वीपों के सौंपने का अधिकार ही नहीं था। कर्नल लोकनाथ ने आरम्भ से अन्त तक भ्रम मूलक गवाही दी है। इन के सब के सब बयान असत्य हैं। गवाह अपने बयानों को समझाने में असमर्थ रहा है।

सफाई पक्ष ने जियावादी रियासत के कार्य का भी हवाला दिया है। इस सम्बन्ध में दो गवाहियां हुई हैं। श्री दीनानाथ के अनुसार यह [illegible]-सरकार के हवाले करदी गई थी। इस ने अपनी गवाही में कहा है। 'इस का

प्रतिनिधि आजाद-हिन्द-फौज के अर्थ मन्त्री द्वारा स्थापित किया गया था। वहाँ पर सूती कारखाने, ऊनी कारखाने, अस्पताल थे और यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी। इसकी आबादी १५,००० था जिसमें अधिकांश भारतीय थे। आजाद-हिन्द-फौज का वहाँ आधिपत्य था। वहाँ पर अस्पताल थे जो कि आजाद-हिन्द-फौज द्वारा चलाए जाते थे। यहाँ पर ट्रेनिंग कैम्प भी थे। सारी आमदनी आजाद-हिन्द-सरकार के हवाले करदी जाती थी।"

जिरह में गवाह ने बताया था कि यह रियासत परमानन्द की थी पर यह नहीं जानता कि वास्तव में इस का असली मालिक कौन था। यह रियासत मि० परमानन्द द्वारा आजाद-हिन्द-सरकार को सौंपी गई थी। एक सार्वजनिक सभा में श्री सुभाष बोस की अपील पर मि० परमानन्द ने घोषणा की थी, "मैं आज यह रियासत आजाद-हिन्द-सरकार के हवाले करता हूँ।" मि० परमानन्द सप्लाई के मिनिस्टर थे। इस घोषणा के बाद इस रियासत की प्रत्येक वस्तु अस्थायी सरकार के अधीन थी। इसके कारखाने आजाद-हिन्द-फौज द्वारा संचालित होते थे।

वास्तव में रियासत अस्थायी सरकार के फंड में मिला दी गई थी पर यह रियासत स्वतन्त्र राष्ट्रों के समान अस्थायी सरकार के हवाले नहीं की गई था केवल इसकी आमदनी सौंपी गई थी।

इसी स्थान पर इस्तगासे के वकील ने मि० शिवसिंह की गवाही से उद्धरण पेश किए। इस्तगासे ने बताया कि यह रियासत अस्थायी सरकार के हवाले नहीं की गई थी अपितु इसकी आमदनी ही सौंपी गई थी। इसके बाद अदालत लंच के लिए स्थगित हो गई।

लंच के बाद

बहस जारी रखते हुए सर इंजीनियर ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत जापानियों को अपने जीते हुए प्रदेश को आजाद-हिन्द-फौज के हाथ में सौंपने का अधिकार नहीं था। जहाँ तक जापानियों द्वारा अधिकार किए गए मणिपुर और बिशनपुर के क्षेत्र का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था के लिए श्री सुभाषचन्द्र बोस द्वारा तैयार किए गए कई व्यक्तियों में एक भी व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं था। मैं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कह सकता हूँ कि आजाद-हिन्द-दल २१ जून १९४४ तक भी भारत नहीं पहुँचा था।

कप्तान अरशद

कप्तान अरशद ने अपनी गवाही में कहा था कि कर्नल हंट ने कहा था, "अब से आगे तुम्हारा सम्बन्ध जापान सरकार से है और जिस प्रकार तुम अब तक हमारी आज्ञा मानते रहे हो उसी प्रकार आज से इन का हुक्म मानना पड़ेगा।" जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि कर्नल हंट ने यह शब्द प्रयुक्त नहीं किए थे अपितु सफाई पक्ष को यह बयान दिया, "अब तुम युद्ध बन्दी हो और मैं तुमको जापान अधिकारियों के हवाले करता हूँ।" सहगल के सम्बन्ध में कहा गया यह बयान कि सहगल आजाद-हिन्द-फौज में अगस्त १९४२ में भर्ती हुआ था, बिल्कुल गलत है। हमारे पास बहुत से प्रमाण मौजूद हैं कि सहगल आजाद-हिन्द-फौज में इससे पहले ही भर्ती हो चुके थे और इन्होंने दूसरे युद्ध-बन्दियों को आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। इस ने अपने बयान में कहा है कि वे आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती करने के बलप्रयोगों से जानकारी

नहीं रखते हैं। यह भी असत्य है क्योंकि आप ने आगे अपने बयान में कहा है, "यह भी तय किया गया कि लोगों को आजाद्-हिन्द-फौज में स्वेच्छा से भर्ती किया जावे।" यह बात समझने में असमर्थ रहे कि ऐसा फैसला क्यों किया गया जब कि पहले ही भर्ती स्वेच्छा से की जाती थी। जो बयान इन्होंने दिया वह सत्यता से परे है। आपने स्वीकार किया है कि भारतीय युद्ध-बन्दियों के लिए कहा गया था कि या तो आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होवें अथवा युद्ध-बन्दियों का सा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसने स्वीकार किया है कि फरवरी में अफसरों को आदमियों से अलग कर दिया गया था पर यह इस उद्देश्य से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। इसमें "हमारा संघर्ष" नामक विज्ञप्ति की जानकारी से इन्कार किया है। इनका यह बयान मैं नहीं जानता कि कप्तान मोहनसिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, पूर्णतया अमान्य है। अतः इस गवाह की गवाही पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता।

आजाद-हिन्द-बैंक

मि० दीनानाथ ने अपनी गवाही में कहा कि अन्य सार्वजनिक बैंक की भांति आजाद-हिन्द-बैंक की भी रजिष्ट्री हुई थी और इस बैंक में साझीदारी भी थी। इस बैंक की पूंजी ५० लाख थी। अन्य नियमित विधानों के मुताबिक यह बैंक भी बैंकर का काम करता था। इस बैंक की समस्त पूंजी जापानी नोटों में थी और केवल ५० या ६० हजार रुपये ही ब्रिटिश-नोटों में थे। सफाई पक्ष की ओर से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था कि इस सरकार का एक आजाद-हिन्द-बैंक था।

कप्तान सहगल के युद्ध-बन्दी की हैसियत से आत्मसमर्पण करने की चर्चा करते हुए इस्तगासे ने कहा कि कर्नल किट्सन

को कप्तान सहगल या आजाद-हिन्द-फौज को युद्ध रत स्वीकार करने कोई अधिकार नहीं था। सिंगापुर में भारतीय असहाय नहीं छोड़े गये थे । अपितु वे युद्ध-बन्दी की तरह सौंपे गए थे। आपने आगे कहा कि सभी अभियुक्तों ने भारत पर अधिकार करने के लिए जापानियों को सभी सम्भाव उपायों से सहायता की थी। जिस समय जापानी युद्ध क्षेत्र से हटने लगे तब भी ये बर्मा में लड़ते रहे और इस के लिये उत्सुक थे कि जापानी भारत पर अधिकार कर लें।

स्वामिभक्ति की चर्चा करते हुये उन्होंने बताया कि कानून में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि ब्रिटेन का शासन अधिकार जिसके हाथ में है, उसके हाथ में भारत का शासन भी है। उन्होंने बताया कि जापानियों से भारत की रक्षा करने में ब्रिटिश सरकार को सफलता मिली है। पहले के युद्ध की बातें इसमें लागू नहीं होती है। उन्होंने बताया कि प्रथम महायुद्ध में आजाद-हिन्द-फौज की तरह आयरिश ब्रिगेड भी बना था, और उसका भी यही उद्देश्य था। आजाद-हिन्द-फौज ने जो कार्य किया, वैसा ही उसने किया था। श्री भूलाभाई देसाई ने कहा कि ऐसा कहा जाता था, किन्तु उन लोगों ने वैसा किया नहीं। इस्तगासे के वकील ने कहा कि ऐसा करने की चेष्टा की गई। यदि कार्यवाही की जाती है, तो वह अपराध और भी बड़ा है।

इस्तगासे के वकील ने बहस जारी करते हुये कहा कि यद्यपि भारतीय दण्ड विधान में देशद्रोह के अभियोग की चर्चा नहीं की गई है, परन्तु देश द्रोह की परिभाषा यह है कि राज भक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना, राजा के विरुद्ध विद्रोह करना है। उन्होंने यह बताया कि मुकदमा नियमानुसार चल रहा है और प्रान्तीय

सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही इस मुकदमे में भिन्न भिन्न अभियोगों को भी नहीं मिलाया गया, जो मिलाये नहीं जा सकते थे। यदि किसी नियम के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई हो तो भी जब तक फौजी अदालत का निर्णय पूर्ण हो तब तक उस मुकदमे को रोका नहीं जा सकता।

दसवाँ अभियोग

दसवाँ अभियोग कप्तान शाहनवाज के विरुद्ध है, जिसमें २६ मार्च १९४५ व इसके आस पास पोपा पहाड़ी पर सिपाही मोहम्मद हुसैन की हत्या में योग देने का अभियोग लगाया गया है। इसके लिए इस्तगासे की ओर से हवलदार गुलाम मोहम्मद, अल्लादित्ता, आशीरीराम तथा लांसनायक सरदार मोहम्मद हैं। हवलदार गुलाम मोहम्मद ने अपनी गवाही में बताया था कि २६-२७ मार्च के दिन तीन आदमी भागना चाहते थे जिनमें से ही मोहम्मद हुसैन भी एक था। इन तीनों आदमियों को कप्तान शाहनवाज के सामने उपस्थित किया गया। कप्तान शाहनवाज ने उनसे प्रश्न पूछे और मोहम्मद हुसैन ने अपना अभियोग स्वीकार कर लिया तथा शेष दो ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया। कप्तान शाहनवाज ने इनको डिविजनल हेडक्वार्टर भेज दिया। इन पर तीन अलग-अलग अभियोग लगाये गये जिनको गवाह ने पढ़ा था।

दूसरे गवाह अल्लादित्ता ने अपनी गवाही में बताया था कि वह मोहम्मद हुसैन को जानता था। गवाह ने आगे बताया कि २६ मार्च १९४५ को सवा तीन बजे मोहम्मद हुसैन मेरे कमरे के पास

आया और कहा कि हमें यहाँ से भागना चाहिये। गवाह ने उसे कहा कि आज भागने का दिन नहीं है फिर किसी दिन देखा जायेगा, इस पर वह चला गया। उसी दिन शाम को गवाह को बटैलियन हेडक्वार्टर बुलाया गया जहाँ पर जागीरीराम, मोहम्मद हुसैन तथा खजीनशाह पहले से ही मौजूद थे। आगे गवाही इस प्रकार है, "इसके बाद खजीनशाह ने मुझे पीटा और कहा कि तुमने आजाद-हिन्द-फौज से विश्वासघात किया है। तुम जैसे मुसलमानों ने तुर्कों को भी मात कर दिया है। इसके बाद मुझे हेडक्वार्टर भेज दिया गया। दूसरे दिन मुझे कर्नल सहगल के सामने पेश किया गया और एक-एक के बयान लिये गये। सहगल ने मुझसे पूछा कि क्या तुम भागना चाहते थे। मैंने कहा, 'नहीं,' मैंने भागने का इरादा नहीं किया। मैंने मुहम्मद हुसैन के मेरे पास आने वाली बात कह सुनाई। फिर मुझे बाहर भेज दिया। खजीनशाह ने गुलाम मोहम्मद को आज्ञा दी कि वह हमें पीटे और हमसे भागने के बारे में पूछे। २५ मार्च १९४५ को मुझे पीटा गया, अनेकों सवाल पूछे गए। २६ मार्च १९४५ को हमें कप्तान शाहनवाज के सामने पेश किया गया। मैंने वहाँ देखा कि अलग अलग तीन Crime report (क्राइम रिपोर्ट) पहले से ही रखी हुई थीं। कप्तान शाहनवाज ने उन्हें पढ़ कर सुनाया। पहले जागीरी राम से प्रश्न पूछे गये, फिर मुझसे। मैंने बताया कि मैंने भागने का इरादा ही नहीं किया था। कप्तान शाहनवाज ने कहा कि तुम एन० सी० ओ० थे, तुम्हें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए था। मैंने गल्ती स्वीकार की। इसके बाद दूसरे लोगों से भी इसी सम्बन्ध के सवाल पूछे। कर्नल शाहनवाज ने मोहम्मद हुसैन से कहा कि तुम्हें मौत की सजा दी जाती है क्योंकि तुम स्वयं

भाग जाना चाहते थे और दूसरों को भगाने में प्रोत्साहन दे रहे थे। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। फिर हमारा मुकदमा रेजीमेन्टल कमांडर के पास भेज दिया गया। मैं कर्नल शाहनवाज को अभियुक्त के रूप में पहचानता हूँ। हम तीनों को ब्रिगेड हेडक्वार्टर वापस लाया गया और हमें उन्हीं चट्टियों में वापिस बन्द कर दिया। उसी दिन शाम को ५ बजे सरदार मोहम्मद तथा अयासिंह मोहम्मद हुसैन को ले गए। इसके बाद मैंने मोहम्मद हुसैन को नहीं देखा। मुझे पोपा के नजर बन्द कैम्प भेज दिया।"

जिरह में सफाई पक्ष ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कप्तान शाहनवाज ने मोहम्मद हुसैन को मौत की सजा ही नहीं दी। जिरह इस प्रकार है: "मेरे तथा जागीरीराम के मामले में कोई फैसला नहीं किया गया। कर्नल शाहनवाज ने केवल यही कहा था कि तुम मौत की सजा के लायक हो। कर्नल शाहनवाज ने मोहम्मद हुसैन को कहा, 'तुमने भागने का प्रयत्न किया। और दूसरों को बहका रहे थे। तुम आजाद-हिन्द-फौज के गद्दार हो। मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ।" मैंने शाहनवाज को Crime report (अभियोग-पत्र) पर कुछ लिखते हुए देखा था। मैं मेज पर झुके बगैर कैसे पढ़ सकता था। मैं अंग्रेजी नहीं जानता।"

मेरा निवेदन है कि यह गवाही सफाई पक्ष की सहायता नहीं करती है। जिरह को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि कप्तान शाहनवाज ने मोहम्मद हुसैन को मौत की सजा दी थी। गवाह ने अभियोग-पत्र (crime-report) की बात कही है। यह भी सत्य है कि कर्नल शाहनवाज ने वास्तव में कुछ लिखा अवश्य था। गवाह

अंग्रेजी नहीं जानता फिर भी crime-report (अभियोग-पत्र) को समझता है।

इस्तगासे के वकील ने इससे आगे जागीरीराम तथा अल्ला-दित्ता की गवाहियों के उद्धरण पेश किए। मेरा यह निवेदन है कि इन गवाहियों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि मोहम्मद हुसैन को मौत की सजा दी गई। खजानशाह ने अयासिंह को आज्ञा दी थी कि वह मोहम्मद हुसैन को गोली से मार देने की आज्ञा दे। यह भी सिद्ध हो चुका है कि मोहम्मद हुसैन को गोली से उड़ा कर मार दिया गया था। इस सम्बन्ध में आपके सामने काफी गवाहियाँ मौजूद हैं। हवलदार मोहम्मद हुसैन ने crime-reyort (अभियोग-पत्र) देखा था, फिर कप्तान शाहनवाज के इस-बयान को कि इन्होंने अभियोग पत्र नहीं लिखा स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी सत्य है कि मोहम्मद को गोली मार कर मौत की सजा देनी थी। यह भी प्रमाणित हो चुका है कि मोहम्मद हुसैन के लिए कब्र खोदी गई थी और आज्ञा दी गई थी कि इस कब्र में दफना दो।

कप्तान शाहनवाज ने अपने बयान में कहा है कि मैंने किसी प्रकार की सजा ही नहीं दी। मैंने तो केवल धमकी दी थी और इस के बाद मामले को दुबारा मेरे सामने लाने को कहा था। इस के बाद यह मामला मेरे पास आया ही नहीं।

इस्तगासे के वकील ने कहा कि मैं इस बयान पर विश्वास नहीं करता क्योंकि गवाहों ने सिद्ध कर दिया है कि मोहम्मद हुसैन को मौत की सजा दी गई और उसे कार्य रूप में परिणत किया गया। आपने आगे कहा कि मोहम्मद हुसैन की मृत्यु के सबूत शक-शुबह से रहित हैं, फिर यदि अदालत के मन में कोई

शुरू हो तो कप्तान शाहनवाज के विरुद्ध हत्या में योग देना तो निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो ही चुका है। अतः कप्तान शाह-नवाज इस अभियोग में दोषी हैं।

२ से ६ तक के अभियोग

अब मैं २ से ६ तक के अभियोग, जो कि कप्तान सहगल तथा ले० ढिल्लन के विरुद्ध हत्या करने तथा हत्या में योग देने के अभियोग हैं, पर प्रकाश डालूंगा।

इन अभियोगों के सम्बन्ध में हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं। दो अभियोग-पत्र हैं जिन दोनों पर ६ मार्च १६४५ की तारीख दर्ज है। हम नहीं कह सकते कि दो अभियोग पत्र कैसे आये। सफाई पक्ष ने दोनों का असत्य माना है कि दोनों अभि-योग-पत्रों में भाषा का अन्तर है। मेरा निवेदन है कि अन्तर केवल "years" शब्द का है जो कि एक में नहीं है। दोनों अभियोग-पत्रों पर ले० ढिल्लन तथा कप्तान सहगल के हस्ताक्षर मौजूद हैं। "मौत की सजा" वाले भाग के नीचे कप्तान सहगल के हस्ताक्षर हैं। इससे पता चलता है कप्तान सहगल ने मौत की सजा दी थी। कप्तान सहगल ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है कि वे चारों दोषी पाये गए थे और इनको मौत की सजा दी गई थी, पर आगे इन्होंने कहा है कि सजा को कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया और इन अभियुक्तों के खेद प्रकट करने पर इनको माफ कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि यह सजा केवल इस लिये दी गई थी कि दूसरे लोगों पर भी इसका असर पड़े जिस से भविष्य में दूसरा कोई ऐसा न कर सके।

"डिविजन कमांडर के लिए रिमांड लिया जाता है" वाले भाग ले० ढिल्लन के हाथ से लिखा हुआ है और इस पर हस्ताक्षर भी इन्हीं के हैं। ले० ढिल्लन ने अपने बयान में स्वीकार किया है, "यह सत्य है कि मैंने चारों भगोड़ों का मुकदमा किया था। यह असत्य है कि मेरे कहने पर इन लोगों को मारा गया था। इस समय मैं बिमार था और बिस्तर में था क्यों कि मैं हिल भी नहीं सकता था। इन लोगों को सजा दी गई थी पर बाद में डिविजन कमांडर द्वारा माफ कर दिए गए तथा कभी भी इस आज्ञा को क्रियात्मक रूप नहीं दिया गया था।

ये बयान देते समय कप्तान सहगल तथा ले० ढिल्लन ने बयान बनाते समय अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज को ध्यान में नहीं रखा है जिस पर १६ मार्च १६४५ के दिन कप्तान शाहनवाज के हस्ताक्षर हैं जो कि उस समय डिविजन अफसर थे। सफाई पक्ष ने इस दस्तावेज का हवाला नहीं दिया है। यह दस्तावेज भी ले० नाग की गवाही से सिद्ध हो चुका है। इस दस्तावेज में यह लिखा है, "६ मार्च १६४५ को ७ बजे मौत की सजा को कार्य रूप दिया गया।" इस में आगे लिखा है, "इस आज्ञा को सब पलटनों में सुना दिया जावे।"

इन चारों सिपाहियों की मौत की सजा को कार्य रूप देने के सम्बन्ध में सिपाही अब्दुल हाफिज खां की गवाही हमारे सामने है। वह कहता है, "मैंने चार आदमियों को मेरे सामने गोली मारते देखा था। एक दिन मैं एक रोगी को ला रहा था तो मैंने चार आदमियों को नाले पर देखा जिनके हाथ पीछे की ओर बन्धे हुए थे इनको सन्तरी पकड़े हुए थे। जिस समय मैं रोगी को छोड़कर वापिस आरहा था तो मैंने नाले पर बहुत से लोगों

की भीड़ देखी। मैं वहां गया। नाले में खाई खुदी हुई थी। अभियुक्त मेजर ढिल्लन और अन्य अफसर वहाँ मौजूद थे। चारों आदमियों को खाई में बिठा रखा था। मेजर ढिल्लन नें कहा था कि चारों आदमी दुश्मन की ओर भाग कर जा रहे थे, अतः इन को मौत की सजा दी गई है।

इसके बाद चारों आदमियों को बारी-बारी से बुलाकर गोली से उड़ा दिया गया। फिर मेजर ढिल्लन ने नायक शेर सिंह को आज्ञा दी कि इन तड़फते लोगों को एक वा दो और गोलियां मारो। इस आज्ञा को उसने मान कर, कहने के मुताबिक किया। इसके बाद कप्तान जी, मेडिकल अफसर ने शवों की परीक्षा की और मेजर ढिल्लन को कहा कि चारों आदमी मर गए हैं। इसके बाद मेजर ढिल्लन ने इनको दफनाने की आज्ञा दी। इनको दफनाते हुए गवाह ने नहीं देखा था।

सफाई पक्ष ने यह दलील पेश की है कि इस गवाह को वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। वह रोगी को दाखिल करा कर अपने काम पर वापिस जा सकता था। मेरा निवेदन यह है कि इसमें कोई भी अस्वाभाविक बात नहीं कि ऐसी घटना को देखने के लिए कोई आदमी न रुके। यह इस की मानवता थी कि वह वहां रुककर इस घटना को देखता रहा।

आगे सफाई पक्ष ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि गवाह हिदायतुल्ला, कालूराम, नायक शेर सिंह के नाम नहीं जानता क्योंकि इसने कभी भी इनकी प्राथमिक-चिकित्सा नहीं की थी। गवाह ने कहा था कि वह उनको जानता था क्योंकि वे इसकी बटेलियन से सम्बन्ध रखते थे। वास्तव में समस्त ७ नम्बर की बटेलियन के अस्पताल से सम्बन्ध रखती थी। फिर कैसे हो सकता है कि

यह उनको न जाने। वे मेरी बटेलियन में थे और मैं उनको जानता था। यह गवाहने कहा है, उसने यह भी कहा था, "जिन लोगों के सम्पर्क में मैं आता था, मैं नाम से परिचित हो जाता था। इस दिन से पूर्व मेरी इनसे बात नहीं हुई थी।" गवाह ने यह भी कहा है कि वह मेजर ढिल्लन से १२ व १५ गज के फासले पर था इसलिए अदालत में अपने बयान में कही सभी बातें वह याद रख सकता है। इसने उनके नामों से इन्कार किया है न कि शनाख्त से।

इस सम्बन्ध में दूसरे गवाह सिपाही ग्यानसिंह है। गवाह ने कहा है, "चारों लाशों को खाई में दफनाया गया था और मैंने उन लाशों को दफनाते देखा था।

सफाई पक्ष का यह कहना कि मेजर ढिल्लन इस घटना के समय इतने बीमार थे कि वे बिस्तर पर से हिल भी नहीं सकते थे, तो फिर कैसे वहाँ उपस्थित हो सकते थे। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि हमारे सामने इस सम्बन्ध में एक दस्तावेज मौजूद है जिस पर ले० ढिल्लन के हस्ताक्षर हैं और तारीख ६ मार्च १९४५ अंकित है। ले० ढिल्लन के एक पत्र में लिखा है, "मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर इस आज्ञा-पत्र में दे दिया है, शेष का उत्तर मैं कल आकर दूँगा"। मेरा निवेदन है कि इस दस्तावेज से यह सिद्ध नहीं होता है कि मेजर ढिल्लन वहाँ मौजूद न थे।

आगे सफाई पक्ष ने कहा कि चारों आदमियों की पहचान नहीं हुई थी। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में अदालत में प्रस्तुत अभियोग-पत्र (Crime-report) ही काफी है। ले०

ढिल्लन ने भी इस्तगासे के गवाहों के समान यह कहा है कि वे चार आदमी भागना चाहते थे।

सफाई पक्ष ने यह दलील पेश की है कि सिपाही अब्दुल हाफिजखान की गवाही ग्यानसिंह की गवाही से मेल नहीं खाती है। ग्यानसिंह ने यह कहा है, "मैं नहीं जानता कि गैर कम्पनी के आदमी वहाँ मौजूद थे। यह पूर्णतया गलत है।" ग्यानसिंह ने यह शब्द नहीं कहे अपितु अब्दुल हाफिज खान के शब्द हैं। इसने कहा है, "मेरे तथा कम्पनी के अफसरों के अतिरिक्त मैंने किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखा।" अतः मेरे लायक दोस्त ने इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं कही है।

अभियुक्त दोषी हैं

ताजीरात-हिन्द की धारा ३०२ में खूनी के लिये सजा है। ताजीरात हिन्द की धारा २९९ के आधार पर, जो कि कत्ल-इन्सान मुस्तजिमसजा इरादे से की हो तो अभियुक्त सजा का हकदार है और ३०० में यदि कत्ल इरादे से किया गया हो पर इस में कुछ विशेष बातें हैं जिनके आधार पर अभियुक्त सजा का हकदार नहीं है। पर इस मुकदमे में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ताजीरात-हिन्द की धारा १०९ में हत्या में योग देने पर सजा होती है तथा धारा १०७ में किसी और को योग देने के लिये प्रोत्साहन देता है। चारों सिपाही को गोली से उड़ाये जाते समय मौजूद नहीं थे, अतः इनके विरुद्ध हत्या में योग देने का अभियोग लगाया गया है। ताजीरात-हिन्द की धारा ११४ में लिखा है, "अनुपस्थिति की अवस्था में अभियुक्त हत्या में योग देने के अभियोग में दोषी है।" चूँकि कप्तान सहगल फाँसी दिये जाने के समय मौजूद न थे, अतः यह हत्या में योग देने के

अभियोग में ही दोषी हैं। इसी आधार पर कप्तान शाहनवाज भी मोहम्मद हुसैन की मृत्यु के समय मौजूद नहीं थे अत हत्या में योग देने के अभियोग में दोषी हैं।

सफाई पक्ष के इस प्रश्न का कि सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का एक ही अभियोग है और हत्या करने का अभियोग उसमें शामिल है। इसका उत्तर देते हुये सर इंजीनियर ने बताया कि हत्या करने का अभियोग अलग है। युद्ध करना अपने ही तरफ के व्यक्तियों की हत्या करने में शामिल नहीं है, जैसा कि इस मुकदमे में है। यदि यह कहा जाय कि यह हत्या आजाद-हिन्द-फौज के कानून के अन्तर्गत थी तो आजाद-हिन्द-फौज के कानून भी अवैध थे और अस्थायी सरकार ही अवैध संस्था थी। यह सिद्ध करने के लिये कि अस्थायी सरकार और आजाद-हिन्द-फौज अवैध संस्थायें थीं उन्होंने ब्रिटेन के कानून विशेषज्ञों के विचारों का हवाला दिया।

..............मेरा निवेदन है कि २ से ८ तक अभियोग अभियुक्तों के विरुद्ध प्रमाणित हो चुके हैं।

उपसंहार

मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूं कि सब के सब अभियोग अभियुक्तों के विरुद्ध सिद्ध हो चुके हैं। गवाहों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि अभियुक्तों ने नौकरी की गर्ज से यह सब कुछ नहीं किया है, इन्होंने जो कुछ भी किया है वह सब सोच समझ कर देशभक्ति की इच्छा से किया है। चाहे स्वयं किया हो या किसी के बहकाने पर किया हो, पर जो कुछ किया है अपने देश की सेवा के लिए ही किया है। कानून के अनुसार सफाई पक्ष अभियुक्तों के पक्ष में कामयाब नहीं हुआ है,

पर मैं निवेदन करूँगा कि सजा के प्रश्न पर सोचते समय अभियुक्तों के साथ कानूनी तौर पर नर्मी का बर्ताव किया जावे। जहाँ तक अदालत का सम्बन्ध है इसके हाथ कानून से बँधे हुए हैं। यह अदालत कम से कम सजा जो दे सकती है, वह है, आजन्म 'कारावास'। यदि अदालत मुकदमा अभियुक्तों के विरुद्ध पाती है पर अदालत यह महसूस करती है, सजा में कमी की जानी चाहिए, तो अदालत को ऐसा करने का हक है, पर इसे पुष्टिकर्ता अफसर को उस की पुष्टि के लिये भेजना पड़ेगा।

अदालत का नोट

जज एडवोकेट ने २९ दिसम्बर तक के लिए अदालत स्थगित रखने की प्रार्थना की है जिससे कि वे मुकदमे का संक्षिप्त विवरण तैयार कर सकें। अदालत इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करती है।

इसके बाद अदालत २९ दिसम्बर १९४५ शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

जज-एडवोकेट द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर प्रकाश

२९ दिसम्बर १९४५

२२ दिसम्बर के बाद आज २९ दिसम्बर ४५ को अदालत की कार्यवाही फिर प्रारम्भ हुई।

प्रथम ऐतिहासिक मुकदमे की फौजी अदालत का अन्तिम दृश्य

आज आजाद-हिन्द-फौज के प्रथम ऐतिहासिक मुकदमे की फौजी अदालत का अन्तिम दृश्य उपस्थित हुआ जबकि आशा और उत्सुकता से भरे हुए वातावरण में जज एडवोकेट कर्नल केरिन ने मुकदमे का खुलासा पढ़कर सुनाया। विवरण ६० पृष्ठों में था। उसका खुलासा नीचे दिया जा रहा है।

जज एडवोकेट ने मुकदमे के खुलासे में कहा—आप कुछ समय से ऐसे मुकदमे को सुन रहे हैं जिसके कारण स्वभावतः ही आप लोगों को बहुत ही चिन्ता, व्यग्रता तथा परेशानियां हो रही हैं। जैसा यह मामला है ऐसे मामले कभी कभी ही आते हैं, जब फौजी अदालत को ऐसे कानूनी और वास्तविक प्रश्नों का निर्णय करना पड़ता है। आपके सामने जो तीन अभियुक्त हैं,

आपके ऊपर उन्हें दोषी व निर्दोष ठहराने का उत्तरदायित्व है। मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं अपनी योग्यतानुसार इन आरोपों में कानून किस सीमा तक आरोपित होता है तथा साथ ही क्रमशः इस्तगासे तथा बचाव पक्ष द्वारा उपस्थित सभी तथ्यों पर भी विचार विमर्श करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा करने में मैं निष्पक्ष ही रहूँगा। मेरा काम केवल कानूनी प्रश्नों को आपके सामने खोलकर रखना है और निर्णय करना आप लोगों का काम है। किसी भी प्रश्न पर निर्णय देना मेरा काम नहीं है। मैं आपसे विनयपूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि खुलासे के अन्तर्गत किसी प्रकार का ऐसा भाव झलकता हो कि मैं गवाहों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ तो उसमें मेरी ओर से किसी का आक्षेप लगाने का प्रयत्न न समझें। यह हो सकता है कि मैं कुछ घटनाओं को उदाहरण के रूप में उपस्थित करूं, जो कि गुजर चुकी हैं अथवा कुछ वार्तालाप भी उपस्थित करूँ। मैं उन घटनाओं अथवा बातों को उपस्थित कर सकता हूँ पर उनके सम्बन्ध में अपना कोई विचार प्रकट नहीं करूंगा जैसा कि पुष्टि-कर्ता गवाहों ने जिस विश्वास के साथ रखा है। मैं केवल कानून को खुलासा करने की इच्छा से ही उन तथ्यों को उपस्थित करूँगा।

वह समय आ गया है जबकि आपको गवाहों के कथन पर विचार करते हुए अभियोग को सिद्ध करना है व रद्द करना है। जैसा आप लोगों को उचित लगेगा, करेंगे; उस परिणाम तक पहुँचने के लिए आपको केवल गवाहों के कथन पर, जो कि आपके सामने बताये गये हैं, विचार करना है, साथ ही अभि-युक्तों के कथन पर भी विचार करना है। यह केवल आपको इस आधार पर कहा जा रहा है कि आपने शपथ ग्रहण की है अतः

मुझे यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि आप इस मुकदमे के बारे में अदालत की चार दिवारी से बाहर के विचारों का ख्याल नहीं करेंगे। इस मुकदमे में पत्रों ने जनता का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित किया है और ऐसा प्रायः दैनिक जीवन में होना स्वभाविक है, पर आपको उन सभी विचारों तथा बातों का ख्याल न करते हुए केवल गवाहों के कथन आधार पर ही निर्णय करें। इसी सम्बन्ध में मैं यह भी बताना आवश्यक समझता हूँ कि आप लोगों ने इस्तगासे के एडवोकेट जनरल तथा बचाव पक्ष के माननीय वकील के वक्तापूर्ण व्याख्यान सुने हैं। पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपने जो गवाहियां सुनी हैं उनको अच्छी तरह से समझें तथा दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित वक्ताओं को भी समझें जिनके आधार पर उन्होंने आप को अपने अपने अनुसार परिणाम निकालने पर जोर दिया है। आपको इनसे विचार करने में सहायता मिलेगी, पर आपका काम गवाहों के तथ्यों के आधार पर निर्णय करना होगा।

फौजी कानून—जो कि ब्रिटिश तथा भारत में लागू है—का एक सिद्धान्त है जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। आप उस सिद्धान्त से पूर्णतया परिचित हैं, पर यह इतना आवश्यक है कि मैं उस कानून को उपस्थित करने के लिए भी प्रार्थी हूँ। संक्षेप में प्रत्येक अभियुक्त के प्रत्येक दोषों को जो कि उन पर लागू किये हैं तथा प्रत्येक तथ्य को जो कि उन पर आरोपित किये गये हैं, सिद्ध करना इस्तगासे का काम है और इस्तगासे का यह कर्त्तव्य है कि वह गवाहों के आधार अभियुक्तों के दोषों को बताकर आपकी सन्तुष्टि करे। अभियुक्त जब तक अपराध सिद्ध न हो जाये तब तक निर्दोष समझे

जाने चाहियें । अभियुक्त के अपराधों को सिद्ध करना इस्तगासे का काम है पर अभियुक्तों का काम नहीं है कि वे अपनी निर्दोषिता प्रकट करें । मैं आपका ध्यान बहुत महत्वपूर्ण भाग की ओर, भारतीय गवाही धारा तीन के अनुसार जिसमें दोषों के सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाणों की आवश्यकता पर बल दिया है, आकर्षित करूँगा । यदि किसी भी स्थान पर आपको किसी प्रकार का संशय दिखाई दे, चाहे वह सभी बातों पर हो या किसी एक भाग पर, आपका कर्त्तव्य है कि उसका लाभ आप अभियुक्त को दें ।

बचाव पक्ष की ओर से अपनी वक्तृता के अन्त में दो दलीलें पेश की गई हैं । प्रथम दलील यह है कि भारतीय अदालत की धारा ४१ के अनुसार इस अदालत को मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है । दूसरे कई अभियोग एक साथ मिला दिए गए हैं । दोनों दलीलें मुकदमे के प्रारम्भ में भी उपस्थित की गई थीं । यदि इन्हें स्वीकार कर लिया होता तो अदालत उसी समय स्थगित करदी होती । अत: मैं पहले इन दलीलों के आधार पर इन दलीलों को लेता हूँ जिससे कि कानून के सम्बन्ध में मेरे विचारों से आप अवगत हो जावें । इससे पूर्व कि आप इस मुकदमे के सम्बन्ध में उठाये गये दूसरे प्रश्नों पर विचार करें ।

बचाव पक्ष की ओर से सबसे प्रथम यह दलील पेश की गई है कि ताज़ीरात हिन्द की धारा १२१ के अनुसार इस मुकदमे को चलाना, इस अदालत द्वारा परिभाषा के अन्तर्गत कि "मुकदमा चलाना" जो कि धारा ७ (१८) भारतीय फौजी अदालत के अनुसार है हक नहीं है । अत: कोई भी मुकदमा जो

कि भारतीय फौजी कानून की धारा ४१ के अनुसार मुकदमा चलाना तथा सजा देने का अधिकार नहीं है।

इसके आगे बचाव पक्ष ने दलील करते हुए बताया कि धारा १२१ के अनुसार मामले को धारा १८६ के अनुसार उचित अधिकारी से स्वीकृति लिए बिना फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चला सकती। अतः इस अदालत को भी उचित अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है।

इन दलीलों का आधार "मुकदमा चलाना" नामक परिभाषा पर निर्भर करता है जो कि भारतीय फौजी अदालत की धारा ७ (१८) के अनुसार है। इस से पूर्व कि मैं "मुकदमा चलाना" की परिभाषा का विरोध करूँ अदालत को "मुकदमा चलाना" के शब्दों को, जो कि भारतीय फौजी अदालत की ७ (१८) धारा में प्रयुक्त हुए हैं, समझना चाहिए।

फौजी अदालत की धारा ४१ का विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि इसका सम्बन्ध चार बातों, व्यक्ति, स्थान, इल्जामों का विवरण तथा सजा, से है। यह वह धारा है जिसमें ऐसे अनेक मुकदमों का विवरण है जो कि "मुकदमा चलाना" शब्दों के प्रयोग के अनुसार मुकदमे को फौजी कानून में बदल दिया जाता है जो कि इस बात को स्पष्ट कहता है कि यदि कोई अपराध ब्रिटिश भारत में किया गया हो तो उसको फौजी अदालत में चलाने का अधिकार है। जब अभियुक्त पर धारा ४१ के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है, तो मुकदमा चलाने के लिये मुकदमे की तफसील देखनी पड़ती है कि जो धारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाई गई है कि उसके दूसरे कानून भी उपस्थित हैं या नहीं पर उन का प्रयोग

केवल मुकदमे की तफसील के लिये ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए किसी और उद्देश्य के लिये नहीं।

बचाव पक्ष ने "फौजी अदालत द्वारा मुकदमा चलाने का अधिकार" शब्द व्यवहृत किये हैं कि उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि फौजी अदालत को मुकदमा चलाने का पूर्ण अधिकार है परन्तु ऐसा भ्रममूल है। "फौजी अदालत द्वारा मुकदमा चलाना" ये शब्द, इस परिभाषा में मुकदमे के अर्थ तथा उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। फौजी अदालत द्वारा मुकदमा चलाने का बात किसी व्यक्ति वा स्थान से सम्बन्ध नहीं रखती अपितु इस का सम्बन्ध मुकदमे की परस्थिति पर निर्भर करता है। "ब्रिटिश भारत में अभियोग करने पर" नामक शब्दों का प्रयोग इस बात को बताता है कि ब्रिटिश भारत में किया गया अभियोग ब्रिटिश भारत में ही कानून के मुताबिक, मुकदमा चलाया जाना चाहिए और कहीं नहीं। अत: दफा ४१ की रूहसे मुकदमा उन्हीं पर चलाया जाना चाहिए जो कि ब्रिटिश भारत में अभियोग किया गया हो। परन्तु इस धारा के वास्तविक अर्थ यह हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश भारत में वास करता है फौजी अदालत द्वारा उस पर मुकदमा चलाने का तथा सजा करने का अधिकार के धारा ४१ अन्तर्गत स्वयं आजाता है। इस धारा के इससे अतिरिक्त अर्थ निकालना भारतीय फौजी कानून के लिये असंगत है।

यह सीधी सादी बात है कि फौजी अदालत को किसी भी विशेष व्यक्ति पर ऐसे अभियोग के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अधिकार है और तब तक चलाने का अधिकार है जब तक

उद्देश्य की पूर्ती न हो जावे। किसी भी स्थान पर किये गये अभियोग के लिये कहीं पर भी बैठकर अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है। मुकदमे समाप्त होने पर अदालत भी समाप्त करदी जाती है। इन्हें चलती फिरती अदालत कहा जा सकता है जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिये कार्यान्वित की गई है; इस के लिये विशेष अधिकृत सीमा की आवश्यकता नहीं; और न ही किसी विशेष मुकदमे के लिये किसी विशेष व्यक्ति की आज्ञा की आवश्यकता क्यों कि यह स्वयं विशेष अधिकारी के हाथ में है अर्थात अदालत बुलाने वाले अधिकारी के हाथ में है। यह कहना असंगत है कि ऐसी अदालत के लिये किसी विशेष अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता है। यदि "अभियोग चलाना" नामक शब्द पर इतना प्रतिबन्ध लगाया जायेगा तो भारतीय फौजी कानून ही समाप्त हो जायेगा। आप जानते हैं कि फौजों के युद्ध के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना रहता है; जो कि संसार का कोई भी स्थान हो सकता है; दुश्मन की सीमा भी हो सकती है; वहाँ भी हो सकता है जहां पर कोई सरकार न हो। मान लीजिए कि एक भारतीय सिपाही ने इस प्रकार का अभियोग इटली में किया है तथा फौजी अदालत उस पर अभियोग चलाना चाहती है; यदि बचाव पक्ष वालों की दलीलें मान ली जावें, तो उस पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वहाँ पर कोई भी प्रान्तीय सरकार नहीं है जिससे कि आज्ञा प्राप्त की जावे। क्या इस अवस्था में फौजी अदालत की दशा सोचनीय न होगी ?

इन दलीलों के आधार पर आपको अभियुक्तों पर, जो अभियोग लगाये गये हैं, मुकदमा चलाने का पूरा अधिकार है।

जहाँ दूसरी बात का सम्बन्ध है, भारतीय फौजी कानून की धारा १८ (अ) और (इ) के आधार पर एक या अनेक अभियोगों पर एक ही समय पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। वे अभियोग चाहे एक हों या अनेक। भारतीय कानून की धारा २४, जो कि संशोधित है, के अनुसार एक से अधिक अभियुक्तों पर एक साथ मुकदमा चलाने का अधिकार है। ऐसे अनेक व्यक्तियों पर भी अभियोग चलाया जा सकता है जिन पर भिन्न २ अभियोग हों। यदि अभियुक्त चाहें तो पृथक भी मुकदमा स्थापित किया जा सकता है।

यह बात प्राय: पाई जाती है कि जिन दो व्यक्तियों पर सम्मिलित मुकदमा चलाया जाता है, इन धाराओं के अनुसार दोनों में से किसी एक प्रकार के सम्मिलित अभियोगों के अतिरिक्त और भी अभियोगों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अभियुक्त को अधिकार है कि वह सम्मिलित अभियोगों के अतिरिक्त बाकी अभियोगों के लिये पृथक मुकदमे की व्यवस्था करा सकती है। देखो भारतीय फौजी कानून की धारा ६८ (ई)। अभियुक्त मुकदमे के सुनाई से पूर्व पृथक मुकदमे की सुनवाई के लिये प्रार्थना कर सकता है।

इस मुकदमे में उत्तर वर्णित अभियोगों के आधार पर प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध पृथक पृथक अभियोग दर्शाए में गए हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या करने या हत्या के लिये प्रोत्साहन के अभियोग पृथक पृथक प्रकट किये गये हैं।

अभियुक्तों व उनके मान्य किसी भी वकील ने अभियोगों के लिये अलग मुकदमा चलाने के लिये किसी प्रकार की प्रार्थना

नहीं की है और न ही उन्होंने किसी प्रकार का एतराज उपस्थित किया है।

धारा के अनुसार सम्मिलित रूप से मुकदमा चलाना कानूनी है।

यह भी दलील पेश की गई है कि इन तीनों अभियुक्तों का सम्मिलित मुकदमा कथित अभियोगों के लिये धारा २३३ तथा २३४ के अन्तर्गत चलाना गैर कानूनी है। मेरे विचार में जाब्ता फौजदारी फौजी अदालत के लिये लागू नहीं होता। अतः भारतीय फौजी कानून के अन्तर्गत सम्मिलित मुकदमा चलाना कानूनन ठीक है।

अतः धारा २८, २४ तथा ६८ के अन्तर्गत, मेरे विचार में इन अभियुक्तों पर कथित अभियोगों के लिये सम्मिलित मुकदमा चलाना, इस अदालत के लिये कानूनन पूर्ण अधिकार है तथा मैं आप को इस पर विचार विमर्श करने का परामर्श देता हूँ।

इससे पूर्व कि मैं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में विचार करूँ मैं आपका ध्यान निम्न बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे—

(१) अभियुक्त भारतीय फौज के भारतीय कमीशन्ड अफसर हैं जो कि भारतीय फौजी कानून के मातहत हैं।

(२) ये ब्रिटिश भारत में उत्पन्न प्रजाजन हैं तथा ब्रिटिश भारत में लागू होने वाले कानून के मातहत हैं।

(३) इन का मुकदमा भारतीय फौजी कानून के अन्तर्गत है जिसके साथ ताजीरात हिन्द भी सम्मिलित है, इसलिये सजा पाने के अधिकारी हैं।

इन अवस्थाओं के होने पर भी बचाव पक्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून की धाराओं का उल्लेख करते हुए भिन्न भिन्न तथ्यों को सिद्ध करने का, इन धाराओं के आधार पर, प्रयत्न किया है। बचाव

पक्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर इन अभियुक्तों पर मुकदमा न चलाने के अधिकार की बात को सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया है।

इस मुकदमे के सम्बन्ध में प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों पर विचार करते हुए सब से पहले मैं आपके सामने अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार की स्थापना से सम्बन्ध रखने वाली गवाहों के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयत्न करूँगा। इस के बाद अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्न पर मैं विचार करूँगा, जिस पर क्रमशः बचाव पक्ष तथा इस्तगासे की ओर से पर्याप्त दलीलें पेश की गई हैं। पर इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत सभी प्रमाणित पुष्टियों के उद्धरण उपस्थित नहीं करूँगा। मैं उन सब को केवल समस्या को सुलझाने की गर्ज से प्रस्तुत करूँगा, यदि आप मुझसे अधिकार पूर्ण बातें पूछना चाहेंगे तो मैं उन को अदालत की गुप्त कार्यवाही के समय ही बताऊँगा।

अस्थायी-आजाद-हिन्द सरकार की स्थापना की घोषणा श्री सुभाष चन्द्र बोस द्वारा सिंगापुर के कथाई नामक भवन में २१ अक्टूबर १९४३ को की गई थी जिस में पूर्वी एशिया की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की ब्राँच के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस सरकार ने ब्रिटेन तथा संयुक्त-राष्ट्र अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। मिस्टर सबूरा ओहता ने साक्षी देते हुए कहा उन की सरकार अस्थाई आजाद-हिन्द-सरकार को स्वीकृत करती है और असली प्रभाव की कापी से घोषणा नहीं की गई थी। आपने मि० अय्यर की वाणी द्वारा सुना कि इस अस्थाई आजाद-हिन्द सरकार के कार्य तथा व्यवस्था क्या थे। साथ ही यह भी सुना कि इस की अन्तरंग कार्यवाहियों में समस्त पूर्वी एशिया की स्वतन्त्र भारत लीग की ब्रांचों के व्यक्ति थे। ले० नाग तथा मि० सत्तु-

मोता ने प्रमाणित किया कि इस अस्थाई सरकार को धुरी राष्ट्रों ने एक राष्ट्र स्वीकार कर लिया था। इस व्यक्ति ने (मि० मत्सुमोता) बताया कि श्री सुभाष चन्द्र बोस ने जापानी राष्ट्र से जापानी सरकार की मार्फत पूछा कि हमारी सरकार को राष्ट्र स्वीकार लिया जावे। इस के सम्बन्ध में इस्तगासे ने जिरह की कि जो कार्यवाहियां मलाया में की गई थीं उन को आजाद-हिन्द-सरकार की कार्यवाही न माना जावे। मि० नन्द की गवाही से पता चलता है कि पूर्वी एशिया के भारतीयों की संख्या बीस लाख थी, साथ ही इतनी ही संख्या अदालत में प्रस्तुत कागजात से भी पता चलता है कि भारतीय स्वतन्त्रता लीग की ब्रांच मलाया की संख्या भी इतनी ही थी। मुझे बताने का अधिकार है कि किसी भी गवाही से आजाद-हिन्द सरकार के आधीन एक समय में कितने भारतीय थे। इस की गवाही है कि जापान सरकार ने मि० हाचिया को इस सरकार का मन्त्री बनाकर भेजा था। यह ठीक है कि पहले नियुक्त किया गया पर बाद में श्री सुभाष चन्द्र बोस ने उसे नियुक्त कर लिया। आजाद-हिन्द-सरकार की आमदनी के विषय में मि० दीनानाथ ने बताया कि रंगून में आजाद-हिन्द बैंक था तथा बर्मा में नेताजी फंड्स कमेटी में १५ करोड़ रुपया नक़द था। मलाया का चंदा ५ करोड़ था। यह रुपया बैंक में अर्थमन्त्री के नामसे जमा था। इस पर यह दलील पेश की जा सकती है कि यह समस्त चंदा नक़द वा वस्तुओं द्वारा प्राप्त नियमित टैक्स के रूपमें स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इनको केवल चंदा ही कहा जा सकता है न कि जिम्मेदार सरकार की पूंजी। इसे आप को वास्तव में गम्भीरता से सोचना है।

सभा के सम्बन्ध में, यह बात सत्य है कि अंडमान तथा

निकोबार द्वीप अस्थाई सरकार को सौंप दिये गए थे लें० नाग तथा क० लोकनाथन ने यही बताया पर लें० नाग शिक्षा तथा स्व प्रोग्राम के अतिरिक्त किसी भी स्थान का अधिकारी नहीं था, थोड़ा सा भाग न्याय का भी था, क्यों कि जापानियों ने पुलिस विभाग इसके आधीन नहीं किया। दूसरे जैसा कि बचाव पक्ष ने बताया कि सीमा के प्रश्न के साथ समर्पित सीमा को भ्रमभूलक नहीं बनाया जाना चाहिए। जापानियों के इस सीमा को सौंप देने के अधिकार के प्रश्न पर आप लोगों को ओपेनिहीम के अन्तर्राष्ट्रीय कानून नामक पुस्तक भाग दो, पृष्ठ ३४१ के उद्धरण स्मरण होंगे उसमें बताया गया है कि यह प्राप्त कर्ता राष्ट्र किसी का भी लड़ाई के समय न तो मिला सकता है और नहीं इसको स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर सकता है। दूसरी सीमा जो अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार को समर्पित की गई थी वह है ५० वर्ग मील के क्षेत्रफल की सीमा जो कि बर्मा है और जिसे जियावादी कहते हैं जहाँ १५०० भारतीय निवास करते हैं। नवें इस्तगासे के गवाह शिवसिंह के अनुसार अस्थायी सरकार ने इस सीमा को अपने अधिकार में जून १९४४ में लिया था, उस समय मि० परमानंद उसके मैनेजर थे। कहा जाता है कि उसका मालिक एक भारतीय था जो भारत वापिस लौट आया था। इस स्थान पर आजाद-हिन्द-फौज के लिये एक अस्पताल था तथा एक सूगर फक्ट्री थी, साथ ही वहाँ पर आजाद-हिन्द- दल का एक दफ्तर भी था जिसके आधीन वहाँ का सम्पूर्ण भाग था। शिवसिंह ने बताया कि उस क्षेत्र पर अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार के आधीन कार्यवाही होती थी। इस स्थान को मि० परमानन्द ने अस्थाई आजाद-हिन्द-सरकार को सौंपा था तथा

मि० दीनानाथ ने प्रमाणित किया है कि एक सार्वजनिक सभा में श्री सुभाष चन्द्र बोस ने फंड के लिये अपील की तो मि० परमानन्द आगे बढ़े और कहा, "मैं इस रियासत को अस्थाई आजाद-हिंद-सरकार के हवाले करता हूँ।" शिवसिंह ने बताया कि जापान सरकार तथा अस्थाई आजाद-हिन्द-सरकार के बीच एक समझौता हुआ था कि जो लोग वहाँ पर नहीं थे उनकी सारी सम्पत्ति हमारी होगी। किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि जापान सरकार ने इस सीमा के समर्पित करने में कोई बाकायदा भाग लिया हो और न ही वास्तविक मालिक द्वारा इसे समर्पित किया गया था। इस्तगासे ने इस गवाही से यह निर्णय निकाला कि उसका राज्य स्वतन्त्र सीमा के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता क्यों कि मैनेजर ने इस की आमदनी अस्थाई सरकार को सौंपी थी। अन्त में कैप्टेन अरशाद ने बताया कि जब वह इम्फाल सीमा मार्च/अप्रैल १६४४ को गया था कि उस के कार्यालय से पता चला था कि आजाद-हिन्द-दल द्वारा मणिपुर का क्षेत्र सम्भाला था जो कि बाद में आजाद-हिन्द-फौज के आधीन दे दिया गया। इसने बताया कि मैंने विवरण देखे थे कि उस स्थान का सञ्चालन किस प्रकार होता था तथा ग्रामों के लिए चिकित्सा सहायता, जमीन का विभाजन आदि का संचालन 'आजाद-हिंद-दल' तथा एस० जेड़ कियानी के आधीन था। इसने यह विवरण कप्तान मल्लिक से प्राप्त किया था। इस स्थान का क्षेत्रफल १५०० वर्ग मील था। समय के सम्बन्ध में कि कितने समय तक उनके आधीन रहा, एक गवाह के आधार पर पता चलता है कि आज़ाद-हिंद-फौज इस स्थान से जून १६४४ में हटनी प्रारम्भ हो गई थी। इस्तगासे की ओर से आपका ध्यान २१ जून १६४४ के एक पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जो कि श्री सुभाष चन्द्र

बोस की ओर से क० लोकनाथन के नाम था जिसमें यह लिखा गया था कि एक नवीन आजाद-हिंद-दल की स्थापना की गई है, "जो कि विजयी सेना के साथ भारत आ रही है।" इस्तगासे ने आप से पूछा कि आप इस तर्क को स्वीकार करलें कि अब तक आजाद-हिंद-दल हिन्दुस्तान नहीं गया था, अतः इस सीमा का संचालन नहीं किया गया गया था। इसके अतिरिक्त जहाँ तक सरकार एवं उसके संचालन का संबन्ध है वास्तव में आजाद-हिंद-फौज अस्थाई हिंद सरकार के आधीन काम कर रही थी। इस के सम्बन्ध में बाद में बताऊँगा पर मैं यहाँ स्मरण करना चाहूँगा कि अगस्त १९४४ में इसकी शक्ति, ले० नाग के कथनानुसार लगभग ४०,००० आदमियों की थी।

बचाव पक्ष ने आप का ध्यान "स्टैम्प कलेक्टिंग" नामक लेख की ओर आकर्षित इस उद्देश्यसे किया था कि अस्थायी हिन्द सरकार डाक टिकिट चलाने वाली थी। इस प्रकार की अधिकृत सूचना अदालत द्वारा ली गई चेतना मात्र है जिसका उपस्थित अनावश्यक है। अधिकृत सूचना में अदालत, इतिहास, साहित्यक विज्ञान तथा कला को पर विचार कर सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून

आपने इस्तगासे तथा बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित सभी बातें सुनी जो कि उन्होंने अदालत के सन्मुख उपस्थित की, प्रत्येक पक्ष ने दलालें पेश की जो कि क्रमशः अपने अपने पक्षों की पुष्टि करने वाली थी। उनमें से मैंने भी बहुतों को संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयत्न किया है। यह आप का काम है कि कौन सत्य सत्य है कौन नहीं। मेरा काम तो मुकदमे पर प्रकाश डालना है। बचाव पक्ष दो बातों पर निर्धारित है एक तो यह

कि कुछ तथ्य जो कि उनके द्वारा रखे गये निर्देश प्रत्यक्ष हैं तथा पूर्ण हैं। दूसरे इन पर इस मुकदमे के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है।

बचाव पक्षद्वारा निवेदित अन्तर्राष्ट्रियि कानून पर विचार करने के लिये, इस के द्वारा दलील पेश की गई जोकिनिम्न लिखित तथ्यों द्वारा सिद्ध हो चुके हैं—मैंआप का ध्यान खींचना चाहता हूँ जो कि आपके निर्णय करने के लिये हैं ?

(१) अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार की स्थापना की गई थी तथा उस की घोषणा भी हुई थी।

(२) यह सरकार एक व्यवस्थित सरकार थी।

(३) इस सरकार का धुरी राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया था इस स्वीकृति से पता चलता है कि आजाद-हिन्द-सरकार राज्य व्यवस्था की स्थिति को पहुँच चुकी थी

(४) इस सरकार के मातहत एक फौज थी जोकि पूर्णतया व्यवस्थित थी जो कि नियमित रूप से नियुक्त भारतीय अफसरों द्वारा चलाई जाती थी।

(५) आजाद-हिन्द-फौज के निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत को आजाद करना था तथा इस के साथ बर्मा तथा मलाया के प्रजाजन की युद्ध के समय रक्षा करना था।

(६) इस सरकार के आधीन अपना एक राष्ट्र था जैसा कि अन्य सरकारों के पास होता है।

(७) इस युद्ध में लड़ने के लिये सरकार के पास प्रयाप्त साधन थे।

ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर बचाव पक्षने उन स्थितियों को बताया जिस के अनुसार अस्थयी आजाद-हिन्द सरकार

बनाई गई थी तथा कार्य कर रही थी वह युद्ध करने के लिये बाधित थी जिस का उद्देश्य भारत की स्वधीनता था। यदि ऐसी सरकार को युद्ध छेड़ने का अधिकार है जो कि तमाम राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हो तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर दो स्वतन्त्र देशों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अधिकार है और यदि उन में से किसी एक को युद्ध के कारण इस्तगासा पेश करना पड़े तो वह म्यूनिसिपल कानून के विरुद्ध है यह एक पहला सिद्धान्त है।

सज्जनों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत विचार विमर्श पर विचार करना आपका काम है। और आप यह समझते हैं कि उपर्युक्त उपस्थित सिद्धान्त माननीय हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत ठीक हैं तो किसी भी एक निर्णय को स्वीकार करना होगा। इस स्थान पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि इस्तगासे का मुख्य एत-राज यह है कि ब्रिटिश अदालतें तथा ब्रिटिश भारत अदालतें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत नहीं आतीं और न ही न्याय में हिस्सा ले सकता है जो कि राष्ट्र तथा प्रजा के मध्य का एक प्रकार का घरेलू झगड़ा है। इस विवाद पर आप गौर कर सकते हैं क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य केवल बचाव पक्ष के विवादों को जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर निर्धारित हैं, की व्यवस्था करना है।

प्रथम उद्देश्य पर, बचाव पक्ष ने मिस्टर गोवेट की अन्तर्राष्ट्रीय कानून नामक पुस्तक के भाग दो के पृष्ठ ६ का हवाला दिया, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध तथा युद्ध छेड़ने वाले राष्ट्र तथा तटस्थ राष्ट्र के सम्बन्ध बताये गये हैं। इसमें यह दर्शाया गया है कि इस भाव में जब युद्ध छेड़ा जाता है तो विवाद करने वाली

पार्टियां उन सभी सम्बन्धों को स्वीकार करती हैं तथा राष्ट्रों के सम्बन्धों को जो कि तमाम राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत हैं। यह निर्णय करना आपका काम है कि जो परिच्छेद "युद्ध के सम्बन्ध या स्थिति" के नाम से दिया हुआ है, राजद्रोही राष्ट्र अपने पैतृक राष्ट्र से युद्ध छेड़ता है तो जो व्यक्ति उसमें भाग ले रहे हैं उन पर म्युनिसिपल कानून लागू होता है व अन्तर्राष्ट्रीय कानून।

वर्तमान अभियोग में अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है या नहीं इस सम्बन्ध में जज ऐडवोकेट ने अपना मत प्रगट किया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस मामले में लागू नहीं होता और अभियुक्त रजिस्टर्ड व्यक्ति के समान अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में मेरी सम्मति को आप अपर्याप्त कारण होने पर अस्वीकार भी कर सकते हैं। जजएडवोकेट ने आगे कहा—सम्राट के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के बारे में अभियुक्तों ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ किया वह देशभक्ति की भावना से किया। मेरी सम्मति में इस से अपराध क्षमा नहीं हो जाता।

अब मैं बारी बारी से प्रत्येक अभियोग पर प्रकाश डालूँगा:—

प्रथम सम्मिलित अभियोग

तीनों अभियुक्तों पर भारतीय फौजी कानून की धारा ४१ के अनुसार जिसमें सम्राट के विरुद्ध लड़ना है, ताजीरात हिन्द की १२१ वीं धारा के मातहत मुकदमा है इन्हों ने १५ नवम्बर १९४२ से २८ अप्रैल १९४५ तक सम्राट के विरुद्ध सिंगापुर, रंगून में युद्ध किया है। ताजीरात हिन्द की धारा में लिखा है—

"जो व्यक्ति सम्राट के विरुद्ध छेड़ते हैं या युद्ध में प्रोत्साहन देते हैं को मौत या कालेपानी की सजा देनी चाहिए साथ में जुर्माना भी किया जा सकता है।"

इससे पहले कि मैं गवाहों पर विचार करूँ मेरा कर्तव्य है कि मैं युद्ध बन्दियों पर किये गए अत्याचारों का वर्णन करूँ। यह सफाई पक्ष तथा इस्तगासे के गवाहों से सिद्ध हो चुका है कि तीनों ने दुर्व्यवहार में न तो भाग लिया और न ही इन के सामने किसी प्रकार का अत्याचार ही किया गया।

अत्याचार की कहानी का वर्णन कप्तान धारगलकर ने अपनी गवाही में किया है। उसने कहा था कि १८ अगस्त १९४२ को इसे नजर बन्द कैम्प में बदल दिया गया था। इसके वहाँ पहुँचने पर अफसरों जैसा बर्ताव नहीं किया गया। इसे सिख संतरियों को सलाम करने को मजबूर किया गया। इसे खाना खराब दिया गया।

इसने यह भी बताया कि कप्तान सहगल तथा कप्तान शाह-नवाज खां इस कैम्प को देखने गये थे। इन्होंने कहा, "ऐसी खराब अवस्था में जीवन व्यतीत करने के बजाय आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती क्यों नहीं हो जाते। पर इसने यह नहीं बताया कि कप्तान शाहनवाज तथा कप्तान सहगल ने इसके अतिरिक्त और क्या कहा। इस स्थान पर ले० ढिल्लन का नाम नहीं आया है। प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति गुजरी थी व नहीं अथवा अभियुक्तों ने किसी प्रकार का भाग लिया था या नहीं।

व्यक्तिगत अत्याचारों की कहानी का वर्णन जमादार मोहम्मद नवाज ने भी वर्णन किया है। इसने बताया कि १३ सितम्बर १९४२ में मुझे अन्य लोगों के साथ नजरबन्द कैम्प में ले जाया गया था। हमें पहले दिन तीन घण्टे तक गोबर उठाने का काम दिया गया था। हमें राख के साथ गोबर मिलाने का काम दिया गया था।

इसे छः दिन तक रक्खा गया था और थका देने वाला काम लिया गया था। हालांकि गवाह ने बताया कि वह आजाद-हिन्द-फौज में कभी भी भर्ती नहीं हुआ था पर सफाई पक्ष के गवाह कप्तान अरशद ने यह बताया कि १९४२ की इदुलफितर के दिन सिंगापुर कैम्प में जमादार मोहम्मद नवाज ने आजाद-हिन्द-फौज की भर्ती की लिस्ट पर हस्ताक्षर किये थे। साथ ही कप्तान अरशद ने यह भी बताया है कि इसने इस्तगासे की गवाही का काम भी आजाद-हिन्द-फौज में किया था।

इसी प्रकार ललित बहादुर तथा रविलाल ने भी अत्याचार की कहानी का वर्णन किया है।

आप को निर्णय करना है कि ये कथित बातें सत्य हैं या कल्पित कहानी मात्र। यदि सत्य हैं तो यह फैसला करना है कि वह अभियुक्त इनको जानते थे या नहीं।

"सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ना" इस बात पर आप लोगों ने बहुत कुछ समझा है और अभी तक आप के दिमाग में ताज़ा है। आपके सामने अनेकों दस्तावेज भी विद्यमान हैं। इनके द्वारा आपको बन्द अदालत में फैसला करने में सुविधा रहेगी।

आप को याद होगा कि प्रथम आजाद-हिन्द-फौज का निर्माण प्रथम सितम्बर १९४२ में मोहनसिंह की अध्यक्षता में हुआ था जिसके मातहत बैंकाक कान्फ्रेंस में जून १९४२ में कुछ प्रस्ताव पास हुए थे। वे प्रस्ताव भी दस्तावेज के रूप में आप के सामने मौजूद हैं। यह सत्य है कि एक फौज बनाई गई थी जिसका काम हिन्दुस्तान की आजादी के लिये सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना था। इस के बाद रासबिहारी बोस इस के सम्पर्क में आए। बाद में मोहनसिंह जापानियों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और आजाद-हिन्द-फौज विघटित करदी गई। बैज तथा तमाम रिकार्ड नष्ट

कर दिए गए।

इसके बाद दूसरी आजाद-हिन्द-फौज बनाई गई। इसके कानून भी बनाए गए जो कि भारतीय कानून के मुताबिक थे। इस फौज में कई ब्रिगेड थे। चौथी ब्रिगेड का नाम बोस रेजीमेन्ट रखा गया था।

आप के सामने ऐसे अनेकों दस्तावेज मौजूद हैं जिन में यह वर्णित है कि आजाद-हिन्द-फौज ने जो जो कार्य किए हैं और जो जो लड़ाइयां लड़ी हैं वह भी छुपी नहीं हैं। यह भी आपने सुना कि रंगून में ६,००० आजाद-हिन्द-फौज के सिपाही थे। इस फौज ने भारतीयों की जानमाल की भी रक्षा की थी। यह कप्तान अरशाद की गवाही से सिद्ध हो चुका है।

इस्तगासे तथा सफाई पक्ष की गवाहियों से इन अभियुक्तों के आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने तथा इस संस्था का संचालन करने एवं इसके हरेक काम में भाग लेने में कोई अन्तर नहीं है। सम्भवतः समय या तारीखों में अन्तर रह सकता है। अतः यह प्रथम अभियोग तीनों पर लागू होता है।

यह भी सिद्ध हो चुका है कि तीनों अभियुक्तों ने १५ नवम्बर १९४३ से २८ अप्रैल १९४५ तक ने सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया है।

अब मैं प्रत्येक अभियुक्त के सम्बन्ध के प्रमाणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालूँगा।

कप्तान शाहनवाज १९३६ में इंडियन आर्मी में कमीशंड किया गया था। इन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया है कि १५ फरवरी १९४२ को सिंगापुर में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हुए और अफसरों की सभा में भाषण दिया। उसमें इस ने कहा था, "आजाद-हिन्द-फौज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है और मैंने भी अपने

आप को इस के हवाले कर दिया है।" इस फौज में यह ले० कर्नल के पद तक पहुँच गया था। इस के बाद चीफ आफ जनरल स्टाफ भी नियुक्त किये गए थे। अगस्त १९४३ में, हवलदार गुलाम मोहम्मद ने बताया है कि इस ने एक भाषण दिया था कि आजाद-हिन्द फौज भारत की आजादी के लिए बनाई गई है और यह फौज ब्रिटिश तथा जो हमारे रास्ते में रोड़ा अटकायेगा, लड़ेगी। इस के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति भी दस्तावेज के रूप में मौजूद है। २१ अक्टूबर १९४३ की एक सभा में जिसमें श्री सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद-हिन्द की अस्थाई सरकार की घोषणा की थी, ले० नाग की गवाही के अनुसार, इस दिन कप्तान शाहनवाज को मन्त्री नियुक्त किया गया था तथा इन्होंने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस मास में इसको बोस रेजीमेन्ट सम्भालने को कहा गया था जो कि सिपाही दिलासाखाँ की गवाही से प्रमाणित हो चुका है।

१९४४ में इसने इम्फाल के युद्ध की कमान अपने हाथ में ली थी। दिसम्बर मास में अपने ही बयान के अनुसार यह आजाद-हिन्द फौज के डिविजन नं० १ को सम्भाल रहे थे, फिर कुछ दिन बाद ही नं० २ में नियुक्त कर दिया गया। इसी डिविजन ने पोपा न्यूक पहाड़ क्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी। अप्रैल १९४५ में यह डिविजन पोपा चला गया और इन्हीं के कथनानुसार यह ब्रिटिश द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये गए।

कप्तान सहगल भारतीय फौज में प्रथम फरवरी १९३९ में कमीशंड किया गया था। १५ फरीवरी १९४२ को सिंगापुर के पतन पर जापानियों द्वारा युद्ध बन्दी बना लिया गया। इसी वर्ष के अगस्त माह में यह बिदादरी कैम्प में था। यह आजाद-हिन्द-फौज में सितम्बर १९४२ में भर्ती हुए थे।

जनवरी १९४२ में इसने नायक सन्तोष सिंह तथा अन्य लोगों के सामने भाषण दिया जिसमें आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती होने को कहा गया था। अपने ही बयान के अनुसार यह मिलिट्री ब्यूरो के डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे। २१ अक्टूबर, १९४३ की सभा में जिसमें श्री सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द की अस्थाई सरकार की घोषणा की थी, उपस्थित थे। ले० क० नाग की गवाही के अनुसार यह सिंगापुर से रंगून चले गए थे जहाँ पर इन्होंने फौज के मन्त्री की हैसियत से काम किया था। कुछ समय यह डी० ए० जी० भी रहे थे।

जनवरी १९४५ में यह नं० ५ गुरिल्ला-रेजिमेंट का कमांड कर रहे थे। गुलाम मोहम्मद ने बताया है कि यह २६ फरवरी १९४५ को पोपा पहाड़ी पहुँचे थे। यह भी सिद्ध हुआ है कि यह १९४५ के प्रारम्भ में शाहनवाज के स्थान पर डिविजन नं० २ सम्भाला रहे थे। यह सब कप्तान सहगल की डायरी से भी प्रमाणित हो चुका है।

मार्च के प्रारम्भ में सहगल ने पोपा पर बहुत सी सभाओं में भाषण किये थे। ११ अप्रैल को पोपा खाली कर दिया गया और २३ अप्रैल १९४५ को यह २२ गुरखा राईफल द्वारा बन्दी बना लिये गए।

सफाई पक्ष ने बताया है कि कप्तान सहगल ने आत्मसमर्पण के नियमों के अनुसार कर्नल किट्सन के सामने आत्मसमर्पण किया था और वे सब बातें स्वीकार भी कर ली गई थीं। कर्नल किट्सन ने अपने बयान में बताया है कि आत्मसमर्पण का एक नोट पेश किया गया था जिसको इन्होंने बाद में नष्ट कर दिया था जिसमें यह लिखा था कि ८० अफसर तथा ५०० सिपाही

आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अब आपको निर्णय करना है कि कप्तान सहगल ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया, गुरखा राइफल के सामने या कर्नल किट्सन का।

लेफ्टि० ढिल्लन भारतीय फौज में ३ अप्रैल १९४० में कमीशंड नियुक्त किये गए थे तथा ३० अप्रैल १९४१ को लेफ्टि० पद पर नियुक्त किये गए थे। ५ फरवरी १९४२ को आत्मसमर्पण करने पर यह युद्ध बन्दी बना लिए गए। फरवरी/मार्च में यह नीसन कैम्प में थे जहाँ पर इन्होंने भाषण में कहा था कि हमें हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिये जापानियों का साथ देना चाहिए। यह अपनी मर्जी से आजाद-हिन्द-फौज में १० सितम्बर १९४२ में भर्ती हुए थे।

१५ सितम्बर १९४२ को यह मेजर पद पर नियुक्त कर दिए गए। सूबेदार मेजर बाबूराम ने अपनी गवाही में बताया था कि उसने ले० ढिल्लन को फरवरी १९४३ में आजाद-हिन्द-फौज के बैज लगाये हुए देखा था। ले० नाग के अनुसार यह मई १९४२ में बिदादरी के हेडक्वार्टर में थे। सिंगापुर की उस सभा में जिसमें श्री सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द की अस्थाई सरकार की घोषणा की थी उपस्थित थे। नवम्बर १९४३ में यह नं० १ इन्फैन्ट्री रेजीमेण्ट में थे। फरवरी १९४५ में इनकी फौज ने पोपा की ओर कूच किया था। १४ फरवरी १९४५ को इन्होंने ८९ आदमियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था।

इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीनों अभियुक्त आजाद-हिन्द-फौज में भर्ती हुए थे तथा उनके कार्य में पूरा पूरा भाग लिया था। तीनों अभियुक्तों ने बताया है कि आ० हि० फौ० स्वेच्छा निर्मित सेना थी जिसमें स्वेच्छा से भर्ती हुए स्वयं सेवक थे

और अन्त तक देश-भक्त बने रहे। इस अभियोग को मैं आपके विचारार्थ छोड़ता हूँ पर इतना बता देना आवश्यक समझता हूँ कि इसका निर्णय करते समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पूरा पूरा ध्यान रखा जावे और यह भी ध्यान रखा जावे कि तीनों अभियुक्तों ने जो भी कुछ किया है वह देश भक्ति की प्रेरणा से किया था।

२ रे, ४ थे ६ ठे तथा ८ वें अभियोग

अब मैं लेफ्टि० ढिल्लन पर लगाये गए अभियोग पर आता हूँ। ये चार अभियोग हैं जो कि हरीसिंह, दुलीचन्द, दरयावसिंह तथा धर्मसिंह की मृत्यु के फलस्वरूप लगाए गए हैं। ये अभियोग भारतीय फौजी कानून की धारा ४१ के मातहत हैं।

इस्तगासे की ओर से प्रस्तुत दलीलों का हवाला देते हुए आपने कहा कि लेफ्टि० ढिल्लन पर इन अभियोगों को प्रमाणित करने के लिए निम्न दो बातों पर ध्यान रखना जरूरी है।

(१) यह सिद्ध करना होगा कि वास्तव में गोली से उड़ाये गए मनुष्य सनाख्त कर लिये गए थे या नहीं और वास्तव में वे हरीसिंह (दूसरा अभियोग), दुलीचन्द (४ था अभियोग), दर्यावसिंह (छठा अभियोग), तथा धर्मसिंह (८ वां अभियोग) थे या अन्य व्यक्ति। केवल इतना कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा कि चार आदमी मार दिए गए थे।

(२) यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि लेफ्टि० ढिल्लन द्वारा ही इन चारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और वास्तव में इन चारों की मृत्यु भी हुई है या नहीं।

इन दोनों बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

प्रथम के लिये मैं कह सकता हूँ कि भारतीय इस्तगासे के गवाह ने चारों आदमियों को नहीं पहचाना। अब्दुल हाफीज खान ने बताया है कि उसने उनको कभी भी नहीं देखा था। ज्ञानसिंह ने बताया कि लेफ्टि० ढिल्लन ने इनको बटेलियन नं० ८ का जाट बताया था जो कि Crime report से भिन्न है।

कर्नल केरिन ने लेफ्टि० नाग की गवाही का हवाला देते हुए बताया कि सजा दी गई थी। जिस पर २८-२-४५ तारीख थी लें० ढिल्लन के हस्ताक्षर के नीचे ६-३-४५ तारीख पड़ी हुई थी। हम जानते हैं कि इस समय लेफ्टि० ढिल्लन पोपा क्षेत्र में थे जहाँ पर ये आज्ञाएँ दी गई बताई जाती हैं। दोनों गवाहों ने यह बताया है चार आदमियों को मारा गया था और चारों आदमियों की अलग अलग Crime report थी। यह भी गवाहों ने बताया है कि लेफ्टि० ढिल्लन ने जो कि नाले पर उपस्थित थे यह बताया कि चूंकि ये चारों आदमी दुश्मनों की ओर भाग जाना चाहते थे और पकड़ लिये हैं, अतः इनको सजा मौत होनी चाहिए। अब आपको देखना है वास्तव में यह घटना नाले पर हुई या नहीं।

माननीय इस्तगासे के वकील ने यह बताया है कि ले० ढिल्लन के शब्दों के साथ Crime report इस बात को प्रमाणित करती है कि नाले पर चार आदमी मारे गए थे। साथ में इन्होंने यह निवेदन किया है कि इन गवाहों को सही मानते हुए शनाख्त को प्रमाणित माना जावे तथा मृत्यु के प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज काफी है। इस दस्तावेज पर कप्तान शाहनवाज के हस्ताक्षर विद्यमान हैं। पर मैं कहूँगा कि कप्तान शाहनवाज वाली बात को स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि कप्तान शाहनवाज पर इन में से कोई अभियोग नहीं है। आपको ले० ढिल्लन के विरुद्ध इन अभियोगों पर विचार

करते समय दस्तावेजों तथा चारों आदमियों की शनाख्तों पर ध्यान रखते हुए निर्णय करना चाहिये।

दूसरी बात के सम्बन्ध में। इतना कह देना कि चार अनजान आदमियों को नाले पर फाँसी दी गई थी, काफी नहीं। यदि किसी प्रकार भी यह सिद्ध नहीं होता है कि वास्तव में वही आदमी मारे गये थे तो इन अभियोगों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि यही आदमी मारे गए थे तो यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में वे मर भी गए थे या नहीं इसके बिना कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। अब्दुल हाफीज खान ने अपनी गवाही में बताया है भागियों को गोली मार देने के बाद हिदायतुल्ला तथा कालूराम गिर गए पर मरे नहीं थे वे इधर उधर हिल रहे थे। फिर ले० ढिल्लन ने शेरसिंह को आज्ञा दी थी कि इन पर एक या दो गोली और मारो फिर शेरसिंह वहां गया और ऐसा किया। इसके बाद गवाह ने उनको हिलते हुए नहीं देखा। इसके बाद कप्तान ली शव के पास गया और परीक्षा करने के बाद ले० ढिल्लन से कुछ कहा। इसके बाद ले० ढिल्लन ने लाशों को दफनाने की आज्ञा दी। गवाह ने इनको दफनाते हुए नहीं देखा।

इस स्थान पर मैं अदालत का ध्यान इस गवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कप्तान ली जो कि मेडिकल अफसर थे, ने लाशों की परीक्षा की और ले० ढिल्लन को बताया कि ये आदमी मर गये हैं। इतना कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। हमें देखना होगा और प्रमाणित करना होगा कि ले० ढिल्लन को कप्तान ली ने क्या कहा था। यह भी देखना होगा कि गवाह इस परिणाम पर कैसे पहुंचा कि ये चारों आदमी मर गये थे। गवाह ने यह कैसे जान लिया कि ले० ढिल्लन ने

कप्तान ली की बात को मान लिया था। मैं कहूँगा कि कप्तान ली के ले० ढिल्लन को कहने मात्र से ही यह नहीं मान लेना चाहिए कि चारों आदमी घटनास्थल पर मर गये थे। कप्तान ली आपके सामने गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये हैं कि वास्तव में ये चारों आदमी मर गये थे या नहीं।

सिपाही ज्ञानसिंह की गवाही का हवाला देते हुए बताया कि इसने चारों आदमियों को दफनाते हुए देखा था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ले० ढिल्लन ने चारों आदमियों को गोली से उड़ा देने की आज्ञा दी, वे मारे गये और फिर दफना दिए गये। इस आधार पर इस्तगासे ने निवेदन किया है कि इसे स्वीकार कर लिया जाय कि वास्तव में उस दिन चार आदमी मारे गये थे।

अब मैं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर आता हूँ। अभियुक्त ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि यह सत्य है कि मैंने चार आदमियों का मुकदमा लिया था और दुश्मन की ओर भागने का प्रयत्न करने के कारण मैंने सजा दी थी पर यह असत्य है कि ये आदमी मेरी आज्ञा पर या मेरी उपस्थिति में मारे गये थे। जिस दिन इनको गोली मारना बताया जाता है मैं बीमार था और बिस्तर पर था। मैं इस योग्य भी नहीं था कि बिस्तर से हिल सकूँ। यह सत्य है कि इन आदमियों को सजा सुनाई गई थी पर डिवीजन कमाण्डर द्वारा माफ कर दिए गये थे। कानून के अनुसार आपको अभियुक्त के बयानों पर ध्यान रखना पड़ेगा। दस्तावेज के अनुसार ले० ढिल्लन बीमार था और इतना कमजोर था कि जीवन में ऐसी कमजोरी कभी नहीं आई थी और अभियुक्त को इंजेक्शन दिया गया था।

सफाई पक्ष ने यह भी बताया है कि उन चार आदमियों की कोई शनाख्त भी नहीं है और न ही इन आदमियों के मारने की कोई तारीख ही वर्णित है। श्री देसाई ने यह भी कहा कि गवाह सिपाही हाफिज खान का वहाँ जाने का क्या काम था जब कि इसका उनके साथ कोई सम्बन्ध न था। अतः गवाह द्वारा प्रस्तुत गाथा को असत्य बताया है। ज्ञानसिंह ने अपने बयान में कहा है, "मेरा किसी भी व्यक्ति से सम्बन्ध न था और न ही मैं उन की कम्पनी में था।" हाफिज खान ने यह भी कहा है, "वहाँ पर मेरे अफसरों तथा कम्पनी के अतिरिक्त कोई न था।" इन आधारों पर सफाई पक्ष ने इस कहानी को असत्य बताया है।

ले० ढिल्लन के सम्बन्ध में सफाई दो प्रकार की है:—

(१) इन चारों आदमियों को मारा नहीं गया।

(२) यदि ऐसा हुआ भी है तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ठीक था क्योंकि इस समय आजाद-हिन्द-फौज का अफसर था।

इन सब बातों को छोड़ते हुए आपसे निम्न संकेतों के आधार पर निर्णय करने के लिए कहूँगा—

(१) क्या ले० ढिल्लन ने हरीसिंह, दुलीचन्द, दरयावसिंह तथा धर्मसिंह की मृत्यु कराई ?

(२) क्या वास्तव में इन चारों आदमियों को फाँसी दी गई, क्या इनके प्रमाण प्रस्तुत हैं ?

(३) क्या आप लोग सन्तुष्ट हैं कि इन्हीं कथित चारों आदमियों को फांसी दी गई थी ?

(४) यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो क्या आप सन्तुष्ट हैं कि ले० ढिल्लन ने इन चारों आदमियों के मारने का इरादा किया था ?

अब मैं इस बात को आपके निर्णय पर छोड़ता हुआ अगले अभियोगों पर विचार करूँगा।

३ रे, ५ वें, ७ वें तथा नवें अभियोग

ये अभियोग कप्तान सहगल के विरुद्ध हैं कि इन्होंने ऊपर कथित व्यक्तियों के विरुद्ध मृत्यु कराने में प्रोत्साहन दिया था।

गुलाम मोहम्मद गवाह ने बताया था कि कप्तान सहगल पोपा २५।२६ फरवरी १९४५ को पहुंचे थे और इस समय आजाद-हिन्द-फौज के इन्फेन्ट्री रेजिमेण्ट के नं० २ के कमांडर थे। साथ में यह भी बताया कि शाहनवाज के स्थान पर भी काम कर रहे थे। २ मार्च की डायरी में यह उद्धरत है, "मैं चाहता हूँ कि शाहनवाज जल्दी ही वापिस आकर अपने काम को संभाल लेंगे।" १० मार्च को इन्होंने लिखा है, "शाहनवाज अभी तक नहीं आए हैं।" अन्त में १२ मार्च में लिखा है, "शाहनवाज मेहरदास के साथ आ गए हैं।" अभियुक्त ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है कि वास्तव में इस समय ये इस स्थान पर कमाण्डर थे।

दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध है कि इन चारों आदमियों को सजा सुनाई गई थी और यह रिपोर्ट डिविजनल कमाण्डर के लिये भेजी गई थी।

यदि यह सत्य है कि ले० ढिल्लन ने यह रिपोर्ट "डिविजनल कमाण्डर" के पास भेजी थी तो इस कप्तान सहगल ही कमांडिंग आफसर हो सकते हैं। कप्तान सहगल ने भी स्वीकार किया है कि इन चार आदमियों का मुकदमा इन्होंने लिया था। इस्तगासे ने प्रार्थना की है कि इसे स्वीकार किया जावे कि कप्तान सहगल ने अपने हस्ताक्षरों से मौत की सजा दी थी। एडवोकेट जनरल

ने बहस करते हुए बताया है कि आज़ाद-हिन्द-सरकार एक ग़ैर कानूनी संस्था थी अतः इसके द्वारा की गई सभी बातें ग़ैर कानूनी हैं।

यदि ढिल्लन पर ऊपर कथित अभियोग साबित नहीं होते हैं तो ये अभियोग कप्तान सहगल पर भी मौत के लिए प्रोत्साहन देने में सिद्ध नहीं हो सकते।

सफ़ाई पक्ष ने दलील पेश की है कि कप्तान सहगल पर crime report से बिना अभियोग साबित नहीं किए जा सकते। दूसरे आज़ाद-हिन्द-फ़ौज के अफसर होने के कारण आज़ाद-हिन्द-फ़ौज के कानून के अनुसार ऐसे लोगों को सज़ा देने का हक़ है। कप्तान सहगल ने अपने बयान में बताया है कि बाद में इन्हें क्षमा भी कर दिया गया था कि भविष्य में वे ऐसा नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि वास्तव में गंगाशरण को मौत की सज़ा दी गई थी और बाद में कप्तान सहगल ने माफ़ कर दिया था।

इन आधारों पर आप को निर्णय करना है कि ये अभियोग कप्तान सहगल पर लागू होते हैं या नहीं।

दसवां अभियोग

अब मैं आप का ध्यान १० वें अभियोग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें अकेले कप्तान शाहनवाज़ पर अभियोग लगाया है। यह अभियोग मोहम्मदहुसैन की मृत्यु के लिये प्रोत्साहन देने पर लगाया है।

क्या वास्तव में खज़ानशाह तथा आयासिंह ने सम्मिलित तौर पर मोहम्मदहुसैन की मृत्यु में भाग लिया था?

हवलदार गुलाम मोहम्मद तथा अल्लादिया की गवाही का वर्णन करते हुए कर्नल केरिन ने इस्तगासे के अंशों को उपस्थित किया। सरदार मोहम्मद की गवाही भी पढ़ कर सुनाई जिसमें बताया गया था कि शाहनवाज ने किस प्रकार मोहम्मदहुसैन की मृत्यु में प्रोत्साहन दिया था।

इन सच्चाईयों के आधार पर इस्तगासे ने इस गाथा को सत्य माना है, पर देखना यह है कि जिस आदमी को मारा गया था वह वहीं था या नहीं। इस सम्बन्ध में जागीरीराम की गवाही है जिसने एक स्थान पर जिरह में कहा कि बातचीत से पहले वह उससे अनजान था दूसरे गवाह अल्लादिया ने बताया कि वह मोहम्मदहुसैन को जानता था पर वह गोली मारने के समय मौजूद नहीं था और इसने यह भी कहने से इन्कार कर दिया कि उसके सामने मोहम्मदहुसैन मारा गया था।

यह सत्य है कि यदि गोलीमारी गई थी तो casaulty report लिखी गई होगी पर casaulty वास्तव में अदालत में प्रस्तुत नहीं की गई है। सफाई पक्ष ने निवेदन किया है कि यह गाथा सारी की सारी असत्य है।

दूसरी बात यह है कि यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि वास्तव में मोहम्मद हुसैन की मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में डाक्टर की गवाही आवश्यक थी। इस सम्बन्ध में आँखों देखे गवाह जागीरीराम तथा सरदार मोहम्मद की गवाहियां भी आपके सामने हैं जिन्होंने यह बताया है कि उनके सामने वास्तव में मौत की सजा दी गई थी और वास्तव में मोहम्मद हुसैन मर गया था।

सफाई पक्ष ने दलील पेश की है कि इस सम्बन्ध में कोई Crime report नहीं है और न ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश

किया गया है कि इनकी मृत्यु ही हुई थी। साथ ही यह भी कहा गया है कि खजीन शाह तथा अयासिंह जीवित हैं, इनको गवाह के रूप में पेश क्यों नहीं किया गया क्योंकि वे ही सच्चे गवाह हो सकते हैं। सफाई पक्ष ने यह भी कहा है कि एक ही स्थान पर तीन गोली लगना भी असम्भव बात है। मजे की बात तो यह है कि इससे खून निकला भी नहीं बताया जाता। अतः उन्होंने इस पर जोर दिया है कि यह सब मामला असत्य है।

मैं आपका ध्यान अभियुक्त के बयान की ओर आकर्षित करता हूँ जिसमें कहा है, "यह कहना गलत है कि मैंने उसे मौत की सजा दी थी। मोहम्मदहुसैन को केवल मेरे सामने उपस्थित किया गया था। कोई क्राईम रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी।" इस बयान पर आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है।

ये सब बातें मैं आपके विचारार्थ छोड़ता हूँ। आपको सब कार्यवाही के समय इन बातों पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। यदि आपको किसी प्रकार का शक मिले तो इसका अभियुक्त को लाभ मिलना चाहिए।

इसके बाद कर्नल केरिन ने संक्षिप्त रूप से इस अभियोग के सम्बन्ध की कहानी को उपस्थित किया।

आपको निम्न बातों पर ध्यान रखते हुए निर्णय करना चाहिए—

(१) क्या आप विश्वास करते हैं कि कथित तारीख के दिन या आस पास मोहम्मद हुसैन को कप्तान शाहनवाज के सामने पेश किया गया था?

(२) क्या कप्तान शाहनवाज ने इसे मौत की सजा दी थी या निर्णय किये बिना ही रिमांड पर रहने दिया?

(३) यदि आप इस बात से सन्तुष्ट हैं कि इसे मौत की सजा दी गयी थी तो क्या आप इस बात से भी सन्तुष्ट हैं कि जो आदमी कप्तान शाहनवाज के सामने पेश किया गया था वही मोहम्मद हुसैन था ?

(४) क्या वास्तव में कप्तान शाहनवाज ने खजीन शाह तथा आयासिंह को मोहम्मद हुसैन की मृत्यु के लिए प्रोत्साहन दिया था। ?

(५) क्या अभियोग में दर्ज के मुताबिक मोहम्मद हुसैन, खजीनशाह तथा अयासिंह द्वारा मारा गया था ?

(६) क्या आप सन्तुष्ट हैं कि इस्तगासा पक्ष ने मृत्यु के प्रमाणित सबूत पेश किये हैं ?

मैं अन्तिम संकेत की ओर आपका ध्यान खींचूँगा। यदि आप प्रस्तुत प्रमाणों से असन्तुष्ट हैं तो आप ताजीरात-हिन्द की धारा १०६ के मातहत सजा नहीं दे सकते।

इसके पहले कि आप इन अभियोगों (जुर्मों) के बारेमें अपना फैसला देने के लिये अदालत की कार्यवाही बन्द करें, मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि बार सबूत इस्तगासे पर है और उनका (इस्तगासे) फर्ज है कि वह बिला शक शुबह के इन विभिन्न अभियोगों का जो अदालत के सामने हैं साबित करें। बिला शक शुबह से मेरा मतलब ख्याली या काल्पनिक शक-शुबह से नहीं है क्योंकि फौजदारी कानून में बहुत पक्के (गणित की तरह तुलने वाले) सबूत की जरूरत नहीं होती। ऐसा पक्का सबूत मुश्किल से ही मिलता है। जब तक आपको पूर्ण निश्चय न हो जाए, ऐसा सबूत न मिल जाए जो कि आप एक विवेकी, अक्ल मन्द और दूरदर्शी मनुष्य की हैसियत से अपने दैनिक-कामों में चाहेंगे, तब तक आप उन अभियोगों के बारे में इन्हें सजा न दें।

आखिरी बार में मैं सफाई के वकीलों की खास, तौर पर श्री भूलाभाई देसाई को, उस मदद के लिए जो उन्होंने समय-समय पर दी और जिस चतुरता और कौशल से सफाई की बात स्पष्ट तरीके से अदालत के सामने पेश की गई, तारीफ करना चाहूँगा।

एडवोकेट जनरल और लेफ्ट० कर्नल वाल्स की भी तारीफ किये बिना मैं नहीं रह सकता जिन्होंने निष्पक्षता से इस्तगासे को अदालत के सामने पेश किया।

क्या अब अदालत अपना निर्णय देने के लिये कार्यवाही समाप्त करेगी ?

इसके बाद अदालत ३१ दिसम्बर के लिये स्थगित कर दी गई।

—०※०—

३१ दिसम्बर १९४५

खुली अदालत का कार्य समाप्त

जज-एडवोकेट ने आज की अदालत की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क० वाल्श, मिलीट्री प्रोसीक्यूटर से प्रार्थना की कि वे अभियुक्तों के चाल चलन तथा नौकरियों के तथ्यों पर प्रकाश डालें।

क० वाल्श ने अभियुक्तों के रिकार्ड पेश किए।

कैप्टेन शाहनवाज खान—आयु ३१ वर्ष, ११ मास। यह नौकरी पर ६ साल ११ माह से है तथा कमीशण्ड अफसर की हैसियत में ही इतना समय व्यतीत किया है जिसमें से ५ वर्ष १ मास कैप्टेन रहा है। आरम्भ से इस अदालत तक इसका चाल-चलन बहुत ही अच्छा रहा है। इसे मिलिट्री की ओर से कोई पुरस्कार भी नहीं मिला है। इसे फौजी अदालत से किसी प्रकार की भी सजा नहीं मिली है।

कैप्टेन सहगल—आयु २८ वर्ष ११ माह। कमीशंड अफसर के रूप में सेवाएं की हैं। पांच वर्ष तक कैप्टेन रहा है। मिलीट्री की ओर से कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका चाल चलन अच्छा रहा है तथा अभी तक किसी भी फौजी अदालत से किसी प्रकार की सजा नहीं मिली है।

ले० ढिल्लन—आयु ३० वर्ष ६ मास। कुल सेवाएं ५ वर्ष ६ मास है, जिसमें ४ वर्ष ३ मास तक लेफ्टीनेंट पद पर रहा है। इस

का चालचलन बहुत ही अच्छा रहा है। किसी प्रकार का पदक नहीं मिला है। तथा किसी फौजी अदालत से किसी प्रकार की सजा नहीं मिली है।

इसके बाद जज एडवोकेट ने सफाई पक्ष से क० वाल्श पर जिरह करने के लिये पूछा, इस पर भूलाभाई देसाई की अनुपस्थिति में मि० सोनी ने जिरह करने से इन्कार कर दिया।

तत्पश्चात् जज एडवोकेट ने रक्षा-समिति तथा प्रत्येक अभियुक्त से अदालत के सामने कुछ और कहने के लिये प्रार्थना की।

सबने उत्तर दिया, "नहीं।"

इसके बाद अदालत के अध्यक्ष ने कहा, अब खुली अदालत की कार्यवाही समाप्त होती है। अब अदालत अभियुक्तों की सजा पर विचार करने के लिये बंद की जाती है। फौजी अदालत का फैसला शीघ्र ही प्रकट कर दिया जावेगा।

सजाओं पर विचार करने के लिये अदालत बन्द कर दी गई।

बन्द अदालत की कार्यवाही

कैप्टेन शाहनवाज खान १।१४ पंजाब रेजीमैण्ट—

प्रथम अभियोग (सम्राट के विरुद्ध युद्ध) में दोषी पाया गया तथा दसवें अभियोग में (हत्या के लिये उत्तेजित करना) भी दोषी पाया गया।

कैप्टेन पी० के० सहगल २।१० बलूच रेजीमैण्ट—

प्रथम अभियोग में दोषी पाया गया तथा दूसरे, चौथे, छठे तथा आठवें अभियोगों में दोषी नहीं पाये गया।

ले० जी० एस० ढिल्लन १।१४ पंजाब रैजीमैण्ट—
प्रथम अभियोग में दोषी पाया गया तथा दूसरे, चौथे, छटे तथा आठवें अभियोगों में दोषी नहीं पाया गया।

सजायें

अदालत अभियुक्तों को सजा देती है—
कैप्टेन शाहनवाज खान, १।१४ पंजाब रेजीमैण्ट दिल्ली।
कैप्टेन पी० के० सहगल २।१० बलूच रेजीमैण्ट दिल्ली।
ले० जी० एस० ढिल्लन १।१४ पंजाब रेजीमैण्ट दिल्ली।
१—नौकरी से बरखास्त।
२—आजन्म कारावास की सजा भुगतना।
३—पिछला तमाम वेतन तथा भत्ता सभी जब्त किये जाते हैं।
हस्ताक्षरित—लाल किला देहली में, २१ दिसम्बर १९४५ को,

एफ० सी० ए० कैरिन
कर्नल,
जज—एडवोकेट

ए० बी० आकलैण्ड
मेजर जनरल
अध्यक्ष

मैं अभियुक्तों के दोष तथा सजाएं एच० ई० कमाण्डर-इन-चीफ की पुष्टि के लिये गुप्त रखता हूँ।

दिल्ली
दिसम्बर ३१, १९४५

एल० एल० व्हाक्टैस,
बूगि
कमाण्डर जमना एरिया

———

पुष्टि

मैं समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये सभी दोषों तथा अभियोगों एवं सजाओं की पुष्टि करता हूँ, पर हर अभियुक्त को आजन्म कारावास की सजा वाले भाग से मुक्त करता हूँ।

हस्ताक्षरित—नई दिल्ली दूसरी जनवरी १९४६।

सी० जे० आचिनलैक,

जनरल,

कमाण्डर-इन-चीफ इन इन्डिया।

बन्द अदालत की कार्यवाही के अनुसार अदालत ने तीनों अभियुक्तों को सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के अपराध में दोषी पाया। लै० ढिल्लन को हत्या के अभियोग में दोषी पाया। कैप्टेन सहगल हत्या के लिए उत्तेजित करने में दोषी पाया गया। अदालत ने कैप्टेन शाहनवाज खान को हत्या के लिए उत्तेजित करने के अभियोग में दोषी पाया।

इन अभियोगों के अनुसार अदालत ने तीनों अभियुक्तों को आजन्म काले पानी, नौकरी से हटाना तथा बाकी वेतन और भत्ते की जब्ती की सजा सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के अभियोग में दी पर कमांडर-इन-चीफ ने काले पानी की सजा को रद्द कर दिया।

सर क्लाड औचिनलेक

कमांडर-इन-चीफ आफ इंडिया

"मैं समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये सभी दोषों तथा अभियोगों एवं सजाओं की पुष्टि करता हूँ, पर हर अभियुक्त को आजन्म कारावास की सजा वाले भाग से मुक्त करता हूँ।"

३ जनवरी १९४६

भारत के जंगी लाट द्वारा

आजन्म कारावास की सजा रद्द

तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध दी गई सजाओं तथा उनकी मुक्ति की घोषणा ३ जनवरी १९४६ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया के असाधारण गजट में प्रकाशित की गई।

कैप्टेन शाहनवाज खान, कैप्टेन सहगल तथा ले० ढिल्लन के विरुद्ध फौजी अदालत द्वारा सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था। ले० ढिल्लन पर हत्या करने का अभियोग था। कैप्टेन सहगल तथा कैप्टेन शाहनवाज हत्या के लिए प्रोत्साहन देने के आरोप थे। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में दोषी पाकर सजायें दी गई हैं। ढिल्लन को हत्या करने के अभियोग में तथा कैप्टेन सहगल को हत्या के लिए प्रोत्साहन देने के अभियोग में सजायें दी गई हैं।

अदालत द्वारा यह सिद्ध कर देने पर कि तीनों अभियुक्त सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अभियोग में दोषी हैं तो अदालत को फांसी अथवा आजन्म काले पानी की सजा देना निश्चित था। कानून के अनुसार इससे कम सजा नहीं दी जा सकती थी। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को आजन्म काले पानी, नौकरी से बर्खास्त तथा वेतन और भत्ते की जब्ती की सजा दी है।

कोई भी दोष तथा सजा तब तक पूर्ण नहीं हैं जब तक उसकी पुष्टि न कर दी जावे। पुष्टिकर्त्ता अफसर (इस मुकदमें में) कमाण्डर-इन-चीफ सन्तुष्ट हैं कि प्रत्येक मामले में सजायें गवाहों की गवाही के अनुसार हैं, इसलिए उसने उनको पुष्ट कर दिया है।

इस मामले में सजा के पुष्टिकर्ता अधिकारी को सजा के कम करने, रद्द करने या माफ कर देने का अधिकार भी है। जैसा पत्रों में पहले ही बताया जाचुका है कि भारत सरकार की नीति यह है कि भविष्य में केवल उन्हीं व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये जायें जिन पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के साथ साथ अत्यन्त निर्दयता के कार्य करने के आरोप हैं। यह घोषित किया जाचुका है कि फौजी अदालतों के मुकद्दमों का पुनर्विचार करते समय अधिकारी अफसर एक ही बात ध्यान में रखेगा कि उनके कार्य किस सीमा तक सभ्य व्यवहार के विरुद्ध रहे हैं।

ले० ढिल्लन तथा कैप्टेन सहगल हत्या करने तथा हत्या के लिये उत्तेजित करने के आरोपों में बरी कर दिये गये हैं और यह नहीं कहा गया है कि उनके ऊपर निर्दयता के किन्हीं अन्य कार्यों के आरोप हैं। यद्यपि कप्तान शाहनवाजखान हत्या के लिये उत्तेजित करने के अपराधी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध कठोर कार्य करने के आरोप हैं, फिर भी प्रधान सेनापति ने तत्कालीन स्थितियों को ध्यान में रखा है।

इस लिये प्रधान सेनापति ने सजा के मामले में तीनों अभियुक्तों के साथ समान रूप से व्यवहार करने तथा तीनों की ही आजन्म काले पानी की सजा को रद्द करने का निश्चय किया है पर उन्होंने उनके नौकरी से हटाने तथा उनके वेतनों और भत्तों

की जब्ती की सजा बहाल रखी है, क्योंकि सभी अवस्थाओं में सैनिकों या अफसरों के लिये वफादारी को छोड़ना और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना गम्भीर अपराध हैं। यह एक सिद्धान्त है जिसे कायम रखना प्रत्येक सरकार के लिये, चाहे वह वर्तमान सरकार हो या भावी सरकार हो, हितकर है।

इस घोषणा के बाद आज शाम को सर्व श्री शाहनवाज, सहगल तथा ढिल्लन लाल किले से रिहा कर दिये गए।

—००—

संयुक्त वक्तव्य

आजाद-हिन्द-फौज के सर्वश्री कप्तान शाहनवाज, कप्तान सहगल, और लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन ने रिहाई के बाद निम्नलिखित संयुक्त वक्तव्य दिया।

"हमारा विश्वास है कि अब भारत की विजय निश्चित है। इस मुकदमे में हम शुरू से अन्त तक यही महसूस किया करते थे कि हम पर अंग्रेजी फौजी अदालत में ही मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है; बल्कि हम भारत के जनमत के सामने अपना हेतु भी सिद्ध कर रहे हैं। हमारे लिये यह गर्व और हर्ष की बात है कि भारतीय जनता ने सुदूर पूर्व में किये गये हमारे कार्य की प्रशंसा की है।

हमारा सदा सदा विश्वास रहा है कि भारत के बाहर हमने जो युद्ध किया है वह भारत में चलते हुये स्वतन्त्रता के संग्राम का एक अंग था। हमने अपनी योग्यतानुसार अपने छोटे से रूप में भारत की सेवा करने का प्रयत्न किया है। हमने अपने सर्वोच्चतम सेनापति नेताजी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि हम देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ेंगे और उच्च उद्देश्यों के लिये अपने जीवन को उत्सर्ग कर देंगे। हमारा जीवन भारत माता की सेवा के लिये है और हम कांग्रेस की अधीनता में स्वतन्त्रता के लिये संग्राम करेंगे।

अन्त में हम पण्डित जवाहरलाल नेहरू, श्री भूलाभाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रु, डा० काटजू, श्री आसफअली तथा दूसरे नेताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे और आजाद-हिन्द-फौज के दूसरे मुकदमों की पैरवी में उद्योग किया है। इस कार्य में अभी हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ है। हमारे हजारों सहयोगी जेलों में भरे पड़े हैं। हम उनको शीघ्र छुड़वाने का प्रयत्न करेंगे। जय हिन्द।

—※※—

४ जनवरी १९४६

आजाद-हिन्द-फौज-के अफसरों का विराट सभा में स्वागत

देश की आवाज के सामने ब्रिटिश साम्राज्य झुक गया।

"हमारे सैनिकों ने देश की स्वतन्त्रता के लिये घास खाकर लड़ना पसन्द किया।"

श्री शाहनवाज़ खाँ, सहगल और ढिल्लन के

दो लाख जन समुदाय के सम्मुख भाषण—

"काँग्रेस के झंडे के नीचे स्वतन्त्रता की लड़ाई जारी रखने की घोषणा"

आज सायंकाल दिल्ली की जनता आजाद-हिन्द-फौज के सर्व श्री शाहनवाज खाँ, प्रेमकुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का स्वागत करने के लिये गाँधी ग्राउंन्ड में उमड़ पड़ी। इन अफसरों के सम्मान में यह पहला सार्वजनिक स्वागत समारोह था। सभा में इतनी भारी भीड़ थी कि गाँधी ग्राउंन्ड के चारों ओर के रास्ते भी आदमियों से भरे हुए थे। लगभग दो लाख की उपस्थिति थी। सभा का सभापतित्व श्री आसफअली साहब ने किया। सभा के अन्त में लगभग एक दर्जन व्यक्ति, जिसमें श्रीमती ढिल्लन भी थी, बेहोश हो गये। श्रीमती ढिल्लन को उठाकर एक कार में पहुँचाया गया जहाँ उनको आध घण्टे बाद होश आई। इससे पहिले दिल्ली की किसी भी सभा में इतनी भीड़ नहीं थी।

श्री शाहनवाज़ खाँ, सहगल और ढिल्लन को सभा में पहुँचते ही हिन्दुस्तानी सेवा दल के स्वयं सेवकों की ओर से सलामी दी गई और उनके सम्मान में आतिशबाजी और पटाखे छोड़े गये। जनता में उल्लास उमड़ा पड़ रहा था। जनता में जोश और उत्साह असीम था। राष्ट्रीय पताकाओं से घिरे विशाल मंडप के बीच बैठी हुई दो लाख की जनता आजादी के तूफानी वायुमण्डल का दिग्दर्शन करा रही थी। चारों ओर राष्ट्रीय पताकायें भारत की स्वतन्त्रता का प्रतीक बनकर भावी आजाद हिन्दुस्तान की रूप-रेखा स्वरूप लहरा कर भारतीय नवयुवक एवं युवतियों में प्रजातन्त्र के नाम पर धोखा देने वाली भारत सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन करती हुई नवीन अध्याय का सूत्रपात कर रही थी। जनता का विशाल समूह एक बार दासता को भूल कर अपने आपको आजाद हिन्दुस्तान का स्वतन्त्र सिपाही समझ रहा था। जनता में आजादी की उमंगें असीम थी। उमंगे बता रही थी कि हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा नेताजी के स्वामिभक्त अफसरों का कितना मान व आदर करती है। नेताजी के इन अफसरों का आदर और स्वागत करना नेताजी के प्रति अपनी गाढ़ श्रद्धा एवं भक्ति का परिचय दे रही थी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जनता आजादी के दीवाने मां के सच्चे सपूत नेताजी के वफादार सिपाहियों के प्रति गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम का परिचय दे रही थी। नेताजी के जादू का इतना अधिक प्रभाव उपस्थित था कि जनता एक बारगी साम्प्रदायिक भेद भाव को भूल कर तीनों अफसरों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। जनता भी नेताजी के प्रति अपनी वफादारी का परिचय दे रही थी। मेरी भी आँखों के सामने आजाद हिन्दुस्तान का चित्र उपस्थित होगया। प्रत्येक के मुख से यही निकल रहा था कि

हिन्दुस्तान आजाद है। नेताजी के कारनामे-अमर हैं जोकि सदा अमर रहेंगे। चारों ओर से रह रह कर यही नारे उद्घोषित कर रहे थे। "आजाद-हिन्द-फौज, जिन्दाबाद", "नेताजी अमर रहें", "इन्कलाब, जिन्दाबाद", "हमारा नारा जयहिन्द" से गगनमण्डल जयघोषों से गूँज रहा था। तीनों अफसरों के मंच पर पहुँचते ही उल्लास परिपूर्ण गगन-भेदी जय उद्घोषों से एक बार वायुमण्डल कम्पायमान हो उठा। जनता ने तीनों अफसरों को पुष्प-मालाओं से लाद दिया। तीनों ने जयहिन्द कहते हुए फौजी सलामी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का अभिवादन किया। अपने वीरों का स्वागत करते हुये जनता फूली न समा रही थी। रह रह कर नेताजी के प्रति गौरवपूर्ण भावनायें जनता को पागल बना रही थी। खुशी के मारे जनता की आँखों से आँसू बह रहे थे। जनता बेचैनी से अपने वीर अफसरों का भाषण सुनने के लिये आतुर होरही थी। चारों ओर रह रह कर जनसमुदाय, जयघोषों द्वारा अभिनन्दन कर रहा था। सबसे पहिले कप्तान शाहनवाज भाषण देने के लिये खड़े हुये जनता ने एकबार फिर गगन मण्डल को जयघोषों से गुँजा दिया। जनता ने कप्तान शाहनवाज की ओर पुष्प-हार फैंकने शुरू किये।

जय हिन्द के नारे से अपना भाषण शुरू करते हुये कप्तान शाहनवाज ने कहा—

कर्नल शाहनवाज का भाषण

"आजाद-हिन्द-फौज के हम तीनों आदमी आपकी सेवा में हिन्दुस्तान के लोगों को मुबारिकबाद देने के लिये उपस्थित हुए हैं। यह मुबारिकबाद इसलिये नहीं कि हम लोगों की जानें बचीं,

क्योंकि अपनी मातृभूमि की आजादी के युद्ध में लड़ने वाला सिपाही अपनी जान का कोई मूल्य नहीं रखता। बल्कि इसलिए कि भारतीय लोकमत के सामने ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना सर झुका दिया। अंग्रेजों ने यह मान लिया है कि प्रत्येक गुलाम देश के लोग अपनी आजादी के लिये लड़ सकते हैं। आप लोगों ने हमारा जो सम्मान और हमारे प्रति जो सहानुभूति प्रगट की है वह वास्तव में आपने हमारे नेता जी श्री सुभाष का सम्मान किया है।"

आजाद-हिन्द-फौज का संगठन

आजाद-हिन्द-फौज का संगठन का इतिहास प्रगट करते हुए शाहनवाज खां ने आगे कहा:—

"हम पर मुकदमा चलने से पहले हमारे विरोधियों ने तरह तरह की अफवाहें उड़ाई थीं। उन्होंने यह प्रचार किया था कि हम जापानियों को इस देश पर शासन करने के लिए ला रहे हैं। परन्तु अदालत के सामने यह बात सिद्ध हो गई है कि आजाद-हिन्द-फौज नेता जी की कमान में केवल अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ी थी। यदि जापानी हमारे साथ जरा भी बेईमानी करते तो आजाद-हिन्द-फौज का एक एक बच्चा वहीं अपना रक्त बहा देता। उन बातों का उल्लेख करते हुये जिनसे विवश होकर उन्हें आजाद-हिन्द-फौज बनानी पड़ी कप्तान शाहनवाज ने आगे कहा, "पूर्वी एशिया में हम बर्तानिया की लड़ाई लड़ने गये थे। बर्मा मलाया और सिंगापुर के लोगों को, जिनमें हिन्दू मुसलमान और सिख आदि सभी शामिल थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे। वे कहते थे कि आप न स्वयं गुलाम हैं, बल्कि एशिया की अन्य कौमों की भी गुलामी की जंजीरों

में जकड़ रहे हैं। जहाँ तक वीरता का सम्बन्ध था, वहाँ तक हमने देखा कि हिन्दुस्तानी, अंग्रेजी, अमेरीका या किसी भी अन्य सेना से कम नहीं थे। इसी दौरान में नेता जी सुभाषचन्द्र बोस ने पूर्वी एशिया में आकर तिरंगा झण्डा बुलन्द किया और बहुत से भारतीय सिपाही उनकी कमान में देश की आजादी के लिए लड़ने को तैयार हो गये। जिस समय नेता जी की आज्ञा से हमने लड़ाई शुरू की और हिन्दुस्तान की पवित्र भूमि पर धावा बोला उस समय हमारे पास कुछ भी सामान नहीं था। हमें मालूम था कि हमें संसार की एक बड़ी संगठित शक्ति से टक्कर लेनी थी, परन्तु देश प्रेम से प्रेरित होने के कारण हम किसी भी बड़ी से बड़ी सेना से लड़ने को तैयार थे।"

घास-फूस खा कर रहे

आजाद-हिन्द-फौज के सिपाहियों के बलिदान का जिक्र करते हुए शाहनवाज ने कहा:—

"जब हम लोग चिनबन पहाड़ियों में लड़ रहे थे तब हमारे जवान घास-फूस खा कर निर्वाह कर रहे थे। गोला बारूद और रसद भी हमारे पास नहीं रही थी। इसी अवसर पर अंग्रेजी फौज से हमारे पास एक पत्र आया जिसमें लिखा था, 'आजाद-हिन्द-फौज के गुमराह सिपाहियों, तुम्हारे बाल-बच्चे तुम्हारी बाट देख रहे हैं। तुम उस ओर घास-फूस खाकर पशुओं सा जीवन बिता रहे हो, यदि तुम यहाँ आ गये तो तुम्हें बहुत अच्छी रसद मिलेगी और तुम्हारे बाल-बच्चों से तुम्हें मिला दिया जायेगा। हम लोगों ने इस पत्र पर विचार तक नहीं किया। हमने इस पत्र के उत्तर में कहा कि आजादी के लिए हम घास-फूस खाना पसन्द करते हैं, हमें गुलामी की डबल रोटियां नहीं चाहियें।'

"कोहिमा में राशन की कमी से जब हमारी सेना वापिस लौट रही थी, तब मैंने मार्ग में एक घायल जवान पड़ा हुआ देखा। उसके घावों में हजारों कीड़े पड़े हुये थे। उसने मुझे अपने निकट बुलाया और कहने लगा कि मेरा एक छोटा सा सन्देश लेते जाना। उसने कहा कि नेताजी को मेरा जयहिन्द बोल देना और कहना कि मैं देश की आजादी के लिये लड़ लड़ कर मर रहा हूँ। परन्तु बहुत खुशी से मरा हूँ क्योंकि यह सारा कष्ट देश के लिये है।"

हिन्दुस्तान की विविध जातियों की एकता की अपील करते हुये शाहनवाज ने कहाः—"आजाद-हिन्द-फौज में हिन्दू, मुसलमान और सिख आदि सब जातियों के लोग शामिल थे। हम सब ने मिल कर एक ही मैदानेजंग में खून बहाया है। हमारी अब एक ही प्रार्थना है और वह यह है कि उन शहीदों के नामों पर जो भारत माता के लिये बलिदान हुये हैं हम सब लोगों को एक हो कर अपनी मातृभूमि को आजाद करना चाहिये।

लड़ाई का दूसरा दौर

आजाद-हिन्द-फौज की लड़ाई का पहला दौर, जो कि हमने अपने नेताजी के नेतृत्व में हथियारों के साथ लड़ी है, अब समाप्त हो गया है, परन्तु आजाद-हिन्द-फौज का ध्येय अभी पूरा नहीं हुआ। अतः लड़ाई का दूसरा दौर अब देश के अन्दर होगा और यह अहिंसा के आधार पर होगा। अन्त में शाहनवाज ने यह आशा प्रगट की कि भारत सरकार जेलखानों में पड़े हुये आजाद-हिन्द-फौज के अन्य सिपाहियों को भी रिहा कर देगी और जब तक ये लोग छूट नहीं जाते तब तक देश का आन्दोलन

इसी प्रकार जारी रहेगा। शाहनवाज ने "आज़ाद हिन्द, जिन्दाबाद" और नेताजी, जिन्दाबाद के नारों से अपना भाषण समाप्त किया।

"नेताजी के सामने जो शपथ ली थी वह अभी तक कायम है"

कप्तान सहगल का भाषण

कप्तान शाहनवाज के बाद कप्तान सहगल ने अपना भाषण देते हुये कहा कि आज दिन वास्तव में हमारे लिये बहुत गौरव का है, क्योंकि पूर्वी एशिया में हमने जो काम किया है उसका आप लोगों ने मूल्य आंका है। सिंगापुर और मलाया में जब अंग्रेजी फौजें हमें अपने अपने भाग्य पर छोड़ कर चली आई थीं, तब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का फैसला करना पड़ा। हमने इतिहास पर दृष्टि डाली और हमने यह पाठ सीखा कि जब संसार की दूसरी कौमों ने भी अपने देशों से बाहर आजादी की लड़ाइयां लड़ी हैं तब हम क्यों नहीं अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिये आन्दोलन आरम्भ करें। हमने यह भी फैसला किया कि हिन्दुस्तान से बाहर अहिंसा से हम आजादी प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। हमने अपने तथा पूर्वी -एशिया में रहने वाले लाखों भारतीय भाई-बहिनों के जान माल की रक्षा के प्रश्न पर भी विचार किया। हमें यह मालूम था कि हमारी शक्ति अंग्रेजी फौजों के मुकाबिले में बहुत कम थी, परन्तु हमारा यह विश्वास था कि हम से एक ऐसी सैनिक शक्ति उत्पन्न होगी जो किसी भी बड़ी शक्ति का सामना कर सकेगी अतः इस फैसले को अमल में लाते हुये हमने एक फौज बनाई। यह फौज विशुद्ध रूप से एक स्वयंसेवक सेना थी या यह कहना चाहिये कि एक फकीरों की फौज थी।

जो लोग इस फौज में भर्ती होते थे उनसे हम साफ कह देते थे कि उन्हें भूखे रह कर लड़ना होगा।

जागृति की लहर

"अगस्त १६४३ में नेता जी श्री सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी से पूर्वी एशिया में पधारे और उनके आते ही एक नई जागृति फैल गई। उन्होंने अस्थायी आजाद-हिन्द-सरकार स्थापित की और उनके आधीन एक आजाद-हिन्द-फौज का संगठन किया। पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों ने तन, मन, धन से नेताजी की सहायता की। हजारों स्वयंसेवक प्रतिदिन भर्ती होने आते थे, यद्यपि उनके लिए हमारे पास ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रवासी भारतीयों ने करोड़ों रुपया आजाद-हिन्द-फौज के लिये नेताजी को भेंट किया। उन लोगों की, गाढ़ी कमाई से लड़ी गई आजाद-हिन्द-फौज भूखी और प्यासी रहकर भी लड़ती रही।

महिलायें भी रणाङ्गण में

इस लड़ाई में हमारी भारतीय बहिनें भी हमारे साथ थीं। कप्तान लक्ष्मी की कमान में 'झांसी की रानी' के नाम से उनकी एक अलग ब्रिगेड थी। वे फ्रन्ट लाइन पर रहती थीं और आजाद-हिन्द-फौज के घायल सिपाहियों की चिकित्सा करती थीं। अवसर पड़ने पर वे लड़ने के लिए अपनी बन्दूकें भी तैयार रखती थीं। बालकों की एक बाल सेना भी मौजूद थी।

हमारी प्रतिज्ञा कायम है

कप्तान सहगल ने आगे चलकर कहा कि हम ब्रिटिश राज को बधाई देते हैं कि उसने फौजी अदालत में हमारे विरुद्ध मुकदमा चलाकर सारे संसार को आजाद-हिन्द-फौज की कहानी

सुनाई। कप्तान सहगल ने यह घोषणा की कि नेताजी के सामने हमने जो शपथ ली थी वह अभी तक कायम है। हिन्दुस्तान से बाहर हमने शस्त्र से लड़ाई लड़ी और हिन्दुस्तान के अन्दर अब हम निरास्त्र लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने नेताजी के प्रति वफादार रहेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता। श्री सहगल ने आगे कहा:—"हमारी फौज के हजारों आदमी अभी तक जेलों के अन्दर हैं। हमारा शरीर यद्यपि जेलखाने से बाहर है, लेकिन आत्मा जेल के अन्दर है। जब तक वे सब छूट नहीं जाते तब तक आराम नहीं लेंगे।" श्री सहगल ने आसफअली, डा० काटजू, श्री भूलाभाई देसाई, पण्डित जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद दिया और उन तीनों नारों के साथ भाषण समाप्त किया जो आजाद-हिन्द-फौज में लगाया करते थे।

आजाद-हिन्द-फौज के शहीदों के प्रति लेफ्टिनेंट ढिल्लन की श्रद्धांजलि

अपने से पूर्व बोलने वाले दोनों अफसरों को आजाद-हिन्द-फौज के दर्जे से सम्बोधित करते हुये लेफ्टिनेंट गुरुबख्शसिंह ढिल्लन ने कहा:—

सौभाग्य की बात तो यह है कि आज जनरल शाहनवाज खाँ और कर्नल प्रेमकुमार सहगल यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों ने जो हमारा आदर-भाव किया है, वास्तव में हम इस सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। इस सम्मान के अधिकारी तो वे लोग हैं जो आज बर्मा की पहाड़ियों और मलाया के जंगलों में निष्प्राण सो रहे हैं या जो आज भी जेलों के सीखचों में बन्द हैं। हमें उन

लोगों की रूहों का ख्याल करना चाहिये जिन्होंने आजाद-हिन्द-फौज में लड़ कर जानें दी हैं।

ध्येय अभी तक पूरा नहीं हुआ

श्री ढिल्लन ने आगे कहा कि आजाद-हिन्द-फौज का ध्येय अभी तक पूरा नहीं हुआ, परन्तु उसने यह अवश्य सिद्ध कर दिया है कि हिन्दू, मुसलमान और सिख न केवल एक हो सकते हैं, बल्कि अपने देश की आजादी के लिये एक साथ मिल कर लड़ भी सकते हैं। हम लोगों ने अब लड़ाई का हथियार बदल लिया है और आजादी के ध्येय तक पहुँचना है। अतः हम सब को एक होकर इस ओर आगे बढ़ना चाहिये। इसके बाद आपने 'नेताजी' के संदेश को गाकर जनता से अपील की कि वे 'नेताजी' के इस अमर संदेश को सही अर्थों में सफल बनावें। वह संदेश यह है-

उठो, सोये भारत के नसीबों को जगादो,
आजादी यों लेते हैं, जवानों लेकर दिखादो।

खूंख्वार बनो शेर मेरे हिन्दी सिपाही,
दुश्मन की सफें तोड़दो, इक थलका मचादो,

दे हिन्द के बदले में, अदू चीज भी क्या है,
रास्ते में जो आई, तो उसे मार गिरादो।

कर याद शहीदों का खूं देश की खातिर,
हो एक टोली भी, हजारों दुश्मन से लड़ादो।

हो भूख, तकलीफ, रुकावट, हो थकावट,
खा, जख्मे, गिरा हमको भी हंसके दिखादो।

क्यों लाल किला रहे, दुश्मन के हवाले,
लश्करे हिन्दी की वहाँ धूम मचादो।

मीनारे कुतुब देखता है, राह तुम्हारी,
चल उसकी बलन्दी को तिरंगें से सजादो।
कुछ और तमन्ना है न ख्वाहिश मेरे दिलमें,
आजाद हिन्द वतन में 'जयहिन्द' बुलादो।

आपने कहा कि हम अभी तक लाल किले में नहीं पहुँचे हैं। लाल किले में हम उस दिन अपने आपको पहुँचे समझेंगे जिस दिन उस पर तिरंगा झण्डा फहरायेगा।

सभा ने अन्त में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करते हुये सर्व श्री कप्तान शाहनवाज, सहगल और ढिल्लन को उनकी रिहाई पर बधाई दी और सरकार से आजाद-हिन्द-फौज के बाकी अफसरों पर से मुकदमे उठाने, १६४२ के आन्दोलन के कांग्रेसी बन्दियों को छोड़ने और जो व्यक्ति फरार हैं उनके वारण्ट रद्द करने का अनुरोध किया। आजाद-हिन्द-फौज के अफसरों की रिहाई की खुशी में आज नई व पुरानी दिल्ली में जहां तहां रोशनी की गई थी। शहर के मुख्य-मुख्य बाजारों और कनाट-प्लेस की बहुत-सी दुकानों पर दिये जल रहे थे।

"लाहौर में तीनों अफसरों के स्वागतार्थ इकट्ठी हुई विशाल जनता के सन्मुख तीनों के भाषण"

सहगल

"हम लोग नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को वचन दे चुके हैं कि हम लोग अपनी मातृ-भूमि की आजादी के लिये अपने खून की एक-एक बूंद तक देंगे। हम लोगों ने नेताजी के नेतृत्व में भारत की स्वाधीनता के लिये जो संघर्ष शुरू किया था, वह नये उत्साह व जोश के साथ जारी रहेगा।"

शाहनवाज

"हमारी रिहाई का कारण यह है कि देश की जनता ने और देश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों ने जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, ने मिलकर जोर दिया था। इस कारण सरकार को झुकना पड़ा।"

"नेताजी की स्फूर्तिदायक और योग्य पथ-प्रदर्शकता में हिन्दू, सिख, मुसलमान और ईसाई सभी आजाद-हिन्द-फौज में शामिल हुये। उन सब का एक ही आदेश था और वह था देश की आजादी।

शाहनवाज खां ने आगे कहा नेताजी ने कर्नल हबीबुर्रहमान की मारफत जो अन्तिम संदेश भिजवाया था, वह यह है: "जब तक आजाद-हिन्द-फौज का एक भी सिपाही जीवित है, तब तक भारत की स्वाधीनता के लिये संग्राम जारी रहना चाहिये। बदकिस्मती से हम लोग अपने कार्य में सफल नहीं हुये। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि स्वाधीनता संग्राम ही समाप्त कर दिया जायेगा। हम तो इसे जारी रखने का संकल्प कर चुके हैं।"

लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन

आपने अपने भाषण में कहा "आप लोगों ने हमारे प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया है, इससे स्पष्ट है कि भारत आजाद-हिन्द-फौज के उन योद्धाओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो मैदाने जंग में मारे गये। हम आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हम अपना जीवन देश की आजादी के लिये बलिदान कर देंगे।

—:०※०:—

उपसंहार

यह मुकद्दमा अभूतपूर्व है। भारतीय इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। भावी सन्तान नेताजी तथा सर्वश्री कर्नल शाहनवाज, कर्नल पी० के० सहगल तथा लें० ढिल्लन का नाम बड़े गौरव से याद करेगी। यह मुकद्दमा हिन्दुस्तान की आजादी का प्रतीक है। नेता जी श्री सुभाषचन्द्र बोस द्वारा नव-निर्मित यह आजाद-हिन्द-फौज हिन्दुस्तान की आजादी प्राप्त कराने में पूर्ण रूप से सफल होगी। ऐसा कहा जा सकता है। रक्त से की हुई प्रतिज्ञायें आज भी ये सैनिक नहीं भूल पाये हैं। नेता जी को जो विश्वास दिलाया गया था वह आज भी उसी शान से जीवित है।

नेता जी के जीवन में आजाद-हिन्द-फौज तथा आजाद-हिन्द-सरकार के दो अमर कारनामे हैं। जब तक यह संसार विद्यमान है तब तक नेता जी अमर रहेंगे। आज संसार यह आशा लगाये बैठा है कि नेता जी कब प्रकट हों और भावी आजाद-हिन्द-सरकार के प्रथम राष्ट्रपति बनकर विश्व के इतिहास में भारत के गौरव, स्वाभिमान एवं गरिमा को स्थापित करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे सदा अमर रहें और हमारी आशायें पूरी हों।

अमर हो……………!

अमर हों, ऐसे अनगिन वर्ष।
अमर "नेता" से मां के लाल।
अमर, हो प्यारा भारतवर्ष॥
अमर, ये भारत के भूचाल।
न कोई होगा अब कंगाल॥
कटेंगे बन्धन के सब जाल।
जगी है ज्वाल।

बस इन्हीं शब्दों के साथ—

आजाद-हिन्द	जिन्दाबाद
इन्कलाब	जिन्दाबाद
क्रान्ति	अमर रहे

जयहिन्द।

साधना सदन, दिल्ली
२३—१—४६
नेताजी जन्म दिवस

—:o:—

परिशिष्ट

(१)

भारतीय बर्मा संघ के सभापति ने ले० प्रेमकुमार सहगल को लाल किले में निम्न तार भेजा था:—

रंगून

सहगल आजाद-हिन्द-फौज का युद्ध-बन्दी
लाल किला, दिल्ली।

भारतीय संघ बर्मा आप के लिये शुभ कामना भेजता है। आशा है आप रिहा कर दिए जायेंगे। आपने भारत की सेवाएं की हैं।

पिल्ली, प्रधान,
बर्मा संघ।

(२)

इंडियन क्रिश्चियन ऐसोसिएशन की प्रधान कुमारी एस० ए० आरेन ने कप्तान-सहगल के प्रति सहानुभूति से भरा हुआ निम्न तार भेजा।

रंगून

सहगल आजाद-हिन्द-फौज का युद्ध-बन्दी
५ नवम्बर से मुकदमा पर

बर्मा की आप के साथ सहानुभूति है। ईश्वर आप की मदद करेगा। आप की आजाद-हिन्द-फौज ने उन हजारों भारतीयों के जीवन की रक्षा की है जिनको निहत्थे बना कर सशस्त्र अत्याचारी लोगों के हवाले कर दिया गया था। आजाद-हिन्द-फौज ने भारतीयों को दासता से मुक्त किया था। वायसराय तथा जवाहरलाल नेहरू को तार भेजे जा रहे हैं।

कुमारी एस० ए० आरेन,
प्रधाना,
इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन
कालाबस्ती

कदम कदम बढ़ाये जा

कदम कदम बढ़ाये जा,
खुशी के गीत गाये जा,
ये जिन्दगी है कौम की,
तू कौम पर लुटाये जा,

तू शेरे हिन्द आगे बढ़,
मरने से फिर भी तू न डर,
आसमान तक उठाके सर
जोशे-वतन बढ़ाये जा !

तेरी हिम्मत बढ़ती रहे,
खुदा तेरी सुनता रहे,
जो सामने तेरे चढ़े,
तू खाक मे मिलाये जा

'चलो दिल्ली पुकार के,'
कौमी निशां सम्भाल के,
लाल किले पे गाड़के,
लहराये जा, लहराये जा !

आज़ाद-हिन्द-फौज का राष्ट्रीय गान

जन मन गन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
शुभ सुख चैन की बरसा बरसे भारत भाग है जागा॥
पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल बङ्गा।
चंचल सागर बिंध्य हिमालय नीला जमुना गङ्गा॥
तेरे नित गुन गायें,
तुझ से जीवन पायें;
सब तन पावें आशा।
सूरज बनकर जगपर चमके भारत नाम सुभागा॥
जय हो, जय हो, जय हो,
जय, जय, जय, जय हो।
सब के दिल में प्रीति बसाये तेरी मीठी बाणी।
हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी॥
सब भेद औ' फ़रक मिटा के,
सब गोद में तेरी आ के;
गूंथे प्रेम की माला।
सूरज बनकर जगपर चमके भारत नाम सुभागा॥
जय हो, जय हो, जय हो,
जय, जय, जय, जय हो।
सुबह सबेरे पंख पखेरू तेरे ही गुन गायें।
बास भरी भरपूर हवायें जीवन में ऋतु लायें॥
सब मिलकर हिन्द पुकारें,
जय आज़ाद हिन्द के नारे;
प्यारा देश हमारा।
सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय, जय, जय, जय, हे।

सम्मतियाँ

सम्मतियां

मुझे हर्ष है कि आजाद-हिन्द-फौज के तीनों अफसर रिहा कर दिए गए हैं, जिन के मुकदमे ने हिन्दुस्तान में इतनी तेजी से हलचल पैदा कर दी थी। इन के सेना से निकाले जाने की बात कोई महत्व नहीं रखती क्योंकि इसे तो इन्होंने पहले ही छोड़ दिया था।

श्री भूलाभाई देसाई ने मुकदमे को अपनी सहज योग्यता से चलाया और सारे मामले को बड़ी सुन्दरता से उपस्थित किया। वे बधाई के पात्र हैं, पर वास्तविक बात तो यह है कि इस मामले में हिन्दुस्तान के लोग ही इतने संगठित थे जितने पहले कभी न थे। इस मुकदमे में उनकी पूरी दिलचस्पी थी। इसका परिणाम यह हुआ है कि वे जीत गए हैं। हम अपने साथी कप्तान शाहनवाज खां, कप्तान सहगल और लेफ्टिनेन्ट ढिल्लन का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे देश का स्वतन्त्रता के लिए कार्य करते रहेंगे।

जवाहरलाल नेहरू

—:o:—

आज़ाद-हिन्द-फौज ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिन लोगों को आजादी से प्रेम है, वे किसी कानून या सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। इन्होंने यह भी दिखाया है कि भारतीय अपनी सरकार चलाने और अपनी रक्षा के लिये फौज तैयार करने में पूर्णतया समर्थ हैं।

स्वर्गीय श्री भूलाभाई देसाई

—:०*०:—

सरकार ने अनुभव किया है कि आजाद-हिन्द-फौज के इन अफसरों और दूसरे साथियों ने जिस भावना से भारत को मुक्त कराने का प्रयत्न किया है, उन के प्रति देश में गर्व और प्रशंसा की भावना कितनी प्रबल है।

आजाद-हिन्द-फौज ने जनता के विचारों को प्रभावित किया है कि उन्होंने साम्प्रदायिक सहयोग और सामंजस्य का सुन्दर परिचय दिया है। मेरा विश्वास है कि देश सेवा, अथक उत्सुकता और विचार शीलता का परिचय देंगे जैसा कि इन्होंने युद्ध क्षेत्र में दिया था। देश वासियों के सामने इनके और इनके साथियों के जीवन बहुमूल्य हैं और मुझे आशा है कि देश के करोड़ों नवयुवकों और नवयुवतियों को इस से प्रेरणा मिलेगी।

आजाद-हिन्द-फौज के प्रत्येक आदमी ने जो काम किया है वह द्वेष या स्वार्थ भाव से नहीं किया, अपितु स्वतन्त्र भारत के निमित्त किया है जिस के लिए इन्होंने अपने जीवन समर्पित कर दिये थे।

डा० कैलाशनाथ काटजू

—:०*०:—

आजाद-हिन्द-फौज ने सारे संसार के सामने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दुस्तानी स्वतन्त्रता के लिए केवल कष्ट सहने के लिए ही नहीं हैं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मरने तक को तैयार हैं। मुसलमान, सिख और दूसरे भारतीय जातियों के लोग अपने सामान्य लक्ष्य के लिए भाई २ की भांति कन्धे से कन्धा मिला कर काम कर सकते हैं। ये लोग भारत के भावी नेता हैं।

८ अगस्त १९४२ का वह दिन जब "भारत छोड़ो" का नारा पहले पहल आकाश में गूँजा था भारत के इतिहास का एक स्मरणीय दिन होगा, क्योंकि उसी दिन आजाद-हिन्द-फौज का भी निर्माण हुआ था और इस प्रकार भारत की आजादी के लिए एक साथ दो मोर्चों पर देश के भीतर और देश के बाहर भी आन्दोलन शुरू हुआ था।

शरतचन्द्र बोस

—:o*o:—

यह मुकदमा अभूतपूर्व था। विश्व में स्वाधीन होने के लिए पराधीन देशों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के इतिहास में आजाद-हिन्द-फौज का अध्याय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा।

आजाद-हिन्द-फौज के आदमियों में देश भक्ति की भावना, सारी कठिनाईयों को सहते हुए अपने देश की आजादी के लिए लड़ने का दृढ़ विश्वास और धर्म या जातपात के भेद भावों से रहित इन की एकता ने सारे देश के दिलों को जीत लिया है।

सरदार वल्लभभाई पटेल

—:o*o:—

ये आजाद-हिन्द-फौज में इस लिए शामिल न हुए थे कि उन्हें जापानियों ने वैसा करने के लिए प्रेरित किया था, वे तो इस लिए शामिल हुए थे कि उन के दिल में देश भक्ति और त्याग की भावना पैदा हुई थी। अपने देश की स्वाधीनता के लिए उन में अपना सर्वस्व न्योछावर करने की अदम्य इच्छा शक्ति थी। आशा है कि वे कांग्रेस के झण्डे के नीचे आकर भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेंगे।

डा० राजेन्द्रप्रसाद

—:०※०:—

समाप्त